जनवरी-मार्च, २०२०

सत्यमेव जयते

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक : ६५

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

Commission For Scientific And Technical Terminology

Ministry Of Education

(department Of Higher Education)

Government Of India

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक : 65

जनवरी-मार्च, 2020

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

© **भारत सरकार 2021**

ISSN: 2321-0443

प्रकाशक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार
(पश्चिमी खंड़-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली – 110 066.

विक्रय हेतु पत्र-व्यवहार का पता
बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, आर. के. पुरम.
नई दिल्ली – 110 066
टेलीफोन – (011) 26105211
फैक्स – (011) 26102882

बिक्री स्थान
प्रकाशन नियंत्रक
प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
सिविल लाइन्स
दिल्ली -110 054.

सदस्यता शुल्क	
	भारतीय मुद्रा
व्यक्तियों / सस्थाओं के लिए प्रति अंक	रु. 14.00
वार्षिक चंदा	रु. 50.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	रु. 8.00
वार्षिक चंदा	रु. 30.00

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।
संपादक मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है ।

यह पत्रिका वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रचार–प्रसार के साथ हिंदी में वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित की जाती है।

संपादन एवं समन्वय

परामर्श एवं संपादन मंडल

प्रोफेसर एम. पी. पूनियां अध्यक्ष एवं प्रधान संपादक	**प्रोफेसर गोपा भारद्वाज** (सेवानिवृत्त) मनोविज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
प्रोफेसर नीरजा शुक्ला (सेवानिवृत्त) एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली	**डॉ. भ. प्र. निदारिया** (सेवानिवृत्त) उपनिदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
संपादक **डॉ. संतोष कुमार** सहायक निदेशक	

अनुक्रम

अध्यक्ष की कलम से

अ. क्र.	आलेख शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
1	विद्यापति पदावली और मिथिला लोकचित्र शैली की सहधर्मिता	डॉ. शोभा कुमारी	1
2	वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलाओं की स्थिति	डॉ. अलका रानी	12
3	सोशल मीडिया और निजता का संकट	आनंद पांडेय	19
4	शांति शिक्षा को बढ़ावा देने में गांधीवादी दृष्टिकोण की भूमिका	पूर्णिमा पाण्डेय, डॉ. दीपा मेहता	31
5	प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन की भूमिका	डॉ. रमेश तिवारी	40
6	राष्ट्रीय अनुवाद-माध्यम के रूप में हिंदी : उपलब्धियाँ और दिशाएँ	डॉ. जी. गोपीनाथन	50
7	प्रकृति, पर्यावरण और हम	डॉ. विजया सती	57
8	जैव-प्रौद्योगिकी (बॉयोटेक्नालोजी)	डॉ. सत्येंद्र कुमार सेठी	66
9	मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेजः पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में	डॉ. अनिल कुमार धीमान	79
10	भारत में संरचनात्मक विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश	आकांक्षा पाण्डेय	80
11	नॉर्वे में कृषि	सुरेशचन्द्र शुक्ल	103
12	योग शिक्षा का संप्रत्यय एवं विद्यार्थियों के तनावप्रबंधन में इसकी भूमिका	सूर्य प्रकाश गोंड, डॉ. आलोक गार्डिया	112
13	जीवनशैली पर नृत्य का प्रभावः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण	सुरुचि भाटिया, गीतिका आर पिल्लई	132
14	क्या भारतीय बाजार से लुप्त हो जाएंगे अखबार डिजिटल माध्यमों से मिल रही हैं प्रिंट मीडिया को गंभीर चुनौतियाँ	प्रो. संजय द्विवेदी	141
15	हिंदी-विश्व भर में : मॉरिशस के विशेष संदर्भ में	डॉ. नूतन पाण्डेय	149
16	जडों से उखाडे जाने की पीड़ा - विस्थापन	डॉ. रानू मुखर्जी	160
17	समावेशी शिक्षा से जुड़े मुद्दे व चुनौतियाँ	डॉ. विनय कुमार सिंह	168
18	स्त्री की बदलती छवि और सिनेमा	अभिजीत सिंह	187
19	पारंपरिक विद्यालयों का पुनर्गठन और परिवर्तन की आवश्यकताः वैकल्पिक विद्यालयों पर चर्चा	सुनीता कथूरिया	201
20	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण	डॉ. सरिता चौधरी, बाल मुकुन्द पाल	216
21	सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंतःक्रियाओं का विश्लेषण : एक अध्ययन	डॉ. विरेन्द्र कुमार डॉ. शिरीष पाल सिंह	242

22	अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण: निर्माण एवं मानकीकरण	देवेन्द्र कुमार यादव डॉ. शिरीष पाल सिंह	264
23	कोविड-19 से जूझते समकालीन परिदृश्य में डिजिटल शिक्षा पद्धति का महत्व : न्यू मीडिया की नजर से	डॉ. शैलेश शुक्ला	284
24	प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकोंकी प्रत्यक्षण मापनी (निर्माण एवं मानकीकरण)	विनोद कुमार डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर	299
25	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन	डॉ. सुमित गंगवार डॉ. शिरीष पाल सिंह	320
26	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: अनुवाद के क्षेत्र में एक दूरदर्शी पहल	डॉ. राम प्रकाश यादव	348
27	विदेशों में हिंदी शिक्षण (कनाडा के संदर्भ में)	डॉ. दीपक पाण्डेय	355
28	बॉलीवुड फिल्मों में मानसिक समस्याओं का चित्रण	डॉ.प्रज्ञेंदु ऋषिका अग्रवाल डॉ.दिनेश छाबड़ा डॉ.अमोघ तालान	364

अध्यक्ष की कलम से

ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति के आदेश से भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय) के अधीन सन् 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अब तक आयोग ने विभिन्न विषयों की तकनीकी शब्दावली, अखिल भारतीय शब्दावली, परिभाषा कोश, चयनिकाओं, पाठमालाओं तथा विश्वविद्यालय स्तर की हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के निर्माण संबंधी विविध प्रयास किए हैं।

आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी में हिंदी में उच्च स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों की त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का प्रकाशन किया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य में रत छात्रों को उनके विषय की अद्यतन जानकारी मिलने के अतिरिक्त हिंदी में मौलिक लेखन एवं स्तरीय अनुवाद को प्रोत्साहन मिलता है, इसके साथ-साथ आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखकों को स्तरीय मंच प्रदान किया जाता है। इस पत्रिका में उच्च स्तरीय लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

इस क्रम में 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का 65 वाँ अंक पाठकों एवं लेखकों को सौंपते हुए मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। इस अंक में विभिन्न जानकारी, नवीनतम अनुसंधानों एवं शोध कार्यो की अद्यतन सूचनाएँ एक ही स्थान पर उन्हीं की भाषा में उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि पत्रिकाएँ संस्था विशेष के ज्ञान की परिचायक होती हैं एवं राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे महत्वपूर्ण अनुसंधानों व शोध कार्यों का एक समेकित और जनोपयोगी सार्थक मंच भी प्रदान करती हैं। यद्यपि अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के समानांतर 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का उद्देश्य मूल रूप में हिंदी में वैज्ञानिक लेखन का प्रचार-प्रसार करना है। जिसका कार्यान्वयन व अनुपालन पत्रिका अपने अंकों में करती रही है। पत्रिका का यह अंक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण और संग्रहणीय है।

आयोग की ओर से सभी हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 की भावना के अनुसार हिंदी का राजभाषा और संपर्क भाषा के रुप में प्रचार-प्रसार और विकास कार्य निरंतर जारी है। दुनियाभर के हिंदी प्रेमियोंने अपनी अपनी भाषाओं के साहित्य का अनुवाद कर हिंदी के साहित्य को न केवल समृद्ध किया है अपितु उसे अंतरराष्ट्रीयय हिंदी-मंच भी प्रदान किया है। और इसी सेवा-समर्पण तथा आत्मियता से जुड़ा है। मातृभाषा के प्रति प्रेम। मातृभाषा दिवस (21 फरवरी) पर सहज अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता के आंदोलन हमें भाव विभोर कर जाते है। मातृभाषा माध्यम से विविध विषयों के उच्च स्तरिय शिक्षण प्रशिक्षण की

चिंता हमारे मनीषियों को रही है। वैज्ञानिक तथा तकनिकी शब्दावली आयोग इस दिशा में ग्रंथ अकादमीयों और शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर संविधान की आठवी अनुसूची में अल्लिखित भाषाओं के माध्यम से पाठ्य एवं सहायक सामग्रियों के (प्रकाशन को प्रोत्साहन दे रहा है।)

मै इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिकों, लेखकों से अपेक्षा करता हूँ कि वे आयोग के विशेषज्ञों, विद्वानों के सहयोग से तैयार की गई प्रामाणिक एवं मानक शब्दावली का अधिक से अधिक उपयोग कर अपना सार्थक सहयोग आयोग को प्रदान करें।

यह पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र आदि विषयक लोकप्रिय, ज्ञानवर्धक, ज्ञानोपयोगी एवं रोचक सामग्री प्रस्तुत की जाती है।

मै उन सभी लेखकों, विशेषज्ञों एवं आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्होंने इस पत्रिका के निर्माण, समन्वय एवं संशोधन कार्य में सहयोग दिया, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं विशेष रूप से डॉ. संतोष कुमार, सहायक निदेशक जिन्हें इस पत्रिका के संपादन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व सौपा गया था; धन्यवाद व्यक्त करता हूँ; जिनके अथक प्रयासों से यह पत्रिका समय पर उपलब्ध हो सकी।

इस अंक के साथ-साथ पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु मनोविज्ञान विषय की महत्वपूर्ण व उपयोगी शब्दावली को भी संलग्न किया जा रहा है ताकि पाठक एवं लेखक भविष्य में अपने द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में मानक शब्दावली का प्रयोग कर राष्ट्रीय स्तर पर शब्द पर्यायों की एकरूपता सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान कर सकें। इसी के साथ आयोग के प्रकाशनों की नवीनतम सूची को भी इस पत्रिका के अंत में प्रकाशित किया जा रहा है।

सुधी पाठकों के अमूल्य सुझावों व सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी।

नई दिल्ली

(प्रोफेसर एम. पी. पूनियां)
अध्यक्ष
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत शब्दावली-निर्माण के सिद्धांत

1. अंतरराष्ट्रीय शब्दों को यथा संभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं :-

   (क) तत्वों और योगिकों के नाम जैसे हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि;

   (ख) तौल और माप की इकाइयाँ और भौतिक परिमाण की इकाइयाँ, जैसे डाइन, कैलॉरी, ऐम्पियर आदि;

   (ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे मार्क्सवाद (कार्ल मार्क्स), ब्रेल (ब्रेल), बॉयकाट (कैप्टेन बॉयकाट), गिलोटिन (डॉ. गिलोटिन), गेरीमैंडर (मि. गेरी), एम्पियर (मि. एम्पियर), फारेनहाइट तापक्रम (मि. फारेनहाइट) आदि;

   (घ) वनस्पति-विज्ञान एवं प्राणि-विज्ञान, भूविज्ञान आदि की द्विपदी नामावली;

   (ङ) स्थिरांक जैसे ग,g आदि

   (च) ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है, जैसे रेडियो, पेट्रोल, रेडार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि;

   (छ) गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक, प्रतीक, चिह्न और सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन, टेन्जेन्ट, लॉग आदि (गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला के होने चाहिए)।

2. प्रतीक, रोमन लिपि में अंतरराष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे परंतु संक्षिप्त रूप देवनागरी और मानक रूपों से भी, विशेषत: साधारण तौल और माप में लिखे जा सकते हैं, जैसे सेन्टीमीटर का प्रतीक बस हिंदी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा परंतु देवनागरी संक्षिप्त रूप से से.मी. भी हो सकता है। यह सिद्धांत बाल-साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा, परंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानक पुस्तकों में केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतीक, जैसे cm ही प्रयुक्त करना चाहिए।

3. ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जैसे क, ख, ग, या अ, ब, परंतु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए, जैसे साइन A, कॉस B आदि।

4. संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यत: अनुवाद किया जाना चाहिए।

5. हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

6. सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो-

(क) अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों, और

(ख) संस्कृत धातुओं पर आधारित हों ।

7. ऐसे देशी शब्द जो सामान्य प्रयोग के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं जैसे, telegraph/telegram के लिए तार, continent के लिए महाद्वीप post के लिए डाक आदि इसी रूप में व्यवहार में लाए जाने चाहिए।

8. अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे टिकट, सिगनल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेस्तरां, डीलक्स आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए।

9. अंतरराष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण - अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिह्न व प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े। शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप होना चाहिए और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों।

10. लिंग- हिंदी में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय शब्दों को, अन्यथा कारण न होने पर, पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए।

11. संकर शब्द - पारिभाषिक शब्दावली में संकर शब्द जैसे guaranteed के लिए गारंटित classical के लिए क्लासिकी codifier के लिए कोडकार आदि के रूप सामान्य और प्राकृतिक भाषाशास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्द रूपों को पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकताओं तथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए।

12. पारिभाषिक शब्दों में संधि और समास - कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द-रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी। जहाँ तक संस्कृत पर आधारित आदिवृद्धि का संबंध है, व्यावहारिक, लाक्षणिक आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में आदिवृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित हैं। परंतु नवनिर्मित शब्दों में इससे बचा जा सकता है।

13. हलंत- नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए।

14. पंचम वर्ण का प्रयोग - पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए परंतु lens, patent आदि शब्दों का लिप्यंतरण लेन्स, पेटेन्ट या पेटेण्ट न करके लेन्स, पेटेन्ट ही करना चाहिए।

PRINCIPLES FOR EVOLUTION OF TERMINOLOGY APPROVED BY THE STANDING COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

1. 'International terms' should be adopted in their current English form as far as possible, and transliterated in Hindi and other Indian languages according to their genesis. The following should be taken as examples of international terms :-

    a) Names of elements and compounds, e.g. Hydrogen, Carbon dioxide, etc.,

    b) Units of weights, measures and physical quantities e.g. dyne, calorie, ampere, etc.,

    c) Terms based on proper names e.g. marxism (Karl Marx), Braille (Braille), boycott (Capt. Boycott), guillogtine (Dr. Guillotin), gerrymander (Mr. Gerry), ampere (Mr. Ampere), fahrenheit scale) mr. Fahrenheit), etc.,

    d) Binomial nomenclature in such sciences as Botany, Zoology. Geology, etc.,

    e) Constants, e.g., ग. g etc.,

    f) Words like Radio, Petrol, Radar, Electron, Proton, Neutron, etc., which have gained practically world- wide usage;

    g) Numerals, symbols, signs and formulae used in mathematics and other sciences e.g., sin, cos, tan, log etc.. (Letters used in mathematical operation should be in Roman or Greek alphabets).

2. The symbols will remain in international form written in Roman script, but abbreviations may be written in Nagari and standardised form. Specially for common weights and measures, e.g. the symbol 'cm' for centimetre will be used as such in Hindi, but the abbreviation in Nagari may be से.मी. This will apply to books for children and other popular works only, but in standard works of science and technology. The international symbols only, like cm. should be used.

3. Letters of Indian scripts may be used in geometrical figures e.g क, ख, ग, or अ, ब, स, but only letters of Roman and Greek alphabets should be used in trigonometrical relations e.g., sin A, cos B etc.

4. Conceptual terms should generally be translated.

5. In the selection of Hindi equivalents simplicity, precision of meaning and easy intelligibility should be borne in mind. Obscurantism and purism may be avoided.

6. The aim should be to achieve maximum possible identity in all Indian languages by selecting terms :-

a) Common to as many of the regional languages possible, and

b) Based on Sanskrit roots.

7. Indigenous terms, which have come into vogue in our languages for certain technical words of common use, such as तार for telegraph/telegram. महाद्वीप for continent. डाक for post etc. should be retained.

8. Such loan words from English, Portuguese, French, etc., as have gained wide currency in Indian languages should be retained e.g. ticket, signal, pension, police, bureau, restaurant, deluxe etc.

9. Transliteration of International terms into Devanagari Script-The transliteration of English terms should not be made so complex as to necessitate the introduction of new signs and symbols in the present Devanagri characters. The Devanagari rendering of English terms should aim at maximum approximation to the standard English pronunciation with such modifications as prevalent amongst the educated circle in India.

10. Gender-The International terms adopted in Hindi should be used in the masculine gender, unless there are compelling reasons to the contrary.

11. Hybrid formation - Hybrid forms in technical terminologies e.g गारंटित for 'guaranteed' क्लासिकी for 'classical', कोडकार for 'codifier' etc., are normal and natural linguistic phenomena and such forms may be adopted in practice keeping in view the requirements for technical terminology, viz., simplicity, utility and precision.

12. Sandhi and Samasa in technical terms - Complex forms of Sandhi may be avoided and in cases of compound words, hyphen may be placed in between the two terms, because this would enable the users to have an easier and quicker grasp of the word structure of the new terms. As regards आदिवृद्धि in Sanskrit-based words. it would be desirable to use आदिवृद्धि in prevalent Sanskrit tatsama words e.g., व्यावहारिक, लाक्षणिक etc. but may be avoided in newly coined words.

13. Halanta - Newly adopted terms should be correctly rendered with the use of 'hal' wherever necessary.

14. Use of Pancham Varna - The use of अनुस्वार may be preferred in place of पंचम वर्ण, but in words like 'lens'. 'patent' etc.the transliteration should be लेन्स, पेटेन्ट and not लेन्स पेटेन्ट or पेटेण्ट.

विद्यापति पदावली और
मिथिला लोकचित्र शैली की सहधर्मिता

डॉ. शोभा कुमारी

मैथिल कोकिल विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। कला की दृष्टि से उनका स्थान चोटी के कवियों की पहली कतार में आता है। विद्यापति की एक नायिका ने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है "जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल" यही बात स्वयं कवि की कविता के संबंध में भी कही जा सकती है। वह भी चिर-यौवना है और हर बार अध्येता को एक नया रस, एक नया स्वाद, एक नया सौंदर्य बोध प्रदान करती है। विद्यापति की कविता अपने समय और समाज का मर्मस्पर्शी एवं विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करती है। चित्रात्मकता उसका वैशिष्ट्य है। विद्यापति ने शब्दो की तूलिका से अनेकानेक भास्कर चित्र उकेरे हैं।

कविता और चित्रकला के सादृश्य पर पश्चिम में गंभीर चिंतन हुआ है। हॉरेस ने अपने 'आर्सपोइतिका' में कविता और चित्रकला के अंतसंबंध पर विचार किया है। उनकी दृष्टि में विस्तृत सूक्ष्मताएँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कवि की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और शैली ऐसी विस्तृत एवं प्रभावशाली होनी चाहिए कि दूर से देखने पर भी वह आनंद प्रदान करे। हाँरेस का यह मत 16 वीं से 18 वीं शताब्दी तक की कला और साहित्य की समीक्षा में व्यापक रूप से यूरोप में मान्य रहा है। हॉरेस के "जैसे चित्र में वैसे कविता में" उक्ति का प्रयोग किया गया तब काव्य में समानता ढूँढ़ना ही मौलिक महत्ता का कार्य समझा जाता था। कवि ऐसा चित्रकार माना गया जो अपनी योग्यता से

बाह्य संसार के बिंब को उसी सजीवता से चित्रित करता है। यदि चित्रकार श्रेष्ठ कहलाना चाहता है तो उसे संस्कारतः कवि के विषय को समझ सके मानवीय भावों को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त कर सके तथा नयी-नयी उद्भावनाओ की खोज नयी नयी उद्भावनाओं की खोज के लिए कवि के नियमों का पालन कर सके।

हॉरेस के मंतव्य का स्मरण करके लेखको ने चित्र और कविता में रूपात्मक संबंध खोजना प्रारंभ कर दिया। यह मान्यता प्रमुखता से उभरी कि जब कवि किसी रचना के लिए अपना विषय छाँटता है तब वह उसका एक ढाँचा बनाकर सुंदर वाक्यों, रूढ़ शब्दों और अलंकारों से सुसज्जित करके उसी प्रकार काव्य का रूप दे देता है जैसे कोई चित्रकार वस्त्र पर रंग से देता है।

कविता और चित्रकला में माध्यमों की भिन्नता होते हुए भी तय है कि ये कलाएँ हमारी संवेदनाएँ, अनुभवों विचारों और मंतव्यों की रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ है। कविता तथा अन्य कलाएँ अपनी विद्यागत सीमाओं को तोड़कर एक-दूसरे के करीब आई है इसलिए कविता और चित्रकला या कि अन्य कलाओं को एक-दूसरे की संगति और संदर्भ में देखने की जरूरत अधिक बढ़ गई है। चित्रकला की रेखाओं और रंगो की अभिव्यक्तियाँ कविता की लय में रूपाचित होती है। रंग की हरकतों को कवि जिंदगी के अहसासी में महसूस करता है और उन्हें शब्दों तक ले आता है। रंगों की असीम और अनंत फंतासियों के पीछे जीवन और परिवेश के संदर्भो को देखा जाता है और वे फंतासियाँ शब्दों का सहारा लेकर कविताओं में अपने ढंग में उतर आती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मिथिला लोकचित्र शैली और विद्यापति पदावली के सादृश्य का विश्लेषण किया गया है। सौंदर्य का सूक्ष्म विश्लेषण आत्माभिव्यक्ति तथा

रहस्यपूर्ण शैली मिथिला लोकचित्र की खास विशेषता है और यही विशेषता विद्यापति पदावली की है।

हिंदी-साहित्याकाश में कवि'कोकिल विद्यापति देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति आदिकाल से लेकर अब तक ज्योतित है। हिंदी-साहित्य में इनका स्थान वही है जो संस्कृत साहित्य में कालिदास, अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपीयर और बंगला-साहित्य में टैगोर का है। यद्यपि विद्यापति ने संस्कृत एवं अवहट्ठ में भी अनेक रचनाएँ की है, तथापि इनकी ख्याति का आधार पदावली ही है।

कवि-कोकिल ने मिथिला की गली-गली को रसप्लावित कर दिया। इतना ही नहीं मिथिला की अंतःपुर तथा झोपड़ियों से मंदिरो और घरों तक समान तन्मयता के साथ उनके गीत गाए जाते हैं। एक ओर विद्यापति ने जहाँ भक्त-रूप में शिव और शक्ति तथा राधा और कृष्ण की स्तुति पूरी तन्मयता से की है, वहीं दूसरी ओर उनके पद श्रृंगार-रस में पाठकों को सराबोर कर देते हैं। विद्यापति के पदों में भावों की प्रधानता 'सत्यम, शिवम्, सुंदरम् की कामना काव्य-सौंद्र्य तथा हृद्य का माधुर्य आदि काव्योक्ति सद्गुण लगता है-

"हिंदू-धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, कृष्ण और कृष्ण से भी लोगो का विश्वास उठ सकता है, लेकिन तब भी विद्यापति के गीतो के प्रति लोगों की आस्था और प्रेम कम न होंगे"[1]।

विद्यापति ने प्रेम और सौंद्र्य के रोमांचकारी और मादक चित्र अंकित किए है, जिनमें गहरी प्रेमानुभूति, लालित्य तथा माधुर्य संगीतमयी भाषा में सहज ही उमड़ पड़ा है। विद्यापति के काव्य में श्रृंगार-रस की तरंगिनी असंख्य धाराओं में अठखेलियाँ करती हुई प्रवाहित होती है।

'पदावली' के जिस वर्ग के पदो के लिए विद्यापति की प्रसिद्धि है, वह है-राधा कृष्ण का प्रेम। इस वर्ग के कुछ पदों में राधा का नख-शिख वर्णन, रूप-माधुर्य का चित्रण, आकर्षण और नायक कृष्ण के हृदय में प्रेम-वैचित्र्य का उदय दिखाया गया है। राधा-कृष्ण को अपरूप कहती है, जिसका वर्णन सुनकर लोगों को सहसा विश्वास न होगा। विद्यापति की सबसे बड़ी विशेषता राधा और कृष्ण के प्रेम का ऐसा चित्रण करना है, जो अपनी तमाम परिस्थितियों, सुख-दुख की भावनाओं उल्लासपूर्ण मिलन और अश्रुसिक्त विरह की अवस्थाओं में पलकर एक जीवंत वस्तु प्रतीत हो। राधा और कृष्ण के इस प्रेम के परिपार्श्व में उनकी सारी दिनचर्या समाज परिवार, अनुशासन, लज्जा, संकोच सभी यथार्थ-जीवन का अंग बनकर उपस्थित होते है। विद्यापति क्लासिक-साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने काव्य-कौशल को सारी संपदा के साथ अपने अध्यवसाय और अभ्यास से अर्जित किया था, किंतु वे लौकिक जीवन से भी इस प्रकार संपृक्त थे कि उनकी रचनाओं में लोकतत्व, लोकोक्ति, मुहावरे, अंधविश्वास, रीति-रिवाज, प्रथाएँ आदि का भी बड़ा सुंदर समावेश हो गया है। उनके कृष्ण नंद राजा के पुत्र नहीं, सामान्य ग्वाल हैं। इसलिए प्रेम-प्रसंगों में गोपियाँ उन्हें अपने सामाजिक स्तर पर उतारकर अच्छी तरह बनाती हैं। सूरदास की गोपियाँ की इस बात के लिए प्रशंसा की गई है कि उन्होने उद्धव के तर्कों का उत्तर अपने आसपास की वस्तुओं सीकर, छी, दूध, झोली, कनुकी, भूसी आदि के उदाहरण देती हैं, किंतु इसके लिए प्रशंसा करनी ही है तो विद्यापति की होनी चाहिए, क्योकि कान्ह गोवार से बातचीत करने में इस शैली का प्रयोग विद्यापति की गोपियाँ कम नहीं करती है।

समग्रतः 'विद्यापति' पदावली' अपना खास स्वरूप अपना खास रंग-ढंग रखती है। वह कहीं भी रहे, आप उसे कितना कविताओं में छिपाकर रखिए, वह स्वंय चिल्ला उठेगी" मैं हिंदी-कोकिल की काकली हूँ।" जिस प्रकार हजारों पक्षियों के कलरव को चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश-पाताल को रसप्लावित करती और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है, उसी प्रकार इनकी कविता भी अपना परिचय आप देती है। विद्यापति एक अजीब कवि हैं। जो राजाओं की गगनचुंबी अट्टालिकाओं से लेकर गरीबों की टूटी-फूटी फूस की झोपड़ियों तक में इनके पदों का आदर है। भूतनाथ के मंदिर और कोहबर-घर' में इनके पदों का सामान्य रूप से सम्मान है।

कोई मिथिला जाकर तमाशा देख एक शिवपुजारी डमरू हाथ में लिए, त्रिपुंड रमाए, जिस प्रकार कखन हरब दूख मोर हे भोलेनाथ- गाते-गाते तन्मय होकर अपने आपका भूल जाता है, उसी प्रकार नववधू को कोहबर में ले जाती हुई कालंकठी कामिनियाँ सुंदरि चललि पहु घर ना, जाइतहि लागु परम् डर ना' गाकर नव वर-वधू के हृद्यों को एक अव्यक्त आनंद-स्त्रोत में डुबा देती हैं। जिस प्रकार नवयुवक ससन परस खसु अंबर रे, रेखल धहन देह पड़ता हुआ एक मधुर कल्पना से रोमांचित हो जाता है, उसी प्रकार एक वृद्ध 'तातल सैकत वारि बिंदु सम सुत मित रमनि समाजें, तोहि बिसरि हम तोही समरपल, अब मझु होब कौन काजे माधव हम परिनाम निरासा"। गाता हआ अपने नयनों से अश्रू-बिंदु गिराने लगता है। अतः विद्यापति-पदावली में जीवन की विविध अन्वितियाँ हैं, कला का अप्रतिम उत्कर्ष है।

प्रायः समस्त कला-निर्माण के पीछे एक प्रकार का भावात्मक उद्रेक होता है, जो अनुभूत अवलोकित अनुभव को स्वरून प्रदान करने का प्रयास

करता है। कवि अथवा कलाकार दोनों एक ही विश्व के प्राणी होते हैं जो अपने ह्दय की भावना को शब्द, रंग अथवा संगीत के माध्यम से व्यक्त करते है।

प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कार्यक्षमता अपनी विशेष प्रतिभा एवं आत्माभिव्यक्ति-शैली होती है। मिथिला की भी अपने स्वभाव एवं आदर्श के अनुकुल सौंद्‌र्याभिव्यक्ति' शैली रही है। सामान्यजन के जीवन में आध्यात्मिक विचार एवं प्रकृति-प्रेम की प्रधानता प्रारंभ से ही रहती है। यही कारण है कि मिथिला-लोकचित्र-शैली में चित्रित देवी देवता, पशु-पक्षी तथा मानव सभी आध्यात्मिकता एवं प्रकृति-प्रेम से ओत-प्रोत हैं। सौंद्‌र्य का सूक्ष्म विश्लेषण, आत्माभिव्यक्ति तथा रहस्यपूर्ण 'शैली, मिथिला- लोकचित्र की खास विशेषता है।[2]

भारत में प्रत्येक मानव प्रकृति का अंग माना जाता है, इसके फलस्वरूप मनुष्य अथवा देवताओं का चित्रण प्रकृति के स्वरूप से तादात्म्य स्थापित करते हुए किया गया है। मिथिला-लोकचित्र में मानव समुदाय प्रकृति का एक अभिन्न तथा अविच्छिन्न अंग के रूप में चित्रित हुआ है और दोनो का एक दूसरे से संबंध है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मिथिला-लोकचित्र में बाह्‌य एवं आंतरिक जीवन-धारा का अद्‌भुत समन्वय हुआ है।।

कलाकार की कलामात्र स्थिर एवं गतिहीन अस्तित्व का चित्रण नहीं अपितु शक्तिशाली जीवन-प्रवाह का जो मानव एवं प्रकृति के रूप में उद्‌वेलित हो रहा है, का चित्रण है। बाह्‌य वस्तु एवं आध्यात्मिक तत्त्व-निरूपण मिथिला-लोकचित्र-शैली में देवी-देवताओं के साथ किसी-न-किसी प्राकृतिक वस्तु का चित्रण अवश्य होता है, यथा फूल, लता, पशु-पक्षी आदि।

तात्पर्य यह कि कलाकार अपने अंतर्ज्ञान का चित्रण रंग विशेष द्वारा करते हैं, जो मैथिल-अंतर्मन के प्रतीक-रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसका तादात्म्य मानविक अथवा नैसर्गिक सृजन से रहता है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि मिथिला-लोकचित्र-शैली की सर्वोपरि विशेषता यह है कि कलाकार अंतर्दृष्टि से अनुप्रेरित होकर कला-सृजन प्रारंभ करता है, बाह्य दृष्टि से नहीं।[3]

समाज के विभिन्न वर्ग द्वारा जो कलात्मक सृजन होता है, उसे ही हम 'लोककला' कह सकते है। यद्यपि ये विभिन्न वर्ग एक ही समाज के अभिन्न अंग होते है, तथापि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी कला-शैली तयुगीन मिश्रित सभ्यता के कलात्मक विकास से संपन्न होती है। चित्रकला का सृजन धार्मिक प्रयोजनीयता के फलस्वरूप हुआ, कहीं-कहीं व्यक्तिगत सृजनात्मक प्रेरण अथवा मनोरंजनात्मक भावना से भी हुआ, किंतु इसकी उत्पत्ति सामान्य तथा धार्मिक पृष्ठभूमि में हुई, इसके फलस्वरूप चित्रकला तथा धर्म में प्रायः अन्योन्याश्रित संबंध हो गया।

'विद्यापति-पदावली' के प्रत्येक पद की ऐसी विशेषता है कि वो पद अलग-अलग चित्र प्रदर्शित करता है विद्यापति के पद के आधार पर पदावली को दो भागो में विभाजित किया जा सकता है।

1. श्रृंगार-संबंधी पद

2. भक्ति-संबंधी पद

श्रृंगार-संबंधी पदों में राध-कृष्ण के आध्यात्मिक रूप के वर्णन के साथ ही शिव, गंगा और भक्ति आदि अनेक देवी-देवताओ की उन्होंने स्तुति की है।

जहाँ इनके गीतों की इतनी उपयोगिता है, वहाँ यदि चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, तो मिथिला की दानो कलाओं का समावेश एक साथ हो सकेगा, चुंकि ये दोनो कलएँ चौसठ कलाओं में प्रमुख हैं।

मिथिला में गीतों की जितनी प्रमुखता है उतनी ही प्रमुखता यहाँ की चित्रकला अथवा लोकचित्र की भी है।

'विद्यापति-पदावली' और मिथिलांचलीय संस्कृति की संबद्धता सर्वविदित है। इसलिए मिथिला-लोकचित्र के माध्यम से 'पदावली' का दृश्यांकन, प्रत्यक्षीकरण अथवा भावाभिव्यंजन का महत्व कम नहीं हो सकता है। चूँकि काव्य और चित्र की अभिव्यक्ति के दो माध्यम हैं। दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। काव्य की अभिव्यक्ति में दो तत्व निहित होते हैं-नाद तत्व और चित्र-तत्व। इस दृष्टि से प्रत्येक कविता अपने आप में भाव एवं विचारों की प्रतिमूर्ति है।

कलाकृति चाहे वह शब्दो' में हो या संगीतात्मक अभिव्याप्तियों में, चाहे रंगों और रेखाओं में हो या स्थापत्य में किंतु उससे कलाकार के अंतर्जत का निकटतम संबंध रहता है। वे जो कला को या तो दैवी शक्तियाँ या सामाजिक शक्तियों द्वारा उद्भूत मानते रहे है।, वे भी इतना तो मानते हैं कि ये शक्तियाँ भी मनुष्य के अंतर्जगत में संस्कार या अवतरण या अन्य किसी रूप में पहले प्रतिष्ठित होती हैं और तभी उसकी रचना-प्रक्रिया का मूल अंतः प्रेरण है। जब तक अंतः प्रेरणा नहीं जगती, तब तक वह सजीव कलाकृति अंतः प्रेरण नही जगती, तब तक वह सजीव कलाकृति नही प्रस्तुत कर पाता।

माध्यमों की भिन्नता होते हुए कविता और चित्र हमारी संवेदना और अनुभवों, विचारों और मंतव्यों की रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ है। हमारे अंतर्मन

के साथ-साथ एक जीता-जागता संसार इसमें हिलोरें लेता है। चित्र तथा कविताएँ इसी तरह एक दूसरे के करीब आए है।[4]

प्रस्तुत विषय विद्यापति पदावली' में चित्रात्मकता' को स्पष्ट रूप से मिथिला-लोकचित्र-शैली में दिखाने हेतु निम्नलिखित पद प्रस्तुत है।

कुंज-भवन सएँ निकसल रे, रोकल गिरिधारी।

एकहि नगर बसु माधव हे, जनि करू बटमारी

छाड़ कान्ह मोर आँचर रे, फाटत नव-सारी

अपयस होएत जगत् भरि हे, जनि करिअ उधारी।।[5]

सखि हे आज जाएब मोहि।

घर गुरूजन डर न मानब बचन चुकब नाहि।।[6]

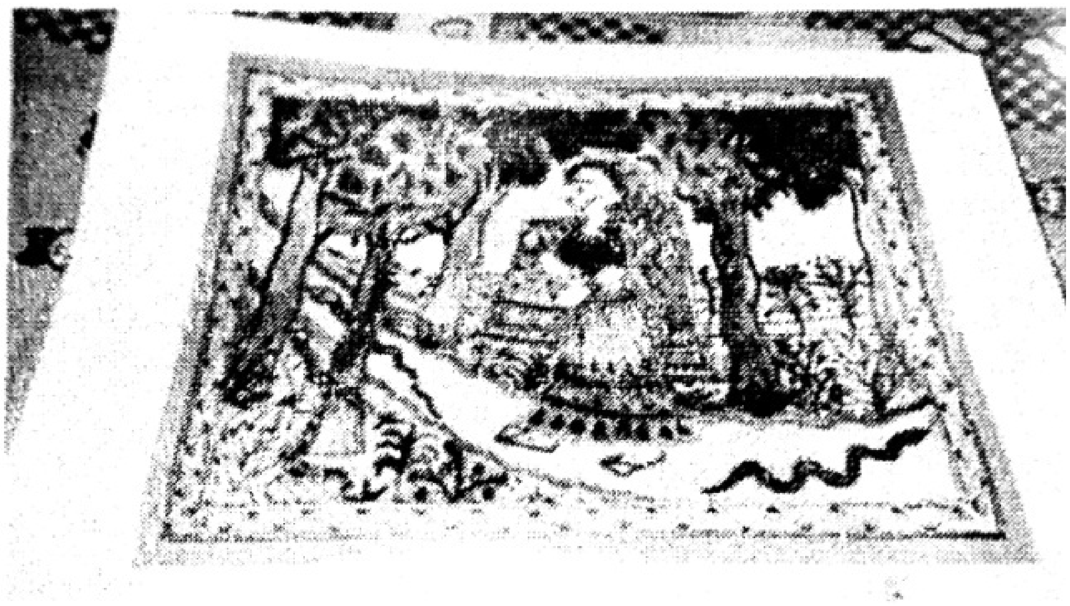

ए धनि मानिनी करह संजात तुअ

कुच हेम-घट हार भुजंगिनी

तक उपर धरण हाथ।।[7]

संदर्भ-ग्रंथ सूचि

1. हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त।

2. मिथिलाक चित्रकला ओ शिल्पकलाः- डॉ. उपेन्द्र डाकुर, मैथिल अकादमी, पटना।

3. मिथिला की सांस्कृतिक लोकचित्र-कला लक्ष्मीनाथ झा।

4. कला और साहित्यः कैलास दहिया सूचना और प्रसारण, भारत सरकार।

5. विद्यापति पदावली – रामवृक्षबेनीपुरी

6. विद्यापति पदावली - रामवृक्षबेनीपुरी

7. विद्यापति पदावली – रामवृक्षबेनीपुरी

वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलाओं की स्थिति

डॉ. अलका रानी
सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन
रूडकी (हरिद्वार)
ईमेल-dralkarani2016@gmail.com

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।
यागेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त फल क्रिया।।

अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ समस्त यज्ञार्थ क्रियाएँ व्यर्थ होती हैं।

यह विचार भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। भारत में स्त्रियों को सदैव ऊँचा स्थान दिया गया है। नारी शक्ति के बिना इस संसार में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। नारी समाज का दर्शन होती है। यदि किसी समाज की स्थिति को देखना है तो वहाँ की नारी की अवस्था को देखना होगा। हर महान व्यक्तित्व के पीछे एक नारी ही है।

बिना नारी वाले घर को भूतों का डेरा बताया गया है और कहा गया है कि "बिना नारी घर भूत का डेरा"। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नारी का आदर / सम्मान नहीं होता वहाँ पर लक्ष्मी का निवास भी नहीं होता। इसके बावजूद नारी उपेक्षित होती चली आ रही हैं जबकि समय-समय पर इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है - "किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सर्वोत्तम मापदंड है उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति"।

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। नारी की स्थिति में वैदिक युग से लेकर अत्याधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और उनके अधिकारों में भी तदनुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर सदा ही चिंता जताई गई है, लेकिन स्वतंत्र भारत में नारी दिन-प्रतिदिन अपनी लगन मेहनत एव सराहनीय कार्यों द्वारा राष्ट्रीय पहल कर अपनी पहचान बनाने में सफल सिद्ध हुई है।

वर्तमान समय में नारी नए भारत के आगाज की अहम् कड़ी दिख रही है। लंबे समय के अथक परिश्रम के बाद आज भारतीय नारी समूचे विश्व में अपने पदचिह्न छोड़ रही है। समाज एव परिवार में महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे ही सही पर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। यह परिवर्तन शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के आँकड़ों में दिखाई दे रहा है। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में महिलाओं की दशा एव दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। भारतीय नारी की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आती है। यह तस्वीर दबी-कुचली, सहमी हुई उस स्त्री से अलग है जो कभी पिता, कभी पति, तो कभी पुत्र पर आश्रित थी। शिक्षा के प्रचार एव प्रसार ने उसे आत्मनिर्भर बनाया है। आज की नारी ने सामाजिक बेड़ियों को उतार कर फेंक दिया है। इन्हें घर से बाहर निकलकर कार्य करने एव पारिवारिक मामलों में बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है। आज महिलाएँ फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी बातें शेयर कर रही हैं और घर या ऑफिस में भी बखूबी तालमेल स्थापित कर कार्य कर रही

हैं। अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों को भी महिलाएँ संभाल रही हैं जिसमें फुटपाथ की दुकान से लेकर वेंचर फंड प्राप्त नए स्टार्ट-अप तक शामिल हैं।

वर्तमान में नारी अंतरिक्ष तक पहुँच गई है। कल्पना चावला का नाम तो कोई नहीं भूला होगा। इसके साथ-साथ नारी आज देश के अनेक उच्च्व पदों पर आसीन हैं। यहाँ तक कि नारी हमारे देश की प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। देश में अब स्थल, वायु और नौसेना की बागडोर भी महिलाएँ संभाल रही हैं। देश के अनेक स्थानों पर महिला थाने भी खोले गए हैं जिनसे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का तुरंत निराकरण किया जा सके। सरकार द्वारा रोजगार की अनेक योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं जिनमें महिलाओं और पुरुषों को समान पारिश्रमिक देने का नियम निर्धारित है। इन सब योजनाओं का लाभ महिलाओं को प्राप्त होने भी लगा है।

आज नारी राजनीति, चिकित्सा, खेल, उद्योग, कला, संगीत, मीडिया, समाज सेवा आदि सभी क्षेत्रों में प्रसिद्धि अर्जित कर रही है। आधुनिक भारत की नारी ने स्वयं की शक्ति को पहचान कर काफी हद तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया है।

उक्त सुनहरी तस्वीर के पीछे कुछ स्याह हकीकत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना सब होने पर भी नारी दिन-प्रतिदिन अत्याचारों एव शोषण का शिकार हो रही है। वह मानवीय क्रूरता एव हिंसा से ग्रसित है। महिला सशक्तिकरण पर विचार करते समय महिलाओं की जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो आँकडे गवाह हैं कि महिला सशक्तिकरण की बयानबाजियों के बीच नारी समाज, राजनीति एव प्रशासन में कहाँ तक बढ़ पाई है। देश की आधी आबादी किन हालातों में रह रही है। महिलाओं की

यह जागरूकता महानगर केंद्रित या अति संपन्न, सुसंपन्न एव सुशिक्षित परिवारों तक ही दिखाई देती है। छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति जस-की-तस बनी हुई है। आज कई गाँवों में महिलाओं के लिए न कोई जच्चा अस्पताल है, न ही कोई महिला विद्यालय। आठवीं-दसवीं तक पहुँचते-पहुँचते लड़कियाँ स्कूल की पढ़ाई छोड़ देती हैं। अगर सुविधाएँ हैं भी तो स्कूल गाँव से अच्छी खासी दूरी पर हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए गाँव में कोई सड़क या साधन अभी तक नहीं बन पाए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता अनुपात 74% है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 87% एवं महिलाओं की साक्षरता दर केवल 62% है।

मध्यमवर्गीय महिलाओं की स्थिति त्रिशंकु के समान है। वे आधुनिक संपन्न महिलाओं का अनुकरण करना चाहती हैं, मगर कर नहीं पातीं। ऑफिस का कार्य, बच्चों एव घर की देखभाल की वजह से बने दबाव के चलते इन महिलाओं की दिनचर्या बदल रही है। महिलाएँ कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं, जैसे अवसाद, पीठ में दर्द, मधुमेह, हाईपरटेंशन, सर्वाइकल, कोलेस्ट्रोल, हृदय एव किडनी की बीमारियाँ आदि। महिलाओं के प्रति यौन अपराध कम नहीं हो रहे हैं, न ही बलात्कार की घटनाएँ रुक रही हैं, न छेड़खानी की, न महिलाओं पर दूसरे तरीकों से होने वाली हिंसा और न ही महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता। घरेलु हिंसा की रोकथाम के लिए 26 अक्तूबर 2006 में महिला संरक्षण अधिनियम गठित हुआ लेकिन घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने की सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद देश भर में महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएँ दिन प्रतिदिन हो रही हैं। जहाँ एक ओर कानून में कई तरह की खामियाँ हैं वहीं दूसरी ओर उन्हें

सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अपराधी न केवल साफ बच निकलते हैं बल्कि उनके हौसले भी बढ़ जाते हैं।

महिलाओं पर हुई हिंसा उनके स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक प्रभाव डालती है। ये अपराध कई बार तात्कालिक होते हैं और कई बार दीर्घकालिक भी। बलात्कार हिंसा का सबसे भयंकर रूप है। बलात्कार पीड़ित महिला की मानसिक, आत्मिक एव शारीरिक क्षति का अनुमान लगाना भी दुष्कर है। आज हमें यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह, कन्या-भ्रूण हत्या, गर्भपात, महिला तस्करी एवं अन्य उत्पीड़न के आँकड़े दिन-प्रतिदिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज भी समाज में दुधमुँही बच्चियों और तुतलाती लड़कियों को विवाह मंडप के नीचे देखा जा सकता है। निर्भया कांड को कौन भूल सकता है।

आज भी अधिकांश महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आता। अशिक्षा एवं निर्धनता के कारण महिलाओं को उन कानूनों की जानकारी नहीं है जो उसके हित के लिए बने हैं। लेकिन इन सबके बाद भी राष्ट्र के समग्र विकास तथा उसके निर्माण में महिलाओं का लेखा-जोखा और उसके योगदान का दायरा असीमित है। उसने देश के बहुमुखी विकास एवं समाज में अपनी भागीदारी को सशक्त ढंग से पूरा किया है। अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता कायम रखते हुए वह पुरुषों से भी चार कदम आगे निकल गई है। साक्षरता, जात-पात, धार्मिक कट्टरता, भेदभाव, मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर महिलाओं ने देश को एक नई सोच, नया विचार प्रदान किया है।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में और अधिक सुखद परिवर्तन लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार हो सकते हैं:

- सर्वप्रथम ऐसे सभी ग्रंथों एव व्यक्तिगत कार्यों को अमान्य करार दिया जाए जिनमे किंचित भी महिलाओं के भेदभाव की बात कही गई हो।
- फैमिली कोर्ट के अंतर्गत स्त्रियों के प्रति आपराधिक मामलों को व्यवहारिक तरीके से निपटाया जाना चाहिए।
- बहुविवाह, बाल-विवाह, दहेज प्रथा तथा संतान गोद लेने की प्रथा के कानून विरोधियो को कठोर दंड दिया जाए।
- शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी एव अन्य सभी स्थानों पर बराबरी का हक दिया जाए।
- सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों में पूर्ण भागेदारी सुनिश्चित हो।
- महिलाओं को आगे बढ़ाने में सभी को पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए।

साथ ही अपनी रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकल कर महिलाओं को पूर्ण रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। महिला विकास के लिए राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए जिससे संवैधानिक व्यवस्था का समुचित उपयोग हो सके।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि चाहे हम नारी की समानता के हक के बारे में, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करें या फिर हर जगह आधी भागीदारी की बात हो, अभी भी यह दूर की बात है। परंतु यदि समय रहते समानता का हक नहीं मिला या समान भागीदारी नारी शक्ति को नहीं प्रदान

की जाती है तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी में नारी का प्रतिशत कम-से-कम हो जाएगा जो न केवल 'जैन्डर डिस्बैलेन्स' को बढ़ावा देगा वरन् इससे आने वाली पीढ़ी की शिक्षा व रहन-सहन पर भी असर पड़ेगा। अतः समय रहते इस समस्या का निराकरण आवश्यक है।

संदर्भ

1 आहूजा, राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था। रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।

2 गुप्ता, कमलेश कुमार (2005) महिला सशक्तिकरण : सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति। बुक एन्क्लेव प्रकाशन, नई दिल्ली।

3 राजकुमार (2005) नारी के बदले आयाम। अर्जुन पाब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

4 व्यास, जयप्रकाश (2003) नारी शोषण : एक विश्लेषण। रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।

5 सिंह, करण बहादुर (2006) महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण। योजना, 52(3) : 13-141

6 श्रीनिवास, एम०एन० (1978) द चेन्जिंग पोजीशन आफ इंडियन वूमन। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

सोशल मीडिया और निजता का संकट

आनंद पांडेय
सहायक प्रोफेसर (हिंदी)
भाषा एवं साहित्य विभाग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे (महाराष्ट्र)

सोशल मीडिया कम्प्यूटर आधारित वेब 2.0 वेबसाइटों द्वारा उपलब्ध कराया गया वह मंच है जहाँ प्रयोक्ता केवल अपना ईमेल या मोबाइल संख्या देकर बिना किसी आर्थिक भुगतान के अपना खाता खोल सकते हैं और अपना या किसी संगठन का प्रोफाइल बना सकते हैं। अपने रिश्तेदारों और मित्रों-परिचितों से जुड़ सकते हैं। साथ-ही-साथ ऐसे व्यक्तियों को मित्र बना सकते हैं या उनको 'फॉलो' कर सकते हैं जो अपरिचित हैं या फिर सार्वजिनक जीवन जीते हैं। यही नहीं वे समूहों या समुदायों का भी निर्माण कर सकते हैं। इन मंचों पर वे वाद-विवाद-संवाद के अतिरिक्त सूचनाओं संदेशों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। किसी भी दृश्य या श्रव्य सामग्री को सार्वजनिक रूप से साझा और प्रकाशित कर सकते हैं। अंग्रेजी का शब्द 'मीडिया', 'मीडियम' का बहुवचन है, जो माध्यमों की विविधता और बहुरूपता को रेखांकित करता है। सोशल मीडिया के भी कई रूप और मॉडल हैं। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यू-ट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, वाइबर, रेडिट, व्हाट्सएप, गूगल प्लस, पिंटरेस्ट इत्यादि को सोशल मीडिया वेबसाइट्स के रूप में गिना जाता है। इनमें हर स्तर पर भिन्नता है, फिर भी ये एक ही श्रेणी में आते हैं। इसका कारण यह है कि इन सब में सामग्री निर्माण से लेकर उसके उपभोग तक में प्रयोक्ता की ही भूमिका प्रमुख है। दूसरे शब्दों में, प्रयोक्ता ही लेखक, पाठक, संपादक, दर्शक, और प्रकाशक सब कुछ है।

यही सामान्य विशेषता इन विविध माध्यमों को एक श्रेणी में डालने का आधार है।

आज का समय सोशल मीडिया के प्रभुत्व के स्थापित होने का समय है। संसार के अधिकांश देशों की साक्षर जनसंख्या का अधिकांश सोशल मीडिया पर सक्रिय है। स्मार्ट मोबाइल फोन के लोकप्रिय होने के बाद सामान्य व्यक्ति के जीवन में इसकी पैठ अत्यंत अंतरंग बन चुकी है। सोशल मीडिया बहुत-से लोगों के लिए अभिव्यक्ति और सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्राथमिक माध्यम बन चुका है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के लगभग एकाकी और असामाजिक हो चुके जीवन को एक वर्चुअल सामाजिकता देने की इसकी शक्ति के कारण यह लोगों के जीवन में एक बड़ा स्थान सहजता से बना सका है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आज का मानव सोशल मीडिया से पूरी तरह से आक्रांत है। मनोविज्ञान और स्वास्थ्य के कई क्षेत्रों में इससे पैदा होनेवाली मानसिक और स्वास्थ्य समस्याओं को स्वीकार किया गया है। इसका कारण यह है कि सोशल मीडिया में व्यसन बनने की शक्ति होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक बड़ी जनसंख्या इसकी व्यसनी हो चुकी है।

सोशल मीडिया सच्चे अर्थों में एक वैश्विक परिघटना है। इसने दुनिया को एक मंच पर लाने की संकल्पना को साकार कर दिया है। यह मीडिया तकनीकी, आर्थिक और राजनीति विकास की प्रक्रिया का हालिया चरण है। इन्टरनेट से पूरी दुनिया के जुड़े बिना यह संभव नहीं था। यही नहीं उपनिवेशीकरण और भूमंडलीकरण की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं ने इसके लिए पीठिका का काम किया है। यह वैश्विक अर्थव्यस्था का हिस्सा है। राष्ट्र राज्य की सीमाएँ इसके लिए महत्वहीन हो गई हैं। यह कहना अनुचित न

होगा कि सोशल मीडिया भूमंडलीकृत दुनिया का मीडिया है। इसलिए यह एक ही साथ डरने और चकित होने का कारण है। धीरे-धीरे यह एक क्रूर वैश्विक साम्राज्य के रूप में सामने आ रहा है जिसके लिए स्थानीय स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं है।

प्राय: सोशल मीडिया को परंपरागत मीडिया के विकल्प के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह परंपरागत मीडिया का विकल्प नहीं बन सकता और न ही इसमें विकल्प बनने की संभावना ही है। एक दूसरे के विकल्प से अधिक ये दोनों एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में अधिक सामने आए हैं। परंपरागत मीडिया सोशल मीडिया से खबरें उठाता है तो सोशल मीडिया परंपरागत मीडिया को मंच और बड़ा पाठक वर्ग मुहैया कराता है। परंपरागत मीडिया अपनी कहानियों या सामग्रियों के लिंक अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाता है, जिससे उनकी पहुँच बढ़ती है। इससे एक नयी प्रवृत्ति पैदा हुई है कि लोग अब समाचार और सूचना प्राप्त करने के सोशल मीडिया को प्राथमिक मंच के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। दोनों ने एक-दूसरे को कमजोर करने के स्थान पर सशक्त किया है और मीडिया मात्र को एक अपराजेय सत्ता के रूप में स्थापित किया है।

सोशल मीडिया में बढ़ोतरी के साथ खबरों और सामग्रियों की प्रामाणिकता का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हुआ है। निहित स्वार्थी तत्वों ने फर्जी समाचारों, सूचनाओं और अफवाहों का एक समानांतर संसार खड़ा कर लिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है जनता को दिग्भ्रमित करके वास्तविक समस्याओं से उनका ध्यान हटाना। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ाया है। ये दल विरोधियों को कमजोर और जनता में उनकी खराब छवि

बनाने के लिए झूठी खबरों और अफवाहों की मदद लेते हैं। इस प्रवृत्ति ने इतना जोर पकड़ लिया कि लोगों ने आज के समय को 'उत्तर सत्य' का समय कहना शुरू कर दिया है। ऐसा कहने के पीछे आशय यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरों और अफवाहों ने ऐसी जगह बना ली है कि अब सत्य और असत्य के बीच अंतर स्थापित कर पाना सामान्य व्यक्ति के हाथ से निकल गया है। इस विवशता का कारण यह है कि जितना और जैसा संगठित उद्योग फर्जी खबरों और अफवाहों का है उतना और वैसा उद्योग इन खबरों की सत्यता की जाँच करके लोगों तक सत्य पहुँचाने का नहीं है। कई समाचार संस्थानों और पत्रकार समूहों ने आगे आकर फर्जी खबरों और अफवाहों से लोगों को बचाने के प्रयास शुरू किए हैं। 'वायरल सच' जैसे समाचार कार्यक्रमों और 'ऑल्ट न्यूज डॉट इन' जैसी वेबसाइटों ने इस दिशा में अच्छे काम किए हैं। लेकिन, झूठ की जाँच करके उसकी सत्यता जब तक सामने लाई जाती है तब तक वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका होता है। यही नहीं, यदि झूठ एक बार वायरल हो गया तो उसके प्रभाव को सीमित ही किया जा सकता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तमाम प्रयासों के बावजूद ज्यादातर ऐसे लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो अपने वर्ग-चरित्र या सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण अप्रिय सत्य से अधिक प्रिय असत्य को अधिक पसंद करते हैं। और समय-समय पर उसे दुहराते रहते हैं।

सोशल मीडिया या सामाजिक माध्यमों की बढ़ती लोकप्रियता और वर्चस्व से न केवल मीडिया के परंपरागत रूपों को चुनौती मिल रही है बल्कि कई स्थापित जीवन-मूल्य और अधिकार भी संकट में आ चुके हैं। निजता का अधिकार एक ऐसा ही अधिकार है जिसे सोशल मीडिया ने न केवल संकट

में डाल दिया है बल्कि लगभग अप्रासंगिक ही बना दिया है। जब यह नया-नया सामने आया था तब इसके प्रति संशय तो था, लेकिन कोई विशेष आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं बन पाया था। जैसे-जैसे इसका उपयोग बढ़ता गया और यह लोगों की जीवन शैली का अभिन्न अंग होता गया वैसे-वैसे इसके नकारात्मक पक्ष सामने आते गए। इसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास में निजता के हनन ने प्रमुख भूमिका निभाई। सोशल मीडिया उद्योग से कई ऐसे लोगों ने सामने आकर इसके अज्ञात पक्षों और अपराधों को उजागर किया, जो स्वयं सोशल मीडिया संस्थानों में काम करते हैं उन्होंने भी नैतिक साहस का परिचय देते हुए पर्दे के पीछे की सच्चाई को उजागर किया। ऐसे लोगों ने निजता के हनन में सोशल मीडिया की भूमिका को रेखांकित किया। ऐसे रहस्योद्घाटनों के बाद अकादमिक और शोधपरक कार्यों ने भी यह सिद्ध किया। इस लेख में हम निजता के संकट की पहचान और परख के साथ-साथ सोशल मीडिया के छल को भी रेखांकित करने का प्रयास करेंगे।

सोशल मीडिया की निर्मिति ही ऐसी है जिसमें व्यक्ति स्वतः अपने बारे में बहुत सारी चीजें साझा करता है। इस मंच पर सक्रिय होते ही वह व्यक्तिगत व्यक्ति से सार्वजनिक व्यक्ति हो जाता है। सार्वजनिक व्यक्ति की प्रवृत्ति और नियति ही यह होती है कि उसकी निजता सार्वजनिकता से आक्रांत होती रहती है। सोशल मीडिया साइटों पर प्रोफाइल बनाने के लिए नाम, पता, ईमेल और फोटो के साथ-साथ अपने परिवार और शैक्षिक पृष्ठभूमि और जॉब प्रोफाइल सब कुछ के बारे में जानकारियाँ साझा करने की प्रवृत्ति लोगों में प्रबल है। लोग अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों के साथ-साथ अपनी पसंद और नापसंद सब साझा करते हैं। पहले जो चीजें

व्यक्ति निकटतम परिजनों, संबंधियों और मित्रों के सामने कहता और साझा करता था उन्हें वह अब सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करता है। इस तरह वह चीज सार्वजनिक हो जाती है जिसे कोई भी देख सकता है और उपयोग-दुरुपयोग कर सकता है। इस तरह आत्मविज्ञापन सोशल मीडिया की प्रधान संस्कृति है। जिसमें व्यक्ति की निजता सार्वजनिकता में रूपांतरित हो जाती है। ज्यादातर प्रयोक्ता इसमें कुछ भी अनुचित नहीं पाते हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस संस्कृति के बनने के पीछे केवल लोगों का व्यवहार और मनोविज्ञान ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि सोशल मीडिया का डिजाइन भी इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। सोशल मीडिया लोगों को आत्मविज्ञापन करने और निज के सार्वजनीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्रयोक्ता को लगभग मजबूर कर देता है कि वह अपनी सभी सूचनाएँ नेटवर्क के नाम समर्पित कर दे। प्रोफाइल की पहचान और प्रामाणिकता के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपनी बुनियादी सूचनाएँ नेटवर्क के साथ साझा करे और नेटवर्क उन्हें प्रदर्शित करे। लेकिन, सोशल मीडिया साइटें व्यक्ति से सारी सूचनाएँ निकलवा लेने की डिजाइन रखती हैं। इस मामले में फेसबुक सबसे आगे है। यह प्रयोक्ता का लगभग बायोडेटा ही बना देने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि इससे कहीं अधिक ही। यही नहीं, लोगों की रोज-रोज की गतिविधियों को यह डायरी जैसे संरक्षित रखता है। फेसबुक आज के मनुष्य की जीवनी, आत्मकथा और डायरी सब कुछ है।

जाहिर है, जिन सूचनाओं को व्यक्ति स्वयं साझा करता है वे निजता के संकट से जुड़ी हुई तो हैं लेकिन वे चिंता का मुख्य कारण नहीं हैं। यहाँ निजता का उल्लंघन उन सूचनाओं का दुरूपयोग है जिसे उपभोक्ता की

जानकारी के बिना सोशल मीडिया नेटवर्क व्यावसायिक उद्देश्य से या राज्य के माँगने पर साझा करते हैं।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सोशल मीडिया प्रयोक्ता अपनी निजता को लेकर स्वयं न गंभीर है और न ही सचेत। प्रयोक्ता निशुल्क मीडिया चाहते हैं बदले में निजता भले ही चली जाए। चाहकर भी सोशल मीडिया पर प्रयोक्ता अपनी निजता को नहीं बचा सकता है फिर भी यह कहना अनावश्यक नहीं होगा कि अधिकांश प्रयोक्ता जानते भी नहीं हैं कि निजता क्या होती है और सोशल मीडिया पर इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है। प्रयोक्ताओं की इस प्रवृत्ति का भरपूर लाभ सेवा प्रदाता कम्पनियों ने उठाया है। 'प्राईवेसी पैराडॉक्स' की अवधारणा प्रयोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति और अभ्यास के आधार पर विकसित हुई है। जब प्रयोक्ता निजता को तो सुरक्षित रखना चाहे लेकिन उसके लिए कोई उपाय न करे तो इस स्थिति को प्राइवेसी पैराडॉक्स कहा जाता है।

बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप के एक शोध के अनुसार निजता के हनन को लेकर प्रयोक्ताओं का व्यवहार कुछ भी हो लेकिन दुनिया के 67 प्रतिशत प्रयोक्ता और अमेरिका के 83 प्रतिशत प्रयोक्ता सोशल मीडिया पर निजता के संकट को लेकर चिंतित हैं।

(https://www.webopedia.com/Blog/we-cant-give-up-on-privacy.html 7 दिसंबर, 2019 को सुबह 1.35 पर देखा गया)

एलीन फेरेटिक निजता की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की सलाह देते हुए लिखती हैं कि इससे पहले कि इन्टरनेट हैकरों का स्वर्ग बन जाए "बाजार, सरकार और व्यक्तियों को निर्णय लेना होगा। कल तक देर न हो

जाए इसलिए इन तीनों को एक साथ मिलकर निजी सूचनाओं को बचाने के लिए किलेबंदी करनी चाहिए।"

(https://www.webopedia.com/Blog/we-cant-give-up-on-privacy.html 7 दिसंबर, 2019 को सुबह 1.35 पर देखा गया)

जाहिर है, निजता की सुरक्षा एक अहम विषय है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। इन्टरनेट और सोशल मीडिया के क्षेत्र में यह अधिक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके महत्व और इसकी उपेक्षा के खतरों से सभी परिचित हैं इसलिए सभी सोशल मीडिया नेटवर्क अपनी निजता नीति तैयार करते हैं और इसे प्रयोक्ताओं से साझा करते हैं। इस नीति का उद्देश्य होता है, नेटवर्क द्वारा प्रयोक्ताओं के डेटा और सूचनाओं के प्रयोग और सुरक्षा को पारदर्शी बनाना ताकि उनमें विश्वास और सुरक्षा की भावनाएँ पैदा की जा सकें। किसी नेटवर्क की निजता नीति वह वैधानिक दस्तावेज़ होती है जिसमें नेटवर्क यह बताता है कि वह कैसे डेटा संचय, विश्लेषण और प्रयोग करता है। यह प्रयोक्ता की निजता की सुरक्षा के लिए आवश्यक वैधानिक नीति और नियमावली की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है। सरकारों ने कंपनियों के लिए अपनी निजता नीति तैयार और घोषित करना अनिवार्य बना दिया है। उदाहरण के लिए, 2011 में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2011 तैयार किया था। इसके अनुसार कंपनियों को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए निजता नीति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। नियम के अनुसार ऐसी नीति में ये बिंदु शामिल होने चाहिए- (1) इसकी प्रथाओं और नीतियों का स्पष्ट और सहज सुलभ कथन, (2) संग्रहित किए जानेवाले निजी या संवेदनशील डेटा के प्रकार, (3) ऐसी सूचनाओं के संग्रह और उपयोग का उद्देश्य, (4) संवेदनशील डेटा या सूचना समेत सूचनाओं का प्रकाशन और

(5) तर्कसम्मत सुरक्षा प्रथाएँ और प्रक्रियाएँ। उक्त नियम के तहत कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर अपनी निजता नीति को प्रकाशित करना है और विधि सम्मत समझौते के तहत अपनी सूचना देनेवालों को देखने के लिए उपलब्ध कराना है।

सोशल मीडिया निरंतर निगरानी के लिए अभिशप्त है। धीरे-धीरे पूरी दुनिया 'बिग बॉस' धारावाहिक के उस घर में रूपांतरित हो रही है जिसके कोने-कोने और प्रत्येक सदस्य की प्रत्येक गतिविधि पर कैमरों के माध्यम से बिग बॉस की नजर रहती है। राज्य और अन्य प्रकार की संस्थाओं ने तरह-तरह की तकनीकी और उपकरणों के माध्यम से निगरानी की अभूतपूर्व संस्कृति विकसित की है। इन्टरनेट के माध्यम से लोगों की गतिविधियों की निगरानी इस संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। सोशल मीडिया पर तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रयोक्ता निगरानी करनेवाली अनौपचारिक संस्था के रूप में सक्रिय रहता है। यह एक अपराध है, लेकिन सरकार, संस्थाएँ, सोशल नेटवर्क संचालक और प्रयोक्ता सभी इस अपराध में भागीदार हैं। सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर, संस्थाएँ अपने सदस्यों के व्यवहार की जानकारी रखने के नाम पर तो नेटवर्क संचालक अपने नेटवर्क की सुरक्षा और सुसंचालन के नाम पर प्रयोक्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों और व्यवहारों की निगरानी रखते हैं। व्यक्तिगत प्रयोक्ता भी इन्हीं सरोकारों से प्रेरित होकर एक-दूसरे प्रयोक्ता पर निगरानी रखते हैं। इसके अतिरिक्त वे आपराधिक व्यक्ति और समूह भी निगरानी करते हैं जो तरह-तरह के साइबर अपराधों में लिप्त रहते हैं। इस तरह अपराधी और उनको दंडित और निष्प्रभावी बनानेवाली एजेन्सियाँ दोनों मिलकर निगरानी करती हैं। इनमें से कौन अधिक अपराधी है, यह कहना मुश्किल है। अंततः दोनों साधारण लोगों की निजता का हनन

करते हैं; अपराधी कानून का उल्लंघन करने के लिए तो सरकार अपराधी को दंडित और निष्प्रभावी बनाने तथा कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए।

अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफबीआई) से जुड़ी एक खबर तब चर्चा में आई थी जब इसने सोशल मीडिया पर अपनी निगरानी को और अधिक सघन और प्रभावी बनाने के लिए एक 'न्यू सोशल मीडिया मॉनीटरिंग टूल' के लिए निविदा जारी की थी। पत्रकार क्रिस्टीन फिसर 'टूल' के प्रस्तावित कार्यों के बारे में लिखती हैं, "यह टूल एफबीआई को लक्षित व्यक्ति के संपूर्ण प्रोफाइल तक पहुँचने में मदद करेगा। इसमें यूजर आईडी, ईमेल, आईपी एड्रेस, टेलीफोन नंबर शामिल हो सकते हैं। टूल एफबीआई को लक्षित व्यक्ति की भौगोलिक अवस्थिति, की-वर्ड और व्यक्तिगत सोशल मीडिया के इतिहास का पता लगाने में सक्षम करेगा।" https://www.engadget.com/2019/07/12/fbi-social-media-monitoring-tool-rfp/ हालाँकि, एफबीआई ने निजता और नागरिक स्वतंत्रता के अनुपालन को सुनिश्चित करने की वचनबद्धता दुहराई है, फिर भी इसे अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की आड़ में सोशल मीडिया पर निजता के हनन और निगरानी की संस्कृति को बढ़ावा देनेवाले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

यह आवश्यक नहीं कि लक्षित व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति भी हो। सरकारी एजेन्सियाँ नियमित रूप से हर किसी पर नज़र रखने के लिए निगरानी करती रहती हैं। ब्रेन्नेन सेंटर फॉर जस्टिस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार अमेरिकी नागरिकों और विदेशी यात्रियों से संदिग्ध और असंदिग्ध का भेद किए बिना उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएँ एकत्रित करती है। व्यक्ति की पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए उस

तक ही सीमित नहीं रहा जाता बल्कि उसके परिजनों और मित्रों से जुड़ी सूचनाएँ भी इकट्ठा की जाती हैं। https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/social-media-monitoring

इन उपकरणों और एप्लीकेशनों के माध्यम से सोशल मीडिया से डेटा खनन और संग्रहण की प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में 'सोशल मीडिया माइनिंग' कहा जाता है। खनिज पदार्थों की भाँति डेटा भी अब एक बेशकीमती वस्तु बन गया है और इसके व्यापार की भाँति डेटा का व्यापार भी एक बड़ा और मुनाफे का व्यापार बन गया है। इस व्यापार में निजता एक खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु में रूपांतरित हो चुकी है। विज्ञापनों के साथ-साथ सोशल मीडिया संचालकों द्वारा चोरी से प्रयोक्ताओं के डेटा को इकट्ठा करके उनकी निजता का व्यापार करना सोशल मीडिया की आय का सबसे बड़ा स्रोत सिद्ध हो चुका है।

फेसबुक-कैम्ब्रिज डेटा एनॉलिटिका कांड इस डेटा चोरी और निजता के व्यापार का एक उदाहरण है। 2018 में यह सामने आया कि कैम्ब्रिज डेटा एनॉलिटिका नामक कम्पनी ने फेसबुक के करोड़ों प्रयोक्ताओं के खातों से निजी सूचनाएँ चोरी से इकट्ठी कीं और उनका उपयोग राजनीतिक विज्ञापन और प्रचार के लिए किया। कहानी यह है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डेटा वैज्ञानिक अलेक्जेंडर कोगन ने 'दिस इज योर डिजिटल लाइफ' नाम से एक ऐप बनाकर कैम्ब्रिज एनॉलिटिका को दिया। कैम्ब्रिज एनॉलिटिका ने एक ऑनलाइन सर्वे आयोजित किया। कंपनी ने फेसबुक की सेटिंग का फायदा उठाकर सर्वे में भाग लेनेवाले प्रयोक्ताओं के डेटा चुरा लिए। सबसे पहले 'द गार्डियन' के पत्रकार हैरी डेवीस ने इस चोरी का रहस्योद्घाटन 2015 में किया। फेसबुक ने पहले तो ना-नुकुर की और फिर यह कहा कि वह इस

आरोप की जाँच कर रहा है। इसके बाद कई और रिपोर्टें आती रहीं। अंततः 2018 में एनॉलिटिका के पूर्व कर्मचारी और ह्विशल ब्लोवर क्रिस्टोफर विली के सामने आने के बाद पूरा घोटाला सामने आया। फेसबुक को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। इंग्लैंड और अमेरिका के राजनीतिज्ञों ने फेसबुक के संस्थापक और संचालक मार्क जुकरबर्ग से जवाब माँगे। फलतः जुकरबर्ग को अमेरिकी संसद के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा। फेसबुक ने निजता के हनन की जिम्मेदारी ली और इस विश्वासघात के लिए क्षमा माँगी। यद्यपि अधिकांश डेटा अमेरिकी प्रयोक्ताओं के चोरी हुए थे लेकिन भारत में भी यह मुद्दा उठा था। क्रिस्टोफर विली ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि कैम्ब्रिज एनॉलिटिका ने कुछ भारतीय चुनावों में भी राजनीतिक दलों के लिए काफी काम किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक को नोटिस भेजा था। एक समाचार कहानी में संबंधित मंत्री को इस प्रकार उद्धृत किया गया था, "श्रीमान, जुकरबर्ग आप भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निगरानी से भलीभाँति परिचित हैं। फेसबुक के माध्यम से यदि किसी भारतीय की डेटा चोरी हुई तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में बहुत शक्ति है। यहाँ तक कि हम आपको भारत लाकर संबंधित जाँच कर सकते हैं।" https://analyticsindiamag.com/it-ministry-notice-facebook-data-leak-cambridge-analytica

कम्प्यूटर, इन्टरनेट और सोशल मीडिया के संदर्भ में निजता का अर्थ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा तक सीमित मान लिया जाता है जबकि निजता के सभी आयाम यहाँ संकटग्रस्त हैं। यह अवश्य है कि इस संदर्भ में डेटा संरक्षण निजता की रक्षा का प्रमुख सरोकार है।

शांति शिक्षा को बढ़ावा देने में गांधीवादी दृष्टिकोण की भूमिका

पूर्णिमा पाण्डेय
यू.जी.सी, सीनियर रिसर्च फेलो,
शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221010.
Email: purnimapandey2012@gmail.com
डॉ. दीपा मेहता
एसोसिएट प्रोफेसर,
शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221010.
Email: deepa.bhuvns@gmail.com

शांति संपूर्ण प्राणी-जगत के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक मूल्य है। वर्तमान समय में मानव-जीवन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा भौतिक विकास की ओर उन्मुख है, परंतु नैतिक एवं चारित्रिक विकास में कम सफल सिद्ध हुआ है। भौतिक-विकास की अंधी-दौड़ में व्यक्ति अपने जीवन की महत्ता को अनदेखा करके स्वार्थ एवं संकुचित-सोच के कारण शांति, प्रेम, ईमानदारी, धैर्य, परोपकारिता जैसे- मूल्यों को अपने व्यवहार में अपनाना मूर्खता का परिचायक मानता है। यही कारण है कि आधुनिक समय में विकास के कई आयामों में सफलता के बावजूद जातिवाद, भेदभाव, युद्ध, हिंसा, धार्मिक-असहिष्णुता, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति नजरअंदाजी, भ्रष्टाचार, आदि कई समस्याओं ने अपना विकराल-स्वरुप ले लिया है। ये समस्याएँ कहीं ना कहीं हम सभी के आचरण एवं व्यवहार पर प्रश्न चिह्न

खड़ा करती हैं, क्योंकि हम स्वयं तो गुणवत्तापूर्ण जीवन- यापन नहीं कर रहे, ना ही इस पृथ्वी को अन्य प्राणियों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के योग्य रहने दे रहें हैं। अतः इन सभी मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए हमें महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख शांति शिक्षा को बढ़ावा देने में महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए जीवन दर्शन एवं विचारों पर प्रकाश डालता है।

शांति शिक्षा एवं गांधी-दर्शन

शांति एक व्यापक संप्रत्यय है, जिसका अर्थ मात्र 'मौन रहना' नहीं, अपितु मानसिक तनाव एवं कुंठा की अनुपस्थिति, युद्ध एवं संघर्ष की अनुपस्थिति, अन्याय एवं शोषण से मुक्ति को दर्शाता है। शांति, प्रेम तथा अहिंसा की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं के साथ, दूसरों के साथ एवं अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन-यापन करता है। शांति मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना को सृजित करता है। अतः एक सफल एवं शांतिपूर्ण जीवन के लिए व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा वैश्विक स्तर पर शांति एवं सामंजस्य का होना अत्यंत आवश्यक है। शांति शिक्षा वह शिक्षा या प्रक्रिया है जो अहिंसक, शांतिपूर्ण, अशोषित, न्यायपूर्ण, प्रजातांत्रिक एवं सभ्य समाज का निर्माण करता है। शांति शिक्षा व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने, उनका सामना करने एवं शांतिपूर्वक तरीके से उसका निवारण करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

जहाँ विश्व परमाणु-युद्ध एवं आतंकवाद जैसी समस्याओं से अशांत है, ऐसी परिस्थिति में गांधीवादी-मूल्य एवं दृष्टिकोण संपूर्ण मानव-जाति को

जीवन जीने की उचित-शैली के बारे में पथ-प्रदर्शन प्रदान करते हैं। जीवन के प्रत्येक आयाम एवं अवस्था को स्पर्श करते हुए गांधी जी के 'ग्यारह व्रत' बाल्यावस्था से लेकर संपूर्ण मानव जीवन जीने के उचित तौर-तरीके को वर्णित करता है। अतः समकालीन समय में शिक्षा के सभी स्वरूपों एवं स्तरों में गांधीवादी मूल्यों पर आधारित शांति-शिक्षा को प्रसारित एवं समन्वित करने की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को न केवल भारत में, अपितु पूरे विश्व में 'शांति दूत' के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहिंसा को सबसे बड़ा शस्त्र बनाकर असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए एक-एक अन्याय एवं भेदभाव का प्रति-उत्तर अहिंसा के साथ विनम्रतापूर्वक कई आंदोलन के रूप में दिया। उन्होंने भारतीयों से शांतिपूर्वक विदेशी-वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा तथा **'स्वदेशी'** वस्तुओं के प्रयोग करने का आग्रह किया। भारत-देश को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और नैतिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, बिना किसी लड़ाई-झगड़े एवं हथियार का प्रयोग किए गांधी जी ने 'स्वदेशी आंदोलन' चलाया। नमक पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 'कर' लगाए जाने का विरोध पैदल चलकर 'दांडी-यात्रा' के रूप में किया। गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे विशेष बात यह थी कि उन्होंने जिन व्रतों एवं मूल्यों की महत्ता के बारे में लोगों को बताया, उन्होंने स्वयं पहले उन मूल्यों का अपने जीवन में आत्मसातकरण किया।

गांधी जी द्वारा बताए गए **'सत्य'** का अर्थ केवल सत्य बोलना ही नहीं, बल्कि अपने विचार एवं प्रत्येक कार्य में सत्यता को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने सत्य को ईश्वर के समतुल्य बताया। 'सत्य' मन, वचन, कर्म से

प्रत्येक व्यक्ति को सत्य व ईमानदार होने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति अपने जीवन में सत्य-मूल्य को समावेशित करके मानसिक शांति एवं वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है।

महात्मा गांधी के जीवन का सबसे बड़ा हथियार **'सत्य'** और **'अहिंसा'** था। 31 मई, 1893 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जाने के दौरान अपने साथ हुए भेदभाव को उन्होंने संपूर्ण मानव-जाति के प्रति अन्याय के रूप में देखा। इस अन्याय का विरोध उन्होंने 'सत्याग्रह' को अपनाकर किया। गांधी जी ने अपने कार्य एवं चरित्र द्वारा 'सत्य' और 'अहिंसा' को परिभाषित किया एवं संपूर्ण विश्व के सामने अपने व्यवहार का मूर्तरूप में उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अहिंसा का वृहद् अर्थ इस रूप में प्रस्तुत किया कि दूसरों के अन्याय व बुरे व्यवहार को बिना विरोध किए शांतिपूर्वक सहन करना अहिंसा नहीं है। अपितु, किसी भी परिस्थिति में दृढ़तापूर्वक सत्य एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार करना अहिंसा है। गांधी जी किसी भी परिस्थिति में अन्याय और अत्याचार को सहन करने के पूर्णतः खिलाफ थे। उनके अनुसार, अन्याय को सहना कायरता का लक्षण है। अहिंसा का दूसरा पर्यायवाची 'प्रेम' है। दूसरे किसी व्यक्ति, जीव-जंतु अथवा पेड़-पौधों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाना अहिंसा है। आज के अशांतिपूर्ण वातावरण में, सभी व्यक्तियों (चाहे वह किसी देश या धर्म से संबंधित हो) को गांधी जी द्वारा बताए गए अहिंसा एवं सत्य के मूल्य को अपने व्यवहार में अपनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये दोनों मूल्य ('सत्य' और 'अहिंसा') व्यक्ति के स्व-चरित्र को उत्तम बनाने के साथ-साथ एक सभ्य समाज में परस्पर बिना भेदभाव के किस प्रकार का व्यवहार करणीय है- इसका मार्गदर्शन करते हैं।

महात्मा गांधी जी के अन्य व्रत जैसे- **'अस्तेय', 'ब्रह्मचर्य', 'अपरिग्रह', 'अस्वाद'** मानव- जीवन में धैर्य, स्व-अनुशासन, संयमता, दृढ़ता, भौतिक-संसाधनों के प्रति लोभ की भावना में कमी, क्रोध पर नियंत्रण, परोपकारिता, प्राकृतिक संसाधनों (जैसे- जल, भोजन, आवास आदि) का सदुपयोग, दूसरों की सहायता करना, करुणा, त्याग आदि गुणों का विकास करते हैं। उपरोक्त गांधीवादी-व्रत अनुशासन एवं संयम की प्रेरणा देने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण प्राणी- जगत के साथ, चाहे वह मानव हो या जीव-जंतु हो अथवा पेड़-पौधों के साथ शांतिपूर्ण एवं सामंजस्य-पूर्ण जीवन जीने के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। जिस पर चलकर हम न केवल अपने जीवन में, बल्कि पूरे विश्व में शांति की संस्कृति को पुष्पित एवं पल्लवित कर सकते हैं। अतः हम सभी को अपने व्यवहार में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्वाद जैसे- मूल्यों को अपनाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के जीवन-दर्शन एवं विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी हैं।

विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को अपनी योग्यता, भूमिका एवं पद (Ability, role, and designation) के अनुसार निर्वहन करें क्योंकि व्यक्ति के कर्तव्य एवं अधिकार परस्पर संबंधित होते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन यथावत् करने लगे, तो अधिकांश व्यक्ति स्वतः ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएँगे, जिससे समाज में सुशासन एवं सुव्यवस्था विद्यमान रहेगी। अतः गांधी जी ने **'शरीर-श्रम'** को अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना। 'शरीर-श्रम' व्रत की महत्ता का अनुमान इससे लगाया

जा सकता है कि गांधी जी ने शरीर-श्रम की उपादेयता को समझते हुए तथा भारत में बेरोजगारी की समस्या का पूर्वानुमान लगाते हुए, बुनियादी शिक्षा योजना (Basic Education Model) में 'शरीर-श्रम' मूल्य पर आधारित विभिन्न-गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का वर्णन किया है। उन्होंने शरीर-श्रम मूल्य पर आधारित विविध-क्रियाकलापों का अभ्यास बाल्यावस्था से ही विद्यालयी जीवन में कराना अनिवार्य माना क्योंकि जीवन में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ण होना बेहद जरूरी है। ऐसा तभी संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति योग्य हो एवं शारीरिक व आर्थिक रूप से सशक्त हो। गांधी जी ने 'शरीर-श्रम' मूल्य के द्वारा हर प्रकार के कार्य की महत्ता के बारे में मार्ग-प्रशस्त किया। प्रत्येक कार्य के प्रति सम्मान की भावना का विकास करने के साथ ही गांधी जी ने भेदभाव व अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों का पुरजोर विरोध किया, जो वृहद स्तर पर भारतीय समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का कार्य करता रहा है।

आज भारत देश धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बंट गया है, जो भारतीय समाज में अशांति, असमानता एवं असामंजस्य फैलाने के प्रमुख कारण हैं। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, जाति-पात, धार्मिक-असहिष्णुता एवं छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को समाज का कैंसर कहा, जो किसी भी देश या समाज की शांति, एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में अवरोधक का कार्य करते हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए गांधी जी ने दो व्रत- **'सर्वधर्म समानत्व'** एवं **'स्पर्श भावना'** को स्व-जीवन में अंगीकार करने की सलाह दी। भारत देश की विविधता को केंद्र में रखते हुए, ये दोनों व्रत समानता, एकता, विश्व बंधुत्व की भावना, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना

को सिंचित एवं विकसित करने में सहायक हैं। जहाँ पूरे विश्व में धर्म एवं जाति के आधर पर लड़ाई-झगड़े, दंगे एवं सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ होती रहती हैं, ऐसी परिस्थिति में लोगों को संकीर्ण सोच से ऊपर उठाकर ये व्रत मानव को मानवीय बनाने के पक्षधर हैं।

गांधी जी ने **'सर्वत्र भयवर्जना'** अर्थात निडरता को सभी व्रतों का आधार बताया, क्योंकि निर्भीकता या निडरता के बिना व्यक्ति अपने अंदर अन्य मूल्यों जैसे- सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सर्व धर्म समानत्व आदि को आत्मसात नहीं कर सकता। इन सभी मूल्यों का समावेशन तभी संभव है, जब व्यक्ति निर्भीक होकर दृढ़तापूर्वक अपने अंदर के सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो पाएगा। निडरता व्यक्ति की आंतरिक एवं बाह्य दोनों शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक भयभीत व्यक्ति कभी भी अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, जैसे मूल्यों को नहीं अपना सकता है, ना ही समाज में फैली बुराइयों के प्रति आवाज उठा सकता है। उदाहरण के लिए निर्भीकता के कारण ही गांधी जी ने अपने देश से दूर रहने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में अन्याय एवं भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। अतः एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण समाज की स्थापना एवं संचालन के लिए 'सर्वत्र भयवर्जना' के साथ- साथ अन्य गांधीवादी मूल्यों को अपने अंदर विकसित करना परम आवश्यक है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि गांधी-दर्शन जगत कल्याण, मानव जाति के संरक्षण एवं सतत विकास के लिए अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक है। संपूर्ण विश्व में 'अहिंसा के पुजारी' उपनाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी द्वारा बताए गए 'ग्यारह व्रत' एवं उनका दर्शन, मानव-जीवन के प्रत्येक पड़ाव को निर्देशित एवं नियंत्रित करने के साथ ही संपूर्ण मानव-जीवन को

शांति एवं नैतिकता के प्रकाश से आलोकित करने में सक्षम है। अतः वर्तमान समय में गांधीवादी मूल्यों की समाज को विशेष आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य दार्शनिक विचार, जो शांति एवं शांति शिक्षा के बारे में दार्शनिक पृष्ठभूमि रखते हैं; उन सभी की तुलना में गांधी- दर्शन मौजूदा समय में सर्वोत्तम है। महात्मा गांधी एक ऐसे दार्शनिक थे जो किसी एक दर्शन में नहीं बंधे थे। कई सारे लेखकों ने गांधी जी के शैक्षिक-दर्शन को आदर्शवादी बताया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ने प्रयोजनवादी बताया तथा कुछ ने प्रकृतिवादी भी बताया। समकालीन भारत में गांधी-दर्शन न केवल शांति प्रसारित करने हेतु, बल्कि शिक्षा प्रणाली के लिए भी सर्वोत्तम है।

उपरोक्त लेख की चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि गांधी-दर्शन, जो कि स्वयं में महान दर्शन है, इसकी उपयोगिता सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ है। 'ग्यारह व्रत' जो गांधी-दर्शन के मुख्य अंश हैं, वे सभी अत्यंत प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है तथा इनकी उपयोगिता भी सर्वव्यापी है। अतः 'ग्यारह व्रत' का समावेशन शिक्षा-प्रणाली, पाठ्यक्रम, शांति शिक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, धर्म संबंधी मुद्दे, नैतिक मूल्य एवं मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने, संचालित करने एवं मानव विकास के लिए कल्याणकारी है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम सभी को उनके द्वारा बताए गए ग्यारह व्रतों, उनके जीवन-दर्शन एवं सिद्धांतों का न केवल पुनःस्मरण करना चाहिए, अपितु उन व्रतों एवं मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए- यही महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी एवं उनके सपनों का भारत' पूर्ण होगा।

संदर्भ

https://www.india.gov.in/hi/spotlight/महात्मा-गाँधी-शांति-के-दूत.

- गांधी, एम. के.(1947). मेरे सपनों का भारत. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर.
- गांधी, एम. के. (1937). फ्रॉम यरवदा मंदिर. आश्रम ओब्स_सज़, ट्रांसलेटड फ्रॉम द गुजराती बाई वी. जी. देसाई, अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर. रिट्रीव्ड फ्रॉम

http://www.mkgandhi.org/ebks/yeravda.pdf.

द इलेवन वोव्स ऑफ़ महात्मा गांधी, रिट्रीव्ड फ्रॉम

http://www.gandhimanibhavan.org/activities/essay_elevenvows.htm.

* * * * * * *

प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन की भूमिका

डॉ. रमेश तिवारी
64-बी, फेस-II, डीडीए फ्लैट
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016
मो. 9599456515
ईमेल : vyangyarth@gmail.com

शिक्षार्थी का पहला विद्यालय उसका घर-परिवार है। घर-परिवार से ही किसी भी शिक्षार्थी की शिक्षण प्रक्रिया का आरंभ होता है। हम देखते हैं कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो माँ-पिता-दादा-दादी-नाना-नानी-मामा-मामी-चाचा-चाची-भाई-बहन आदि का सान्निध्य उसे मिलता है। इसमें भी सबसे अधिक सान्निध्य की जब बात आती है तो निःसंकोच उसे माँ का ही सान्निध्य सर्वाधिक प्राप्त होता है। इस संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है और बच्चों का घर ही उनकी पहली पाठशाला हैं। हमें यह भी स्मरण रखने की जरुरत है कि सीखना किसी भी मनुष्य की (चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो अथवा किसी अन्य लिंग (जेडर) का हो) आजीवन चलने वाली प्रक्रिया हैं। सबसे पहले बच्चे जो सबक सीखते हैं, उसके ज्ञान का स्रोत माँ ही होती है। इसके अतिरिक्त हमें थोड़ा सा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। हम सबके घर-परिवार में प्रायः कोई-न-कोई बच्चा होगा। हमें उसकी गतिविधियों को गौर से देखने की जरुरत है। उसे देखकर हम बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं।

वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर जो चर्चा हो रही है उसको समझने के लिए, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखना आवश्यक होगा, जिसमे पर्यावरण शिक्षा के इर्दगिर्द राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रुपरेखा को बनाने की चर्चा की गई थी। इस नीति में बच्चों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के विषय में जागरुकता पैदा करने हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तर पर इसे अन्य विषयों के साथ समावेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। पर्यावरण को एक समग्र रुप में समझने तथा रखरखाव के हेतु पर्यावरण की समस्याओं को समझना तथा उसे सुरक्षित करना 2000 में बने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रुपरेखा का एक मुख्य बिंदु रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने भी पर्यावरण शिक्षा को 2004-05 के आकदमिक सत्र से अनिवार्य पाठ्यकम के रुप में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है।

पर्यावरण अध्ययन की बात शुरु करने से पूर्व हमें यह समझने की जरुरत है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र और स्वरुप क्या हैं? इसके बाद पर्यावरण अध्ययन के द्वारा बच्चों को क्या हासिल होता है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या बच्चों के जीवन में पर्यावरण अध्ययन की कोई भूमिका है?

पर्यावरण शब्द 'परि' और 'आवरण' दो शब्दों के योग से बना है। परि का आशय है - चारो ओर, और आवरण का आशय है - घेरा अथवा परदा। इसको एक साथ मिलाकर पढ़ें तो शब्द बनेगा - चारो ओर का घेरा, अथवा परदा। "पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि उपसर्ग (चारो ओर) और 'आवरण से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारो ओर से आवृत्त किये हुए है।

पारिस्थितिकी और भूगोल में यह शब्द अंग्रेजी के इनवायरनमेंट के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होता है।

अंग्रेजी शब्द इनवायरनमेंट स्वयं उपरोक्त पारिस्थितिकी के अर्थ में काफ़ी बाद में प्रयुक्त हुआ और यह शुरुआती दौर में आसपास की सामान्य दशाओं के लिये प्रयुक्त होता था। यह फ्रांसीसी भाषा से उद्‌भूत है जहाँ यह 'state of being environed' (see environ + -ment) के अर्थ में प्रयुक्त होता था और इसका पहला ज्ञात प्रयोग कार्लाइल द्‌वारा जर्मन शब्द Umgebung के अर्थ को फ्रांसीसी में व्यक्त करने के लिये हुआ।

पर्यावरण में जल-स्थल-वायु तीनों ही स्रोतों से प्राप्त होनेवाली चीजें शामिल होती हैं। इन्हें हम जैविक- अजैविक घटकों में विभाजित कर अध्ययन-विश्लेषण करते हैं। संक्षेप में यह समझना उचित होगा कि पर्यावरण में चर-अचर सबकुछ सम्मिलित है। अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को हासिल क्या होता है और बच्चों के जीवन में पर्यावरण अध्ययन की क्या कोई भूमिका है? इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्‌वारा प्राथमिक विद्‌यालयों में पर्यावरण अध्ययन हेतु निर्मित पुस्तक का अवलोकन करेंगे। इस क्रम में यह ज्ञात होता है कि पर्यावरण अध्ययन का विषय के रूप में समावेश कक्षा 3 से किया गया है। कक्षा 3 की पुस्तक का शीर्षक है - आसपास। इस पुस्तक का अवलोकन करते हुए हम देखते हैं कि इसमें निम्नलिखित विन्दुओं को पाठ के रूप में सम्मिलित किया गया है -

तीसरी कक्षा की पुस्तक 'आसपास' में कुल 24 पाठ हैं। इनमें से कुछ पाठों को गंभीरतापूर्वक देखने-पढ़ने और समझने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है :

1. बच्चे पहले पाठ से 'डाल-डाल पर, ताल-ताल पर' पाठ के माध्यम से पेड़, तालाब, पक्षियों, जानवरों, पेड़ की डाल, पत्ते आदि से परिचित होंगे और उड़ने, रंगने, चलने, फुदकने, पंख वाले, पैर वाले, पूंछ वाले जानवरों-पक्षियों आदि की पहचान कर पाएँगे। इस पाठ को बच्चों से बातचीत वाले अंदाज में गद्य विधा में रचा गया है।

2. दूसरे पाठ 'पौधों की परी' के माध्यम से बच्चे खेल-खेल में पौधों, पेड़ों, तना, मोटा, पतला, पत्ते, गेंदा का पौधा, नीम का पेड़, पत्तों के रंग, आकार, और किनारे को देखकर गोल, लम्बा, तिकोना, सीधा, कटा- फटा, आरी, हल्का हरा, गाढ़ा हरा, पीला, लाल, बैंगनी, सफ़ेद, धब्बे, इकट्ठे, इतवार, गीले, ढीले, हाथी के कान, शैतान, पान, सुबह, सवेरे, अँधेरे, ओस, आँसू, हँसना-रोना, सोना, तितली, भौरा, रुएँदार, कोरा, काँटा, पिचककर, कटोरा, सांय-सांय, खिले-खिले, आदि के बारे में अपनी पहचान और समझ में विस्तार कर पाएँगे। इस पाठ में कविता और गद्य दोनों ही विधाओं का समावेश किया गया है।

3. तीसरे पाठ 'पानी रे पानी' (कविता) में पानी की कहानी, पानी की आवश्यकता और उपयोग के बारे में बताया गया है। बच्चे इस पाठ के द्वारा तमाम बिंदुओं से जान-पहचान और इनके बारे में अपनी समझ बना पाएँगे।

4. चौथे पाठ 'हमारा पहला स्कूल' के द्वारा बच्चों को उनकी पहली पाठशाला से परिचित कराया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसकी

पहली पाठशाला उसका अपना परिवार ही होता है। इस पाठ के बहाने से बच्चों को उनके परिवार से परिचय ही नहीं, बल्कि घर के अन्य सदस्यों से संवेगात्मक लगाव को भी विकसित करने में सहायता मिलेगी। बच्चे अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों के बारे में, उनसे रिश्ते के बारे में अधिक से अधिक सोच, समझ और बता पाएँगे।

5. बच्चों में स्वच्छता और स्वास्थ्य का ज्ञान कराने की दृष्टि 'टॉयलेट का उपयोग' पाठ अत्यंत उपयोगी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो बीड़ा उठाया और इसे जन-अभियान में बदलने का समर्पण-भाव दिखाया है, यह पाठ इस दिशा में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। वर्तमान वर्ष को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गांधी जी ने भी अपनी जीवनचर्या द्वारा स्वच्छता का सन्देश जन-जन तक पहुँचाया है। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यह पाठ इस उद्देश्य को बच्चों के जीवन में सदा के लिए उतारने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला सिद्ध होगा।

6. ऐसे ही 'खाना अपना-अपना' पाठ के द्वारा बच्चों को अलग-अलग प्रकार के भोजन से परिचय कराया गया है। आहार-विहार और भूख-भोजन के बीच सम्बन्ध को भी इस पाठ के द्वारा समझाने की कोशिश की गयी है।

7. विशेष क्षमता वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण सकारात्मक भाव उत्पन्न करने की दृष्टि से 'मेरी बहन सुन नहीं सकती' पाठ अत्यंत प्रभावी है। इस पाठ से सामान्य बच्चों की अलग-अलग क्षमता का भी ज्ञान होगा और विशेष क्षमता वाले बच्चों के चुनौतीपूर्ण जीवन को समझने का अवसर भी मिलेगा।

इसके द्वारा समावेशी शिक्षा के भाव को भी स्पर्श करने की कोशिश की गयी है।

पशु, पक्षी, प्रकृति, यातायात के साधन, डाकघर, विद्यालय आदि विषयों पर प्रकाश डालते पाठ भी बच्चों के सामाजिक-मानसिक विकास को बढ़ाने में सहायक हैं। डाकघरों की भूमिका आज के जनजीवन में बहुत सीमित होती जा रही है। अब चिट्ठी का स्थान ईमेल, एसएमएस, मेसेंजर, वाट्सअप आदि ने ले लिया है। ऐसे वातावरण में बच्चों को डाकघर, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय, लिफाफा, डाक टिकट, आदि से परिचय और उनकी उपयोगिता को बताना अत्यंत अनिवार्य है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इस विषय को सम्मिलित कर अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गयी है।

दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग की जानेवाली ब्रेल लिपि मिटटी से बनने वाले घरेलू सामान, बच्चों, बड़ों के खेल, घर, चिट्ठी, डाकघर, साथी या पालतू जानवर, रेगिस्तान के बहाने पानी के महत्त्व को समझाना आदि को बताने वाले पाठ बच्चों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

विद्यालयी शिक्षा को उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक-माध्यमिक स्तरों पर बच्चों के लिए सीखने का प्रतिफल (लर्निंग आउटकम) निर्धारण कर एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। वर्ष 2016 और उसके बाद से सीखने के प्रतिफल का कक्षानुसार क्रियान्वयन कक्षाध्यापक का उत्तरदायित्व माना गया है। इस दस्तावेज के आरम्भ में ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि - "प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए

जाएँ, जिससे वे उनसे जुड़ें, उनके प्रति जागरूक हों, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनें। इन पंक्तियों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि पर्यावरण अध्ययन विषय की सार्थकता क्या है। बच्चों को उनके परिवेश से संवेदना के धरातल पर जोड़ना, इससे बच्चों में पर्यावरण को प्रति जागरूकता का भाव सुदृढ़ होगा। इस जागरूकता के आधार पर बच्चे आगे चलकर पर्यावरण संरक्षण-संवर्धन के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे, उसकी महत्ता को समझ सकेंगे। आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। यदि हम इनको आज इस स्तर तक शिक्षित करने में सफल हो गए तो आनेवाला भविष्य निश्चय ही बहुत सारी चुनौतियों का समाधान साथ लेकर आएगा। "राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 सम्पूर्ण प्राथमिक स्तर पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया हेतु एकीकृत एवं 'थीम' आधारित उपागम की सिफारिश करता है। इसे कक्षा 3 से 5 तक एक अलग पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में तथा कक्षा 1 से 2 में भाषा तथा गणित में एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शुरुआती स्तर पर स्वयं, घर, विद्यालय और परिवार से संबंधित बच्चे के निकटतम परिवेश (जिसमें प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ शामिल हैं) से प्रारंभ करें। इसके बाद धीरे-धीरे आस-पड़ोस और समुदाय की तरफ बढ़ें।" इस भाव को ध्यान में रखते हुए ही भाषा की पहली- दूसरी कक्षाओं में पेड़-पौधों, पत्तों, फूलों, सूरज, चाँद, तारों आदि को भी विषयवस्तु के रूप में सम्मिलित किया गया है। शरीर के अंगों, रंगों, ऋतुओं आदि के बारे में भी कमोबेश चर्चा की जाती है जिससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ का स्तर विकसित हो।

पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य

- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए बाल केन्द्रित वातावरण निर्मित हो।
- बच्चे परिवार, पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं, भोजन, जल, यात्रा एवं आवास जैसे दिन-प्रतिदिन के अनुभवों से विभिन्न विषयों/ थीम' के वास्तविक अनुभवों द्वारा अपने आसपास/विस्तृत परिवेश के प्रति जागरूक हों।
- बच्चे अपने आसपास के परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का पोषण करें।
- बच्चे अपने आसपास के परिवेश से अंत:क्रिया करके विभिन्न प्रक्रियाओं/कौशलों, जैसे अवलोकन, परिचर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोग, तार्किकता को विकसित करें।
- बच्चों में आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास हो।
- बच्चों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए लिंग अथवा जेंडर आधारित पक्षपातमुक्तता एवं किसी भी प्रकार के हाशियाकरण से मुक्ति का वातावरण निर्मित हो।
- बच्चों में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, (जिसमें बुजुर्ग तथा बीमार दोनों का समावेश हो) एवं प्राकृतिक सरोकारों (जैसे - प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, परीक्षण एवं संरक्षण) से संवेदनशीलता के साथ जुड़ने की समझ विकसित हो।

- बच्चे मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों के लिए न्याय, समानता एवं आदर से जुड़े मुद्दों को समझ सकें और इन मुद्दों को अपनी समझ के अनुसार समुचित स्थान पर उठा सकें।

- उपर्युक्त समस्त विश्लेषणों का निष्कर्ष यह है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के द्वारा बच्चों को उनके घर-परिवारजनों के साथ-साथ परिवेश से भी भली-भांति परिचय कराया जाए, जिससे बच्चे परिवेश के प्रति अपनी समझ विकसित करते हुए स्वयं के साथ-साथ पर्यावरण को भी बेहतर ढंग से समझ सकें और संरक्षण-संवर्धन की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों का सतत निर्वहन कर सकें। यह एक तरफ उनके अपने प्रति समझ को विकसित करने का माध्यम भी बनता है जिससे बच्चे अपने शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की जरूरतों के साथ-साथ पर्यावरण की समृद्धि की दिशा में भी अपनी भूमिका को समझ कर तदनुसार सक्रिय हो पाते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। इस सन्दर्भ में यह कहना उचित होगा कि बच्चों के वैयक्तिक, सामाजिक, सांवेगिक या कहें कि सर्वांगीण विकास में पर्यावरण अध्ययन की महती भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सम्मिलित करने की यही उद्देश्य है और यही सार्थकता भी।

संदर्भ :

(1) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली

(2) पर्यावरण अध्ययन : आसपास, तीसरी कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकशित पाठ्यपुस्तक

(3) सीखने के प्रतिफल (लर्निंग आउटकम) : एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा प्रकाशित दस्तावेज

(4) विकिपीडिया स्त्रोत

राष्ट्रीय अनुवाद-माध्यम के रूप में हिंदी : उपलब्धियाँ और दिशाएँ

डॉ. जी. गोपीनाथन

gopinathan.govindapanicker@gmail.com.

Mobile: 09747028623

गाँधी जी ने दक्षिण आफ्रीका में निवास करनेवाले बहुभाषा भाषी भारतीय बच्चों के बीच संप्रेषण के लिए हिंदी के प्रयोग को देखकर ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण और प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम शुरू किया, ऐसा माना जाता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मध्य काल से ही जन-संचार और अनुवाद के क्षेत्र में हिंदी एक माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती रही है। पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच, अंग्रेज़ आदि उपनिवेशी ताकतों ने भी हिंदी भाषा को, जिसे वे अक्सर 'हिंदुस्तानी' कहते थे, भारतीयों के साथ आदान-प्रदान और निर्वचन (इंटरप्रेटेशन) के लिए प्रमुख माध्यम भाषा के रूप में इस्तेमाल किया था। एक संप्रेषण भाषा (Communication language) के रूप में हिंदी की ताकत ही इसका आधार रहा है। अपनी इस अंतः संप्रेषण की क्षमता के कारण नाटक, संगीत, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न चैनल एवं भारतीय साहित्य के परस्पर अनुवाद में हिंदी एक माध्यम भाषा के रूप में उभरी है। आधुनिक भारत में अंग्रेज़ी चाहे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वाहिका रही हो, लेकिन संस्कृति और साहित्य के संप्रेषण और आदान-प्रदान में हिंदी की महती भूमिका रही है। इन क्षेत्रों में निश्चित ही हिंदी अंग्रेज़ी से ज्यादा ताकतवर भाषिक माध्यम साबित हुई है।

मध्यकाल से लेकर एक राष्ट्रीय रंगमंच को विकसित करने में और प्रांतीय भाषाओं के नाटकों के रूपांतरण और अनुसृजन द्वारा बहुभाषा भाषी अखिल भारतीय दर्शक समूह को तैयार करने में हिंदी के ऐतिहासिक महत्व की भूमिका रही है। तमिलनाडु के तंजौर राज्य के राजा शाहजी महाराज (1684 - 1711) द्वारा रचित 'विश्वातीत विलास' और 'राधा वंशीधर विलास' शीर्षक हिंदी नाटक इसके दुर्लभ प्रमाण हैं। तंजौर सरस्वती महत्व पुस्तकालय की शोध-पत्रिका में ये दोनों नाटक प्रकाशित हुए हैं।[1] शाहजी ने तेलुगु भाषा में कई यक्षगान शैली के नाटकों की रचना की थी। तेलुगु की इसी यक्षगान शैली का प्रयोग कर उन्होंने हिंदी में उन दोनों हिंदी नाटकों का अनुसृजन किया था। शाहजी के तंजौर राजमहल में इन नाटकों के दर्शक मराठी, तेलुगु और तमिल भाषी होते थे और हिंदी उनके आपसी संप्रेषण की सामान्य भाषा भी। इन नाटकों में गद्य संवाद प्रमुख रूप से खडी बोली में है; जिसमें दक्षिणी हिंदी और ब्रजभाषा का पुट है। ये दोनों संगीतात्मक नाटक शिव और श्रीकृष्ण के पौराणिक चरितों पर आधारित हैं। इनके गीतों का गायन कर्णाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के आधार पर होता था। उन दिनों पूरे दक्षिण में इस प्रकार के संगीत नाटक चलते थे। सन् 1884-86 में आंध्र के नादेल्ल पुरुषोत्तम कवि ने 32 हिंदुस्तानी नाटक लिखकर अपनी नाटक कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम आदि दक्षिण के कुछ शहरों में उन्हें दिखाया था, ऐसा उल्लेख डॉ.भीमसेन निर्मल ने किया है।[2] महाराष्ट्र की मुंबई, कर्णाटक का धारवाड़, आंध्र का हैदराबाद आदि शहरों में इन हिंदी नाट्य मंडलियों का प्रदर्शन चलता था। 1813 से 1846 तक केरल की त्रावनकोर रियासत में राजा रहे स्वाति तिरुनाल के राजमहल में हिंदुस्तानी नाट्य मंडलियाँ रहती थीं, ऐसा उल्लेख

आता है। स्वयं महाराजा स्वाति तिरुनाल ने हिंदी में संगीतात्मक पदों की रचना की थी, यह भी सर्वज्ञात है।[3]

आधुनिक भारत के रंगमंचीय आंदोलन के विकास में अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित नाटकों की प्रबल भूमिका रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेगलूरु, हैदराबाद, पूणे आदि जिन शहरों में आधुनिक भारतीय रंगमंच का विकास हुआ, वहाँ के दर्शक प्रमुख रूप से बहुभाषा भाषी भारतीय रहे हैं। बहुभाषिक परिवेश में केवल हिंदी के माध्यम से इन नाटकों की प्रस्तुति संभव हो पाई। इस रंगमंचीय अभियान में बंगला के द्विजेंद्र लाल राय के 'चंद्रगुप्त', 'दुर्गादास', 'शाहजहाँ' आदि नाटक और रवींद्रनाथ ठाकुर के 'चित्रांगदा', 'चिर कुमार सभा', 'डाकघर', 'मुक्त धारा', 'रक्तकरबी' आदि नाटकों के हिंदी अनुवाद प्रारंभिक चरण में आए। मंचीय आंदोलन के उत्कर्ष काल में प्रतिभा अग्रवाल आदि के द्वारा अनूदित बादल सरकार के 'एवं इंद्रजीत', 'पगला घोड़ा', 'बाकी इतिहास', 'आदि विद्रोही स्पर्टाकस' और उत्पल दत्त के नाटक हिंदी में आए। मंचीय क्रांति लाने में मराठी के विजय तेंदुलकर के 'घासीराम कोतवाल', 'शांतता कोर्ट चालू आहे' आदि नाटकों के हिंदी रूपांतर और कन्नड़ के आद्य रंगाचार्य के 'सुनोजनमेजय', 'नायक विनायक', गिरीश करनाड के 'ययाति', 'तुगलक', चंद्रशेखर कंबार का 'जोकुमार स्वामी' आदि नाटकों के हिंदी रूपांतरों की मंचीय सफलता प्रमुख कारण बनी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली, रंगायन आदि संस्थाओं ने भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ नाटकों का हिंदी के माध्यम से रंगमंचीय प्रस्तुतीकरण कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया।[4] भारत की प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठ नाटकों के हिंदी अनुवादक एवं रंग निर्देशक ही समकालीन भारतीय रंगमंचीय क्रांति को एक जनांदोलन

बनानेवाले प्रमुख शिल्पी हैं। रंगमंच, नाट्यानुवाद और प्रस्तुतीकरण के लिए हिंदी ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है जिससे हिंदी में एक राष्ट्रीय रंगमंच की परिकल्पना भी साकार हुई। अंग्रेज़ी या अन्य किसी भारतीय भाषा द्वारा यह कार्य संभव नहीं होगा, यह बात बहुत ही स्पष्ट है।

भारत में सिनेमा, रेडियो और दूरदर्शन के विकास के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की रचनाओं का दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतीकरण हिंदी के माध्यम से संभव हुआ। बहु भाषिक मुंबई में बहुभाषी कलाकारों और निर्देशकों ने हिंदी का सहारा लेकर दृश्य-श्रव्य क्रांति को जन्म दिया। अनेक फिल्मों की तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगला आदि से हिंदी में डबिंग हुई। आकाशवाणी के सुवर्ण युग में अखिल भारतीय कार्यक्रमों के द्वारा प्रांतीय भाषाओं के नाटककार और जनप्रिय लेखक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुए। दूरदर्शन में महाभारत, रामायण, शरतचंद्र, तकषी आदि की रचनाओं की प्रस्तुतियों ने हिंदी को सचमुच संस्कृति की माध्यम भाषा सिद्ध किया। भारतीय भाषाओं के कथा साहित्य के दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतीकरण से भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान का सफल कार्य हुआ। नये चैनलों में भी हिंदी ही प्रमुख माध्यम भाषा है और टेलीफिल्म, नाटक, धारावाहिक आदि अन्य भारतीय भाषाओं से अनूदित होकर आ रहे हैं।

भारतीय साहित्य एक है, यद्यपि वह विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में लिखा जा रहा है', इस अवधारणा को साकार करते हुए हिंदी अनुवादों के माध्यम से भारतीय साहित्य का संपर्क- जाल बन गया है। सन् 1918 में जब से 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना गाँधी जी ने की, दक्षिण में अनेक हिंदी प्रचारक और अनुवादक तैयार हुए जिन्होंने तुलसीदास, प्रेमचंद्र आदि रचनाकारों का अपनी-अपनी भाषाओं में अनुवाद किया और दक्षिणी भाषाओं

से श्रेण्य रचनाओं का अनुवाद हिंदी में किया। राष्ट्रीय आंदोलन के उस दौर में बंकिमचंद्र शरतचंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रलाल राय, विभूति भूषण आदि की बँगला रचनाओं का अनुवाद दक्षिणी भाषाओं में हिंदी के माध्यम से किया गया। साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट के आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत जब सीधे अनुवाद करनेवाले अनुवादक उपलब्ध नहीं होते तब हिंदी के माध्यम से ही अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी अनुवादों के माध्यम से अनुवाद कराया जाता है। हिंदी इस तरह प्रांतीय साहित्य के भाषांतरण में अत्यंत सहायक अनुवाद- माध्यम साबित हो रही है।

उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अनुवाद का सेतु बनाने में संपर्क भाषा हिंदी की गहरी भूमिका रही है। दक्षिणी भाषाओं से अब तक सभी विधाओं की महत्त्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद हिंदी में हो चुका है।(5) इन अनुवादों के माध्यम से संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विविधताएँ, नयी विषयवस्तु, नया जीवन परिवेश हिंदी में प्रस्तुत हुआ है जिस से हिंदी में भारतीय भाषाओं का एक संपर्क साहित्य-भंडार तैयार हुआ है। यह एक ऐसा सांस्कृतिक स्रोत है जिस से निश्चित ही हिंदी भाषा और साहित्य के आयाम विस्तृत हुए हैं। तमिल और कन्नड़ का प्राचीन-क्लासिकल साहित्य हिंदी में अब काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। ये अनुवाद, अंग्रेज़ी के अनुवादों से बढ़कर प्रामाणिक और मूल के करीब हैं। भुवनवाणी ट्रस्ट ने सभी भारतीय भाषाओं के आध्यात्मिक स्रोत ग्रंथों, विशेषकर रामायण, महाभारत, भागवत आदि का अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया है। हिंदी में भारतीय भाषाओं का यह जो संपर्क साहित्य-अनूदित हुआ है, वह आगे चलकर एक सांस्कृतिक स्रोत के रूप में अत्यंत उपयोगी होगा। साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ज्ञानपीठ ने अन्य भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ और पुरस्कृत साहित्य को हिंदी में

लाने का स्तुत्य कार्य किया है। हिंदी में विकसित भारतीय भाषाओं के संपर्क साहित्य का मुख्य प्रयोजन यह है कि हिंदी के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का पठन-पाठन-अनुवाद अब सुगम हो गया है। इस स्थिति का उपयोग अब हिंदी के विदेशी लेखक और अनुवादक भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस के डॉ.चेलीशेव ने वल्लत्तोल की कविताओं का रूसी अनुवाद हिंदी अनुवादों के माध्यम से किया था। फ्रांस की निकोल बल्वीर ने इन पंक्तियों के लेखक को बताया या कि तकषी के चेम्मीन' के फ्रेंच अनुवाद में अंग्रेज़ी अनुवाद से बढ़कर उसके हिंदी अनुवाद का उन्होंने सहारा लिया था। चीन के दिवंगत हिंदी विद्वान और प्रसिद्ध अनुवादक ल्यू को नान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने भारतीय भाषाओं की कई रचनाओं का अनुवाद उनके हिंदी अनुवादों से किया है। हिंदी में यह सुविधा है कि देवनागरी में लिप्यंतरण करने से प्रामाणिक मूल पाठ भी पाठक पढ़ सकते हैं - उर्दू का साहित्य हिंदी लिप्यंतरण और टिप्पणियों के साथ पाठकों के लिए समझने में अत्यंत उपयोगी रहा है। बँगला की मूल कविताओं का देवनागरी लिप्यंतरण और टिप्पणियों के साथ पढ़ने से पाठक टैगोर की मूल कविताओं के करीब पहुँच पाते है।

हिंदी चूँकि अब विश्वभाषा बन गई है, अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य वैश्विक हिंदी पाठकों के पास हिंदी-माध्यम से जल्दी पहुँच सकता है। पाठकों के लिए हिंदी में अनूदित श्रेष्ठ पुस्तकों की सूची, कारपोरा, सांस्कृतिक शब्दावलियाँ आदि उपयोगी होंगी। यंत्रानुवाद में अनुसारक, अन्तराभाषा आदि के विकास से अनुवाद को ज्यादा गति मिलेगी। मगर साहित्यानुवाद के क्षेत्र में मानव मस्तिष्क और मानवीय प्रतिभा को हराना कंप्यूटर की कृत्रिम वृद्धि के सहारे उतनी जल्दी संभव नहीं लगता।

संदर्भ

1. The Journal of the Tanjore Saraswati Mahal Library, Vol.XV. 1961, No.1
2. डॉ. भीमसेन निर्मल, 'हिंदी साहित्य को आंध्र की देन', 'हिंदी साहित्य को हिंदीतर प्रदेशों की देन', संपादक : डॉ. मलिक मुहम्मद, दिल्ली, 1977, पृ. 107
3. डॉ.जी. गोपीनाथन, 'हिंदी को केरलीयों की देन' दिल्ली 1973
4. डॉ. ए. अच्चुतन, 'नाट्यानुवाद एवं भारतीय रंगमंच', दिल्ली, 2006
5. डॉ. विजय राघव रेड्डी (संपादक), 'हिंदी में दक्षिण भारतीय साहित्य, दिल्ली, 2008

प्रकृति, पर्यावरण और हम

डॉ. विजया सती
एसोसिएट प्रोफेसर
हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
vijayasatijuly1@gmail.com
मोबाइल : 8587093235

भारत एक विशाल देश है, जिसके एक ओर हिमालय, दूसरी ओर विस्तृत सागर तो है ही, भूभाग में अनेक नदियाँ, अरण्य, मैदान और पठार भी हैं। प्रकृति के विविध रूपों तथा प्रभावों ने भारतीय जनमानस को प्रेरित किया है। इसी कारण सागर, नदी, जंगल और पर्वतों का चित्रण भारतीय साहित्य की विशिष्टता रही है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति इतनी रची-बसी है कि वृक्ष को संतान रूप में देखना, पर्वत-पत्थरों को पूजना और गंगा जैसी नदियों के प्रति गंभीरतर दृष्टि इसी संस्कृति की देन कही जा सकती है। विष्णु समुद्र के स्वामी हैं, पार्वती पर्वत पुत्री हैं, सीता धरणी सुता हैं। तुलसी, कमल और बरगद - हमारे जीवन के सांस्कृतिक विकास का ही एक हिस्सा बन कर आते हैं। इस संदर्भ में इन पंक्तियों पर ध्यान दिया जा सकता है : "In India more than anywhere else the tree is much more than just a tree. It bears a load of symbol."[1] (अन्य देशों से बढ़कर भारत ऐसे देशों में है, जो पेड़ों को एक जीव से बढ़कर मानता है, उसके हरेक हिस्से को एक प्रतीक के रूप में माना जाता है।)

प्रकृति से बराबर कुछ न कुछ सीखते, उसे सुधारते-संवारते, प्रकृति से लड़ते, उस पर विजय पाते बढ़ते रहना - यह मनुष्य की सभ्यता-संस्कृति का इतिहास रहा है। मनुष्य ने प्रकृति का श्रृंगार किया, उसके साथ पला और

बढ़ा। प्रकृति की रम्यता और विभीषिका के प्रति मनुष्य निरंतर आकर्षित-विकर्षित होता रहा। मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंध को रेखांकित करने वाली दो विचारधाराएँ कही जा सकती हैं।

पहली यह कि मनुष्य प्रकृति की गोद में पला-बढ़ा है, प्रकृति का पुत्र है। मनुष्य के जन्म-विकास और विलीनता में प्रकृति का ही विस्तार और प्रसार है। प्रकृति और वनस्पति-जगत में फलीभूत प्रायः सभी प्रक्रियाएँ मनुष्य-जीवन में भी घटित होती हैं। [1] इंडिया : संपादिका, आशारानी माथुर पृष्ठ 9

दूसरी विचारधारा यह है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ पल-पल में विरोध है और उसके मन में विरोधिनी को वश में करने की इच्छा है। मनुष्य और प्रकृति का यह दोहरा रिश्ता इस प्रकार प्रतिफलित होता है कि एक ओर तो मनुष्य प्रकृति की स्वच्छंदता में स्वयं रमता है, दूसरी ओर वह हर बिंदु पर प्रकृति की उन्मुक्तता पर अंकुश लगाना चाहता है। अपना जीवन सुविधापूर्ण करने की इच्छा से मनुष्य ने मनोरम-भीषण प्रकृति को संयत करने की निरंतर चेष्टा की है। इस तरह अमरत्व के आकांक्षी मनुष्य की सारी जय-यात्रा प्रकृति को अपने अनुकूल करने की यात्रा बन गई।

प्रकृति का विजेता बनने की मानवी ललक के मूल में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को पाया जा सकता है जो उन्होंने अपनी पुस्तक 'द ओरिजन ऑफ़ स्पेसीज़' में व्यक्त किया। डार्विन का कहना है कि विकासमान जीवन में लगातार क्षरण होता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बदलने की क्षमता जिसमें होगी, वह बचा रहेगा, 'सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट'। डार्विन के इस चिंतन से मनुष्य केंद्र में आ गया, जिसे डार्विन ने मनुष्य का उत्थान कहा, प्रकृति को अपने वश में करते चले

जाने वाले जिस मानव को गौरवान्वित किया, एक अंधी दौड़ के बाद वह कब पराजय के कगार पर जा पहुँचा, स्वयं ही न जान सका।

आधुनिक काल में एक वह समय भी आया जब मनुष्य जीवन कई कारणों से प्रकृति से दूर होता चला गया। औद्योगिक-तकनीकी विकास हुआ,कल कारखाने लगे। प्राकृतिक संपदाओं के बीच, उनके सहयोग से अनेक कृत्रिम उत्पादन होने लगे। किंतु फिर इनकी भयावहता प्रकट होने लगी। प्रकृति से दूर जाता मनुष्य का जीवन असहाय और दुविधाग्रस्त हो उठा। आधुनिक औद्योगिक-तकनीकी सभ्यता ने महानगरों में कंक्रीट के जंगल दिए। नदियों पर बड़े बड़े बाँध बनाए, किंतु इनके लिए प्रकृति के आदिम रूप उजड़े। प्रकृति से जब यह स्वाभाविक रिश्ता टूटा, मनुष्य ने ही जब विविध प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया तो वह चेता भी। टूटे रिश्ते को फिर जोड़ने को तत्पर हुआ। प्रकृति की रक्षा के लिए चिंतित हुआ। उसके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या हमें विकास की कीमत प्रकृति को ध्वस्त करके देनी है या तमाम औद्योगिक विकास को प्रकृति की कीमत पर नहीं बढ़ने देना है?

भले ही प्रकृति मनुष्य की चिर सहचर है, किंतु आज से पहले प्रकृति का जो रूप था वह आज नहीं है। एक तो सूरज, पहाड़, नदी आदि प्राकृतिक उपादान अपनी भौगोलिक-प्राकृतिक प्रक्रिया में बदल रहे हैं, दूसरे मानवीय क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं ने भी प्रकृति के स्वरूप को बड़ी सीमा तक रूपांतरित किया है। प्राकृतिक व्यवस्था में मानवीय प्रयत्न से किए गए परिवर्तनों ने जो असंतुलन पैदा किया, वह मनुष्य के लिए हानिकारक हो उठा। इसके दुष्परिणाम प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति के रूप में सामने आए। धुआँ उड़ाते परिवहन साधन- वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से महानगरों का आकाश

ढंकने लगे। कई बार अपने सीमित संकीर्ण स्वार्थों के कारण मनुष्य विशाल प्रकृति के साथ जुड़ने के स्थान पर केंद्र में मात्र अपने आप को देखने लगा। गांधी जी ने आज से बहुत पहले अपनी आवश्यकताएँ कम करके, सादा जीवन उच्च विचार की जिस अवधारणा को पुष्ट किया था वहां प्रकृति की स्वाभाविकता के साथ जीवन को निकटता से जोड़कर रखने का आग्रह भी था।

आधुनिक जीवन की सुविधाओं के बीच प्रकृति और मनुष्य के संबंध तनावपूर्ण और असंतुलित होने के बावजूद, प्रकृति अपने विविध उद्दाम, विराट, कोमल रूपों के साथ निरंतर मानवीय सोच का बुनियादी अंग अवश्य बनी रही। इसलिए प्रकृति के सभी रूपों के साथ रहने की पद्धति मनुष्य विकसित करता रहा और धीरे-धीरे विज्ञान, उद्योग तथा तकनीक की सहायता से मनुष्य ने अपने भीतर यह चेतना विकसित की कि जिस प्रकृति पर वह लगभग पूर्णतः निर्भर था, उसे अपने अनुरूप बल्कि अपने अधीन कैसे बना सकता है।

इस पूरे परिदृश्य में, भारतीय जीवन चिंतन का यह विश्वास आज भी वही है कि जीवन के जटिल होने के कारण मनुष्य जीवन की जो सामूहिक चेतना खंडित हो गई है, उसने अनजाने ही मनुष्य को न केवल प्रकृति के खिलाफ बल्कि अपने खिलाफ भी कर दिया है। वास्तव में इस प्रक्रिया से हट कर समूची प्रकृति के साथ मानव का जुड़ाव ही श्रेयस्कर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह नैतिक आधार आवश्यक है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ पवित्र और निश्छल संबंध बना रहे। यदि वह प्रकृति से कुछ ले तो उसे लौटाए भी। वन काटे तो उसे हरा-भरा करने की युक्तियाँ भी करे। यह उत्तरदायित्व प्रत्येक का है। केवल सरकारों का ही नहीं। पर्यावरण के लिए

कृत्रिम उपाय प्राकृतिक चिंतन नहीं हो सकते। केवल आशा करने, नारा लगाने या मात्र पोस्टर चिपका देने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। जब तक पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारे लगाव वास्तविक नहीं होंगे तब तक उनका कोई मूल्य और परिणाम न होगा। प्रकृति की पक्षधरता मात्र पेड़-पौधों, नदियों, जंगलों, पशु-पक्षियों के संरक्षण की ही पक्षधरता नहीं है। वह सीधे और सच्चे अर्थों में सृष्टि और मानव जीवन के समग्र अस्तित्व की पक्षधरता सिद्ध होती है।

इस सोच के साथ, भारत में भी नीतियों का निर्धारण और कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया। विज्ञान, उद्योग तथा तकनीक के उपयोग से प्रकृति को मानवीय हितों में नियोजित करने का योजनाबद्ध प्रयास सच्चे अर्थों में हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के वर्षों में हुआ। 1985 में केंद्र में एक नया मंत्रालय गठित किया गया जिसका नाम था पर्यावरण और वन मंत्रालय। इसके अंतर्गत 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम स्वीकृत किया गया। बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत जैसे देश ने संवहनीय विकास (Sustainable Development) का आदर्श अपनाया। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता संसार के प्रायः सभी देशों ने इसलिए अनुभव की क्योंकि यह पाया गया की प्रकृति का इतना अधिक दोहन हो चुका है कि प्रकृति में निहित संजीवनी शक्ति का क्षरण हो रहा है। संसार के महानगरों में भरपूर सांस लेना कठिन होता गया। इसने दुनिया भर में इस सोच को बढ़ावा दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग रोका जाना होगा तथा ऐसे संसाधनों का संवर्धन करना होगा जो बारंबार नए या ताजे किए जा सकें। विकास हो किंतु बदहवास पागलपन न हो, जीवन की संभावनाओं को खोलने का उपक्रम हो, विकास के नाम पर विनाश न हो।

मनुष्य के सम्मुख चुनौती जितनी ही बड़ी होती है, उसका मुकाबला करने को उसकी चेतना उतनी ही अधिक सशक्त और दुर्धर्ष हो उठती है। इसके असंख्य प्रमाण मानव इतिहास में खोजे जा सकते हैं। और इसे मात्र कल्पना- प्रसूत भावुक तरंग का नाम नहीं दिया जा सकता। जिस तरह भँवर को ढक लेने के लिए पानी चारों तरफ से उमड़ पड़ता है, उसी तरह प्रकृति के सबसे मनोरम रूपों - फूल, पत्ती, तितली, पक्षी, पेड़, पहाड़ आदि की सुरक्षा के लिए बहुत संभव है किसी दिन संपूर्ण मनुष्य जाति ही अपने आप को निछावर कर देने पर उतारू हो जाए। समूची दुनिया में हरित क्रांति का आंदोलन अकारण ही तीखा नहीं हुआ। मनुष्य अपनी सभ्यता को नष्ट होते नहीं देखना चाहता। जो उसने सदियों के क्रम में प्रकृति को चुनौती देकर या उसके साथ समझौता कर धीरे- धीरे विकसित की है। आशा की जानी चाहिए कि इस अभियान में मनुष्य को सफलता हासिल होगी और निष्ठा के साथ संकल्प तथा कर्म का भी समुचित योगदान संभव होगा।

इस बिंदु पर प्रसिद्ध अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन याद आते हैं, जिनकी एक कविता का आशय है – 'मैंने उससे पूछा कि प्रलय यदि होगी तो जल से या अग्नि से ? उसने उत्तर दिया - जल से, क्योंकि दुनिया में ठंडास बहुत ज्यादा है। फिर कुछ सोचकर उसने जोड़ा - आग से भी हो सकती है क्योंकि विद्वेष भी कुछ कम नहीं है।' लेकिन व्हिटमैन जानते थे कि ठंडास और विद्वेष के समानांतर इस दुनिया में प्रेम, शांति, समर्पण और निर्माण की चेतना भी इतनी अधिक और गहरी है जो इसे और अपने आप को भी निरंतर रचती, सजाती और संवारती चली जाएगी। व्हिटमैन के इस कथन में यह भी निहित है कि संसार के संहार के जो निमित्त या कारण हैं, वही संसार के निर्माण अथवा सृजन के निमित्त और कारण बन सकते हैं। जिस

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने प्रकृति पर प्रश्नचिह्न लगाया है, वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रकृति के संरक्षण-संवर्धन में सहयोग और सहायता भी दे सकती है।

यह प्रश्न उठाना अप्रासंगिक न होगा कि प्रौद्योगिकी प्रधान वर्तमान संसार में यदि प्रकृति का संरक्षण इतना अधिक आवश्यक मान ही लिया जाएगा तो इसकी रक्षा का दायित्व कला और साहित्य के कंधों पर अधिक होगा या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कंधों पर? ऊपर से भले ही यह प्रश्न असंगत जान पड़े क्योंकि उन्नीसवीं शताब्दी से ही यह बात दोहराई जा रही है कि विज्ञान और कलाओं की दृष्टि और दुनिया अलग-अलग है। और संसार की समस्याओं के संबंध में उनके समाधान भी एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए संभव है कि जहाँ कला मनुष्य को फूलों, पत्तों, पेड़ों से प्यार करने की शिक्षा देना चाहे, वहां प्रौद्योगिकी फूलों, पत्तों, पेड़ों के उपचार अथवा संरक्षण-संवर्धन को अपने व्यवस्थित कार्यक्रम का बुनियादी हिस्सा बनाए। वस्तुतः कला और प्रौद्योगिकी को एक दूसरे के विरोध में न रख कर, एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए। आधुनिक युग ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है, उनसे निबटने और उनको सुलझाने की जिम्मेवारी एक संस्था, क्षेत्र या ईकाई पर डाल कर मनुष्य जाति निश्चिंत नहीं बैठ सकती। यदि समूची दुनिया सिमट कर एक छोटी-सी जगह या विश्व गाँव (Global Village) बनने लगी है, तो फिर मानवीय चेतना से जुड़े प्रत्येक सर्जनात्मक प्रयास को एकजुट होकर संसार की समस्याओं के समाधान में संलग्न होना होगा। इसके लिए कला को वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न तथा विज्ञान को भावना और संवेदना से समन्वित होना होगा।

इक्कीसवीं सदी में भारत जैसे विकसनशील देश में इस समीकरण को समझा जाना और भी जरूरी हो गया है। करोड़ों लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ यदि न्यूनतम अवधि में पूरी की जानी हैं, तो ऐसा किसी भावनात्मक या कल्पनात्मक रवैये के आधार पर नहीं किया जा सकता। मानवीय बुद्धि-कौशल द्वारा उत्प्रेरित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तरह-तरह की प्राकृतिक क्षतियों की पूर्ति के लिए समुचित एवं पर्याप्त विधि-विधान नियोजित करे और कलाएँ इसी मानवीय प्रयास का अनुषंग बन कर मानवीय प्रगति की सच्ची साझेदार बनें।

दूसरे शब्दों में, आने वाली दुनिया यदि सुखी और सुंदर होनी है तो वह अधिक से अधिक लोगों के लिए जीवन की अधिक से अधिक सुविधाओं की आपूर्ति द्वारा ही संभव होगी। ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य का एक चरण तो आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो और दूसरा चरण उसे पीछे धकेलने के लिए सन्नद्ध दिखाई पड़े। कला और विज्ञान को या भावना और प्रौद्योगिकी को दो प्रतिकूल छोरों से जोड़ने के मूल में विशेष रूप से यही प्रवृत्ति रही है।

वस्तु पहले अपने मूल रूप में रहती है। अनुभव के साथ उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। परिपक्वता आने पर हम चीजों को फिर उनके मूल आदिम रूपों में देखने लगते हैं। प्रकृति के संदर्भ में भी यही सत्य है। आज मनुष्य की आंतरिक खोज है : प्रकृति को नए सिरे से पहचानना और अपने आदिम स्रोतों तथा स्वयं के बीच पनपी दूरी को कम करना। इस तरह चिंतन का एक वृत्त पूरा हो जाता है। हम जहाँ से चले थे, लौटकर फिर वहीं आ रहे हैं- यात्रा क्रम में यह अनुभव समेटकर कि प्रकृति की ओर लौटना

हमारे लिए जीवन की ओर लौटना है और यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सार

मनुष्य की चेतना उन्नयन चाहती है।फलतः मनुष्य ने प्रकृति की जड़ शक्ति को सजीव बनाने की आकांक्षा की। प्रकृति के क्षरण और विनाश के कारण मनुष्य का भी विनाश हुआ, यह देख-समझ कर सभ्यता और संस्कृति के विकास-क्रम में जो मनुष्य प्रकृति से दूर हो चला था। वह फिर प्रकृति की ओर लौटा। युग विशेष की अभिरुचि अपने ढंग की होती है। जितनी सत्यता इस कथन में है कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति मनुष्य को प्राकृतिक जीवन से दूर करती चली जाएगी, उतनी ही सत्यता या प्रासंगिकता इस कथन में भी है कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के प्रत्येक चरण के साथ प्रकृति के प्रति हमारी भावना गहरी होती जाती है। प्रकृति के प्रति हमारे सौंद्र्यात्मक दृष्टिकोण की सीमाएँ विस्तृत होती जाती हैं।

जैव-प्रौद्योगिकी (बॉयोटेक्नालोजी)

डॉ. सत्येंद्र कुमार सेठी
नंबर- ए, जोर बाग लेन,
बी. के. दत्त कालोनी,
नई दिल्ली-110003

प्राकृतिक विज्ञान (नैचुरल साइन्स) या जीवविज्ञान (बायॉलोजी) जीवित प्रणालियों और जीवों के अध्ययन से संबंधित है। इनके अध्ययन से हम उनकी शारीरिक संरचना, रासायनिक प्रक्रियाओं, आणविक (मालूक्यूलर) इंटरैक्शन, शारीरिक क्रिया और जैव रासायनिक (बायोकैमिस्ट्री), जीवों के कामकाज के तंत्र (फिजोलोजिकल मैकेनिज़्म) के साथ-साथ जीवित जीवों के विकास की जानकारी से अवगत होते हैं। विज्ञान के इस वर्ग की जटिलताओं के बावजूद कुछ निचित धारणाएँ हैं जो इसे एक तार्किक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्वीकार करती हैं। जीव विज्ञान में कोशिका (सेल) को जीवन की मूल इकाई माना जाता है और जीन आनुवंशिकता (हेरेडिटी) तथा जैविक विकास (इवोल्यूशन) की मूल इकाई है। आनुवंशिकता और विकास की प्रक्रिया नई प्रजातियों (स्पीशीज) के आने तथा पुरानी प्रजातियों के विलुप्त होने की मूल कुंजी हैं। इसके साथ ही जीवित जीव अपनी उर्जा में परिवर्तन करके जीवित रहते हैं और अपने स्थानीय एन्ट्रोपी को कम करते रहते हैं, जिससे होमियोस्टैसिस के संबंध में निरंतरता के साथ-साथ मौलिक स्थिति बनी रहती है। आजकल हम थ्योरेटिकल बायोलॉजी में गणितीय अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं और अनुशंसित सिद्धांतों की वैधता का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक जीव विज्ञान का प्रर्दशन करते हैं। जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के बीच के अंतर समझने के लिए उनके संचालन को समझना

पड़ेगा। जीवविज्ञानी आमतौर पर बहुत ही कम रेंज में काम करते हैं, अर्थात नैनोग्राम से मिलीग्राम तक। लेकिन जैव प्रौद्योगिकीविद वैक्सीन जैसे पदार्थ के निर्माण को बड़े पैमाने पर बनाते हैं जो किलोग्राम या उससे भी अधिक मात्रा तक हो सकते हैं। इसलिए दोनों जैविक प्रक्रियाओं के स्केलिंग में भिन्नता है।

जैव प्रौद्योगिकी अत्यधिक बहु-विषयक है और जीव विज्ञान के कई क्षेत्रों में अपना अस्तित्व स्थापित करती है, जिसमें सूक्ष्म विज्ञान, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान (मालूयक्यूलर बायॉलोजी), आनुवंशिकी, खाद्य विज्ञान, कई इंजीनियरिंग विषय आदि शामिल हैं। इस बात पर ध्यान दिया गया है कि विनिर्माण और सेवा उद्योगों में जीव सेलूलर घटकों में कई तकनीकों की आवश्यकता होती है। बहुत समय पहले, जैव प्रौद्योगिकी के तंत्र को समझे बिना शराब, पनीर आदि के निर्माण को कौशल के रूप में माना जाता था। बाद में इन प्रक्रियाओं को गहराई से समझा और सुधार भी किया गया, खासकर सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव रसायन के दृष्टीकोण से। आज, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी एंटीबायोटिक दवाओं, वैक्सीन तथा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से संबंधित है। इसके अलावा, बायोटेक्नोलॉजिकल अध्ययन जीवित प्रणालियों में नये आणविक (मॉल्यूक्यूलर) नवाचारों (इनोवेशन) के साथ जुड़ा हुआ है तथा कृषि में ट्रांसजेनिक पौधों और जानवरों की अवधारणा के साथ-साथ मनुष्यों में भी जीन थेरेपी की अवधारणा का विकास किया गया है। उपरोक्त इसके अतिरिक्त, जैव प्रौद्योगिकी का योगदान पर्यावरण की दिशा में भी है और विभिन्न तरीकों से प्रदूषकों का पता लगाने, रोकथाम और बचाव में मदद करके पर्यावरण की गुणवत्ता व सुरक्षा और बहाली के **पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी** के विषय के रूप में उभरा है।

इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजिकल तकनीकों को बढ़ावा देने से भूमि और पानी के बायोरेमेडिएशन, मिट्टी के संरक्षण, अपशिष्ट पदार्थों से निपटने, पुनर्वितरण, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण आदि में मदद मिलती है। आज यह स्थापित हो चुका है कि पुनः संयोजक डी. एन. ए. प्रौद्योगिकी में प्रदूषण से बचने व बायोरेमेडियेशन में और सुधार करने की क्षमता है।

जैव प्रौद्योगिकी में जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल तथा टिशू कल्चर प्रौद्योगिकियों के आधुनिक उपयोग से संबंधित प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस प्रकार ट्रांसजैनिक फसल और जानवरों के साथ-साथ मानव में जीन थीरेपी के अनुसंधान के पहलुओं को बड़े पैमाने पर मानव कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाधीन है। यद्यपि जैव-तकनीकी अनुसंधान में नैतिकता से जुड़े विषयों को लेकर खुली चर्चा और इस शोध की उपयोगिता को समझने व हल करने के तरीके हैं जो समाज के लिए एक महान योगदान होगा। ट्रांसजेनिक जीवों और जीन थीरेपी के बारे में प्रायः लोग तकनीकी रूप से अनजान व अयोग्य होते हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी की जटिलता को समझने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए उच्च्व प्रशिक्षित पेशवरों की आवश्यकता होती है जिन्हें अनुसंधान सामग्री का पर्याप्त ज्ञान होता है। जैव प्रौद्योगिकीविदों ने जैव रासायनिक प्रसंस्करण के नवाचार, विकास और इष्टतम संचालन (औपटिमल औपरशन) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग ज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान से संबंधित विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में जैव प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण की उन्नति के लिए विभिन्न तरीकों से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, पुनः संयोजक डी. एन. ए. प्रौद्योगिकी

के रूप में आणविक जीव विज्ञान की उन्नति, जो मानव जीवन को वर्चस्व प्रदान कर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विभिन्न जीवों में नए वर्ण के निर्माण के लिए डी. एन. ए. की सामग्री में बदलाव करना संभव है। आज सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने की तकनीक उपलब्ध है और इनके वास्तविक व्यवहार में कई सीमित कारक हैं जैसे कि जीन और उनके चयन की कार्यप्रणाली, लेकिन आनुवंशिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग करने के लिए जीन के संरचनात्मक कार्य के वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित सीमाएँ भी हैं। आनुवंशिक सामग्री के बदलाव को ध्यान में रखकर **आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी** शब्द को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत सामान्य प्रजनन बाधाओं से दूर कोशिकाओं के संलयन (फ्यूजन) के साथ-साथ योजनाबद्ध परिवर्तन और जीवित जीवों के कार्बनिक पदार्थ के बदलाव संबंधित विषय आते हैं। अधिक उपयुक्तता के लिए सूक्ष्मजीवों, पौधों और जानवरों की आनुवंशिक प्रणाली को संशोधित करने के लिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी पुनः संयोजक डी. एन. ए. (रीकाम्बीनेंट डी. एन. ए.) का उपयोग करती है। बढ़ती खाद्य फसलों, औद्योगिकीकरण (बेंकिंग ब्रेड, वाइन, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन आदि), जीन और स्टेम सेल थीरेपी आदि में इसके अनुप्रयोग (एपलीकेशन) आम है। व्यापक रूप में देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के मुख्य क्षेत्र हैं:- बायोप्रोसेस प्रौद्योगिकी, एन्जाइम प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल संसाधन प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्र में पौधे एवं पशु, हैल्थकेयर। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के माध्यम से कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ:-

1. स्वास्थ्य : रोटावायरस वैक्सीन-116इ, मलेरिया वैक्सीन, डेंगू वैक्सीन, टूयबरक्यूलौसिस वैक्सीन
2. सेल्युलोज (प्लांट फाइबर) से सेलुलोसिक इथेनॉल का उत्पादन
3. कृषि क्षेत्र :-

रोग प्रतिरोधी गेंहू की किस्म उन्नाव पीबीडब्लू 343 का विकास जीवाणु प्रतिरोधी बासमती चावल की किस्में बी टी काटन आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक तंबाकू और टमाटर के वायरस के प्रतिरोधी ऐसपैरेगस का कीट प्रतिरोध सोयाबीन के हर्बिसाइड प्रतिरोधी तथा प्रोटीन की गुणवत्ता हेतु अखरोट गुणवत्ता संशोधन। अल्फा अल्फा वायरस व कीट प्रतिरोध आलू स्टार्च संशोधक

उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, विशेष रूप से रासायनिक और इंजीनीयरिंग वर्गों में मंदी के समय जैव-तकनीकि अनुप्रयोगों का बहुत उपयोग पाया जाता है। स्थानीय या वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में फिर उछाल लाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के तरीकों को लागू किया जा सकता है। आज विश्व स्तर पर नई जैव-प्रौद्योगिकी कम्पनियाँ आणविक जीव विज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र में विशाल निवेश करने के लिए तैयार हैं और कर भी रही हैं। बहुत बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादों, रसायनों, प्लास्टिक, दवा उत्पादों के उत्पादन के साथ-साथ कृषि में भी नई किस्मों (वैरायटी) के विकास के लिए उद्योग में सूक्ष्मजीवों और कई तरह के एन्जाइम का उपयोग होता है। जिससे औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी कम्पनियों के राजस्व में बड़ी वृद्धि भी हुई है। जर्मनी में कई कम्पनियों ने कई तकनीकी एन्जाइम और अन्य जैव-तकनीकी उत्पादन प्रक्रियाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में उनकी बिक्री में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि

देखी गई। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मुख्य रूप से पाँच भागों में बँटा हुआ हैं जैसे जैव-फार्मा, जैव-सेवा, जैव-कृषि, जैव-उद्योग और जैव-सूचना विज्ञान (बायोइनफारमेटिक्स)। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग मुख्य रूप से वैक्सीन और पुनः संयोजक चिकित्सा पर केंद्रित है। कृषि में अनुप्रयुक्त (एप्लाइड) अनुसंधान की बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं और परिणामस्वरूप ट्रासंजेनिक चावल और कई आनुवंशिक रूप से संशोधित या इंजीनीयर्ड सब्जियाँ पैदा की गई हैं। वर्ष 2016 के दौरान, उड़ीसा सरकार द्वारा देश में पाँच जैव-तकनीक हब विकसित करने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नीति तैयार की गई और 3.73 मिलयन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ सेट-अप स्थान को प्रदान करेगी। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में भी जैव-विनिर्माण अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और जीवन विज्ञान के लिए जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ आरंभ करने की प्रक्रिया में हैं। भारत सरकार जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए बजट को भी बढ़ाया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलन प्रदान करेगी, जबकि पहले 11वीं पंचवर्षी योजना में यह राशि 1.1 बिलियन अमेरिकी डालर थी। यह आर्थिक पहल भारत को तेज दर से आगे बढ़ाने में मददगार होगा और भारत सरकार इतनी बड़ी आबादी को वांछित सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम होगी। इस वित्त पोषण के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विकास और व्यापार के साथ-साथ बायोटेक उद्योग मे वृद्धि हेतु योजनायों को कार्यरूप दिया है। इन योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए रणनीति भी तैयार की है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए सौ प्रतिशत एफ डी आई की नीति

भी बनाई है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया के 12 देशों में एक है और एशिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन शीर्ष पर है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भारतीय हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा है। वर्ष 2015 की वृद्धि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2025 में इस औद्योगिक विकास में 30.46 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है।

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के संभावित प्रमुख जोखिम

1. मानव स्वास्थ्य जोखिम

- नये प्रोटीन के उत्पादन के कारण आनुवंशिक रूप से बेहतर फसलों और भोजन में एलर्जी की संभावना
- जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों में मार्कर के रूप में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का उपयोग किया जाता है और खाद्य उत्पाद के सेवन से एंटीबायोटिक दवाओं की दक्षता में कमी हो सकती है। इस बात की संभावना है कि मानव रोगजनक (पैथोजन) के लिए एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन के स्थानांतरण के कारण होती है जिसके परिणामस्वरूप एंटीबायोटिक प्रतिरोधी रोगजनक (पैथोजन) होता है।
- जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक सामग्री को बदल देती है जिससे पौधों में विषाक्त पदार्थो का उत्पादन होता है। इन विषाक्त पदार्थों से पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के शिकार-शिकारी (प्रे-प्रीडेटर) संबंध को नुकसान होता है।

- पौधों में जीन के कारण भारी धातुओं द्वारा मिट्टी और पौधों के संदूषण (कनटेमिनेशन) में वृद्धि की संभावना।

2. पर्यावरणीय जोखिम

- जैव प्रौद्योगिकी, मुख्य रूप से वनों आदि के अंतर्गत अपेक्षाकृत जंगली क्षेत्रों में कृषि आदि जैसे कार्यों के कारण प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित होता है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों द्वारा नये प्रोटीन के उत्पादन के साथ विषाक्त कवक को बढ़ाकर पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है।
- खरपतवारनाशी (वीडीसाइड) सामान्य पौधों के लिए प्रतिरोधी हो सकती है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों के कारण नये जीन इनसे गठित जंगली पौधों एवं पीड़क (पेस्ट) में स्थानांतरित होने की संभावना।
- नए सूक्ष्मजीव अर्थात वायरस, बैक्टीरिया बनने की संभावना
- जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों के उपयोग से भविष्य में पर्यावरण के लिए कुछ अज्ञात जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

3. जैव विविधता के जोखिम

जैव विविधता और वन्य जीवन पर्यावरण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों के अनुप्रयोग के साथ जैव विविधता की कमी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जीव वास (हैबिटेट) के विनाश जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैव प्रौद्योगिकीय तकनीकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के कारण उत्पन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए समीक्षा की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ खुले वातावरण में आनुवंशिक रूप से बेहतर जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आनुवंशिक रूप से बेहतर जीवों का चयन उस विशेष पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की संरचना को प्रभावित कर सकता है।

4. सामाजिक आर्थिक जोखिम

साधारणतः यह देखा गया है कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक गरीब लोगों की आवश्यकताओं को दरकिनार कर देती है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी के कारण आय और धन की असमानता हो सकती है क्योंकि छोटे किसान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। बड़े किसान के पास प्रौद्योगिकी को अपनाने के मौके अधिक होने के कारण अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ऐसी नीतियाँ बनाने की अत्यंत आवश्यकता है जिससे छोटे किसान भी तदनुसार लाभान्वित हो सकें।

नैतिक मुद्दे

जैव प्रौद्योगिकी के कई लाभ होने के बावजूद इस शैक्षिक क्षेत्र को नैतिक विवादों से मुक्त नहीं किया जा सकता है जैसे:-

सुरक्षा : यह जीवन से जुड़ी एक प्रमुख चिंता का विषय है, जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त फसल और भोजन मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण की समस्याएँ भी खड़ी कर सकता है। चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी मानव शरीर व उसकी सोच को बदल सकती है जिससे विनाशकारी परिणाम विकसित हो सकते हैं। हालांकि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से मानव स्वास्थ्य लाभ होने वाले अनुमानित जोखिमों को ड्रग डिजाइनिंग के लिए नई तकनीक से

संबंधित परीक्षण और व्यक्तिगत रूप से अद्वितीय आनुवंशिक लक्षणों वाले रोगियों की चिकित्सा के माध्यम से कम किया जा सकता है।

स्वतंत्रता : यह धारणा है कि जैव प्रौद्योगिकी दूसरों पर हावी होने के लिए तानाशाही शक्ति दे सकती है और इसकी तकनीक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए इसे अपनाने के लिए लोगों की सहमति आवश्यक है। लोगों का यह भी मत है कि यदि माता-पिता बायोटेक के माध्यम से शक्ति प्राप्त करते हैं, तो वे अपने बच्चों के स्वभाव और व्यवहार को नियंत्रित करेंगे। इस प्रकार बच्चों की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।

न्याय : आमतौर पर लोगों मे मन में अमीरी और गरीबी से जुड़ी एक सोच व्याप्त होती है और उनका मानना है कि जैव प्रौद्योगिकी केवल अमीर वर्ग के लिए लाभकारी होगी, जो कि गरीबों के साथ अन्याय होगा। साधारणतः यह माना व पाया गया है कि अमीर लोग गरीबों पर अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। इन सब कारणों के बावजूद यह आशा की जा सकती है कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं से होने वाली प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप अमीर लोगों के लाभ में अपेक्षाकृत गिरावट आयेगी जिससे गरीबों को लाभ हो सकता है। साथ में यह भविष्यवाणी भी की गई है कि वैश्विक व्यापार जैव प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभ को पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है।

पर्यावरण : यह बहुत अधिक नैतिक चिंता का विषय है और कई पर्यावरणविदों द्वारा यह माना जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी प्राकृतिक वातावरण को कृत्रिम रूप में परिवर्तन करने को प्रोत्साहित कर सकती है। इसके अतिरिक्त जंगल नष्ट करने व मानव-जंगल के स्वस्थ संबंध भी समाप्त होने की आशंका होती हैं। इन्हीं कारणों के डर से आनुवंशिक रूप से

संशोधित जीवों के आने से इस प्राकृति वातावरण में जीवन एक बदसूरत चेहरे में बदल सकता है। दूसरी तरफ जैव प्रौद्योगिकी के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि सभ्यता की शुरुआत कृषि और मानव की अन्य गतिविधियों से हुई थी जो आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के निर्माण में लिप्त थे तथा वे हजारों वर्षों से पर्यावरण को बदलते रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह एक स्थापित तथ्य है कि जीव वैश्विक स्तर तक भी अपने पर्यावरण को संशोधित करते हैं। यह कहना भी तार्किक होगा कि नए आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के विकास के साथ बैक्टीरिया जैसे विषाक्त अपशिष्ट को चयापचय (मेटाबोलिज्म) करने में सक्षम हैं जो कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्राकृतिक वातावरण को बहाल करने में काफी सहायक है।

मानव स्वभाव : जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ बहुत से लोग मानते हैं कि यह तकनीक मानव प्रकृति को प्रभावित करेगी और मानव प्रकृति के जैव प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के साथ मानव गरिमा को भी धक्का लग सकता है जबकि जैव प्रौद्योगिकी की लाभप्रद संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने मधुमेह ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया। इसलिए हम जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति में आ रहे परिवर्तन प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही होने चाहिए। बेशक हम प्रकृति के दिए गए उपहारों की प्रशंसा करते हैं लेकिन कुछ उपहार जैसे मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों के रूप में पाए जाते हैं तथा अवांछित हैं। एक विचार यह भी है कि प्रकृति के संभावित संयमों के कारण जैव प्रौद्योगिकी अपनी तकनीकों में स्वाभाविक रूप से सीमित है। इसके अलावा हम प्राकृतिक मानव इच्छाओं

को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जो नैतिक अंत तक सीमित हैं। खुशहाल बच्चों के लिए माता-पिता की इच्छा व प्राकृतिक इच्छाओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी को नियोजित किया सकता है।

धार्मिक आश्वासन : मानव अपने जीवन को ईश्वर की देन मानते हैं और धार्मिक दार्शनिकता के अनुसार यह भावनाओं से संबंधित है। मानव जैव प्रौद्योगिकी की नैतिक चिंताओं को लेकर पवित्र जीवन के रूप में धार्मिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है तथा उसका विश्वास है कि जैव-तकनीकी बदलाव से दिव्य-दैवीय शक्ति और लौकिक व्यवस्था के सम्मान व प्रशंसा प्रभावित होती है। धार्मिक दर्शन के अनुसार यह भी माना जाता है कि ईश्वर प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है तथा ईश्वर की रचनात्मकता में मनुष्य ईश्वर की छवि में निर्मित है। इस प्रकार मनुष्य के पास कृत्रिम चालाकी पैदा करने के साथ-साथ प्रकृति को समझने की शक्ति है। मानव जीवन के सुधार के प्रति अपने दायित्व को समझना आवश्यक है। लेकिन कई धार्मिक लोग सोचते हैं कि आधुनिक विज्ञान नास्तिक भौतिकवाद को प्रभावित कर सकता है, जो मानव के आत्म-सम्मान को नकारता है। दूसरे शब्दों में, जैव प्रौद्योगिकी को मानव में बदलाव और उसके निरंतर अस्तित्व के लिए हमेशा इसका सहारा लेना पड़ सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहना उचित है कि बायोटेक तकनीकों के उपयोग के लिए हम सहमत या असहमत हों, निसंदेह हम आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह बायोटेक तकनीक कई मायनों में सहायक सिद्ध हुई है, हालांकि लक्ष्य हासिल करने के लिए इसकी जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कृषि अनुसंधान में इस तकनीक की भागीदारी गरीबी से लड़ने के

लिए यह तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकती है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सकता है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। यह किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए लाभकारी है। हाँ, इसके लाभ व जोखिम दोनों का आकलन भी उतना ही आवश्यक है।

मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेजः पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में

डॉ. अनिल कुमार धीमान
सूचना वैज्ञानिक
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय
हरिद्वार - 249404 (उत्तराखंड)
डॉ. ईमेल-akvishvakarma@redfiffmial.com

1.भूमिका

तकनीक व पढ़ाई का रिश्ता 19वीं और 20वीं सदी में पत्राचार कोर्स के समय से ही जुड़ गया था, जब अध्यापक और छात्रों के बीच संपर्क डाक के जरिए होता था परंतु बाद में रेडियो और फिर टेलीविजन ने उसकी जगह ले ली। बाद में पत्राचार कोर्स का स्थान दूरस्थ शिक्षा ने ले लिया जिसमे पत्राचार कोर्स मटेरियल के साथ-साथ 10 से 15 दिन तक के व्यक्तिगत संपर्क प्रोग्राम (पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम) आयोजित किये जाने लगे जहाँ व्यक्तिगत संपर्क के साथ कोर्स के वीडियो आदि दिखाए जाने लगे। 1985 में इंद्रा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्लीकी स्थापना हुई। उसके बाद 16 जनवरी 2003 को इंद्रा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अपना सेटैलाइट चैनल आ जाने से तकनीक का पढाई में खुलकर प्रयोग होने लगा। इंटरनेट पर भी इंद्रा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध होने लगे। इस तरह यह एक प्रकार से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कही जा सकती है। कौशिक (2015) के अनुसार मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेजया मूक्स की उत्पत्ति वर्ष 2008 में

हुई जब स्टेफन डाउनस तथा सीमंस ने संयोजीकरण और संयोजी ज्ञान को वर्ष 2008 में विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया था। हालाँकि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेजया मूक्स वर्ष 2012 में प्रचलित हुए जब वर्ष 2012 को "न्यूयार्क टाइम्स" द्वारा "मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स वर्ष" घोषित किया गया।

मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (Massive Open Online Courses) या मूक्सकोर्स (MOOCs) विश्वविद्यालय स्तर के ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आम लोगों के लिए खुले हुए हैं और वेब के जरिए उन्हें असीमित भागीदारी का मौका देते हैं। इन बड़े मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की सहायता से लोगों को अपने शैक्षिक विकास के लिए वेब लेक्चर, ऑनलाइन मटीरियल और यहां तक कि कुछ ऑनलाइन फोरम की भी सुविधा मिलती है।

2. मूक्स वास्तव में क्या है?

मूक्स वेब-आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिये मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। चूँकि ये कोर्स विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों द्वारा तैयार किये जाते हैं इसीलिए छात्रों को विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, विशेषज्ञों की नॉलेज और लर्निंग के नए तरीकों से जुड़ने का अवसर मिलता है। मूक्स विशेष तौर पर STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा) क्षेत्र में ऐसे

छात्रों के लिये अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे-सीधे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं।

"स्वयं" (जो एक भारतीय मूक्स है) के पोर्टल पर उपलब्ध पाठयक्रम के 4 भाग हैं – वीडियो व्याख्यान (Video Lectures), खास तौर से तैयार की गई अध्ययन सामग्री (Study Material) जो डाउनलोड और मुद्रित की जा सकती है। परीक्षा तथा प्रश्नोतरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा (Self-Assessment) तथा अंतिम शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाईन विचार-विमर्श (Online Discussion)। स्वयं पोर्टल के ये चार भाग चित्र 1(https://ciet.nic.in/upload/Brochure_swayam.pdf) में भी दिखाए गए हैं।

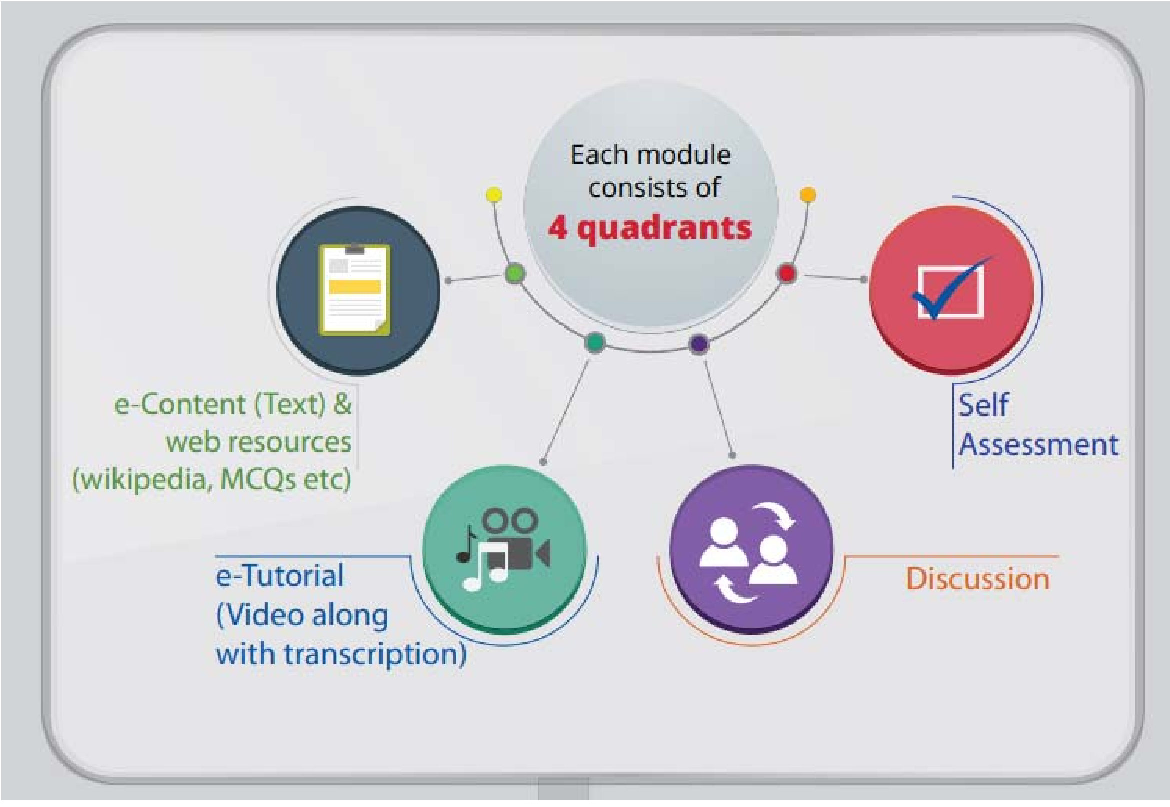

चित्र 1: स्वयं पोर्टल के चार भाग

स्वयं पोर्टल पर इंजीनियरिंग, साइंस, मानविकी, भाषा, वाणिज्य, प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान व शिक्षा आदि आदि विषयों पर कोर्स उपलब्ध हैं। पुस्तकालय विज्ञान पर उपलब्ध कुछ और मूक्स कोर्स की एक सूची-1

(कुरी और माराना, 2018) दी गयी है जो पुस्तकालय विज्ञान में रुचि रखने वालेछात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों आदि के लिए सहायक हो सकते हैं।

सूची-1: पुस्तकालय विज्ञान के कुछ मूक्स कोर्सेज़

मूक्सप्रदायी संस्था	वेब यूआरएल
ACRL The Library Support for Massive Open Online Courses (MOOCs) Discussion Group	http://www.ala.org/acrl/aboutacrl/directoryofleadership/ discussiongroups/acr-dgmoocs
INDIANAPOLIS DLISC at Indiana University Purdue University Indianapolis	http://news.iupui.edu/releases/2015/04/mooclibrary-and-information-science.shtml
Libraries and MOOCs The Association for Library Collections and Technical Services ALCTS	http://www.ala.org/alctsnews/items/moocs

Library Advocacy Unshushed: Values, Evidence, Action University of Toronto	https://www.edx.org/course/libraryadvocacy-unshushed-university-torontoxla101x
Metadata Jeffrey Pomerantz from North Carolina University	https://www.mooc-list.com/course/metadataorganizing-and-discovering-informationcoursera?static=true
New Librarianship iSchool, Syracuse University	http://ischool.syr.edu/landingpages/admissions/new-librarianship-openonline-course
OCLC	http://www.oclc.org/research/events/2013/03-18.html
PSU Library Penn State University Library Supports	https://www.libraries.psu.edu/psul/researchguides/MOOC.html
The British Library and University of Nottingham UK	http://www.bl.uk/pressreleases/2015/february/propaganda-mooc

The Hyperlinked Library San José State University for Library and Information Science Professionals	https://ischool.sjsu.edu/programs/moocs/hyperlinked-librarymooc

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुस्तकालय के संग्रह और तकनीकी सेवाओं के संघ ने 2013 में पुस्तकालय एवं मूक्स पर एक वेबीनार का आयोजन भी किया है। धीमान (2015), धीमान एवं जगदेव (2019) तथा पूजार एवं ताडसाड (2016) ने भी कई प्रचलित मूक्स के बारे में चर्चा की है।

3. मूक्स की चुनौतियाँ

मूक्स सीधे-सीधे किसी डिग्री से नहीं जुड़ें हैं, हालाँकि इससे कुछ कोर्स करके उनका क्रेडिट अन्य विश्वविद्यालय के कोर्स में सम्मिलित किया जा सकता है परंतु अभी तक इनकी स्थिति साफ़ नहीं हो सकी है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों ने मूक्स को सीधे-सीधे अपनाया भी नहीं हैक्योंकि पढऩे वाले छात्रों से कोई सीधा संपर्क नहीं हो पाता है। यदि हो भी पाता है तो बहुत ही मामूली संपर्क हो पाता है। फिर इनका प्रबंधन भी महंगा है, अगर छात्र किसी सर्टिफिकेट या परीक्षा में बैठने के लिए फीस दें तब भी यह मुनाफे का धंधा नहीं बन पाएगा क्योंकि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बहुत कम होती है। साथ ही विश्वविद्यालय कैसे अपने मुनाफे का हिसाब लगाएंगें, यह भी साफ नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिंदुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है-

- मूक्स के द्वारा तत्काल शंका का समाधान नहीं हो पाता है। साथ ही पाठ्यक्रमको पूरा करने के लिये प्रेरणा भी नहीं मिलती है, जिस कारणछात्र इसे बीच में ही छोड़ देते हैं।
- मूक्स की सबसे बड़ी कमी तकनीकी प्रशिक्षण के मामले में सामने आती है क्योंकि इनमे प्रयोगों द्वारा विषय को समझाने की विधि कारगर साबित नहीं होती है।
- मूक्स पाठ्यक्रमों के लिये साइन-अप करने वालों में से 90 प्रतिशत से अधिकछात्र पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते हैं। इससे मॉडल की प्रभावकारिता पर सवाल उठता है।

साथ ही जैसा पहले कहा जा चुका है पाठ्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध होने के कारण मूक्स को आर्थिक तौर पर भीसफल नहीं माना जा रहा है।

4. आगे क्या किया जा सकता है?

मूक्स को प्रासंगिक बने रहने के लिये अपने स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है।इसके अंतर्गत बी-2-बी (Business to Business) मॉडल को अपनाया जा सकता है जिसके अंतर्गत मूक्स को संचालित करने वाली संस्थायेंअपने छात्रों के कौशल के विकास हेतु बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी कर सकती हैं। साथ ही इसे पूर्णतया मुफ्त उपलब्ध करवाने के बजाय फ्रीमियम मॉडल (Freemium Models) में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

फ्रीमियम', फ्री और प्रीमियम शब्दों का एक संयोजन है, जिसका उपयोग व्यवसाय मॉडल का वर्णन करने के लिये किया जाता है। इसके अंतर्गत मुफ्त और प्रीमियम दोनों तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। फ्रीमियम मॉडल व्यापार मॉडल के तहत उपयोगकर्त्ताओं को सरल औरबुनियादी सेवाएँ मुफ्त में तथा अधिक उन्नत या अतिरिक्त सुविधाएँ शुल्क लेकर प्रदान की जाती हैं।

5. उपसंहार

इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व में उच्च-शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य के लिये मूक्स को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये कोर्स मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा कीदुनिया को बदल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भी स्वयं (SWAYAM) नाम से एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 09 जुलाई 2017 में शुरू किया गया है जो छात्रों के लिए निःशुल्क है। इस पोर्टल पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोतर तक के कोर्स उपलब्ध हैं। अब मानव संसाधन मंत्रालय ने हिंदी सहित 10 अन्य भारतीय भाषाओं में 'स्वयं' पर करीब 300 नए ई-कोर्स शुरु करने का निर्णय लिया है।

इस तरह अध्ययन – अध्यापन में हालांकि नई खोज और नए तरीकों से कोर्सों को डिजाइन करने की इसमें अपार संभावनाएं हैं। फिर भी कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मूक्स के अनुभव से कैंपस में आकर फीस अदा कर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या और अधिक घट सकती है परंतु नए तरीकों की जरुरत है। विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले नए वातावरण में छात्रों को आकर्षित करने के मौके भी हैं। अतः मूक्स पढ़ाने के

अनोखे तरीकेउसके दायरे को और अधिक विस्तृत करने में सहायक हो सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ

- Dhiman, A.K. (2015). MOOCs: Emerging Model of Learning in Higher Education. In R.N. Malviya and S.V.A.V. Prasad (Eds.): Intellectual Property Rights: Challenges in Digital Environment: Proceedings of the National Conference held at Lingaya UniversityFaridabad (Haryana) during 20-21 November 2015. Lingaya's University, Faridabad (Haryana) Pp. 179- 185.
- Dhiman, A.K. and Jagdev, A. K. (2019). Open Educational Resources (OERs) in HigherEducation. ISST Journal of Advances in Librarianship, 10 (2): 14-19.
- Kuri, R. and Maranna, O. (2018). MOOCs: A New Platform for LIS ProfessionalDevelopment. 8th KSCL Conference on Libraries with no Boundaries Paper. Available at: http://eprints.rclis.org/32396/.
- Pujar, S.M. and Tadsad, P.G. (2016). MOOCs – An Opportunity for International Collaborationin LIS Education: A Developing Country's Perspective. New World Library, 117 (5-6): 360-373.

- कौशिक, अन्ना (2015) मूक और ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान कर्मी. ग्रंथालय विज्ञान, 46: 112 -119।
- MOOCs ओपन ऑनलाइन कोर्स. Available at: https://aajtak.intoday.in/education/story/massive-open-online-courses-moocs-1-772648.html.
- ऑनलाइन कोर्स आपके लिए क्यों और कैसे जरूरी. Available at: https://in.ccm.net/faq/1575-why-e-learning-online-education-distance-part-time-course-are-good.

******

भारत में संरचनात्मक विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश

- आकांक्षा पाण्डेय

वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि आपदाओं की बारंबारता अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही है (UNESCAP, 2016)। वर्ष 2018 में दुनियाभर में 315 आपदाएँ घटित हुई जिनमें 11804 लोग मारे गए और 68.5 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त 131.7 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक की संपत्ति और आधारभूत ढाँचे की हानि हुई। जबकि, आखिरी 10 सालों (2008-2017) औसत वैश्विक आर्थिक क्षति 166.7 बिलियन अमेरिकी डालर थी।

भारत के संदर्भ में देखें तो एक तरफ जहाँ 2 ट्रिलियन अमेरिकी डालर जी डी पी के साथ तेज़ी से आर्थिक वृद्धि हो रही है वहीं केवल वर्ष 2018 में ही विभिन्न आपदाओं से 1388 लोग मारे गए थे। इस प्रकार पिछले वर्ष आई आपदाओं से देश में लगभग 23,900,348 लोग प्रभावित हुए। यह दुनिया में सबसे अधिक संख्या थी। 1980 से 2010 के बीच भारत में 432 बड़ी आपदाएँ आई जिनके कारण जान-माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ। इन आपदाओं में 143,039 लोग मारे गए और 150 करोड़ लोग प्रभावित हुए और करीब 4800 मिलियन अमेरिकी डालर का आर्थिक नुकसान हुआ (CRED, 2019) कोई भी प्राकृतिक आपदा आर्थिक आपदा में भी रूपांतरित हो जाती है।

आंधारिया (2018) ने तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध किया है कि विकास और आपदा में स्पष्ट संबंध है। दोषपूर्ण विकास खतरे को बढ़ा सकता है जबकि

निर्दोष विकास नीतियाँ संकट को कम कर सकती हैं। जहाँ आपदाएँ विकास-कार्यों में अवरोध पैदा करती हैं वहीं विकास के अवसर भी उपलब्ध कराती हैं। जीवन और आजीविका की रक्षा किसी भी विकास-कार्य का आधार होती है। लेकिन, आपदाएँ विकास के प्रयत्नों को हतोत्साहित करती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि विकास योजनाएँ और परियोजनाएँ तैयार करते समय खतरे की संभावना को कम करने पर भी ध्यान दिया जाए। इसका यह अर्थ भी है कि आपदा के खतरे की संभावना को क्षीण करना विकास की प्रक्रिया से जुड़ा है और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास प्रक्रिया से संबद्ध करना आवश्यक है (UNDP, 2015)।

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यस्था में आधारभूत ढाँचे का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत का समग्र विकास इसी क्षेत्र द्वारा चालित होता है। इसमें ऊर्जा, पुल, बाँध, सड़कें और अन्य शहरी आधारभूत ढाँचे आते हैं। अप्रैल 2000 से जून 2017 के बीच निर्माण क्षेत्र और आधारभूत ढाँचागत गतिविधियों में क्रमश 24.54 बिलियन अमेरिकी डालर और 9.82 बिलियन अमेरिकी डालर लगाए गए। यह क्षेत्र इतनी तीव्र गति से विकास कर रहा है कि वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस सूचकांक में भारत 160 देशों में 44 वें स्थान पर आ धमका है। वैसे सेवा आपूर्ति के स्वभाव के आधार पर आधारभूत ढाँचे को तीन श्रेणियों- भौतिक, सामाजिक और वित्तीय- में बाँटा जा सकता है। ये सभी वित्तीय और विकास के प्रति समर्पित होते हैं। (घोष और डे, 2014).

आकलनों के मुताबिक 2050 के बाद दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या नगरों में रहेगी। मौजूदा दर 54 प्रतिशत है। अधिक जनसंख्या घनत्व अधिक आधारभूत ढाँचे और आर्थिक गतिविधियों की माँग करता है।

ढाँचागत विकास और आपदा की संभावना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आधारभूत ढाँचा संभावित रूप से लोगों को आपदा की संभावना से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं (मिंग इत्यादि 2014)। वहीं दूसरी ओर एक निर्माण परियोजना जनता के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और पर्यावरणीय संकट को बुरी तरह से बढ़ा सकती है। यद्यपि आधारभूत ढाँचा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है फिर भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो परियोजनाएँ विविध घटकों पर विचार करके नहीं चलती हैं वे पर्यावरण क्षरण में और इस तरह जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकती हैं और जोखिम को और अधिक बढ़ा सकती हैं। इसलिए, जो आधारभूत ढाँचागत निर्माण लोगों की जिजीविषा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीन होता है वह क्षेत्र के सतत विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा, जनसंख्या वृद्धि का दबाव और तीव्र नगरीकरण भूमि उपयोग की पद्धति को जटिल बना देता है। तीव्र नगरीकरण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि पर निर्माण की ओर ले जाता है। जिससे पर्यावरण की हानि होती है आपदाओं की संभावना बढ़ती है। आपदा जोखिम के प्रति जागरूक भूमि उपयोग नीति खतरों को कम करने और जनता की जिजीविषा अथवा आपदाओं के प्रति लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है (ADPC, (2011) लघु निर्माण परियोजनाएँ भी, जो प्राकृतिक जल निकासी, भूकम्प और आग के खतरे जैसे जोखिम न्यूनीकरण

के प्रावधानों पर अमल नहीं करती हैं, आपदा के दुष्प्रभाव को बढ़ा सकती हैं (वोल्फ, 2013)।

ऐसी अनियोजित विकास गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षरण का संबंध जलवायु, भूजल या मौसम आपदाओं से जोड़ा गया है। ये आपदाएँ पूरे भूमंडल में बढ़ रही हैं। वर्ष 2017 में ये लगभग 90 प्रतिशत मौतों का कारण बनीं। हाल के वर्षों में भारत मौसम से जुड़ी आपदाओं की ओर उन्मुख रहा है। बाढ़ भारत में तेजी से बढ़ती हुई आपदा है। आपदाओं से प्रभावित जनसंख्या का 60 प्रतिशत केवल बाढ़ से प्रभावित रहा है। जबकि तूफान 85 प्रतिशत आर्थिक क्षति का कारण बना (CRED, 2018)। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के समावेश के बिना आधारभूत ढाँचे की योजना ने पर्यावरणीय क्षरण और मौसमजन्य आपदाओं में प्रमुख भूमिका अदा की है। भारत में यह कई मामलों में बड़ा प्रत्यक्ष रहा है, जैसे मुंबई बाढ़ (2005), चेन्नई बाढ़ (2015), हैदराबाद बाढ़ (2005) और सरदार सरोवर बाँध परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापन इत्यादि (रामचंद्रिया 2005, कुमार इत्यादि 2017, रेवि 2005)।

आपदा के बाद की परिस्थिति भी आधारभूत ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए विशाल संसाधनों की माँग करती है। यह विकास के लिए निर्धारित संसाधनों को पुनः प्रक्रिया की ओर मोड़ देता है जिसमें पुनर्निर्माण और पुनर्वास आते हैं (पल्लियालगुरु, 2012). इसलिए जिजीविषा विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का आधारभूत ढाँचे की योजना में समावेश आवश्यक है (वर्ल्ड बैंक ग्रुप, 2015)।

तीसरी दुनिया के लिए एक सम्मेलन हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रतिवेदन कहता है कि आधारभूत ढाँचे की योजना और विकास संपूर्ण व्यवस्था पर इसके परिणाम के व्यापक परिप्रेक्ष्य में आज भी नहीं देखे जाते हैं। इसके बजाय, आधारभूत ढाँचे की समझ आज भी 'संपत्ति आधारित' है जो कि अपने में व्यवस्थित आपदा जोखिम न्यूनीकरण समावेश की कल्पना को प्रभावित करती है। आधारभूत ढाँचे की संपत्ति आधारित समझ के कारण व्यापक व्यवस्था, जिस पर आधारभूत ढाँचा निर्भर करता है, को ध्यान में रखते हुए जोखिम मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसलिए, किसी व्यवस्था की क्षमता और इससे संबद्ध जोखिम में वृद्धि में किसी आधारभूत ढाँचे की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। किसी आधारभूत ढाँचे में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश संपूर्ण व्यवस्था की नाजुकता और जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अतीत में आई आपदाओं के अनुभव आधारभूत ढाँचे की योजना और विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समावेश के प्रति नीतिगत समझ में परिलक्षित नहीं होते हैं। प्रतिवेदन आगे कहता है कि विकास नियोजन के साथ यह समस्या आधारभूत ढाँचा-केंद्रित प्रभावी अधिनियमों और नीतियों, क्षमताओं और प्रौद्योगिकी, तत्परता, वार्षिक बजट आवंटन, आधारभूत ढाँचा केंद्रित संस्थागत तंत्र और इस क्षेत्र की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने की क्षमता की कमी के कारण हो सकती है। (संयुक्त राष्ट्र, 2014).

भवन सुरक्षा के मामले में यह देखा गया है कि भवन और जनजीवन की सुरक्षा और जिजीविषा सुनिश्चित करने में नियम और विनियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भूमि उपयोग, भवन और निर्माण योजनाएँ भवन ध्वंस, चक्रवात, भूकंप और आग जैसी आपदाओं के जोखिम को कम करती हैं।

किंतु, विश्व बैंक समूह के एक प्रतिवेदन ने रेखांकित किया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के लिए स्थापित विनियामक तंत्र अनिवार्यत आपदा जोखिम का न्यूनीकरण नहीं करता है। इसका मुख्य कारण अपरिपक्व नियामक प्राधिकरण और उनकी कमज़ोर समर्थक संस्थाएँ हैं। ऐसे देश श्रेष्ठ अंतराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनी स्थानीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के अनुरूप ढालने में असफल होते हैं। इसलिए, केवल श्रेष्ठ प्रथाओं को कागजों पर अपना लेने से आधारभूत ढाँचे का जोखिम कम नहीं होता है क्योंकि यह क्रियान्वयन में दरार को प्रतिबिंबित करता है। लोक प्रशासन की समस्याएँ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्रियान्वयन में अवरोध पैदा करती हैं (वर्ल्ड बैंक ग्रुप, 2015)।

लोक प्रशासन आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि यह नागरिकों के बीच संसाधनों के वितरण, आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण, नागरिकों के अधिकारों के सबलीकरण, औरजोखिम को कम करने के लिए और जिजीविषा को बढ़ाने के ढंग का निर्णय करता है (पाल एवं शा 2018)। किंतु, कम सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों के पास आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त सांगठनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और वित्तीय क्षमताएँ नहीं होती हैं। इसलिए, पहले से ही हाशिए पर रह रहे नागरिक आपदा के दौरान और उसके बाद और अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक, (2012) अंततः बेहतर जोखिम प्रबंधन में सहायता करनेवाले आधारभूत ढाँचे से संबद्ध नियमों और विनियमों के अनुपालन के लिए प्रभावी प्रशासन की स्थापना बहुत निर्णायक होती है।

उदाहरण के लिए तुर्की में इस्तांबुल और अन्य नगरों में प्रशासनिक समस्याओं और चौतरफा भ्रष्टाचार के कारण स्थानीय भवन नियमों को ठीक

से लागू नहीं किया गया था। यह तुर्की के 1999 के भूकंप में प्रतिबिंबित हुआ। यह पाया गया था कि इस्तांबुल में 65 प्रतिशत आवासीय खंडों को भवन नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था (मौलियर 2014)। दूसरी तरफ जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों के मामले में देखा गया है कि ये अपने भवन उप-नियमों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कर सके थे। उदाहरण के लिए जापान ने 1923 के भूकंप से सीख ली और भवनों की ऊँचाई सीमित कर दी गई। इन्हें भूकंप रोधी बनाने पर बल दिया गया। इसी तरह अमेरिका में 1925 में आए सेंटा बारबरा के भूकंप के बाद भूकंप रोधी प्राकलन के प्रावधानों को उनके भवन नियमों में शामिल कर लिया गया (FEMA, 1998, घोष, 2018)।

भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तंत्रों की अनुशंसा की है तथा जिजीविषा विकास और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जनता की असुरक्षा को कम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ऐसे तंत्रों और समझौतों में एचएफए, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर, पेरिस जलवायु समझौता इत्यादि शामिल हैं। भारत ने उन कानूनों और नीतियों का अनुपालन भी किया है जिनको आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विभिन्न मंचों पर प्रतिबद्धता दी थी। ये नीतियाँ और कानून इस प्रकार हैं - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, मॉडल टाऊन ऐंड कंट्री प्लानिंग लेजिस्लेशन, डेवेलपमेंट कंट्रोल, बिल्डिंग रेगुलेशन और जोनिंग रेगुलेशन इत्यादि। ये नीतिगत दस्तावेज आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश आधारभूत ढाँचा और विकास योजनाओं और परियोजनाओं में करते हैं।

यद्यपि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का आधारभूत ढाँचा विकास और योजना में समावेश लोक नीति का क्षेत्र है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों के विपरीत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सभी क्षेत्रों का सहयोग और समन्वय जरूरी है। इसके अलावा ऐसी लोक नीति की आवश्यकता है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य को समझती हो। अंधारिया (2014) लिखती हैं कि सूक्ष्म नीतियाँ और निर्णय, जो प्राय सहज ही कुछ समुदायों की असुरक्षा और जिजीविषा को बढ़ाती हैं, पर पर्याप्त ध्यान देते समय आपदा और जलवायु के प्रति सामुदायिक जिजीविषा लचीलेपन का सुदृढ़ीकरण आज भी चिंता का विषय बने हुए हैं।

इस प्रकार, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्रियान्वयन में नीतियाँ और अधिनियम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विकास कार्यों में समावेश के द्वारा सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिनियम तंत्र उपलब्ध कराते हैं। अधिनियम में वर्णित कानूनों और दंडों के माध्यम से सरकार भूमि उपयोग प्रणाली को विनियमित और प्रभावित कर सकती है तथा लोगों की आपदा उन्मुखता को कम कर सकती है, जनता के सशक्तीकरण द्वारा उनकी असुरक्षा को कम कर सकती है, निर्माण के विविध नियमों के क्रियान्वयन के द्वारा जिजीविषा का विकास कर सकती है इत्यादि। विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियाँ और विधिक तंत्र निर्णायक भूमिका अदा करते हैं (शॉ एवं पाल 2018)।

भारत में आधारभूत ढाँचे के विकास और योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समावेश की नीतिगत रणनीति की झलक.

ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर ऐक्शन के निर्देशों के बाद अब सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर (2015 से लेकर 2030) आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अब तक का सबसे बड़ा निर्देशक तंत्र है। भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016) सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर के अनुरूप तैयार की गयी है (NDMP, 2016)। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर ने आधारभूत ढाँचा क्षेत्र के नियमन को रेखांकित किया था। इस आपदा जोखिम न्यूनीकरण तंत्र ने स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्राथमिकता पर रखने और आधारभूत ढाँचा विकास के नियमन पर बल दिया है। यह बल इस पर्यवेक्षण पर आधारित है कि समुचित भवन विनियमन और उनका अनुपालन आपदा के बाद जान-माल के नुकसान को न्यून रखने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। आधारभूत ढाँचा क्षेत्र के लिए सुदृढ़ विधिक प्रबंधन भारत में और भी अधिक प्रासंगिक है। इसका कारण यह है कि 2030 तक भारत की 50 प्रतिशत जनसंख्या नगरीकृत हो चुकी होगी। इसलिए, किसी भी संभावित आपदा से जन-जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित आधारभूत ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है (घोष इत्यादि, 2018)।

वर्ष 2005 (10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जिससे विकास प्रक्रिया और आधारभूत ढाँचा योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को पिरोने का और अधिक पेशेवर, सुसंगठित, प्रभावी और सुदृढ़ संस्थागत प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ। नीतिगत स्तर पर आमूलचूल बदलाव करते हुए आधारभूत ढाँचा विकास क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने पिछले एक दशक में विविध तकनीकी, विधिक और संस्थागत प्रबंधनों को शुरू

किया। योगो फ्रेमवर्क फॉर ऐक्शन के अनुरूप 2005 में भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया। इस अधिनियम ने सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपनी विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश करें। संपूर्ण सरकारी तंत्र को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रतिमानों की खोज और अपनी विकास योजनाओं में उनके समावेश के लिए प्रेरित करनेवाला यह पहला वैधानिक कदम था। इसके पीछे यह विचार था कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि समस्त संबद्ध पक्षों वाली समझ नहीं अपनाई जाती (भारत सरकार, 2005)।

परंतु, आपदा प्रबंधन के लिए खड़े किए गए संस्थानों (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) में से किसी के पास विकास परियोजनाओं के निर्माण के शुरू होने के पहले आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से उनकी समीक्षा वैधानिक अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रावधानों के कमजोर क्रियान्वयन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग आपदा जोखिम के प्रति जागरूक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) ने प्रभावशाली परिणामों के लिए सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की संस्कृति को पनपानेवाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों की वकालत के दवारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण को गति देने की कोशिश की है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण समावेश के लिए एक्सपेंडीचर फायनांस कमेटी के दिशा-निर्देशों

को संशोधित किया गया। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, राष्ट्रीय आपदा संचार तंत्र, 8 एनडीआरएफ बटालियनों के आधारभूत ढाँचे इत्यादि शामिल हैं (भारत सरकार, 2011)।

पहले के नीतिगत दस्तावेजों की कमियों और प्रगति से सीखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ी और कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम निर्धारित किए जिसमें देश की कई फ्लैगशिप योजनाएँ शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में पूर्व चेतावनी, आवासीय परियोजनाएँ, आधारभूत ढाँचा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेय जल, कृषि, जल संसाधन, बीमा क्षेत्र और कई अन्य सरकारी योजनाएँ शामिल हैं (भारत सरकार (2012)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के बावजूद भारत सरकार आपदा जोखिम न्यूनीकरण की कीमतों और लाभों की समझ को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सार्वजनिक निवेश व्यवस्था में शामिल करने में अक्षम रही है। जबकि यह भारत में सुरक्षित आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए अति आवश्यक है। हालांकि सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों सहित रेट्रोफिटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश की योजना में डी आर आर की लागत और लाभ विश्लेषण की स्थापना की है। स्थानीय सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत भविष्य के सभी निर्माणों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देने के लिए निर्देशित गया है। हितधारकों की क्षमता के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सुरक्षित संरचनाओं के लिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि शहर के विकास की योजनाओं में खतरे के सुरक्षा मानक सम्मिलित हों। उदाहरण के लिए

नेशनल बिल्डिंग कोड में आबादी के लिए सुरक्षित निवास के प्रावधान हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने चक्रवात भूकंप भूस्खलन और बाढ़ (एनपीआर 2015) के प्रभावों से संरचनाओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कोड तैयार किए हैं। फिर भी आपदा जोखिम को कम करने के लिए भारतीय रणनीतियाँ खतरों को नियंत्रित करने के उपायों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उदाहरण के लिए 2016 में तैयार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना आपदा जोखिम को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए एक ख़तरा -वार मैट्रिक्स प्रदान करती है। इसके लिए 11 अलग-अलग खतरों पर विचार किया गया है जिनमें: चक्रवात और पवन बाढ़ शहरी बाढ़, आग भूकंपीय सुनामी भू-स्खलन और हिमपात हिम-स्खलन शीत लहर और ठंढ रासायनिक और औद्योगिक आपदाएँ परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति शामिल हैं। प्रत्येक खतरे के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विशेष रूप से शमन उपायों के संबंध में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। प्रत्येक जिम्मेदारी मैट्रिक्स में कार्रवाई के लिए विषयों को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह डी आर आर के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क की कार्रवाई के लिए सभी प्राथमिकताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। प्रत्येक पहचाने गए खतरे के शमन उपायों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स में उप-विषय शामिल होते हैं जैसे कि जोखिम को समझना, अंतर समन्वय, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक डीआरआर उपायों में निवेश और शामिल हितधारकों की क्षमता विकास इत्यादि।

इसके अलावा उक्त विषय पर योजना आयोग के स्तावे जों में भी विचार किया गया है। ये योजना दस्तावेज व्यापक रूप से आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को विकास योजनाओं में डीआरआर

को एकीकृत करने के लिए उचित कानून नियम और कानून रखने के लिए निर्देशित करते रहे हैं। ये दस्तावेज़ अवसंरचनात्मक विकास प्रक्रियाओं में डी आर आर उपायों को एकीकृत करने के लिए आपदा जोखिम शासन को महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन इसके लिए एक परिचालन योजना प्रदान नहीं करते हैं।

दुर्भाग्यवश, भारत में तत्काल आवश्यकता के बावजूद डी आर आर पर मजबूत स्पष्ट नीति नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण विचार व्याख्याओं के लिए खुला है और इसलिए इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सतत विकास की दिशा में काम करने के लिए विकास परियोजनाओं में डी आर आर एकीकरण के महत्व को देखते हुए डी आर आर को समर्पित एक विशिष्ट नीति होनी चाहिए। इस नीति में प्रत्येक विकास परियोजना और इसके कार्यान्वयन के माध्यम से जोखिम में कमी के दृष्टिकोण को समावित करने के लिए सख्त प्रावधान हो सकते हैं। इस तरह की नीति को किसी भी विकास परियोजना का पूरे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार करने के लिए दृढ़ता से वकालत करनी चाहिए जिससे कि यह केवल परिसंपत्ति आधारित या क्षेत्र विशेष के दृष्टिकोण को अपनाने के बजाय सतत विकास का हिस्सा होगा। इसलिए, भारत में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास कार्यों तथा आधारभूत संरचनाओं की योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को समंन्वित कर इसे मजबूत करने की आवश्यकता है तथा इस पहलू को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

- ADPC (2011): RCC Guideline 3.2: Promoting Use of Disaster Risk Information in Land Use Planning. Available at https://www.preventionweb.net/files/24664 24664rccguideline 3.2landuseplanning.pdf (accessed on November, 2019).
- Andharia, J. (2018): The linkages between Infrastructure Development and Disasters in the context of SAARC Region with a Global Perspective, Abstract of a Lecture delivered at a Training Program on Mainstreaming Disaster Management in Infrastructure Sector" from 8-12 January.
- CRED (2019): Natural disasters in 2018. Available at www.cred.be (Accessed on November 15, 2019).
- Kumar et al. (2017): Food management-A Case Study of Chennai City Flood 2015, Department of Civil Engineering, IIMT College of Engineering, Greater Noida, Presented in the International Conference on Emerging Trends in Engineering, Technology, Science and Management.
- Ghosh, B. and De, P. (2014): How Do Different Categories of Infrastructure Affect Development? Evidence from Indian State, Economic and Political Weekly, October, PP: 4646
- Palliyagurua et.al. (2012): Impact of integrating disaster risk reduction philosophies into infrastructure reconstruction projects in Sri Lanka, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 18, Issue 5, pp 685-700.
- Ramachandraia, C. (2005): Hyderabad's Flood: Nature's Revenge, Economic and Political Weekly, Vol. 40, No. 38 (Sep. 17-23, 2005), pp. 4115-4116

नॉर्वे में कृषि

सुरेशचन्द्र शुक्ल
पता: 304-ए, बी जी-6, पश्चिम विहार
नयी दिल्ली - 110063
फोन न .8800516479

नार्वे में कृषि के बारे में जानने के पहले आइये नार्वे के बारे में जानते हैं जिससे वहाँ कृषि के बारे में जानने और समझने में आसानी होगी।

नार्वे भारत का अच्छा मित्र

नार्वे भारत का अच्छा मित्र भी है जिसने सन 1947 में जब भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था तब नार्वे ने सबसे पहले स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। भारत और नार्वे के बीच मजबूत मैत्री है। दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंध हैं।

विश्व के सबसे उत्तर में स्थित यूरोप महाद्वीप में बसे छोटे और सुंदर देश नार्वे का दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान है। नार्वे में अधिकतर कृषि गर्मियों के कुछ महीने ही होती है।

नार्वे के बारे में

नॉर्वे में कुल 385,207 वर्ग किलोमीटर (148,729 वर्ग मील) और 5,312,300 (अगस्त 2018 तक) की आबादी है। देश स्वीडन के साथ एक लंबी पूर्वी सीमा (1,619 किमी या 1,006 मील लंबी) साझा करता है। नॉर्वे की सीमा उत्तर-पूर्व में फिनलैंड और रूस से लगती है, और दक्षिण में स्केगरैक स्ट्रेट,

दूसरी तरफ डेनमार्क के साथ है। नॉर्वे के पास एक व्यापक समुद्र तट है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और बेरेंट्स सागर के बीच फैला हुआ है।

नार्वे में कृषि, पशु और मछली पालन

नॉर्वे में कृषि वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत है, और केवल 3 प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है. ठंडी जलवायु, पतली मिट्टी और पहाड़ी इलाके को देखते हुए, जो प्राकृतिक लगती है। अनाज केवल दक्षिण में उगाया जाता है जबकि पश्चिमी नॉर्वे में पशुधन बढ़ाने और डेयरी फार्मिंग है। 1998 में प्रमुख फसलें अनाज थीं - विशेष रूप से जौ, गेहूं और जई (1.3 मिलियन मीट्रिक टन का कुल उत्पादन) - और आलू (400,320 टन)। 1998 में, देश में 2.5 मिलियन भेड़, 998,400 मवेशी और 768,400 सूअर थे। नॉर्वे अभी भी एक प्रमुख मछली पालन वाला देश है और कई कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर है, लेकिन फल, सब्जियां और अधिकांश अनाज आयात किए जाते हैं। नार्वे की सरकार द्वारा कृषि और मछली पालन को बहुत अधिक संरक्षित किया जाता है।

भेड़

लगभग 42,000 कृषि जोत नार्वे, की आबादी को मांस, अंडे, दूध, नाज और सब्जियों की आपूर्ति करती है। निरंतर विकास में कृषि एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जहां नए उत्पादों और सेवाओं के लिए संभावना महान है।

भूमि संरक्षण

नॉर्वे में कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी कृषि भूमि है। इसलिए, उपलब्ध कृषि भूमि के बेहतर उपयोग के साथ उपजाऊ मिट्टी संरक्षण, खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी समय, मिट्टी की सुरक्षा को अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के तुलना में संतुलित होना चाहिए। भविष्य की नीतियाँ के लिए एक व्यापक मिट्टी संरक्षण रणनीति की आवश्यकता है।

उद्देश्य: घरेलू उत्पादन को बनाए रखना

घरेलू उत्पादन को बनाए रखना। नॉर्वे का एक राष्ट्रीय उद्देश्य है और मौजूदा बहुपक्षीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के भीतर, उन उत्पादों की राष्ट्रीय मांग को कवर करना है जो देश में स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र के कई सामाजिक उद्देश्य भी हैं। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कृषि को उपभोक्ता प्राथमिकताओं के मद्देनजर उच्च्व गुणवत्ता का सुरक्षित और सुपाच्य भोजन तैयार करना चाहिए और व्यवहार्य जिलों, पर्यावरण और सांस्कृतिक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला और लंबे समय तक खाद्य उत्पादन को सुरक्षित करने जैसे सार्वजनिक सामानों का उत्पादन करना चाहिए।

घरेलू मांग को पूरा करता है

नॉर्वेजियन कृषि मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों, सुअर के मांस, मुर्गी और अंडे की घरेलू मांग को पूरा करती है। नॉर्वे के किसान मांस की राष्ट्रीय मांग का 80-90 फीसदी उत्पादन करते हैं। अनाज और आलू का राष्ट्रीय बाजार हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है। सब्जियों और फलों की मांग का केवल 25 प्रतिशत नॉर्वे में उत्पादन किया जाता है।

उद्देश्यः घरेलू उत्पादन को बनाए रखना

घरेलू उत्पादन को बनाए रखने के लिए नॉर्वे का एक राष्ट्रीय उद्देश्य है और मौजूदा बहुपक्षीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के भीतर, उन उत्पादों की राष्ट्रीय मांग को पूरा करना है जो देश में स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र के कई सामाजिक उद्देश्य भी हैं।

पारिवारिक खेती: नॉर्वे में खाद्य उत्पादन की कुंजी

ऊँची पहाड़ियाँ, ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े, ठंडी सर्दियाँ और कम गर्मी के बीच खड़ी पहाड़ियों के साथ, नॉर्वे में देश भर में सक्रिय खेती होने की संभावना नहीं है। मुख्यतः पारिवारिक खेती की एक परंपरा है जो सदियों से जारी है।

अब तक, समाज और राजनेताओं ने राष्ट्रीय संसाधनों के आधार पर उच्चतम संभव राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में परिवार की खेती का समर्थन किया है। और किसानों ने मजबूत किसान-स्वामित्व वाली सहकारी समितियों का निर्माण और विकास करके बाजार तक पहुंच हासिल की है।

वानिकी भी पारिवारिक खेती

वानिकी भी पारिवारिक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि नॉर्वे में खेती किए गए जंगल का पर्याप्त अनुपात परिवार के स्वामित्व में है और अक्सर अन्य कृषि उत्पादन के साथ संयुक्त है। किसान परिवारों का केवल कुछ प्रतिशत ही पारंपरिक कृषि उत्पादन से पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम है। देश के अधिकांश हिस्सों में, खेती को पारंपरिक रूप से अन्य गतिविधियों जैसे मछली पालन और वन कटाई के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, परिवार खेत पर रहता है और ग्रामीण समुदायों में गतिविधि परन्तु अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है।

भूमि एक दुर्लभ संसाधन

नॉर्वे दक्षिणी भाग से उत्तरी केप में 2,500 किलोमीटर की दूरी पर 71 डिग्री उत्तर में स्थित है।

कृषि के लिए जलवायु और परिस्थितियाँ दक्षिण से उत्तर और फ़िरदौस से पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्देशीय क्षेत्रों में काफी भिन्न थीं। 5 मिलियन निवासियों की कुल जनसंख्या के साथ जनसंख्या घनत्व कम है। जनसंख्या का बढ़ता अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है।

नॉर्वे के कुल क्षेत्रफल का केवल 3 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, और इसका 30 प्रतिशत अनाज उत्पादन और सब्जियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। शेष क्षेत्र का उपयोग केवल घास उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, भेड़ और मवेशी गर्मी के दौरान पहाड़ों में चरते हैं।

नॉर्वे के कुल क्षेत्रफल का तीन प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है.

कृषि भूमि का पुनर्वितरण

कभी-कभी, कृषि भूमि का पुनर्वितरण अन्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, कम से कम 1.2 मिलियन एकड़ (1 एकड़ = 1,000 वर्ग मीटर) खेती योग्य भूमि और कृषि योग्य भूमि को अन्य वस्तुओं के लिए पुनर्वितरित किया गया है - औसतन प्रति वर्ष 19,000 एकड़।

पूरे इतिहास में बस विकास, औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए नई रेल पटरियों और सड़कों की आवश्यकता को **प्राथमिकता दिया जिसमें खेती की बहुत सी जमीन को उपयोग में लिये गया।** यह एक चुनौती है कि सबसे अच्छी खाद्य मिट्टी शहरी क्षेत्रों और शहरों के आसपास है, जहां जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी है।

चलन बदल गया है

हाल के वर्षों में, प्रवृत्ति उलट गई है। 2004 में, एक राष्ट्रीय भूमि संरक्षण लक्ष्य 2010 तक वार्षिक भूमि पुनर्वितरण को 50 प्रतिशत तक कम करना था। लक्ष्य यह था कि वार्षिक भूमि पुनर्वितरण 6,000 एकड़ (6 मिलियन वर्ग मीटर) से कम हो जाए।

सरकार ने एक राष्ट्रीय मुद्रा संरक्षण रणनीति अपनाई है, जिस पर स्टर्लिंग 08.12.2015 को विचार करेगा। निर्णय में, एक लक्ष्य निर्धारित किया कि खेती योग्य भूमि का वार्षिक पुनर्वितरण 4,000 एकड़ से कम होना चाहिए और सरकार से कहा कि लक्ष्य को धीरे-धीरे 2020 तक पहुंचा दिया जाए।

हाल के वर्षों में खेती योग्य भूमि का पुनर्वितरण लगभग 6,000 एकड़ किया गया है

बढ़ा हुआ दबाव

नॉर्वे में अपेक्षित जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर, जमीन की लड़ाई केवल बढ़ेगी।

ओस्लो यूरोप के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। पूर्वानुमान के अनुसार, राजधानी 2027 में 800,000 निवासियों को पारित करेगी, और 2040 में एक मिलियन।

ग्रामीण समुदाय और नॉर्वे के परिवार का भविष्य

खेतों में परिवार-आधारित स्वामित्व की नॉर्वे में एक बहुत लंबी परंपरा है, और वर्तमान कानून इस परंपरा को मजबूत कर रहा है। हालांकि, कुछ राजनीतिक दलों का लक्ष्य इसे बदलना है और कृषि संपत्तियों के लिए बाजार को उदार बनाना है।

इससे कंपनियों के लिए फार्म खरीदने के अवसर भी खुलेंगे और खरीदार के पास कम बांड होंगे। कानून में एक संभावित बदलाव का तुरंत बहुत मजबूत प्रभाव नहीं होगा, लेकिन एक लंबे परिप्रेक्ष्य में यह परिवार के खेत की संरचना को चुनौती दे सकता है, खासकर सबसे अच्छे कृषि क्षेत्रों में। अगला सवाल यह है कि क्या परिवार अपने छोटे पैमाने पर खेतों को चलाते रहेंगे? नॉर्वे में, किसानों की आय अन्य व्यवसायों और नौकरियों की तुलना में काफी कम है। युवा लोग अक्सर परिवार के खेत को संभालने और चलाने के बजाय एक और व्यवसाय करना पसंद करते हैं। इससे उत्तम क्षेत्रों में खेती की बड़ी इकाइयाँ और कम पक्ष वाले क्षेत्रों में खेती की जाने वाली खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह भी जरूरी है कि राष्ट्रीय संसाधनों के आधार पर खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए परिवार की खेती का समर्थन करना जरूरी है।

पारिवारिक खेती किसानों के सहयोग और बाजारों से आय बनाने की इच्छा और कौशल पर निर्भर करती है। लेकिन उपभोक्ताओं और समाज के लिए परिवार की संरचना पर आधारित खाद्य उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए पारिवारिक खेती को इसके रखरखाव और विकास के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी सहायता की आवश्यकता है।

कई ग्रामीण क्षेत्रों में, पारिवारिक किसानों द्वारा की जाने वाली कृषि गतिविधि अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक गतिविधि समुदाय की रीढ़ है। जहां जमीन है, वहां कृषि उत्पादन होना चाहिए। इसलिए किसान और उसका परिवार उस समुदाय से जुड़ी किसी भी अन्य गतिविधि से अधिक जुड़ा है जहाँ उसके खेत स्थित है।

किसान अपने उत्पादन और गतिविधि द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, लेकिन यह भी परोक्ष रूप से अपने व्यवसाय और निजी जीवन के लिए स्थानीय उद्योग और सेवाओं का उपयोग करता है। समुदाय में कई अन्य नौकरियां पारिवारिक खेतों पर निर्भर करती हैं। एक परिवार के किसान की गतिविधि दो से तीन और रोजगार पैदा करती है।

अपनी साधारण कृषि गतिविधि के अलावा, कई किसान खेत में और बाहर दोनों तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। यह समुदाय और निवासियों की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है।

योग शिक्षा का संप्रत्यय एवं विद्यार्थियों के तनावप्रबंधन में इसकी भूमिका

सूर्य प्रकाश गोंड[1] डॉ. आलोक गार्डिया[2]

'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्'

अर्थात् यह शरीर सभी धर्मों के पालन करने का साधन है। आधुनिक विज्ञान की प्रगति स्तुत्य है, परंतु इसमें वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी दृष्टिगोचर हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनेक अनुसंधानों के बाद भी असाध्य शारीरिक व्याधियाँ एवं मानसिक रोग तथा तनाव निरंतर बढ़ रहे हैं। तनाव आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है। आधुनिक शोध से ये पता चलता है कि करीब 75 प्रतिशत रोगों का कारण तनाव है (Global organization for stress, 2008)A' असामाजिक इच्छाएँ बलपूर्वक अवचेतन मन में दबा दी जाती हैं। यह दबाव ही कालांतर में मानसिक रोग एवं तनाव का कारण बनता है। साथ ही चिंता, डर, बेचैनी, अनिद्रा, आवेगों की अधिकता, काल्पनिक विचारों में खोए रहना स्मरण शक्ति की हीनता इत्यादि विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं।

औद्योगिकीकरण और आपा-धापी युक्त महानगरीय जीवन-शैली के कारण उत्पन्न तनाव, चिंता, नकारात्मक विचार जैसी चुनौतियों से निजात पाने का उत्तम उपाय शिक्षा है। शिक्षा विकास की धुरी है। बालक का सर्वांगीण विकास, उत्तम-शिक्षा पर आधारित है। तनाव, चिंता व संवेगात्मक

असंतुलन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु योग-शिक्षा का भारत सहित संपूर्ण विश्व में तीव्र गति से प्रसार हो रहा है।

इनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका के अनुसार सर्वप्रथम हंस सेली (Hans Selye,1979) ने तनाव (Stress) शब्द का प्रयोग किया। तनाव अकस्मात् रूप से आया एक भयावह परिवर्तन है। तनाव या प्रतिबल मानसिक, सांवेगिक और व्यावहारिक जीवन को असंतुलित करता है। तनाव अनेक रोगों का व्युत्पत्ति कारक है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं जिनका सामना वे प्रतिदिन करते हैं जो तनाव का मुख्य कारण बनता है यथा- विद्यार्थियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अपने बच्चों को लेकर माता-पिता की महत्त्वाकांक्षाएँ, एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, कम समय में अधिक से अधिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, परीक्षा में उत्तम अंक लाना, अनुत्तीर्ण होने का भय, अध्यापक के प्रतिकूल व्यवहार को लेकर तनाव ग्रस्त रहना। ऐसे बहुत से कारण हैं जो विद्यार्थियों को इस भयावह बीमारी की ओर अग्रसर करते हैं अतएव ये अनुचित आदतों के शिकार बन जाते हैं मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन इनकी दिनचर्या में सम्मिलित हो जाता है और अंत में ये आत्महत्या जैसे कदम का चयन करते हैं। करीब 45 प्रतिशत किशोर तनाव के बाद अवसाद में जाते हैं और दवाओं का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के पश्चात भी प्रायः यह देखा गया है कि युवा पीढ़ी मात्र फिटनेस और आकर्षक शरीर पर ध्यान दे रही है। योग प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता में विद्यमान है। इसका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्यक् विकास रहा है। इसका प्रभाव व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों और पहलुओं यथा- व्यक्तिगत, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक, मानसिक, व्यवहार संबंधी, नैतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों पर पड़ता है। योग

का अभ्यास यदि नियमित व व्यवस्थित रूप से किया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति का रूपांतरण एक सक्रिय व्यक्तित्व रूप से ओत-प्रोत होता है। इससे शांति, संतुष्टि, आत्म-नियंत्रण, रोगों की प्रतिकारक क्षमता प्राप्त होती है और समग्र स्वास्थ्य विकसित होता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है और मन रचनात्मक या सृजनात्मक कार्यों में संलग्न होता है।

योग एक अध्यात्म दर्शन तथा विज्ञान है। 'योग' शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता रहा है चिकित्सा-शास्त्र में विभिन्न औषधियों के मिश्रण को योग कहते हैं। ज्योतिषशास्त्र में विशेष ग्रह नक्षत्रों के समूह या मुहूर्त को योग कहते हैं जबकि गणित में विभिन्न अंकों को एक साथ जोड़ने को योग कहते हैं। इस संदर्भ में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम योग है।

युजिर् योगे धातु से निष्पन्न 'योग' शब्द 'मेल' अर्थवाचक है। तात्पर्य है कि आत्मा एवं परमात्मा के मेल या एकाकार को योग कहा गया है। पतंजलि योगसूत्र योग की स्थिति में पहुँचने के लिए प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृति आदि चित्तवृत्तियों के निरोध को आवश्यक माना गया है। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' वह व्यक्ति जो जीवन में स्वयं पूर्ण सुखी होना चाहता है अर्थात् तनाव से मुक्त होना चाहता है उन सबके लिए अष्टांग योग का पालन अनिवार्य है। क्योंकि योग जीवन में बदलाव के अनुसार अपने को समायोजित कराने की एक विद्या है। योग मुद्राए, आसन, प्राणायाम, प्रार्थना तथा उनका प्रभाव प्राणकोश, भावनाकोश, मनोमयकोश को स्वस्थ करने में योग सहायक है। जब मानव बाल्यावस्था में होता है तो स्कूल का तनाव, खेलने का तनाव, गृहकार्य करने का तनाव रहता है। किशोरावस्था में अध्ययन का तनाव रहता है, प्रौढ़ हो जाने पर रोजगार का तनाव तथा वृद्धावस्था में बीमारियों का तनाव घेरे रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य हर समय

तनाव से गुजर रहा है। यौगिक क्रियाओं से शरीर एवं मन में हो रहे तनाव को कम किया जा सकता है

योग की परिभाषा

योग के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के अनंतर योग की परिभाषा को यहाँ उल्लिखित किया जा रहा है। विभिन्न ग्रंथों में 'योग' को परिभाषित करते हुए कहा गया है-

योगः कर्मसु कौशलम्। (श्रीमद्भगवद्गीता 2/50)

योग के अभ्यास से कर्मों में कुशलता आती है। योग शिक्षा में आहार-विहार के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है-

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।।

(श्रीमद्भगवद्गीता1/17)

योग शब्द का तात्पर्य साधन और साध्य दोनों है। योग अर्थात् जोड़ना अथवा युक्त करना, समाहित अथवा एकाग्र होना। ऋग्वेद के एक मंत्र में-

यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन।

स धीनां योगमिन्वति।। (ऋग्वेद1/18/7)

यजुर्वेद के एक मंत्र में ऋषि देवता की स्तुति द्वारा प्रार्थना करता है हमारे मन, बुद्धि को सविता देवता से युक्त करें-

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः।

अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याऽभरत्।। (यजुर्वेद, 11/1)

योग की ऋषि परंपरा- 'योग' को व्यवस्थित रूप से सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने परिभाषित किया। योग की ऋषि परंपरांतर्गत- महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड, महर्षि वशिष्ठ, आत्माराम का नाम आता है। इनके सिद्धांतो का संक्षिप्त विवेचन क्रमवार उपस्थापित है-

महर्षि पतंजलि- महर्षि पतंजलि ने पातंजलयोगदर्शन में योग को परिभाषित करते हुए सूत्ररूप में कहते हैं- 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। (योगदर्शन 1/2) चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि ने योग के आठ अंग बतलाए हैं-

यमनियमाऽसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि।

(योगसूत्र, 2/29)

इन आठ अंगों में प्रथम पाँच यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग हैं। इनका संबंध बाहरी क्रियाओं से रहता है। शेष तीन-धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग हैं। इनका संबंध अंतःकरण से होता है। इन तीनों को महर्षि पतंजलि ने 'संयम' भी कहा है- त्रयमेकत्र संयमः (योगसूत्र, 3/4)

महर्षि घेरंड- योगाचार्यों की परंपरा में घेरंड ऋषि अत्यंत प्राचीन हैं। इन्होंने अपने शिष्य राजा चंडकपालि के योग संबंधी जिज्ञासाओं की शांति हेतु तथा तत्त्व ज्ञान का उपाय 'घटस्थ योग' (घेरंड संहिता 1/2) 'घट' का तात्पर्य है 'शरीर और इस शरीर को 'योग' रूपी अग्नि में पकाने पर तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। घेरंड मुनि द्वारा प्रणीत घेरंड संहिता में यह योग हठयोग की श्रेणी में

आता है। तत्त्वज्ञान हेतु ऋषि ने सप्त साधनों जैसे –शोधन, दृढ़ता, धैर्य, स्थैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता की चर्चा अपने ग्रंथ में की है।

शोधनं दृढ़ता, सप्त साधनम्। (घेरंड संहिता 1/9)

घेरंड ऋषि ने पतंजलि के अष्टांग योग को आधार लेकर सात साधनों को इस प्रकार बतलाया है-

शोधनम् – इसका अर्थ है- शुद्धीकरण। शरीर और मन को विकारों से शुद्ध करना।

(क) दृढ़ता- घेरंड ऋषि ने दृढ़ता का तात्पर्य बतलाते हुए कहा-लक्ष्य के लिए संकल्प को धारण करना और दृढ़ता से उस पर अडिग रहना।

(ख) स्थैर्यम् – इसका अर्थ स्थिरता से है। इसमें शारीरिक स्थिरता को प्राप्त करना है क्योंकि यदि शरीर स्थिर नहीं रहेगा तो मन को एकाग्र नहीं होने देगा। अतः शरीर की स्थिरता आवश्यक है।

(ग) धैर्यम् – इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति परिस्थितियों से अप्रभावित रहे, अपना धैर्य नहीं खोए, उद्विग्न न हो, अपनी सहन शक्ति का ह्रास नहीं होने दे।

(घ) लाघवम् – इसका तात्पर्य है- हल्कापन। शरीर भारी, चर्बीयुक्त न हो क्योंकि ऐसा शरीर योग के लिए उपयुक्त नहीं होता है।

(ङ) प्रत्यक्षम् - यहाँ पर प्रत्यक्ष का तात्पर्य-ग्रहणशीलता से है। जितने सूक्ष्म या आन्तरिक अनुभव होते हैं उन्हें मन की दृष्टि से स्पष्ट रखना।

(च) **निर्लिप्तम् –** इसका अर्थ है मन की अनासक्त अवस्था, मन का विषयवस्तु में लिप्त नहीं होना। इन सात गुणों के समावेश के लिए सात प्रकार के योगाभ्यास हैं-

गुण		**योगाभ्यास**
शोधनम्	⟶	षट्कर्म से
दृढ़ता	⟶	आसन से
स्थिरता	⟶	मुद्राओं से
धैर्य	⟶	प्रत्याहार से
लाघव	⟶	प्राणायाम से
प्रत्यक्ष	⟶	ध्यान से
निर्लिप्तता	⟶	समाधि से

महर्षि वशिष्ठ- इनके द्वारा रचित ग्रंथ 'योग वशिष्ठ' है इनके अनुसार– आत्मानुभूति हेतु मन को स्थिर करके किसी भी स्थान पर तीन अभ्यास-तत्त्व का अभ्यास, प्राण की गति का निरोध, मन का निग्रह करने का कथन किया। वैराग्य का अर्थ है- वासनाओं का त्याग न कि गृह त्याग करना। इन्होंने अपने ग्रंथ में उल्लिखित किया है कि शरीर के पृष्ठ भाग में 32 हड्डियाँ, दोनों ओर नाड़ियों की संख्या 72 हजार, जिनमें 14 नाड़ियों का उल्लेख है, इनमें से प्रमुख रूप से तीन इडा, पिंगला, सुषुम्ना का कार्य और स्थान उल्लिखित है। वशिष्ठ ने शरीर के 18 मर्म स्थान बतलाए हैं- पदांगुष्ठ, दोनों घुट्ठी,

पिंडिकमध्य, जानुमूल, जानु, उरुमध्य, पायुमूल, देहमध्य, लिंग, नाभि, हृदय मध्य, कंठकूप, जिह्वामूल नासामूल, नेत्रप्रदेश, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र।

इनके अनुसार 'यम' 10 प्रकार के हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। 'नियम' भी 10 प्रकार के हैं- तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर, पूजा, सिद्धांत श्रवण, संकोच, मति, जप और व्रत हैं।

इन्होंने प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शुद्धि को बताया है। दो प्रकार के कुंभक, प्राणायाम के अन्तर्गत बताया रेचक पूरक के साथ किया गया कुंभक सहित तथा रेचक पूरक के बिना किया गया कुंभक केवल कुंभक।

योगी स्वात्माराम- इनके द्वारा रचित ग्रंथ- 'हठप्रदीपिका' है जो जन-सामान्य, गृहस्थों के समझने, ग्रहण करने में अत्यंत सरल है। इनके द्वारा कथित है- हठयोग और राजयोग दो अलग-अलग मार्ग नहीं है दोनों की चरम परिणति राजयोग (समाधि) होती है। हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग अपूर्ण है। (हठप्रदीपिका, 2/76) स्वात्माराम के अनुसार श्री आदिनाथ (भगवान शिव) हठयोग परम्परा के आदि आचार्य हैं। इन्होंने हठप्रदीपिका में हठयोगियों की गणना करते समय मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ का नाम सर्वप्रथम बड़े आदर के साथ लिया। (हठप्रदीपिका, 1/2-4) हठयोग का अर्थ- 'ह' का अर्थ 'सूर्य 'ठ' का अर्थ 'चंद्र' और दोनों का योग 'हठयोग' कहलाता है। हठयोग का प्रथम अंग 'आसन' है।

योग की विधियाँ

योग साधना के मुख्य रूप में दो भेद हैं- राजयोग और हठयोग। आचार्यों ने राजयोग के चार उपभेद बतलाए हैं- ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग,

ध्यानयोग। महर्षि पतंजलि तथा अन्य प्राचीन आचार्यों द्वारा उल्लिखित योग के भेद हैं- क्रियायोग, समाधियोग, मंत्रयोग, जपयोग, लययोग, मार्कडेय ऋषि द्वारा प्रतिपादित हठयोग, कुलकुंडिलीयोग, अकुलकुंडिलिनीयोग, वाग्योग, शब्दयोग, अस्पर्शयोग, साहसयोग, शून्ययोग, श्रद्धायोग, भक्तियोग, प्रेमयोग, प्रपत्ति (शरणागति) योग, निष्काम कर्मयोग, अभ्यासयोग, ध्यानयोग, सांख्ययोग, ज्ञानयोग, राजयोग, राजाधिराजयोग, महायोग, पूर्णयोग।

राजयोग

इसका अर्थ है- 'योगानां राजा राजयोगः' यह योग साधना की सर्वोच्च विधि है। यहाँ कथित 'राजा' शब्द का अर्थ सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट है। राजयोग शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इसका अर्थ राजाओं का योग अथवा राजाओं की प्रतिपादित योगसाधना से है। इस योग में शरीर को घोर कष्ट देना या यंत्रणा देना वर्जित है।

ज्ञानयोग

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्यायों में ज्ञानयोग की साधना-विधि को 'ज्ञानयोग' कहा गया है। सांख्यदर्शनानुसार बुद्धिजीवियों, तत्त्वज्ञों, शैक्षिक जनों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ज्ञानयोग में संबंधीत बिंदु हैं-

1. आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी है।
2. जन्म, मृत्यु का चक्र ऐसा है जैसा कि पुराने वस्त्र का त्यागकर नये वस्त्र को धारण करना।
3. प्रत्येक शरीर का नाश होना निश्चित है तथा पुनर्जन्म होता है।
4. सुख-दुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय द्वन्द्वों में समभाव दृष्टि रखना।

5. कर्मों का फल मिलना निश्चित है।

6. शुद्ध चित्त से, राग-द्वेष से रहित, काम-क्रोधादि विषयों से विरक्त रहते हुए निरंतर परमात्मा का चिंतन करने से उनकी प्राप्ति संभव है।

कर्मयोग

श्रीमद्भगवद्गीता में विस्तार के साथ कर्मयोग का वर्णन है। मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान दे। उसे बिना फल की इच्छा से निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि उसका अधिकार कर्म करने में है न कि फल की इच्छा में।

भक्तियोग

श्रीमद्भगवद्गीता में भक्तियोग की विस्तृत व्याख्या है। इसमें परमात्मा की भक्ति द्वारा योग प्राप्ति संभव है। इसमें, भक्त परमात्मा में स्वयं को समर्पित कर देता है। सुख-दु:ख आदि द्वंद्वों से रहित होकर निरंतर शुद्ध चित्त होकर भजन-कीर्तन, जप-तप और प्रभु-स्मरण करता है, यही भक्तियोग है। बौद्धिक काम करने वाले विद्वानों और ज्ञानियों के लिए ज्ञानमार्ग सामान्य मनुष्यों, श्रमजीवियों के लिए कर्मयोग तथा भक्ति में रुचि रखने वालों के लिए भक्तियोग है।

ध्यानयोग

यह योग की अंतरंग विधा है। धारणा में मन की एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। इसी की अग्रिम कड़ी 'ध्यान' है। ध्यान स्थिति में मन को आत्मतत्त्व में केंद्रित किया जाता है। मन को निर्विषय करते हुए आत्मतत्व का मनन-चिंतन करना ही ध्यानयोग है। योगदर्शन के सूत्रों में भी ध्यान की महत्ता

को प्रतिपादित करते हुए अपने अभीष्ट किसी भी देव के ध्यान से मन को एकाग्र करने पर मन की स्थूल वृत्तियों का नाश हो जाता है।

हठयोग

यह योगसाधना की विशिष्ट पद्धति है। इसे राजयोग का पूरक या सहायक भी कहा गया है। हठयोग में शारीरिक पुष्टि, शारीरिक उन्नति, अंग-प्रत्यंगों की दृढ़ता, नाड़ी-संस्थान पर अधिकार आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न आसनों और प्राणायामों की सहायता ली जाती है। इस योग साधना में आसन, प्राणायाम, षट्कर्म का विशेष महत्त्व होता है। हठप्रदीपिका में हठयोग की साधना के लाभ बतलाए गए हैं- शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता तथा कांति, स्वर में मधुरता, नेत्रों में तेजस्विता, आरोग्यता, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, नाड़ी की शुद्धि।

विद्यार्थियों के तनाव-प्रबंधन में योग की भूमिका

व्यक्ति दिन-प्रतिदिन की जिंदगी में होने वाले तनावों को दूर करने के लिए तरह-तरह के उपायों को अपनाता है। परंतु ऐसे उपाय कई कारणों से सफल नहीं हो पाते। इसका प्रमुख कारण प्रतिबल या तनाव की गंभीरता या उसकी नवीनता है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने तनाव प्रबंधन की कुछ प्रविधियों की ओर ध्यान दिया कि यह तनाव प्रबंधन क्या है। तनाव प्रबंधन से तात्पर्य एक ऐसे कार्यक्रम से होता है जिसमें लोगों को तनाव के स्रोतों से अवगत कराते हुए उनसे निबटने के आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपायों के विषय में शिक्षा दी जाती है।

मनुष्य प्रतिदिन अनेकानेक तनावों से निरंतर संघर्ष करता रहता है और तनावों से दूर रहने के लिए अनेक उपायों को अपनाता है। इनमें वह कभी

सफल होता तो कभी उसे असफलता प्राप्त होती है। ''स्वास्थ्य मनोवेज्ञानिकों'' ने तनाव प्रबंधन की कुछ प्रविधियों की ओर ध्यान दिया है। तनाव प्रबंधन की मुख्य तीन अवस्थाए हैं-

1. पहली अवस्था में तनाव प्रबंधन में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति यह सीखते हैं कि तनाव क्या होता है।
2. दूसरी अवस्था में वे तनाव को दूर करने या कम करने के कौशलों को सीखते हैं तथा उनका इस कार्य में अभ्यास भी कराया जाता है।
3. अंतिम अवस्था में लक्षित तनावपूर्ण परिस्थितियों में वे तनाव प्रबंधन प्रविधियों का अभ्यास करते हैं तथा उनकी प्रभावशीलता को मॉनीटर करते हैं।

लेहरेर एवं ऊलफोल्क (Lehrer & Woll folk, 1993) के अनुसार तनाव प्रबंधन की प्रमुख दो विधियाँ हैं-

वैयक्तिक उपागम- इसमें व्यक्ति विशेष पर कार्य किया जाता है दूसरा है- पर्यावरणीय परिवर्तन उपागम।

एन.सी.ई.आर.टी. ने तनाव प्रबंधन में यौगिक क्रियाओं को मुख्य माना है। यौगिक अभ्यास शरीर और मन को सशक्त बनाने व विश्राम देने में सहायता पहुँचाते हैं। तनाव प्रबंधन हेतु चक्रीय ध्यान-योग के तीन आधारभूत सिद्धांत हैं- समस्त मांसपेशी समूहों को विश्रांति प्रदान करना, श्वास की गति को धीमा करना और मन को शांत करना।

औद्योगिकीकरण और आपा-धापी युक्त महानगरीय जीवन-शैली के कारण उत्पन्न तनाव, चिंता, नकारात्मक विचार जैसी चुनौतियों से निजात

पाने का उत्तम उपाय शिक्षा है। शिक्षा विकास की धुरी है। बालक का सर्वांगीण विकास, उत्तम-शिक्षा पर आधारित है। तनाव, चिंता व संवेगात्मक असंतुलन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु 'योग-शिक्षा' का भारत सहित संपूर्ण विश्व में तीव्र गति से प्रसार हो रहा है।

वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं जिनका सामना वे प्रतिदिन करते हैं, जो तनाव का मुख्य कारण बनती हैं यथा- विद्यार्थियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अपने बच्चों को लेकर माता-पिता की महत्त्वाकांक्षाएँ, एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, कम समय में अधिक से अधिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, परीक्षा में उत्तम अंक लाना, अनुत्तीर्ण होने का भय, अध्यापक के प्रतिकूल व्यवहार को लेकर तनाव ग्रस्त रहना। ऐसे बहुत से कारण हैं जो विद्यार्थियों को इस भयावह बीमारी की ओर अग्रसर करते हैं अतएव ये अनुचित आदतों के शिकार बन जाते हैं मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन इनकी दिनचर्या में सम्मिलित हो जाता है और अंत में ये आत्महत्या जैसे कदम का चयन करते हैं। करीब 45 प्रतिशत किशोर तनाव बाद में अवसाद में जाते है और दवाओं का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के पश्चात् भी प्रायः यह देखा गया है कि युवा पीढ़ी मात्र फिटनेस और आकर्षक शरीर पर ध्यान दे रही है। योग प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता में विद्यमान है। इसका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्यक् विकास रहा है। इसका प्रभाव व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों और पहलुओं यथा- व्यक्तिगत, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक, मानसिक, व्यवहार संबंधी, नैतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों पर पड़ता है। योग का अभ्यास यदि नियमित व व्यवस्थित रूप से किया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति का रूपांतरण एक सक्रिय व्यक्तित्व रूप से ओत-प्रोत होता है। इससे

शांति, संतुष्टि, आत्म-नियंत्रण, रोगों की प्रतिकारक क्षमता प्राप्त होती है और समग्र स्वास्थ्य विकसित होता है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है और मन रचनात्मक या सृजनात्मक कार्यों में संलग्न होता है।

तनाव आधुनिक युग का अभिशाप है। इसका प्रसरण धीमे जहर एवं दीमक की तरह है जो अंदर-ही-अंदर शरीर एवं मन को खोखला कर देती है। भाग-दौड़ एवं कठिन प्रतियोगिता पूर्ण जीवन शैली का शरीर एवं मन पर इतना दबाव पड़ता है कि हार्मोन्स एवं जैव रसायन का संतुलन अव्यस्थित हो जाता है, फलस्वरूप मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है। योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से शरीर बाह्य एवं आंतरिक शरीर में हो रहे इन रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करके सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है।

विद्यार्थियों में योग के लाभ –

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। योग से विद्यार्थियों के व्यवहार तथा व्यक्तित्व में निम्न परिवर्तन होते हैं।

- योग से शारीरिक शक्ति बढ़ती है तथा शरीर स्वस्थ्य एवं निरोग रहता है।
- योग के क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने से विद्यार्थियों के नेतृत्व क्षमता में विकास होता है।
- योग विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाती है।

- योग से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आती है।
- योग से विद्यार्थियों के अंदर चिड़चिड़ापन तथा क्रोध दूर होता है और वह प्रसन्नचित रहता है।
- योग से निर्णयों पर दृढ़तापूर्वक अमल करने की शक्ति आती है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है। चिंता, डर जैसी मानसिक बीमारियाँ दूर हो जाती है।
- योग से दिन प्रतिदिन के कार्यों में मन लगता है। ईर्ष्या, द्वेष, पश्चाताप, ग्लानी, अपराध बोध जैसी भावनाओं से मुक्ति मिलती है। तथा आलस्य दूर हो जाता है।
- योग से विद्यार्थियों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। तथा सकारात्मक मानवीय मूल्य विकसित होते हैं।

सूर्यनमस्कार में 12 चक्र होते हैं तथा प्रत्येक चक्र का प्रभाव बालक पर सकारात्मक रूप में होता है। ये 12 चक्र हैं-

नमनासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालन, पर्वतासन, अश्टांग-

नमनासन, भुजंगासन इन सात क्रियाओं के अनंतर पुनः पर्वतासन, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, नमनासन द्वारा 12 चक्र पूर्ण होता है।

सूर्यनमस्कार के चक्र द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं-

- पादहस्तासन द्वारा मेरुदंड एवं घुटनों के पीछे की मांसपेशियां लचीली हो जाती है।
- अश्वसंचालन आसन द्वारा विद्यार्थियों में शारीरिक संतुलन, एकाग्रता तथा सहनशीलता की वृद्धि होती है।
- नियमित सूर्यनमस्कार से बालक में शक्ति-सामर्थ्य, ऊर्जा, रक्त-संचार, सुचारू रूप से चलायमान रहता है।
- यह विद्यार्थियों की लंम्बाई बढ़ाने मे सहायक सिद्ध होता है।

सूर्यनमस्कार के अनंतर भी बहुत से विद्यार्थियों के लिये योगासन हैं-

योग से विद्यार्थियों के अभ्यास शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से सकारात्मक रूप में होता है। वृक्षासन से विद्यार्थी में एकाग्रता की वृद्धि होती हैं। यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है। पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उत्कटासन से जंघा एवं पिंडलियों की मांसपेशियाँ सुदृढ़ होते हैं। व्रजासन के द्वारा दीर्घ अवधि तक सीधे बैठे रहने का अभ्यास हो जाता है। यह श्वसन-क्रिया को संतुलित करती है। यह आसन प्राणायाम तथा ध्यान जैसे सूक्ष्मतम योगासनों हेतु प्रारंभिक अवस्था तैयार करता है। मकरासन शरीर एवं मन दोनों को आराम प्रदान करता है, चिंता तथा तनाव को कम करता हैश्वास संबंधी अंगों के साथ-साथ पाचन अंगों को भी स्वस्थ बनाता है। संपूर्ण शरीर के रक्त-संचरण की क्रिया को उत्तम बनाता है। चक्रासन पाचन क्रिया में सुधार लाता है, उदर की मांसपेशियों को पुष्ट करता है तथा शरीर की चर्बी को कम करता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है और हाथ-पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। भुजंगासन से पृष्ठीय मेरुदंड लचीला होता है तथा सुदृढ़ बनता है। शलभासन से पीठ का दर्द कभी उत्पन्न

नहीं होता, पीठ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, बालक फुर्तीलापन अनुभव करता है। हलासन से पीठ की मांसपेशियाँ, मेरुदंड लचीला होता है तथा थायरायड ग्रंथि को क्रियाशील बनाकर गर्दन में रक्त प्रभाव को बढ़ाता है। इन उपर्युक्त आसनों से विद्यार्थी की शारीरिक एंव मानसिक क्रियाशीलता, कुशलता अथवा दक्षता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इन आसनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे विद्यार्थी की ध्यान अथवा स्मरण-शक्ति या मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, ये आसन श्वास संबंधी विभिन्न प्राणायाम है। नाड़ी-शुद्धि प्राणायाम है, यह मानसिक शांति, एकाग्रता, तथा चिंतन-मन प्रक्रिया में स्पष्टता लाता है, यह प्राण ऊर्जा के प्रवाह में आये हुये अवरोध को समाप्त कर देता है। यह इड़ा तथा पिंगला नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित कर सुशुम्ना नाड़ी के प्रवाह में वृद्धि लाता है जिससे ध्यान एवं आध्यात्मिक जागरूगता उत्पन्न होती है। शीतली प्राणायाम तथा शीतकारी या सीत्कारी प्राणायाम द्वारा शीतलता की अनुभूति होती है, मुख की स्वाद ग्रंथियों की ग्राह्यता, प्यास की अनुभूति को तुष्टि होती है तथा तनाव एवं दबाव को समाप्त कर मानसिक शांति प्रदान करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से तनाव एवं विषाद नष्ट हो जाता है। क्रोध, चिंता, अनिद्रा, रक्तचाप में अल्पता लाता है। तनाव एवं क्लेशों से विद्यार्थी में जो मनोविकार उत्पन्न हो जाता है वह भ्रामरी प्राणायाम इन मनोविकारों को नष्ट कर देता है।

इस प्रकार से ये सभी आसन मन एवं शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं। इन आसनों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के सभी प्रकार विकारों को समाप्त कर उनके शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिक स्थितियों उचित सामंजस्य स्थापित कर उन्हें सुखानुभूति तथा स्थिरता प्रदान करता है। इन आसनों का संबंध विद्यार्थी के शरीर से ही नहीं अपितु मनोशारीरिक रूप से है। ये सभी

आसान विद्यार्थी को उसकी क्षमता, रुचि एवं सहज रूप से सिखाना चाहिए न कि विद्यार्थी को इन आसनों से किसी प्रकार की थकावट हो।

संदर्भ

- Atmananda, A. (2006). *Yog Sadhe Rog Bhage*. Delhi: Manoj Publication.
- Baswardih, E. V., & Pathak, S. P. (2011*). Hath Yog ke Adhar Aur Prayog*. New Delhi: Morarji Desai National Institute of Yoga.
- Bhatia, R. K., & Premlata. (2005). Effect of Selected Yogic Exercises on Balance and Perception of College Level Players. *Journal of Sports and Sports Sciences,* 28, 16-19
- Bhadrasen, A. (2008). *Yog aur Swasthaya*. Delhi: Vijay kumar Govindram Hasananda.
- Chajjer, B. (2014). *Stress Management Guide*. New Delhi. Fayujan Books.
- Chandra, V. (June2016 & 2019*). Yojna*. New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting.
- Dagar. B. S. (2012). *Shiksha Tatha Manav- Mulaya*. Panchkula: Harayana Granth Academy.
- Dvivedi, K. (2012). *Yog Aur Aarogay (SadhnaAurshidhi)*. Varanasi: Vishawvidhalay Prakashan.
- Dviwedi, K. D. (2015). *Psychology in the Vedas*. Gyanpur: Vishva Bharti Anusandhan Parishad.

- Chaturvedi, B. K. (2000). *Vishnu Puran. New*. Delhi: Diamond Book.
- Garg, K. K. (2014). *DhyanKriyaye*. Delhi: Manoj Publication.
- Jain, A. (2012). *Tanav Se Mukti*. Jaipur: Rajasthan Prakashan.
- Jain, V. K. (2005). *Yogasan Aur Swasthay*. Delhi: New Sadhna Pocket Books.
- Kumar, A. (2005). *Advanced General Psychology*. Delhi: Motilal Banarasidas.
- Kumar, S. (2010). *Yogsarsangrah*. Delhi: Bharti Vidhya Prakashan.
- Mahrshi Patanjali, (2011). *Yog Darshan*. Bareli: Dr. Chaman Lal Gautam Sanskrit Sansthan.
- Marvah, S. S. (2014). *Sharirik Aum Mansik Tanav*. New Delhi: Pusatak Mahal.
- Niranjanananda, S. S. (2011). *Gheranda Samhita*. Munger: Yoga Publiction Trust.
- Saksena, V.B. (1996). *Health Management*. Jaipur: Rajasthan Hindi Granth Academy.
- Sarsawati, S.S. (2013). *Yog Nindra:* Munger: Yog Publication Trust.
- Sarsawati, S. S. (2013). *Surya Namskar*. Munger: Yog Publication Trust.
- Shivanand, (2013). *Tanava se Mukti Aur Dhyandeep*. Varanasi: SarvSeva Sanghthan.

- Singh, M. (2006). *Yog aur Pranayam ka Rahsya*. Varanasi: Chaukhamba, Vidhyabhawan.
- Singh. R. H. (2011). *Yog Avam Yogic Chikitsa*. Delhi: Chaukhamba Sanskrit Prtisthan.
- Shrimad Bhagvadgita. (1995). Gorakhpur, Gita Press.
- Swami Premeshanand, (2015*). Patanjli Yogsutra*. Kolkota: Adawet Asharam.
- Swami Muktibodhananda, S. (2010). Hatha Yoga Pradipika. Munger: Bihar School of Yoga.

जीवनशैली पर नृत्य का प्रभाव: मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

सुरुचि भाटिया*
गीतिका आर पिल्लई**
*सहायक प्राध्यापक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय
**पूर्व छात्रा श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय

सार

नृत्य वह प्रभावी कला है जिसके द्वारा बच्चों, बड़ों यहाँ तक की दिव्यांग लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। नृत्य जीवन में अनेक प्रकार से लाभप्रद है, जैसे कि कौशल अर्जन, संचार प्रक्रिया, सामाजिक समन्वय, व्यक्तित्व निखार तथा आध्यात्मिक स्वावलंबन।

परिचय

नृत्य भिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं के द्वारा प्रदर्शन करने की एक कला है। उसमे कर्ता एवं दर्शक दोनों को एक असीम आनंद एवं शांति का अहसास होता है जिसके द्वारा आप अपने आप को जीवन मे हो रहे उतार-चढ़ाव से कुछ समय के लिए अलग कर पाते हैं।

नृत्य के लाभ

नृत्य के हमारे जीवन मे अनेकानेक लाभ हैं। चाहे वह शास्त्रीय नृत्य, पश्चिमी नृत्य, लोक नृत्य, या सिनेमाजगत का नृत्य हो। नृत्य देखने से व्यक्ति में एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे, वह उसमें इस प्रकार से खो जाता है कि अपनी समस्त समस्याओं को भूल जाता है। नृत्य असीम आनंद प्रदान करता है। नृत्य के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव होते हैं जैसे कि उससे रक्त

के संचार में सुधार होता है। इससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक नियंत्रण बेहतर होता है, हमारा संज्ञानात्मक कौशल भी निखरकर आता है। आगे इसका विस्तार रूप से विश्लेषण किया गया है।

भावात्मक लाभ

नृत्य परोक्ष मे छिपे भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इस लयबद्ध माध्यम से एक अनूठी शांति का अहसास होता है। इसके द्वारा जीवन की समस्याओं को भूल कर हम उसमे पूर्ण रूप से खो जाते है। इस रचनात्मक अभिव्यक्ति से हमें एक स्फूर्ति का अहसास होता है जो हमें जीवन को सबल रूप से जीने के लिए उत्साहित करती है। नृत्य आलौकिक आनंद प्रदान करता है, और जीवन की समस्याओं से हमारा ध्यान हटाकर उन्हे एक भिन्न रूप से देखने का नज़रिया देता है। अकान्दरे एवं डेमीर (2011) द्वारा यह पाया गया है कि नृत्य बच्चों और बड़ों की संज्ञानात्मक क्षमता, भावात्मक क्षमता एवं शौक्षिक क्षमता बढ़ाने मे योगदान करता हैं।

शारीरिक लाभ

नृत्य के कई शारीरिक लाभ हैं। यह शारीरिक संरचना एवं शारीरिक तकलीफों को दूर करने में सहायक होता हैं। नृत्य शरीर में लचीलापन प्रदान करता है, जिसके द्वारा हमें आधुनिक जीवनशैली से होने वाली कई व्याधियों जैसे मोटापा, घुटनों एवं हड्डियों की तकलीफों, सुस्त जीवनशैली आदि से निजात मिलती है। नृत्य से शरीर में कैल्सीयम का सही समावेश हो पाता है और अंततः हमें कई बीमारियों का सामना करने का सामर्थ्य मिलता है। बुरखादत तथा ब्रेनन (2012) द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि नृत्य का शरीर के संचार प्रकरण एवं हड्डियों पर अच्छा असर होता है। आगे

उन्होंने यह भी बताया कि नृत्य से मोटापा घटता है। नृत्य शरीर के तनाव को दूर करने में मदद करता है, चूंकि नृत्य से भिन्न मांसपेशियों में रक्त का सही संचार होता है, फलस्वरूप मांसपेशियों को ऊर्जा एवं आराम का अहसास होता है। नृत्य से शरीर के आंतरिक बल में भी वृद्धि होती है जिससे लोग कई बीमारियों से बच जाते हैं। इससे शरीर मे एक हलकेपन का अहसास होता है, और जीवन मे सक्रियता बनी रहती है। सोरेस कोस्टा डे मेंड़ोंका एवं अन्य द्वारा (2015) में किए गए एक शोध से यह पता चलता है कि नृत्य का बाहरी शारीरिक बनावट पर सकारात्मक असर होता है।

मनोवैज्ञानिक लाभ

आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाने में नृत्य का महत्वपूर्ण योगदान है। नृर्तक को मंच पर जाकर सभाग्रह में उपस्थित दर्शक गणों के समकक्ष अपनी कला को प्रस्तुत करना होता है। जो उसमें एक आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान लाने में सहायक होता है। नृत्य आत्मग्लानि घटाने में भी कार्य करता है। नृत्य से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति सब कुछ भूलकर उसमे लीन हो जाता है। नृत्य व्यक्ति को अपने भाव प्रकट करने में सहायक होता है। जिन बातों एवं भावों को कई बार हम शब्दों मे नहीं व्यक्त कर पाते, उन्हे नृत्य के द्वारा सरलता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। नृत्य एकाग्रता एवं ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। इससे बच्चों को पढ़ने, बड़ों को अपना कार्य सक्षम रूप से करने में मदद मिलती है। इससे व्यक्ति की चेतना में भी सुधार होता है, जो उसे चिंता, निराशा, अकेलेपन, एवं उदासीनता जैसे मनोवैज्ञानिक अवसादों से दूर करने में सहायक होती है। अकान्दरे एवं डेमीर (2011) के अनुसार 20-24 वर्ष की आयु के लोगों पर नृत्य का उपचार के रूप मे प्रयोग किए जाने पर उदासीनता, अकेलापन, व्यग्रता

आदि पर सकारात्मक असर पाया गया। हैसकल एवं अन्य (2007) के द्वारा किए गए शोध से यह ज्ञात होता है कि नृत्य का दीर्घकालिक बीमारियों एवं कल्याणकारी सेहत पर सकारात्मक असर होता है। नृत्य व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि नृत्य के लिए एक अच्छी स्मृति, सुर, ताल एवं लय के ज्ञान और उनके सही प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इन प्रक्रियायों का सही तालमेल बिठाने की कला से, व्यक्ति की समय, प्रसंग और जीवन के अन्य आयामों के विश्लेषण करने की ताकत बढ़ती है और वह एक बेहतर जीवन व्यतीत कर पाता है। नृत्य से व्यक्ति में धीरज एवं सहनशीलता भी बढ़ती है। नृत्य एक रचनात्मक कला है, जिससे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, और उन्हे अनूठे ढंग से करने की योग्यता में भी विकास होता है। एक शोध में (मार्टिन 1956 पृ . 1)द्वारा यह पाया गया कि नृत्य से रचनात्मकता, आगे बढ़ने की प्रेरणा, आत्म अनुशासन, एवं जागरूकता में वृद्धि होती है।

सामाजिक लाभ

अकेले भारत वर्ष में आठ प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। हर प्रदेश का कम से कम एक प्रकार का लोक नृत्य है। विश्व में कितने प्रकार के नृत्य अपना अस्तित्व रखते हैं, उसकी कल्पना करना भी लगभग असंभव है। नृत्य के इतने रूप इस बात के परिचायक हैं कि नृत्य मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नृत्य कला में वह कशिश है जो समाज, प्रदेश, देश को सीमाओं के परे लोगों को एकजुट करने का सामर्थ्य रखती है। नृत्य जनसमूह से जिस प्रकार का संबंध बनाता है, उस प्रक्रिया से लोगों मे परानुभूति, संवेदना एवं सामाजिक सम्मिलन की भावना पनपती है। नृत्य में जिस प्रकार अनेकानेक भाव प्रकट किए जाते है वह भी सामाजिक तालमेल

में सहायक होते हैं। नृत्य अधिकतर सामाजिक संदर्भ में किया जाता है, उससे नृत्य का सीधा असर उस समय उपस्थित दर्शकों पर पाया जाता है (लार्ज 2000)। एक अन्य शोध से ज्ञात होता है कि चूंकि नृत्य एक विशेष समय पर होता है, उसका असर सामाजिक संबंध सुधारने पर पाया जाता है। इससे समाज की संरचना एवं उसके पोषण (पनपने) में मदद मिलती है (मैक नील 1995)। भारतवर्ष में प्राचीन एवं मध्यकाल में शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं का मंदिरों पर चित्रण किया गया, जिसे निहारने आज भी विश्व भर से लोग आते हैं। आज नए दौर में विभिन्न नृत्य कलाओं का सम्मिश्रण किया जा रहा है, जो विश्व के भिन्न लोगों एवं संस्कृतियों को करीब लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

नृत्य का आध्यात्मिक एवं जीवन की समस्याओं का सामना करने में योगदान

भारतवर्ष में शास्त्रीय नृत्य को ईश्वर से एकरूप होने के माध्यम रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ईश्वर की कथाओं, गाथाओं और लीलाओं को जनसमूह के समक्ष प्रस्तुत करने में किया जाता है। नृत्य को ईश्वर की आराधना ओर उनके प्रति समर्पण के रूप में किया जाता है। इसे साधन एवं योग का माध्यम भी माना जाता है। योग शब्द जिसका अवतरण संस्कृति के युग शब्द से हुआ है का अर्थ है जुड़ना (फयुरेस्टीन 2003)। योगानंद (1997) के अनुसार भरतनाट्यम, नाट्य योग की एक शैली है, जो ईश्वर से एकरूपता जोड़ने के साथ ही दर्शकों से भी संबंध बना लेती है। नृत्य का एक लाभ लोगों को उनकी दैनिक स्थितियों और जीवन की समस्याओं से निपटने में भी होता है। इसके द्वारा लोगों में अपनी समस्याओं को रचनात्मक रूप से समझने और निपटने की क्षमता बढ़ती है। नृत्य से लोग स्वयं को तनाव मुक्त एवं

नकारात्मक सोच से दूर हो पाने में सहायक मानते है (स्ट्रासल एवं अन्य (2011) नृत्य से जीवन में शारीरिक एवं मानसिक तरोताज़गी की अनुभूति होती है और शारीरिक ऊर्जा का संचार बेहतर ढंग से होता है। नृत्य से जीवन मे एक उत्साह उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की समस्याओं से निपटने एवं तनाव प्रबंध में सहायक सिद्ध होता है।

वृद्धावस्था एवं दिव्यांगता पर नृत्य का महत्व

नृत्य वृद्धावस्था में उपयुक्त व्यायाम मान जाता है। इससे वृद्धावस्था में होने वाले अकेलेपन तथा कई रोगों से निजात मिलती है। वैज्ञानिक आधार के अनुसार नृत्य से रक्तचाप, ताकत, लचीलापन आदि मे सुधार पाया गया है। नृत्य बढ़ती उम्र में संचार प्रणाली, व्यायाम, शारीरिक संतुलन एवं लचीलेपन को बनाए रखने में सहायक होता है, (जज, 2003)। नृत्य से वृद्धावस्था मे समाजीकरण में बढ़ोतरी होती है, और कई प्रकार के मानसिक विकारों से भी मुक्ति मिलती है (ननोदिम, एवं अन्य (2006)। एक अन्य शोध जो कि कोननोलि तथा रेड्डीनग द्वारा किया गया (2011) से यह पता चलता है कि बढ़ती उम्र में मृत्यु से चिंता और उदासीनता में कमी आती है और आत्मविश्वास, अच्छी नींद एवं सामाजिक समावेशन में वृद्धि होती है। नृत्य की उमंग जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में सहायक सिद्ध पाई गई है। भरतनाट्यम नृत्य की सुधा चंदन इस कथन पर पूर्ण रूप से खरी उतरती हैं। आउजला एवं रेडिंग (2014) के शोध से यह ज्ञात होता है कि नृत्यदिव्यांग लोगों मे सशक्तिकरण, आत्मसम्मान, एवं प्रतिस्पर्धार्थक योग्यता विकसित करने में सहायक होता है। नोरदिन तथा हार्डी (2009) के शोध पत्र से यह पता चलता है कि नृत्य का शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की लचकता, गतिशीलता एवं दैनिक दिनचर्या पर सकारात्मक असर पड़ता है।

निष्कर्ष

विभिन्न अनुसंधान एवं ज्ञान स्रोतों से यह पता चलता है कि नृत्य से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती हैं। यह हमें अपने आपसे, ईश्वर से और समाज के अन्य लोगों से एकरूप होने का अवसर प्रदान करता है। नृत्य कला मानव जीवन में शारीरिक एवं मानसिक उन्नति तथा क्षमता बढ़ाने में भी योगदान करती है। इससे हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बेहतर रूप से सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है।

संदर्भ

1. अकांदरे .ए म एवं डेमीर . बी (2011): दी इफेक्ट ऑफ डान्स ओवर डिप्रेशन, कोल. अँटरोपोल . 35 3: 651-656
2. आउजल, अई. जे . एवं रेडिंग, ई. (2014). द आइडेन्टीफिकेशन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ यंग टैलन्टिड डान्सर्स विद डिसैबिलिटीज. रिसर्च इन डान्स एजुकेशन, 15(1), 54-70
3. बुरखरदत, जे., एण्ड ब्रेननां, सी. (2012). द इफ़ेक्ट्स ऑफ रिक्रीयेशनल डान्स रिव्यू. आर्ट्स हेल्थ 4, 148-161. doi: 10.1080/17533015.2012.665810
4. कोननोलि, एम. तथा रेड्डीनग, ई. (2011). डान्सिंग टूवड्र्स वेल-बीइंग इन द थर्ड ऐज: लिटरेचर रिव्यू ओन द इम्पैक्ट ऑफ डान्स ऑन हेल्थ एण्ड वेल-बीइंग अमंग ओल्डर पीपल. लंदन: ट्रिनिटी लबन कन्सर्वटोयर ऑफ म्यूसिक एण्ड डान्स

5. फ्यूअरस्टीन,जी. (2003) द डीपेर डाइमेन्शन ऑफ योगा : थ्योरी एण्ड प्रैक्टिसेज, बोस्टन, एम ए : शंभला
6. हसकेल, डब्लू., लेक, आई. एम., पेट, आर. आर. पॉवेल, ई, ब्लाइरे, एस., फ्रेंकलिन बी., एट आल (2007) फिज़िकल ऐक्टिविटी एण्ड पब्लिक हेल्थ अपडेटेड रेकॉमेन्डेशन्स फॉर अडलटस फ्रॉम द अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एण्ड द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सिरकुलेशन 116, 1-13.
7. जज, जे . ओ. (2003). बैलन्स ट्रैनिंग टू मैन्टेन मोबिलिटी एण्ड प्रीवेन्ट डिसबिलिटी. अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रीवेन्टिव मेडीसीन्ज, 25(3, सप्पल.2) 150–156.
8. लार्ज, ई. डब्लू. (2000). ओन सीनक्रोनाईज़िंग मूवमेंटस टू म्यूजिक. ह्यूमन मूवमेंट साइंस, 19, 527-566
9. मार्टिन, जे। (1965). द डान्स इन थ्योरी. पेननीनगटन, एन जेः प्रिन्सटन बुक कंपनी मेक नील, डब्लू. एच . (1995). कीपिंग टुगेदर इन टाइम्स. डान्स एण्ड ड्रिल इन ह्यूमन हिस्ट्री. केम्ब्रिज, एम ए : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
10. ननोदिम, जे . ओ., स्ट्रासबर्ग, द ., नबोज़नी, एम., नीकिस्ट, एल., गालेकी, ए., चेन, ए स., एट आल. (2006). डाइनैमिक बैलन्स एण्ड स्टेपिंग वर्सज टाई ची ट्रैनिंग टू इम्प्रूव बैलन्स एण्ड स्टेपिंग इन अट-रिस्क ओलड़ेर अडलट्स. जर्नल ऑफ दी अमेरिकन जेरीऐट्रिक्स सोसाइटी, 54(12), 1825– 1831.
11. नोरदिन, एस, एम, एण्ड हार्डी, एस. (2009). डान्स 4 हेल्थः ए रिसर्च-बेस्ड ईवैल्यूएशन ऑफ थे इम्पैक्ट ऑफ सेवन कम्यूनिटी डान्स

प्रोजेक्ट्स ऑन फिज़िकल हेल्थ, साइकलॉजिकल वेलबीइंग एण्ड आस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इन्क्लूशन. वरविककशीरेः कन्ट्री आर्ट्स सर्विस

12. सोरेस कोस्टा डे मेनदोंका, आर. एम., टारगीनों डे अराउजों जूनियर, ए., दो सोरोको सिरिलोड़े सूस, एम., एण्ड मिगुएल फेरणनडेस, एच। (2015). थे साइकलाजिकल हेल्थ ऑफ वुमन आफ्टर सिक्सटी वीक्स ऑफ प्राकटीसींग डिफ्रन्ट एक्सर्साइज़ प्रोग्राम्स. जे. एक्सर्स. फीसयोल. 8, 32-44

13. स्तरस्सेल, जे. के., चर्किन, दी. सि., सतुटेन, एल., शेर्मन, के. जे., एण्ड वरीजोएफ, एच. जे. (2011). ए सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ ड एविडन्स फॉर द ईफेक्टिव्नस ऑफ डान्स थेरपी. अलटर्न. ठेर. हेल्थ मेड. 17, 50-59

14. योगानन्द, पी. (1997), जर्नी टू सेल्फ-रियलाइजेशन, लोस आँजेलेस, सी ए : सेल्फ- रियलाइजेशन फाउंडेशन

क्या भारतीय बाजार से लुप्त हो जाएंगे अखबार

डिजिटल माध्यमों से मिल रही हैं प्रिंट मीडिया को गंभीर चुनौतियाँ

-प्रो. संजय द्विवेदी,
जनसंचार विभाग,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय,
बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 (मप्र)
मोबाइलः 9893598888,
ई-मेलः 123dwivedi@gmail.com

दुनिया के तमाम प्रगतिशील देशों से सूचनाएँ मिल रही हैं कि प्रिंट मीडिया पर संकट के बादल हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अखबार लुप्त हो जाएँगे। वर्ष 2008 में आई **जे .गोमेज** की किताब **'प्रिंट इज डेड'** इसी अवधारणा पर बल देती है। इस किताब के बारे में लाइब्रेरी रिव्यू में एंटोनी चिथम ने लिखा, ***"यह किताब उन सब लोगों के लिए 'वेकअप काल' की तरह है, जो प्रिंट मीडिया में हैं किंतु उन्हें यह पता ही नहीं कि इंटरनेट के द्वारा डिजिटल दुनिया किस तरह की बन रही है।"*** बावजूद इसके क्या खतरा इतना बड़ा है। क्या भारतीय बाजार में वही घटनाएँ दोहराई जाएँगी, जो अमरीका और पश्चिमी देशों में घटित हो चुकी हैं। इन्हीं दिनों में भारत में कई अखबारों के बंद होने की सूचनाएँ मिली हैं तो दूसरी ओर कई अखबारों का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ है। ऐसी मिली-जुली तस्वीरों के बीच में आवश्यक है कि इस विषय पर समग्रता से विचार करें।

क्या वास्तविक और स्थायी है प्रिंट का विकासः

भारत के बाजार आज भी प्रिंट मीडिया की प्रगति की सूचनाओं से आह्लादित हैं। हर साल अखबारों के प्रसार में वृद्धि देखी जा रही है। रोज अखबारों के नए-नए संस्करण निकाले जा रहे हैं। कई बंद हो चुके अखबार फिर उन्हीं शहरों में दस्तक दे रहे हैं ,जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा बंद कर दी थी। भारतीय भाषाओं के अखबारों की तूती बोल रही है। रीडरशिप सर्वेक्षण हों या प्रसार के आँकड़े सब बता रहे हैं कि भारत के बाजार में अभी अखबारों की बढ़त जारी है।

भारत में अखबारों के विकास की कहानी 1780 से प्रारंभ होती है ,जब **जेम्स आगस्टस हिक्की** ने पहला अखबार **'बंगाल गजट'** निकाला। कोलकाता से निकला यह अखबार हिक्की की जिद ,जूनुन और सच के साथ खड़े रहने की बुनियाद पर रखा गया। इसके बाद हिंदी में पहला पत्र या अखबार 1826में निकला ,जिसका नाम था **'उदंत मार्तंड'**,जिसे कानपुर निवासी युगुलकिशोर शुक्ल ने कोलकाता से ही निकाला। इस तरह कोलकाता भारतीय पत्रकारिता का केंद्र बना। अंग्रेजी ,बंगला और हिंदी के कई नामी प्रकाशन यहाँ से निकले और देश भर में पढ़े गए। तब से लेकर आज तक भारतीय पत्रकारिता ने सिर्फ विकास का दौर ही देखा है। आजादी के बाद वह और विकसित हुई। तकनीक ,छाप-छपाई ,अखबारी कागज ,कंन्टेन्ट हर तरह की गुणवत्ता का विकास हुआ।

भूमंडलीकरण के बाद रंगीन हुए अखबार

हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं के अखबारों ने कमाल की प्रगति की। देश का आकार और आबादी इसमें सहायक बनी। जैसे-जैसे साक्षरता बढ़ी और समाज की आर्थिक प्रगति हुई अखबारों के प्रसार में भी बढ़त

होती गई। केरल जैसे राज्य में **मलयाला, मनोरमा** और **मातृभूमि** जैसे अखबारों की विस्मयकारी प्रसार उपलब्धियों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसे ठीक से जानने के लिए **राबिन जैफ्री** के अध्ययन को देखा जाना चाहिए। इसी दौर में सभी भारतीय भाषाओं के अखबारों ने अभूतपूर्व विस्तार और विकास किया। उनके जिला स्तरों से संस्करण प्रारंभ हुए और 1980 के बाद लगभग हर बड़े अखबार ने बहुसंस्करणीय होने पर जोर दिया। 19के बाद भूमंडलीकरण ,मुक्त बाजार की नीतियों को स्वीकारने के बाद यह विकास दर और तेज हुई। पूंजी ,तकनीक ,तीव्रता ,पहुँच ने सारा कुछ बदल दिया। तीन दशक सही मायने में मीडिया क्रांति का समय रहे। इसमें माध्यम प्रतिस्पर्धी होकर एक-दूसरे को शक्ति दे रहे थे। टीवी चैनलों की बाढ़ आ गई। वेब-माध्यमों का तेजी से विकास हुआ। अखबारों के मुद्रण के लिए विदेशी मशीनें भारतीय जमीन पर उतर रही थीं। विदेशी कागजों पर अखबार छापे जाने लगे थे।

यह वही दौर था जब काले-सफेद अखबार अचानक से रंगीन हो उठे। नवें दशक में ही भारतीय अखबारों के उद्योगपति विदेश कंपनियों से करार कर रहे थे। विदेशी पूंजी के आगमन से अखबार अचानक खुश-खुश से दिखने लगे। उदारीकरण ,साक्षरता ,आर्थिक प्रगति ने मिलकर भारतीय अखबारों को शक्ति दी। भारत में छपे हुए शब्दों का मान बहुत है। अखबार हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल की तरह हैं। टूटती सामाजिकता ,माँगकर पढ़ने में आती हिचक और एकल परिवारों से अखबारों का प्रसार भी बढ़ा। इस दौर में तमाम उपभोक्ता वस्तुएँ भारतीय बाजार में उतर चुकी थीं जिन्हें मीडिया के कंधे पर लदकर ही हर घर में पहुँचना था। देश के अखबार इसके लिए सबसे उपयुक्त मीडिया थे क्योंकि उनपर लोगों का भरोसा था, और है।

डिजिटल मीडिया की चुनौती

डिजिटल मीडिया के आगमन और सोशल मीडिया के प्रभाव ने प्रिंट माध्यमों को चुनौती दी है, वह महसूस की जाने लगी है। उसके उदाहरण अब देश में भी दिखने लगे हैं। अखबारों के बंद होने के दौर में जी समूह के अंग्रेजी अखबार अंग्रेजी अखबार **'डेली न्यूज एंड एनॉलिसिस' (डीएनए)** ने अपना मुद्रित संस्करण बंद कर दिया है। आगरा से छपने वाले **डीएलए** अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया तो वहीं मुंबई से छपने वाला शाम का टेलॉइड अखबार **'द आफ्टरनून डिस्पैच'** भी बंद हो गया, 29 दिसंबर,2018 को अखबार का आखिरी अंक निकला। जी समूह का अखबार डीएन का अब सिर्फ आनलाइन संस्करण ही रह जाएगा। नोटिस के अनुसार,अगले आदेश तक मुंबई और अहमदाबाद में इस अखबार का प्रिंट एडिशन 10 अक्टूबर,2019 से बंद कर दिया गया। वर्ष 2005 में शुरु हुए डीएनए अखबार ने इस साल के आरंभ में अपना दिल्ली संस्करण बंद कर दिया था, जबकि पुणे और बेंगलुरु संस्करण वर्ष 2014 में बंद कर दिए गए थे।

आगरा के अखबार डीएलए का प्रकाशन एक अक्टूबर, 2019 से स्थगित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एक वक्त आगरा समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से प्रकाशित होने वाले इस दैनिक अखबार का यूं बंद होना वाकई प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली घटना है। मूल तौर पर अमर उजाला अखबार के मालिकों में शामिल रहे अजय अग्रवाल ने डीएलए की स्थापना अमर उजाला के संस्थापक स्व.डोरी लाल अग्रवाल के नाम पर की थी। अखबार ने शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन भी किया। पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अखबार के विस्तार के बाद ये गति थम गई। धीरे-धीरे

अखबार एक बार फिर आगरा में ही सिमटकर रह गया। अखबार ने मिड डे टैब्लॉइड से शुरु किया अपना प्रकाशन एक समय बाद ब्रान्डशीट में बदल दिया था। साथ ही मीडिया समूह ने अंग्रेजी अखबार भी लॉन्च किया था। सब कवायदें अंततः निष्फल ही साबित हो रही थीं। ऐसे में लगातार आर्थिक तौर पर हो रहे नुकसान के बीच प्रबंधन ने फिलहाल इसे बंद करने का निर्णय किया है।

इसी तरह तमिल मीडिया ग्रुप **'विहडन'** ने अपनी चार पत्रिकाओं की प्रिंटिंग बंद कर दीया है। अब इन्हें सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा जा सकेगा। जिन पत्रिकाओं की प्रिंटिंग बंद होने जा रही है उनमें **'छुट्टी विहडन', 'डाक्टर विहडन', 'विहडन थडम'** और **'अवल मणमगल'** शामिल हैं। गौरतलब है कि 1926 में स्थापित यह मीडिया ग्रुप तमिलनाडु का जाना-माना पत्रिका समूह था। इस ग्रुप के तहत 15 पत्रिकाएँ निकाली जाती थी। इस ग्रुप ने 1997 में अपने प्रिंट संस्करणों को ऑनलाइन रूप से पाठकों को उपलब्ध कराना शुरु कर दिया था। वर्ष 2005 में इसने ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन मॉडल को फॉलो करना शुरु कर दिया।

कारणों पर बात करना जरूरी

किन कारणों से ये अखबार बंद होते रहे हैं। इसके लिए हमें जी समूह के अखबार डीएन के बंद करते समय जारी नोटिस में प्रयुक्त शब्दों और तर्कों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि-***"हम नए और चैलेन्जिंग फेस में प्रवेश कर रहे हैं। डीएनए अब डिजिटल हो रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान डिजिटल स्पेस में डीएनए काफी आगे बढ़ गया है।... वर्तमान ट्रेंड को देखें तो पता चलता है कि हमारे रीडर्स***

खासकर युवा वर्ग हमें प्रिंट की बजाय डिजिटल पर पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। न्यूज पोर्टल के अलावा जल्द ही डीएनए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें वीडियो बेस्ट ऑरिजिनल कंन्टेन्ट पर ज्यादा फोकस रहेगा।...कृपया ध्यान दें, सिर्फ मीडियम बदल रहा है, हम नहीं अब अखबार के रूप में आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि मोबाइल के रूप में हर जगह आपके साथ रहेंगे।" यह अकेला वक्तव्य पूरे परिदृश्य को समझने में मदद करता है। दूसरी ओर डीएलए –आगरा के मालिक जिन्होंने अमर उजाला जैसे अखबार को एक बड़े अखबार में बदलने में मदद की आज अपने अखबार को बंद करते हुए जो कह रहे हैं, उसे भी सुना जाना चाहिए। अपने अखबार के आखिरी दिन उन्होंने लिखा, ***" परिवर्तन प्रकृति का नियम है और विकासक्रम की यात्रा का भी।...सूचना विस्फोट के आज के डिजिटल युग में कागज पर मुद्रित(प्रिंटेड)शब्द ही काफी नही। अब समय की जरूरत है सूचना-समाचार पलक झपकते ही लोगों तक पहुँचे।... इसी उद्देश्य से डीएलए प्रिन्ट एडीशन का प्रकाशन एक अक्टूबर, 2019 से स्थगित किया जा रहा है। "***

इस संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार और कई अखबारों के संपादक रहे **श्री आलोक मेहता** का आशावाद भी देखा जाना चाहिए। हिंदी अखबार **प्रभात खबर** की 35वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रांची के रेडिशन ब्लू होटल में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव आयोजन में उन्होंने कहा, ***"बेहतर अखबार के लिए कन्टेन्ट का मजबूत होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बदलने अथवा टीवी और सोशल मीडिया के आने से अखबारों का भविष्य खतरे में है। ऐसा होता, तो जापान में अखबार***

नहीं छपते, क्योंकि वहाँ की तकनीक भी हमसे बहुत आगे है और मोबाइल भी वहाँ बहुत ज्यादा हैं। अखबारों को उस कन्टेन्ट पर काम करना चाहिए, जो वेबसाइट या टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं हैं। प्रिन्ट मीडिया का भविष्य हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा।"

उपरोक्त विश्लेषण से लगता है कि आने वाला समय प्रिंट माध्यमों के लिए और कठिन होता जाएगा। ई-मीडिया, सोशल मीडिया और स्मार्ट मोबाइल पर आ रहे कन्टेन्ट की बहुलता के बीच लोगों के पास पढ़ने का अवकाश कम होता जाएगा। खबरें और ज्ञान की भूख समाज में हैं और बनी रहेगी, किंतु माध्यम का बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। संभव है कि मीडिया के इस्तेमाल की बदलती तकनीक के बीच प्रिन्ट माध्यमों के सामने यह खतरा और बढ़े। यहाँ यह भी संभव है कि जिस तरह मीडिया कन्वरर्जेंस का इस्तेमाल हो रहा है उससे हमारे समाचार माध्यम प्रिंट में भले ही उतार पर रहें पर अपनी ब्रांड वैल्यू, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के कारण ई-माध्यमों, मोबाइल न्यूज एप, वेब मीडिया और सोशल मीडिया पर सरताज बने रहें। तेजी से बदलते इस समय में कोई सीधी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, किंतु खतरे के संकेत मिलने शुरु हो गए हैं, इसमें दो राय नहीं है।

संदर्भः

1. Gomez J.: Print Is Dead- Books in our Digital Age (2008), Palgrave Macmillan US

2. Jeffrey Robin; India's Newspaper Revolution: Capitalism, Politics and the Indian-Language Press, 1977-1999

3. https://www.samachar4media.com/print-media-news/english-newspaper-took-big-decision-51966.html

4. https://www.samachar4media.com/print-media-news/big-news-about-dla-newspaper-51892.html

5. https://www.samachar4media.com/print-media-news/media-group-will-close-down-four-magazines-51687.html

6. द्विवेदी संजय, खबर खबरवालों की, आंचलिक पत्रकार(अक्टूबर,2019), भोपाल, पृष्ठ - 36

7. समागम, भोपाल, अक्टूबर,2019, पृष्ठ-97

8. https://www.samachar4media.com/print-media-news/senior-journalist-alok-mehta-express-his-views-about-credibility-in-journalism-51469.html

हिंदी-विश्व भर में : मॉरिशस के विशेष संदर्भ में

डॉ. नूतन पांण्डेय
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
मोबाइल: 7303112607
pandeynutan91@gmail.com

वर्तमान समय तकनीकी क्रांति का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होने के कारण ही भौगोलिक दूरियां इतनी सिमट गई हैं कि समस्त विश्व आज एक लघु ग्राम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका और सोवियत संघ के साथ ही दूसरे देशों के भी बढ़ते वर्चस्व और अन्य अनेक महत्वपूर्ण कारकों की वज़ह से विश्व शक्तियों के समीकरण में भी तात्कालिक एवं निरंतर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था में तीव्र प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर बढ़ते प्रभाव के कारण सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्व गुरु के रूप में अपनी सकारात्मक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था कि 'भारत अकूत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के साथ साथ विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अन्य देशों की तुलना में ज्यादा युवा और तकनीकी कौशलों में दक्ष मानव संसाधन है और अपनी इसी खासियत के कारण भारत शीघ्र ही वैश्विक संरचना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरेगा।' वाराणसी में पिछले वर्ष हुए प्रवासी दिवस समारोह में पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी इसी बात को आगे बढाते हुए अपने संबोधन में

कहा था कि अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों में बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि के लिहाज से ये देश बूढ़े होते जा रहे हैं, जबकि भारत में युवाओं की संख्या बढ़ रही है। इस युवा जनसंख्या के चलते भारत को अभूतपूर्व बढ़त मिली है जो 2020 तक इसे नूतन युवा भारत बनाने में मदद करेगा।वर्ष 2020 तक भारत में औसत आयु 29 होगी, कामकाजी आयु वर्ग में 64 फीसदी आबादी के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में सन 1980 के बाद पैदा हुए लगभग 70 करोड बच्चे अगले पांच वर्षों में विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित हो जायेंगे और विश्व स्थित विभिन्न कंपनियों के बहुत बड़े भाग के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित होंगे।

विश्व मंच पर भारत की वर्तमान महत्वपूर्ण उपस्थितिनिरंतर उसका , बढ़ता वर्चस्व और संभावित परिकल्पनाओं के आधार पर आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सारे संकेत राष्ट्रभाषा और राजभाषा जैसे भारत – हिंदी के लिए निश्चित ही अत्यंत शुभकारी सिद्ध होंगे। जैसे विश्व की आर्थिक महाशक्तियों में अपना स्थान मजबूत करता जाएगा, वैसे-वैसे हिंदी भी स्वतः ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। इसी कारण हर हिंदी प्रेमी के मन में कहीं न कहीं ये आशा पल्लवित होती दीख रही है कि हिंदी शीघ्र ही विश्व भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो, जिसकी कि वह निर्विवाद अधिकारिणी है। और यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सरल, सहज हिंदी विभिन्न भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की अपनी समावेशी प्रकृति के कारण सतत विकासोन्मुख और निरंतर प्रवहमान हो रही है और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण समाज के विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में लोकप्रियता के शिखर को छू रही है। हिंदी अपनी बढ़ती मांग के कारण आज जिस प्रकार विश्व बाज़ार

पर छा चुकी है, उससे प्रतीत हो रहा है कि वह दिन अब दूर नहींजब वह , सबसे ज्यादा व्यवहृत होने वाली भाषा बनकर विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो जायेगी।

नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार विश्व पटल पर हिंदी की स्थिति का आकलन करें, तो पायेंगे कि बोलने वालों की संख्या के आधार पर चीनी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदीकी गणना की जा रही है। डॉकी मानें तो हिंदी 2005 जयंती प्रसाद नौटियाल के भाषा शोध अध्ययन . जानने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी विश्व की पहले नंबर की भाषा है क्योंकि हिंदी के प्रयोक्ता विश्व में लगभग एक अरब ढाई करोड़ हैं जबकि चीनी बोलने वालों की संख्या पचानवे करोड़ के करीब है। आज हिंदी विश्व के लगभग ढाई सौ देशों में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त हो रही है। विश्व के लगभग दो सौ पचास से अधिक विद्यालयोंसंस्थाओं/लयोंविश्व विद्या/ में हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन और शोध कार्य किये जा रहे हैं। हिंदी की – बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अनेकों लोकप्रिय अंगरेजी चैनल अपने हिंदी संस्करण प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व में प्रकाशित होनेवाले हिंदी अखबारों-पत्र/ रंतर वृद्धि देखी जा रही है। विश्व के विभिन्न पत्रिकाओं की संख्या में भी नि देशों में नियमित रूप से आज हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं, जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा विश्व भर के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हिंदी सामग्री के प्रयोग में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि देखी जा सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी की इस लोकप्रियता के पीछे सोशल मीडिया और बॉलीवुड की फिल्मोंभारतीय कला एवं , गीत-संगीत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मॉरिशस में हिंदी का स्वरूप

मॉरिशस को हिंद महासागर में स्थित लघु भारत नाम भी दिया गया हैद्वीप की खूबसूरती के कारण ही मार्क ट्वेन ने कहा था कि ईश्वर ने . पहले मॉरिशस का निर्माण किया और फिर उसके पश्चात स्वर्ग की रचना की। भारत और मॉरिशस दोनों देशों के संबंध न केवल प्राचीन और ऐतिहासिक हैं, बल्कि बहुआयामी भी हैं। दोनों देश न केवल समान इतिहास को साझा करते हैं बल्कि वर्तमान में साथ मिलकर उसे सगर्व जीते भी हैं। मॉरिशस की 1.296 मिलियन आबादी में से लगभग 68% लोग भारतीय मूल के हैं। इसी कारण मॉरिशस को लघु भारत भी कहा जाता है। दोनों देशों के बीच संबंधों का पहला अध्याय 2 नवंबर, 1834 को लिखा गया था, जब भारतीय मजदूरों का बगानों में काम करने के लिए सदस्यीय समूह गन्ना 32 एटलस पर सवार होकर इस द्वीप पर पहुंचा था आप्रवासी घाट .वी.एम की सोलह सीढ़ियों पर पहला कदम रखते हुए इन मजदूरों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह अनजान द्वीप कुछ समय बाद इनका अपना देश होगा। यह सच है कि भारतवंशी इन गिरमिटिया मजदूरों ने अपने रक्त और पसीने से संघर्ष पर विजय की जो अमरगाथा लिखी वह इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जायेगी। भारत से आये इन गिरमिटिया मजदूरों ने अपने अदम्य साहस और धैर्य से मुश्किल हालातों पर विजय प्राप्त कर न केवल अद्भुत मानवीय क्षमता का परिचय दिया बल्कि इस मोती जैसे चमकदार द्वीप को विश्व मानचित्र पर भी महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और इनकी इस सफलता के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी भाषा, संस्कृति, परम्परा, रीति रिवाज़ और संस्कारों ने–, जिन्हें वे अपने साथ लेकर आये थे।

मॉरिशस की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है जिसका एक बहुत बड़ा भाग भारत के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये मजदूरों का था ,जिनमें से

कुछ तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश ओडिशा तथा बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी से आए हुए भी थे। ये आपस में जहाजी भाई कहलाते थे। भारत के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा भोजपुरी होने के कारण भोजपुरी इस द्वीप की संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार में आने लगी। और आगे चलकर इसी भाषा के माध्यम से मॉरिशस वासियों ने हिंदीको जाना, पहचाना और उसे अपनाया। मॉरिशस में शर्तबंद मजदूर, गिरमिटिया शब्द का agreement के अंग्रेजी भाषा) के रूप में जो लोग भारत आये थे (अपभ्रंश, वे अपने साथ रामचरित मानस, हनुमान चालीसा, कबीर के दोहे और आल्हा खंड आदि लाये थे। ये मजदूर दिन भर खेतों में काम करते थे और शाम के समय साथ बैठते और अपने दुःख दर्द बांटते थे, साथ बैठने के कारण इस प्रकार की जगहों को बैठका कहा जाता था। बैठकाओं का वह पुराना स्वरूप मॉरिशस में हिंदीपढ़ाने के लिए आज भी देखा जा सकता है। ये बैठकाएं इन मजदूर भाइयों के लिए शिक्षा प्राप्ति की एक जगह मात्र नहीं थी, बल्कि उनके लिए अपने साथ लाये संस्कार, रीतिरिवाज़-, परम्पराओं, उत्सवों और समेकित रूप में संस्कृति के प्रचारप्रसार का माध्यम भी थीं। मजदूर लोग अपने बच्चों को सायंकाल में - होने वाली इन बैठकाओं में हिंदीभाषा का ज्ञान दिलाया करते थे। राम गति " यह इन बैठकाओं का आदर्श वाक्य था "देहु सुमति, जिसके माध्यम से वे भगवान् से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें जीवन भर सद्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इन बैठकाओं में पढ़ाई जाने वाली हिंदी का स्वरूप कमोवेश उस समय भारत में प्रचलित खडी बोली के रूप से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वर्णमाला, ककहरा, बारह खडी, वर्तनी, स्वर तथा व्यंजन आदि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित रहते थे। समय परिवर्तन के साथ द्वीप पर उस समय की ब्रिटिश सरकार का ध्यान शिक्षा के स्तर को

सुधारने की ओर गया और सन में राज्यपाल हिगिन्सन द्‌वारा नियुक्त 1855 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को 12 से लेकर 06 आयोग ने बना दियाअनिवार्य, जिनमें शिक्षण का माध्यम फ्रेंच भाषा रखी गई, लेकिन आप्रवासियों के असंतोष के पश्चात प्राथमिक पाठशालाएं खुलना प्रारंभ हुआ जिनमें शिक्षण का माध्यम भोजपुरी, खड़ी बोली और तमिल रखा गया। सन से रॉयल कॉलेज 1892, पोर्ट लुइस में सबसे पहले हिंदीकी पढाई प्रारंभ की गई। सरकारी स्कूलों की समय सारणी में हिंदीको मार्च में स्थान मिला। 1954 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मॉरिशस सरकार द्‌वारा हिंदी अध्ययन अध्यापन – पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। हिंदी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में द्‌वानों को हिंदी भाषा के विकास पढ़ाई जाने लगी। भारत से विभिन्न हिंदी वि तथा हिंदी के प्रशिक्षण के लिए मॉरिशस आमंत्रित किया जाने लगा।

जब विदेशों में हिंदी के विस्तार की बात पर विमर्श करते हैं तो मॉरिशस देश का नाम मस्तिष्क में सबसे पहले आता है। इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक परिदृश्य है, जिसके अंदर विस्तृत कालखंड में विभिन्न कारणोंवश अपनी मिटटी से अलग हुए भारतवंशियों के अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किए गए विलक्षण संघर्ष की वो गाथा समाहित है, जिसमें हिंदी चमत्कारिक भूमिका निभाते हुए न केवल उनकी संस्कृति और परंपराओं को सहेजती, संरक्षित, संवर्धित करती है, बल्कि उनके जीवन का संबल भी बनती है। मॉरिशस के लोगों ने जहां अपने संघर्ष के दिनों में हिंदी को जिया है वहीँ सफलता के दिनों में हिंदी की भरपूर सेवा करके उसे समृद्‌ध और गौरवान्वित भी किया है। यही कारण है कि देखते ही देखते इन भारतवंशी मजदूरों का गिरमिटिया से सरकार

तक का संघर्षपूर्ण सफ़र विश्व में फैले भारतीय डायस्पोरा के लिए अनुकरणीय बन जाता है।

हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह अत्यंत शुभ संकेत है कि है कि भारत से बाहर मॉरिशस में रचा जा रहा हिंदी-साहित्य स्तरीयता और उत्कृष्टता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी पूर्ण सक्षम है। साहित्यकारों की श्रृंखला में मुनीश्वर लाल चिंतामणि, पूजा नन्द नेमा, भानुमति नागदान, सोमदत्त बखोरी, अभिमन्यु अनत, रामदेव धुरंधर, पहलाद रामशरण, राज हीरामन, हेमराज सुन्दर आदि ये कुछ नाम हैं जो विभिन्न विधाओं में लेखन से न केवल हिंदी-साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैबल्कि उसे विश्व साहित्य की समकक्षता प्रदान करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। पत्र-पत्रिकाओं की बात करें तो भारत से बाहर मॉरिशस ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां सन 1909 से लेकर आज तक लगभग 56 पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से निश्चित ही कुछ प्रकाशन की असुविधा तथा ऐसे ही कुछ अन्य विशिष्ट कारणों से बंद हो गई हैं।

मॉरिशस के हिंदी प्रेमियों के लिए यह भी अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि भारत से बाहर मॉरिशस ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां अभी तक तीन विश्व हिंदी सम्मलेन सफलता पूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं। सन मॉरिशस की राजधानी ,में आयोजित ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मलेन 2019 पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया था, जहाँ विश्व के तीस देशों के लगभग तीन हज़ार विद्वानों ने अपनी सक्रिय सहभागिता की थी। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में एक और मील का पत्थर है जो मॉरिशस को महत्वपूर्ण बनाता है। विश्व हिंदी

सचिवालयरिशस की द्विपक्षीय संस्था हैभारत और मॉ ,, जो विदेशों में हिंदी के प्रचारप्रसार और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा का स्थान - दिलानेके लिए कृत संकल्प है। सचिवालय द्वारा निकाली जाने वाली विश्व हिंदी पत्रिका विश्व के हिंदीप्रेमियों को साहित्य सृजन करने-, उनके रचे साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने और विश्व मंच पर उन्हें निकट लाकर पारस्परिक संवाद स्थापित करने में महती भूमिका निभा रही है।

हिंदी के प्रचार : प्रसार में हिंदी सेवी संस्थाओं का योगदान–

मॉरिशस में औपचारिक हिंदी शिक्षण संस्थान के संदर्भ में **महात्मा गाँधी संस्थान, मोका** का नाम वरीयता से लिया जाएगा, जहाँ से 1980 मॉरिशस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी में ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ हिंदी भाषा तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं में शोध कार्य भी साथ – प्राध्यापकों के साथ किए जाते हैं। संस्थान के हिंदी विभाग में स्तरीय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा नियुक्त हिंदीपीठ अपने अनुभव - और विद्वत्ता से विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं। संस्थान का अपना प्रकाशन विभाग भी है जहां से मॉरिशस के हिंदी साहित्यकारों के साहित्य का जाता है। संस्थान की मासिक पत्रिकाएँ समय पर प्रकाशन किया-समय रिमझिम और वसंत भी साहित्यिक पत्रपत्रिका जगत में अपनी विशिष्ट - पहचान रखती हैं।

मॉरिशस में हिंदी का प्रचार प्रसार करने में **आर्य सभा** का बहुत बड़ा योगदान रहा। आर्य सभा की स्थापना मॉरिशस में सन में हुई थी। यह 1903 कि सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से ही खड़ी बोल निर्विवाद है्ी हिंदीकी नींव मॉरिशस में पडी। आर्य सभा के अनुयायियों जैसे काशी नाथ क्रिश्तो.,

मणिलाल डॉक्टरमोहन लाल मोहित तथा उदय नारायण गंगू आदि ने , मॉरिशस में हिंदी की भाषाई और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक रखने में में आर्य पत् 1911 निभाई। आर्य सभा द्वारा सन महती भूमिकारिका तथा आर्यवीर का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन आगे चलकर जो आज ,में साप्ताहिक आर्योदय के रूप में होने लगा 1950 तक जारी है। आर्य सभा द्वारा वर्तमान में तीन सौ सायंकालीन और सप्ताहांत पाठशालाएं संचालित होती हैं हिंदी, साथ ही दो डी.एवी कॉलेज भी हैं जहां . एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य है।

सन में स्थापित 1935**हिंदी प्रचारिणी सभा** जो पूर्व में तिलक विद्यालाय के नाम से जानी जाती थीकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य , माध्यमिक स्तर तक के बच्चों को शुद्ध व्याक प्राथमिक से लेकररण सम्मत हिंदी का ज्ञान प्रदान करना तथा साहित्य लेखन के प्रति उनकी रूचि जागृत – करना था। सभा का आदर्श वाक्य है " :भाषा गई तो संस्कृति भी गई।" वर्तमान में सभा द्वारा लगभग ढाई सौ सायंकालीन तथा प्राथमिक एवं एं आयोजित की जाती हैं और हिंदीमाध्यमिक कक्षा साहित्य सम्मलेन, प्रयाग की परिचय, प्रथमा तथा उत्तमा परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष सभा द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाती है। छात्र छात्राओं को शुद्ध हिंदीलिखने और बोलने के लिए सभा वर्ष भर विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाती है। हिंदी प्रचारिणी सभा द्वारा सन के संपादन "भगत" में श्री सूर्य प्रकाश मंगर 1935 सन -प्रकाशित हुई जिसका प्रकाशन तीन वर्ष "दुर्गा" में हस्तलिखित पत्रिका तक चला 1937 से 1935, जिसके कुल चौंतीस अंकों में रचनाएँ 1986 संकलित की गईं।मॉरिशस की हिंदीपत्रकारिता की दृष्टि से दुर्गा का स्थान -

उल्लेखनीय कहा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार के भय से लेखक अपने ज्वालामुखी-विचारों की अभिव्यक्ति अपने छद्म नामों यथा, खनखन, चिंगारी आदि से करते थे। अगस्त, ग्यारहवें विश्व हिंदी में आयोजित2018 सम्मलेन के उपलक्ष्य में विदेश मंत्रालयभारत सरकार द्वारा इस पत्रिका का , प्रकाशन करवाया गया है ताकि इस दुर्लभ पत्रिका को उसके मूल स्वरुप में /सामग्री को विश्व के हिंदी प्रेमियों-इसमें उपलब्ध साहित्यिक ,संरक्षित कर " या जा सके। वर्तमान में सभा द्वाराशोधार्थियों तक पहुंचापंकजपत्रिका " का त्रैमासिक प्रकाशन भी किया जा रहा है।

मॉरिशस के हिंदी सेवियों और हिंदी प्रेमियों में साहित्य लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने और उसमें दक्षता हासिल करने के उद्देश्य से मुनीश्वर लाल चिंतामणि द्वारा सन **"हिंदी लेखक संघ"** में 1961 की स्थापना की गई थी। लेखक संघ द्वारा समयसमय पर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम तथा - लेखकों द्वारा विभिन्न विधाओं पर लिखी विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन से हिंदी 2017 से बाल सखा और 1965 किया जाता है। लेखक संघ द्वारा सन प्रकाशन किया जा रहा है। लेखक संघ पत्रिका का

प्रसिद्ध अधिवक्ताहिंदी और अंग्रेजी में समानाधिकार से ,फ्रेंच , में 1963 लिखने वाले लेकिन हिंदीके अद्भुत प्रेमी सोमदत्त बखोरी द्वारा सन **हिंदी परिषद्** की स्थापना की गई। परिषद् द्वारा साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए अठारह प्रांतीय परिषदें स्थापित की गईं, जहां हिंदी के विकास, साहित्यसृजन के लिए महत्वपूर्ण गोष्ठियां आयोजित की जाती थीं। परिषद् - द्वारा अनुराग त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी होता था।

इसके अतिरिक्त मॉरिशस में इन्द्रधनुष सांस्कृतिक परिषद्सनातन , हिंदी साहित्य अकादेमी ,हिंदी संगठन ,धर्म मंदिर परिषद्, गहलोत सभा आदि सामाजिकसांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न साहित्यिक – कार्यक्रमों,साहित्यिक प्रकाशनों, साहित्यिक संगोष्ठियों, हिंदी कक्षाओं के संचालन द्वारा वर्ष भर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है।

वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा के प्रचारप्रसार में विभिन्न कारणों से विश्व के विभिन्न देशों में गए और वहीँ - बस गए भारतवंशियों का योगदान अप्रतिम है। यही कारण है कि आज जहाँ वहीँ ,राष्ट्रभाषा है-हिंदी विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश की राजभाषा के कई देशों में लिंगुआ फ्रैविश्व꞉꞉का के रूप में परस्पर विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम बनकर भी आगे बढ़ रही है। हिंदी के प्रयोगगत वैविध्य और समयानुकूल वैस्तार्य को देखकर यह तो निसंदिग्ध है कि हिंदी वश्यकता अब आ ,अपने निर्धारित मंतव्य की ओर तीव्र गति से उन्मुख है प्रेमियों के उस-हिंदीसमेकित पुरजोर प्रयास की हैजिसके लिए सब एक , व्यवहार में हिंदी का -साथ इस बात का संकल्प लें कि अपने दैनिक अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और अपनी नई पीढी को भी ऐसा करने के लिए हिंदी पर प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम न केवल गर्व महसूस करें बल्कि कभी भी, कहीं भीकिसी के साथ भी उसका प्रयोग , करते हुए स्वयं को भी गौरवान्वित समझें।

जडों से उखाडे जाने की पीड़ा – विस्थापन

-डॉ. रानू मुखर्जी

17, जे.एम.के. अपार्टमेन्ट,

एच. टी. रोड, सुभानपुरा, वडोदरा – 390023.

Ph. No. – 0265 2390823 (M) 9825788781

Email – ranumukharji@yahoo.co.in.

"लौटने के लिए होता है घर
कोई क्यों करे बार-बार हमें बेघर
कभी निबिड वनों में
गुफाओं, चोर- झाड़ियों,
अनजाने प्रदेश में
क्यों रहें अनाथ
पीढ़ियों की पीढ़ियाँ "
'हमारे घर' अग्निशेखर

मानव के द्वारा बनाई गई वह क्रूर व्यवस्था जिसमे अपनी जमीं से जुड़े दर्द, बालपन के सुमधुर क्षण, आपसी रिश्तो की मजबूत पकड, पूजा, अर्चना, त्योहार, धर्म, विश्वास, खान-पान की महक और आत्मजनों के स्नेहमय भावों के अभाव का आभास होता हो, वह है विस्थापन।

विस्थापन की बात चाहे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उभरी स्थितियों में भारत के सिंधी, पंजाबी, बंगाली या कश्मीरी पंडितो का हो या वैश्विक

स्तर पर रोमानियाई जर्मनियों का, जो सोवियत संघ मे निर्वासित कहलाए ! निर्वासन का दर्द सभी के लिए एक जैसा है।

इतिहास में विस्थापन के कई रूप देखने को मिलते हैं। हम भारत तक ही सीमीत रहें और निकट अतीत पर नजर डालें तो भारत विभाजन में पंजाब और बंगाल के विभाजन और विस्थापन से जुडा कत्लेआम और दरींदगी को भुला पाना आसान नहीं है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवासन जाति-प्रथा को विस्थापन का मूल मानते हैं।

अभी हाल ही में 2009 में साहित्य नोबल पानेवाली हेरता मूलर की पुस्तक 'आटेशउकल' या उनकी प्रतिबंधित पुस्तक 'नींदरुंगन' जिसमें उन्होने निर्वासन के दर्द को बखुबी उभारा है। इसमें जर्मन के एक छोटे से गाँव के अन्याय और दमन की कथा है! यह लेखिका उल्लेखनीय इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी प्रथम कृति से ही निर्वासितों पर कलम चलाई है। मेरा यह लेख कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन तक ही सीमित है !

'पनुन कश्मीर' कश्मीरी ब्राह्मणों की मातृभूमि है जिससे उन्हें विस्थापित होना पड़ा। कश्मीरी पंडित इस विस्थापन के खिलाफ मोर्चा खोले हैं और अपनी मातृभुमि में पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे है ! उनका संगठित, संतुलित, संघर्ष कश्मीर घाटी में अपना पुनर्वास चाहता है।

कश्मीरी विस्थापितों का प्रश्न धर्म से नहीं जुडा है। यह तो उस जमीन से है जो उनकी है। जहाँ से उन्हें जबरन हटाया गया है। अग्निशेखर जी के अनुसार " निर्वासन में कश्मीर विस्थापितों को समाज जीवन के जिस हिस्से पर उपेक्षा की जिंदगी जीने के लिए ढोर-डंगरों जैसा छोड़ दिया गया है, स्कूल कॉलेजों में उनके बच्चों के साथ रोजगार के स्त्रोत तलाशने के दौरान,

कुल मिलाकर उनके मूलभूत मानवाधिकारों की बहाली के सवाल पर उनसे जिस तरह का भेदभाव हुआ वह अपनी तरह का नस्लभेद था। "क्षमा कौल जी कहती हैं ---

"अच्छा है दुःख परदो में रहता है

जैसे हम तंबुओं, कम्युनिटी हॉलों और तबेलों में रहते हैं।

वायुमंडल और शून्य के समक्ष" (बादलों में आगे)

जम्मू-कश्मीर का समकालीन सृजन जो मुख्यतः विस्थापन को लेकर है वह कश्मीरी भाषा के अलावा डोंगरी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी एवं गोजरी भाषा में हो रहा है। इन रचनाओं में विस्थापन की स्थिति के अनुभव कई प्रकार के है। इनमें खौफ, आशंका, पीड़ा, अविश्वास, बदहवासी से लेकर अनेक आशा विश्वास तथा नवनिर्माण के स्वप्न तक फैले हैं।

इस आंदोलन ने कई लेखकों को रचनाकर्म के लिए प्रेरित किया। अग्निशेखर, क्षमा कौल, चंद्रकांता, संतोषी, रतनलाल, रमेश मेहेरा, दिलीप कौल जैसे कई रचनाकार इस संदर्भ में अपनी कलम चला रहे है।

विस्थापन की पीडा को झेल रहे अग्निशेखर जी के चार कविता संग्रह प्रकाशित हैं। उनकी कविताएँ इस आंदोलन का साहित्यिक दस्तावेज है –

"माताएँ देख रही हैं

सीमा पार तैनात बेटों की राह

बह रहा है खून आर-पार

बिलख रही है माताएँ

प्यास की तरह कुचली जा रही हैं

दोनों के बीच

कोई नही उठा रहा

माताओं के मानवाधिकारों का सवाल

-“ माताएँ ” अग्निशेखर

यहाँ कश्मीरी घाटी में कट्टरवाद के कारण अपने घर से भागने पर विवश पिता की चिंता –

“तहखाने में कोयले की बोरियों के पीछे

छिपाई गई मेरी बहनें

पिता बिजली बुझाकर घूम रहें हैं

कमरें में यों ही

रोने बिलखने लगें हैं मुहल्ले के बच्चे

होंठ और किवाड

दोनों है बंद” 19 जनवरी 1990 ‘मुझसे छिन गई मेरी नदी’- अग्निशेखर

आशंका, भय, असुरक्षा के कारण घर छोड़कर भागने को मजबूर विस्थापितों के सामूहिक संहार के दृश्य हैं –

“पिता बैठ गए एक गली में

गर्व के साथ बोले –

चलो करते हैं धर्म परिवर्तन ही

और लौट जाएँगे

घने सितारों की छाँव में
वहीं मरेंगे अपनी मातृभूमि में
एक ही बार
पिता देखते रहे चुप अवाक्
और वहीं हो गए ढेर।" 'लू' वही

अग्निशेखर जी ने 'जीनोसाईड' नामक एक कविता में लिखा है –

"ठंडे पानी के पतीले में
तैर् रहा है मेंढक
नहीं जानता
अलाव है उसके नीचे।"

'ऐलान गली जिंदा है' और 'वितस्ता बहती है' के बाद चंद्रकांता जी का उपन्यास 'कथा सतीसर' कश्मीर के दुख–दर्द अत्याचार और साथियों से मिल-जुलकर रहनेवाली कौमों के आपसी मतभेद और अलगाव की एक ऐसी रोचक कथा है जिसे कथाकारा ने बडी गहराई से, लोगो की मानसिकता में बदलाव को उजागर करते हुए लिखा है। श्री विजेंद्रनारायण सिंह के अनुसार "कश्मीर का पौराणिक नाम सतीसर है। शिव की पत्नी सती के पुण्य से बना सरोवर सतीसर। यह कथा कश्मीर को केंद्र में रखकर लिखे गए 'नीलमत पुराण' में आई है।"

चंद्रकांता जी ने कश्मीर के प्रश्न को बड़े पैमाने पर रखा है। कथाकारा डर-डर के जी रहे वहाँ के बासिंदों को देखकर लगातार प्रश्न उठाती है। जो लोग यहाँ के रह्ने वाले हैं, जिनका यह प्रदेश है, जो यहाँ की संस्कृति में रच-पच के रहे है; उन लोगों को अपने ही प्रदेश में इतने वैमनस्य भाव से क्यों देखा जा रहा है? वह रसूल अहमद वलद महद्नू उर्फ ऋषि परंपरा का एक दुखद अंत देखती है। देहरी पर रखी मेहंदी में खून की महक महसूस करती है। दोस्तों को काफिर करार देने के फतवे देखती है। चंद्रकांता को अफसोस है कि अंतराष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीनियों की गूँज तो है मगर कश्मीरियों को नहीं है। कश्मीरी तो इसी प्रकार का निर्वासित निराश्रित

और आधारहीनों की तरह जीवन बिता रहे हैं। अपना घर अपनी जमीन सब कुछ होते हुए भी निर्वासितों की तरह टेन्ट में जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ् राजनैतिक मुद्दों को भी इस उपन्यास में स्थान दिया गया है जिससे कि उपन्यास की जमीन मजबूत बनती है। परंतु इसमें विस्थापितों का जो दर्द है, तड़प है, वही इसका मूल है।

'दर्दपुर', क्षमा कौल का विख्यात उपन्यास है जिसमें उन्होनें कश्मीरी पंडितों के दर्द को एक सुलगते हुए रूप में उभारा है। 2004 में प्रकाशित यह उपन्यास कश्मीर के प्रति वहाँ के लोगों का प्रेम, आपसी मेल-मिलाप और घर छोड्ने के दर्द से ओत-प्रोत है। कैद का संत्रास, सड़कों पर फैली लाशों का आतंक, उस पर अन्याय अत्याचार। एक जीता-जागता मरघट का चित्र खींचा है क्षमा जी ने। इसमें अपने मन पर हो रहे आघात का शोर सुनाई पडता है।

भाव, शब्द, घटनाएँ हैं कि चाबुक का प्रहार हैं। एक बानगी प्रस्तुत है- " मगर देखिए न ...... कुछ एकाध भट्ट जो यहाँ है..... उदास हैं। कुछ नही है .... यहाँ दीदी........ खासकर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है..... सिवाय उदासी के, पर मेरी बेंगलोर की एक मित्र खुश है.......आनंद में है.......।"

"तुम्हे कैसे पता ?"

"वह मुझे प्राय: ई-मेल करती है। में भी करती हूँ "

"उससे कुछ मदद मांगी?"

"हाँ वह मदद करने को तैयार है। पर में इस कैद से आजाद तो हो जाऊँ, जब में यहाँ से निकलूंगी हो नही तो वो भला क्या करेगी? यहाँ हम भट्टों के लिए कुछ नही रखा है।"

हमारे गाँव के लड़के केलिफोर्निया में सेटिल हो गए हैं। यहाँ कश्मीर में जिंदगी वहीं की वहीं रुक गई है...... बल्कि हमारे लिए तो .... मुद्दतों पीछे ही सरक गई है..... पत्थर के जमाने में। बेहद पीछे है......बहुत पीछे। पहले गाँव के

रईसों में मेरे पिता की गिनती थी। अब मुझे लगता है कि गाँव के रईस जम्मू के मुट्ठी कैंप के तंबुओं में रह रहे हैं...... और अमेरिका में रह रहे है। दिल्ली के कम्युनिटी हॉलों में रह रहे हैं। वो जो मेरे पिता से उधार लेते थे।"

सुधा के मन में आया कि कह दे कि का पुरुषों से हमारा समाज भरा पड़ा है नीरा.....

"डैडी परेशान हैं। सोचते है कि कुछ करना है उन्हें, पर तमाम रास्ते बंद दिखते हैं। अब जम्मू में हमारा कोई स्वागत नहीं करेगा। मैंने कहा न कि न हम घर के रहे न घाट के। डैडी का ट्रान्सफर भी कोई नही करेगा। हमें जम्मू में राहत भी नही मिलेगी..... ओ दीदी सचमुच हम कहीं के भी नहीं रहे। जम्मू में हमें शरणार्थी दर्जा भी नहीं मिलेगा।" (पृ.116-118)। दुखी मन का हाहाकार मन को क्षोभ से भर देता है।

क्षमा कौल ने "दर्दपुर" के पात्रों में देश-प्रेम की भावना को बडी सजीवता से चित्रित किया है।

"बस में यहाँ तीन दिन में ही घुट गई..... सिर्फ तीन दिनों में ... मैं कल वापस जा रही हूँ... यह सोच-सोचकर अपने ही अंदर लोट-पोट होती जा रही हूँ। सोचती हूँ जम्मू पहुँचकर सबसे पहले वहाँ की गलियों में दौड़ लगाऊँ और उन गलियों को चूमूँ.... जहाँ आत्मसम्मान हिलोरें मार रहा है...... जहाँ जीवन के समुद्र का ज्वार चढ़ा है... मुझे तो यहाँ से जम्मू को देखने की दृष्टि मिल गई है.... भले ही यहाँ डल झील हैं, उल्लर झील है, बागात हैं, हरमुकुट है, जोजीला के विराट द्वार हैं और रहस्यपूर्ण चीड़ और चिनार हैं मगर जिंदगी यहाँ से भाग चुकी है। मैं जम्मू की धरती को प्रणाम .... बारंबार प्रणाम करती हूँ..... लोट लोट जाऊँगी उस मिट्टी पर..... चूम लूंगी उस मिट्टी को, परिक्रमा करूंगी उसकी...... मैं उसके गीत लिखूंगी......मैं उसे धन्यवाद दूंगी.....।" (पृ.149-150)

इस प्रकार और अनेक देश-प्रेम, मानव-प्रेम, न्याय-प्रेम और आपसी प्रेम सौहार्द के उदाहरण मोतियों की तरह पूरे उपन्यास में बिखरे पड़े हैं। मेरा आग्रह है

कि संवेदनशील पाठक, जिन्हे पढ्नें में रुचि है और भू-स्वर्ग कश्मीर से प्रेम है क्षमा कौल जी का 'दर्दपुर' अवश्य पढ़ें।

समग्र रूप से देखने पर कश्मीरी विस्थापित साहित्य में अपनी जड़ों से उखाड़े जाने की पीड़ा, जातीय अपमान, नॉस्टेल्जिया, अस्मिता के विलोपन और धरोहर को बचाए रखने की चिंता, मातृभूमि पहुँचने की तीव्र ललक के साथ और अनेक बातें समाहित हैं। विषय पर और बहुत लिखा जा सकता है क्योंकि अपनी जमीन के लिए शरणार्थी शिबिर में रह रही अगली पीढ़ी भी संघर्ष कर रही है। यह उनकी संघर्ष गाथा होगी।

"चिनार अब ले रहा होगा
"अंगडाइयाँ
उतरकर जडो में
लेगा समाधि
पत्रों को कहकर विदा
याद करता होगा हमें
लेकर लंबी-लंबी सांसें
सारा शिशिर करूँगा तपस्या
कश्यप जी
कुछ तो करेगा ही तब
ईश्वर। "
'शरद बादल में आग' क्षमा कौल (पृ. 25)

समावेशी शिक्षा से जुड़े मुद्दे व चुनौतियाँ

डॉ. विनय कुमार सिंह
प्रोफेसर (समावेशी शिक्षा)
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016
मोबाइल न1: +91-9654319691
ई-मेल: vinay.singh303@yahoo.com

सारांश

एक समावेशी समाज की अवधारणा सभी मनष्यों की निहित गरिमा को बनाये रखने के लिए समाज में उनके सम्मान और समानता के भाव को संदर्भित करती है। समावेशी समाज, इसलिए, एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसमें सदस्य, भल ही उनकी अवस्था और विशेषताएँ विविध हों, समाज की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं है। यह सीखने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दर कर सभी विदयार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। समावेशी विद्यालय समावेशी नीतियों, समावेशी संस्कृतियों और समावेशी समर्थित है। गतिविधियों के संवद्र्धन पर बल देती है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का आधकार अधिनियम(आरटीई, 2009) में पड़ोस के विद्यालयों में समावेशी वातावरण में अन्य सभी बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अपेक्षित है। अवरोध मुक्त वातावरण, सुगम्य विद्यालय

भवन, शिक्षकगण, शिक्षण सामग्री व उपकरण, निःशुल्क विद्यालयी पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था, आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश और विशेष प्रशिक्षण की सुविधा, विद्यालयों के लिए निर्धारित मानक और मानदंड, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के अनुकूल और बाल-। केंद्रित अधिगम विधियाँ, समकालीन व व्यावहारिक माध्यम से सीखना, बच्चे की मातृभाषा में निर्देश, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में शिक्षण, अतिरिक्त निर्देश और व्यक्तिगत सहयोग व समर्थन प्रदान करना, सतत् व समग्र मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग और शिक्षकों का प्रशिक्षण इत्यादि इस अधिनियम (आरटीई, 2009) के प्रमुख निर्देश हैं। विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था यह मानती है कि सीखने में बाधाएं शिक्षा-प्रणाली के किसी भी स्तर पर उत्पन्न हो सकती हैं जो विद्यार्थियों के शिक्षा से अलगाव और उनके हाशिए पर जाने का कारण बन सकती है तथा उनकी पूर्ण भागीदारी और शिक्षा के समान अवसरों में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः शिक्षा व्यव्स्था में सुधार लाने हेतु इस प्रपत्र में कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं, जिस पर हम सभी को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

एक समावेशी समाज की अवधारणा सभी मनुष्यों की निहित गरिमा को बनाये रखने लिए समाज में उनके सम्मान और समानता के भाव को संदर्भित करती है। समावेशी समाज, इसलिए, एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसमें सदस्य, भले ही उनकी अवस्था और विशेषताएँ विविध हों, समाज के सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले

सकें। अत :समावेशी शिक्षा, ऐसे समाज के निर्माण में सभी बच्चों और वयस्कों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण बन जाता है।

समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं है। यह सीखने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी बच्चों को सीखने का अधिकार है, बस उन्हें सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे अलग-अलग हैं और उनकी आवश्यकताएं अलग-अलग हैं। समावेशी शिक्षा विविधताओं का सम्मान करती है। चूंकि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा कई अंतर-संबंधित कारकों, जैसे कि बच्चे की आवश्यकताएं, विविधताएं, सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश, उनकी क्षमताएं व उनकी परेशानियाँ, उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था व आवश्यक उपकरण तथा सेवाएं इत्यादि पर निर्भर करती है, जिनमें से अधिकांश सभी बच्चों की शिक्षा पर भी लागू होती हैं और जिनमें से कुछ दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट होती हैं, इसलिए दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि, समावेशी शिक्षा आम कक्षाओं में दिव्यांग बच्चों की शारीरिक उपस्थिति मात्र से कहीं आगे बढकर समावेशी विद्यालय के विकास को बढ़ावा देती है। यह नियमित शिक्षा में ऐसी परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देती है, जो समावेशी विद्यालय के विकास के तीन प्रमुख स्तंभों यानी समावेशी नीतियों, समावेशी संस्कृतियों और समावेशी समर्थित गतिविधियों के संवर्द्धन पर बल देती हैं। समावेशी नीतियां यह बताती हैं कि एक समावेशी विद्यालय कैसे चलाया जाता है, विद्यालयों में क्या-क्या बदलाव की आवश्यकता है और इसके लिए क्या-क्या योजनाएं है? समावेशी संस्कृतियां समाज के गूढ मूल्यों और मान्यताओं के बीच के संबंधों

को दर्शाती हैं। समावेशी शिक्षा समर्थित गतिविधियाँ यह बताती है कि क्या सीखा और सिखाया जाये और यह कैसे सीखा और सिखाया जाये। समावेशी विकास तब होता है जब वयस्क और बच्चे अपने कार्यों को समावेशी मूल्यों से जोड़ते हैं और मिलकर पहल करते हैं। यह बच्चों की पृष्ठभूमि, हितों, अनुभवों, ज्ञान और कौशलों की विविधता के प्रति विद्यालय की संवेदनशीलता और जवाबदेही बढाने के लिए सहयोग प्रदान करती है। यह सभी के लिए शिक्षा की एक समावेशी प्रणाली के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से प्रणालीगत सुधारों पर जोर देता है। विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के संदर्भ में यह विद्यार्थियों की शिक्षण-अधिगम को केंद्र में रखता है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था यह मानता है कि सीखने में बाधाएं शिक्षा -प्रणाली के किसी भी स्तर पर उत्पन्न हो सकती हैं जो कारण हो सकती हैं, जो विद्यार्थियों के शिक्षा से अलगाव और उनके हाशिए पर जाने का कारण बन सकती है जो उनकी पूर्ण भागीदारी और शिक्षा के समान अवसरों में अवरोध उत्पन्न करता है। इस दिशा में सरकार के द्वारा की गयी पहल हाल के कुछ वर्षो में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा प्रदान करने संबंधी विभिन्न सरकारी गतिविधियों, नीतियों और कार्यक्रमों में झलकती है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ कराने और विद्यालयों में उनके नामांकन व ठहराव के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम) आरटीई, (2009) में पड़ोस के विद्यालयों में समावेशी वातावरण में दिव्यांग बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अपेक्षित है। अवरोध मुक्त वातावरण, सुगम्य विद्यालय भवन, शिक्षकगण, शिक्षण सामग्री व उपकरण, निःशुल्क विद्यालयी पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था, आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश और विशेष प्रशिक्षण की सुविधा,

विद्यालयों के लिए निर्धारित मानक और मानदंड, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बच्चों के अनुकूल और बाल-केंद्रित अधिगम विधियाँ, समकालीन व व्यावहारिक माध्यम से सीखना, बच्चे की मातृभाषा में निर्देश, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में शिक्षण, अतिरिक्त निर्देश और व्यक्तिगत सहयोग व समर्थन प्रदान करना, सतत् व समग्र मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग और शिक्षकों का प्रशिक्षण इत्यादि इस अधिनियम) आरटीई, (2009) के प्रमुख निर्देश हैं। हालाँकि, अब भी, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही है। अत : दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं-:

दिव्यांग या संभावित दिव्यांगता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, सेवाएँ और विद्यालयी पूर्व शिक्षा कार्यक्रम :कम उम्र में ही बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान उन्हें बाद के जीवन में चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए माता-पिता, देखभाल करने वालों और अन्य हितधारकों के संवेदीकरण, उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण अनिवार्य हो जाते हैं। सभी प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल कार्यक्रम वर्ष से बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होना चाहिए, जिसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, आयु-उपयुक्त खेल और सीखने की सामग्री का उपयोग और अभिभावकों के लिए परामर्श सेवाएँ प्रमुख हैं रा.शै.अ.प्र.प., (2006) विद्यालयी पूर्व स्तर पर, मौखिक और अर्थहीन अधिगम की जगह, सर्वांगीण बाल विकास हेतु बहु-संवेदी उद्दीपनों का समागम, भाषा-विकास, अकादमी-पूर्व कौशल और विकास के सभी क्षेत्रों में उपचारात्मक उपायों का प्रयोग किया जाना

चाहिए। संभावित दिव्यांगता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक आकलन का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए संवाद कौशल, स्व-सहायता कौशल, सामाजिक कौशल और विशिष्ट गत्यात्मक कौशल इत्यादि विद्यालयी पूर्व शिक्षा की पाठ्यचर्या में समावेशित किया जा सकता है। संभावित दिव्यांगता वाले बच्चों के उपचारात्मक उपायों में उनकी विशेष आवश्यकताओं के साथ-साथ शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और भाषा विकास में कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपकरणों, यंत्रों, श्रव्य-दृष्य सामग्रियों और सहायक सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए पिछले दो दशकों से अधिक के प्रयासों के बाद भी, इन बच्चों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, रूढ़ धारणाएं, पूर्वाग्रह और मनोवृत्ति हमारे समाज में अब भी विद्यामान हैं कि ये बच्चे आम विद्यालयों में पढाये नहीं जा सकतें हैं। उन्हें लगता है कि 'इन बच्चों को सीखाने का कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ समय, धन और अन्य संसाधनों का अपव्यय है और विशेष विद्यालय ही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं'। समाज में व्याप्त ये मनोवृत्तियाँ इन बच्चों को अन्य सभी बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं जो कि उनका शिक्षा का अधिकार है)शुक्ला और सिंह, (2011) सभी योजना निर्माताओं और शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि इन बच्चों को अन्य बच्चों के साथ सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है और यह उनका मानवाधिकार भी है।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और आवश्यक सहायता सेवाएँ :शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009के अनुसार बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक पड़ोस के

विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। हालाँकि, अल्प और मध्यम गंभीरता वाले दिव्यांग बच्चों को नियमित विद्यालयों में दाखिला दिया जा रहा है और गंभीर दिव्यांगता वाले कुछ बच्चों को सर्व/समग्र शिक्षा अभियान के तहत गृह-आधारित शिक्षा मिल रही है। दिव्यांग बच्चों की बहुआयामी आवश्यकताओं के कारण, शिक्षकों को अन्य बच्चों के साथ अल्प और मध्यम गंभीरता वाले दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें विशेष शिक्षकों, उपचारात्मक शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सक और थेरैपिष्ट आदि की एक बहु-विषयक टीम द्वारा कई पहलुओं की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। समावेशी शिक्षा में सहायक इन विशेषज्ञों और सहायक सेवाओं की उपलब्धता का अभाव है। जिसके कारण विद्यालयों में नामांकित बच्चे या तो नियमित रूप से कक्षा की गतिविधिओं में प्रतिभागिता नहीं कर पाते हैं या फिर विद्यालय छोड़ने को बाध्य हो जाते हैं) शुक्ला और सिंह, (2011) बहु-दिव्यांगता और संबद्ध दिव्यांगता की कई स्थितियों में तो उनकी शिक्षा की स्थिति और भी दयनीय हो जातीं है।

समावेशी विद्यालय :सभी बच्चों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वे शहरी क्षेत्रों के हों या ग्रामीण परिवेश के। इसके लिए एक स्पष्ट सशक्त निति की आवश्यकता है जिसमें आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी हो। यह एक ऐसी सूचना और संप्रेषण की परिकल्पना करता है जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों से निपटा जा सके और आवश्यक जानकारी दी जा सके। इसके लिए अधिकारियों व शिक्षकों के उन्मूखीकरण व प्रशिक्षण हेतु व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसके साथ ही सहायक सेवाओं का प्रावधान भी समय पर किया जाना चाहिए। समावेशी विद्यालयों की सफलता

के लिए विद्यालयी शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे कि विद्यालयी संरचना, भवन, पाठ्यचर्या, शिक्षण-अधिगम प्राविधियाँ, मूल्यांकन की प्रक्रिया, मानव संसाधन, विद्यालयी लोकाचार, और पाठ्येतर गतिविधियों इत्यादि में सुधार आवश्यक हैं।रा.शै.अ.प्र.प., 2006)

सभी विद्यालयों को कैसे समवेशी बनायें:

- बच्चों के निवास वाले क्षेत्रों में ही सुविधासम्पन्न विद्यालयों की स्थापना करना
- सीखने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
- विद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाओं) छटनी, पहचान, माता-पिता का साक्षात्कार, चयन और मूल्यांकन इत्यादि (द्वारा बनाई गई बाधाओं की समीक्षा कर उन्हें दूर करना
- समावेशी विद्यालय, जिसमें निजी विद्यालय भी शामिल हैं, के शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन करना,
- दिव्यांग व अन्य बच्चों की विविधता को समायोजित करने के लिए पाठ्यचर्या को अनुकूल, लचीला और उपयुक्त बनाना,
- सहायता सेवाएँ जैसे कि सहायक उपकरण, विशेषज्ञों की सेवाएँ, शिक्षण-अधिगम सामग्री और प्रौद्योगिकी का प्रयोग इत्यादि सुनिश्चित करना,
- शिक्षा के विभिन्न चरणों में माता-पिता, परिवार और समुदाय को शामिल करना।

अवरोध मुक्त विद्यालयी वातावरण :अवरोध मुक्त वातावरण एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन, कार्य करने के लिए स्वतंत्र और सुगम्य वातावरण प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी उम्र,

लिंग या अवस्था का हो। इसका अभिप्राय ऐसा स्थान या ऐसी सेवाओं से है जो बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से, सभी की गरिमा बनाए रखते हुए, सभी के लिए सुलभ हों) सिंह, (2012) वातावरण का अर्थ भवन, सड़क, पार्क, उद्यान और अन्य सभी स्थानों, सेवाओं, परिवहन के साधन, दैनिक उपयोग के उत्पाद आदि से हैं। अवरोध मुक्त विद्यालयी वातावरण बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य विद्यालय के अधिकारियों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से, पूरे विद्यालय में आवागमन व उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने का वातावरण प्रदान करता है। विद्यालय में बच्चों और अन्य सभी को स्वतंत्र रूप से कामकाज करने के लिए वातावरण प्रदान करने के लिए अवरोध मुक्त संरचना का निर्माण होना चाहिए, ताकि वे रोजमर्रा की गतिविधियों में बिना किसी तरह की सहायता के भाग ले सकें। इनके अलावा, अन्य बाधाओं की पहचान कक्षा में पठन-पाठन के दौरान शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग और सहायक उपकरणों के अनुप्रयोग, आकलन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं, समाज के नकारात्मक और रूढ़िबद्ध रवैये, शिक्षकों, विशेषज्ञों, कर्मचारियों और मात-पिता के बीच समन्वय और संवाद की कमी इत्यादि के रूप में की जा सकती है। दिव्यांग और अन्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, इन बाधाओं को दूर कर शिक्षा के अनुकूलन और संशोधनों की दिशा में उचित प्रयास किए जानी चाहिए) सिंह, (2012)

विद्यालय और उसके आस-पास का वातावरण :दिव्यांग व अन्य बच्चे घर से विद्यालय जाने में क्रम में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं जैसे कि उन्हें घर से निकलकर पैदल रास्ते तक जाने में, सड़कों को पार करने, वाहन में प्रवेश करने, वाहन से बाहर निकलने, विद्यालय के पास के पैदल रास्ते पर चलते हुए, विद्यालय भवन के प्रवेश द्वार तक पहुँचने, विद्यालय में

प्रवेश करते हुए, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हुए, शौचालय तक पहुँचने, पानी पीने, मध्यान्ह भोजन करने, शिक्षकों के कमरे में प्रवेश करते हुए, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, खेल और मनोरंजन सामग्री या अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है) सिंह, (2012) ये सारी शारीरिक बाधाएँ हैं।

कक्षा का वातावरण :विद्यालयों में बच्चों को पाठ्यचर्या के कारण कक्षाओं में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पाठ्यचर्या से संबंधित चुनौतियाँ, विषय-वस्तु का चयन,) यदि बच्चे के वर्तमान स्तर से मेल नहीं खाता हो) शिक्षण पद्धति और शिक्षण-अधिगम सामग्री का उपयोग, बच्चों के शिक्षण-अधिगम में शिक्षकों का व्यवहार व उनका रवैया, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, भाषाई कठिनाइयाँ, सामाजिक-आर्थिक कारकों में असमानताएँ, संसाधनों की अपर्याप्तता और समर्थन सेवाओं का अभाव इत्यादि) सिंह, (2012) कक्षा में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण, परस्पर संबंधों व मनोरंजक विधियों के प्रयोग का अभाव है। कक्षाकक्ष की गतिविधियाँ मजेदार नहीं हैं। दिव्यांग बच्चों का यदि आकलन किया जाता है और उसके बाद उनकी पहचान होने पर वे अपनी कक्षा में ही कई बार अलग-थलग रह जाते हैं। पाठ्यचर्या बच्चों की जरूरतों के अनुकूल नहीं है। भाषा, विज्ञान और सीखने के तार्किक-गणितीय क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है। जबकि, पाठ्यचर्या के अन्य क्षेत्र अप्रभावी रह जाते हैं। कक्षा में शिक्षण-अधिग़म की प्रक्रिया बाल-केंद्रित न होकर विषय-वस्तु व अवधारणा पर आधारित है और बच्चों को रटाकर याद करने पर ज्यादा जोर दिया जाता हैं। परीक्षा के परीणाम को ही विद्यालयी शिक्षा की सफलता मान किया जाता है) शुक्ला और सिंह, (2011) सफलता की ऐसी परिभाषा अपने

आप में ही एक बाधा है, जो कई बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण, वंचित और दिव्यांग बच्चों को विद्यालय से बाहर निकलने पर विवश कर देती है।

समावेशी पाठ्यचर्या :पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री दिव्यांग बच्चों की निहित विशेषताओं और सीखने में उनकी व्यक्तिगत विविधताओं को नहीं पहचान पाती हैं। शिक्षा व्यवस्था में जड़ता व उसके समरूप शिक्षा का स्वरूप, पारंपरिक शिक्षण-अधिगम पद्धति और मूल्यांकन प्रक्रिया इन बच्चों की सीखने में उनकी प्रतिभागिता में बाधा उत्पन्न करती हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक तरह की ही पाठ्यचर्या होनी चाहिए, न कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक अलग पाठ्यचर्या और अन्य विद्यार्थियों के लिए कोई अलग पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या में लिंग, जातीयता, जनजातीय समूह, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और क्षमता या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए शुक्ला और सिंह, (2011) एक समावेशी पाठ्यचर्या की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विविधताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को संगठित और व्यवस्थित किया जाए, जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने की गुंजाइश हो। पाठ्यचर्या का लचीलापन ही सभी विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी आवशयकताओं की पूर्ति करने में सक्षम सिद्ध हो सकता है। समावेशी पाठ्यचर्या को सुलभ बनाने के लिए विद्यालयों व कक्षाकक्ष में सरल भाषा का प्रयोग, बच्चों की मातृभाषा रा.शै.अ.प्र.प., (2006) में पठन -पाठन, भाषा के विभिन्न प्रारूपों व माध्यमों जैसे कि सांकेतिक भाषा, वैकल्पिक व संवर्द्धित भाषा, ब्रेल लिपि का प्रयोग, श्रव्यात्मक विषय-वस्तु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, (2016) के द्वारा से जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है।

शिक्षण-अधिगम की विधियाँ और शिक्षण-सामग्रियों की सुलभता : अधिकांश शिक्षक दिव्यांग व अन्य विद्यार्थियों को एक साथ एक ही कक्षाकक्ष में सीखाने के विभिन्न शिक्षण तकनीकों से परिचित हैं, जैसे कि समूह-शिक्षण विधि, सहपाठी-शिक्षण विधि, धीरे और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, न सुन सकने वाले बच्चों की तरफ देखकर बोलना जिससे वे होठों को पढ़ सकें, लिखने तथा व्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों ब्रेल,सांकेतिक, डिजिट्ल, भाषा बोर्ड आदि की सुविधा प्रदान करना, श्यामपट्ठ पर मुख्य बिंदूओं को लिखना इत्यादि। इसके लिए विशेष शिक्षक की सहायता की हमेशा आवश्यकता होती है जिससे शिक्षक विषय-वस्तु और निर्देशात्मक रणनीतियों में व्यक्तिगत लक्ष्यों को समायोजित कर शिक्षण-अधिगम गतिविधियाँ आसानी से कर पाता है। समावेशी शिक्षण रणनीतियाँ, जैसे कि, विभेदित अनुदेशन की विधि, भाषायी व सांस्कृतिक पूंजी का प्रयोग, संस्कृति-प्रासंगिक प्राविधियाँ और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण-अधिगम, सहकारी शिक्षा, पाठ्यचर्या का अनुकूलन, व्यक्तिगत निर्देश आदि का प्रयोग अक्सर समावेशी कक्षाओं रा.शै.अ.प्र.प., (2006) में किया जा रहा है। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विषयों में सामग्रियों का अनुकूलन, संशोधन या वैकल्पिक गतिविधियों का प्रावधान, बच्चों की उम्र और सीखने के स्तर के अनुरूप संदर्भ सामग्रियों की सुलभता, कक्षाओं का उपयुक्त प्रबंधन उदाहरण के लिए, शोर, पर्याप्त रौशनी, बैठक व्यवस्था का प्रबंधन आदि, सूचना व संप्रेषन प्रौद्योगिकी तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से या श्रव्य-दृष्टिगोचर सामग्रियों का उपयोग कर, अतिरिक्त सहायता का प्रावधान ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो विभिन्न विषय-वस्तुओं तथा शिक्षण सामग्रियों को सुलभ बनाने के लिए सुझाए जाते हैं।

मूल्यांकन प्रक्रिया :सीखने के प्रतिफलों के आकलन व मूल्यांकन का परंपरागत दृष्टिकोण दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता की दिशा में एक प्रमुख अवरोध है। मानकों और प्रतिस्पर्धा के आधार पर मूल्यांकन और प्रोन्नति के मानदंड इन बच्चों में निहित विविधताओं व सीखने के तरीके व गति के प्रतिकूल होते हैं) शुक्ला और सिंह, (2011) समावेशी विद्यालयों में सतत् और समग्र मूल्यांकन सी.सी.ई .प्रक्रिया, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक नियमित गतिविधि है, को विद्यालय में क्रियांवित करने हेतु एक योजनाबद्ध तरीके से लचीली विधि विकसित कर अपनायी जानी चाहिए। यह विद्यार्थिओं के समग्र विकास जैसे कि बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तिगत-विशेषताओं, रूचियों व मानव-मूल्यों को व्यक्त करतीं हैं। विद्यालय आधारित सतत् एवं समग्र मूल्यांकन हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों, तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है जिसका प्रयोग शिक्षकों या फिर मूल्यांकन-दल द्वारा किया जा सकता है। समावेशी विद्यालयों में दिव्यांग व अन्य सभी बच्चों के मूल्यांकन हेतु सी.सी.ई अपनी अंतर्निहित सिद्धांतों, विशेषताओं तथा लचीलापन के कारण सबसे उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है शुक्ला और सिंह, (2011) शिक्षकों को बच्चों के सीखने के प्रतिफलों के मूल्यांकन हेतु न केवल सीसीई या विद्यालय आधारित आकलन के प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों की प्रगति के साथ-साथ उनकी सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं व उपलब्धियों के संकलन तथा संरक्षण पर भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

मानव संसाधन :विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में मानव संसाधनों व विशेषज्ञों की अपर्याप्तता के कारण, आम विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों का समावेशन व उन्हें

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यहां तक कि अगर दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में दाखिला मिल भी जाता है, तो निष्पादनकर्ताओं को आवश्यक शैक्षिक और चिकित्सीय सेवाओं को उपलब्ध कराने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है शुक्ला और सिंह, (2011) ऐसी चुनौतियाँ कई स्तरों पर सामने आतीं हैं जो शुरूआता में ही माता-पिता को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने से ही आरंभ हो जाती है और संदर्भ शिक्षकों और विशेषज्ञों की विद्यालयों में नियमित सेवाओं की व्यवस्था और उपलब्धता, यंत्रों व सहायक उपकरणों का प्रयोग जहाँ आवश्यक हो, निष्पादकों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच उत्तरदायित्वों का साझा निर्वाह करने इत्यादि तक निरंतर बनी रहती है। संसाधन कक्ष, प्रखण्ड या संकूल केंद्रों में स्थित हैं और इन केंद्रों से संसाधन या सेवाएँ प्राप्त करना या फिर दिव्यांग बच्चों को प्रखण्ड या संकूल केंद्रों तक लाना और वापस ले जाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है।

शिक्षक प्रशिक्षण :समवेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सीखाने के लिए शिक्षक तैयार नहीं हैं और कभी-कभी दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने व उन्हें पढ़ाने-सीखाने से भी वे डरते हैं। सह-रुग्णता वाले दिव्यांग बच्चों में उनकी शिक्षा पर इसका समाकलित प्रभाव पड़ता है, ऐसी स्थिति में न तो कोई एकल / पृथक पद्धति ही और न ही संयोजित पद्धति ही कार्य करती हैं। इसके लिए शिक्षक को ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उन्हें रचनात्मक होना जरूरी है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि समावेशी विद्यालयों के शिक्षकों का नियमित रूप से गहन प्रशिक्षण किया जाए। आवश्यकता इस बात की भी है कि योग्य व सक्षम विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए तथा प्रखण्ड या संकूल केंद्रों के बजाए उनकी

सेवाएं विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जायें शुक्ला और सिंह, (2011) यद्यपि सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अब दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित विषय-वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं, परंतु वास्तविक समावेशी कक्षाओं में जहाँ दिव्यांग बच्चे भी अध्ययन कर रहे हैं, उनका ठीक से अभ्यास नहीं हो रहा है या यूँ कहें कि अभ्यास किया नहीं जा रहा है। जिसके कारण शिक्षकों में शिक्षण-अधिगम के विभिन्न पहलुओं, मुद्दों व सरोकारों की समझ भी विकसित नहीं हो पा रही है, जैसे कि कक्षा में विविध समूहों की आवश्यकताओं का संबोधन, पाठ्यचर्या अनुकूलन, सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण-अधिगम और विभेदीय व विविध मूल्यांकन इत्यादि। व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करना और इन योजनओं को नियमित कक्षा शिक्षण या फिर उसके समानांतर क्रियांवित करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। विशेष शिक्षकों को किसी विशेष प्रकार के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा या उपचारात्मक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और किसी ऐसी अवस्था में जैसे जहाँ पर दृश्य या श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, वे उन दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को कुशल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका प्रशिक्षण किसी अन्य दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए होता है। वास्तव में शिक्षकों को समावेशी विद्यालयों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। अत :यह आवश्यक हो गया है कि प्रशिक्षण के बहुमूल्य समय में शिक्षकों में उचित मनोवृत्ति, कौशल और दक्षता विकसित की जाय रा.शै.अ.प्र.प., 2006)।

शिक्षक प्रशिक्षण में उपयोगी वाले कुछ उपायः

- समावेशी कक्षाओं में आवश्यक शिक्षण-कौशल विकसित करने के लिए सभी शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन, दोनों में बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति संवेदंशीलता विकसित करना।
- समावेशी शिक्षा के अनुपालन के लिए, सभी शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन, दोनों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- विविधता के लिए सम्मान और एक समावेशी समाज की अवधारणा को विकसित करने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यचर्या की रूपरेखा में मानवाधिकार शिक्षा का एक घटक भी शामिल किया जाना चाहिए।

विद्यालय प्रबंधन समिति वि.प्र.स : दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उन्हें सुलभ कराने में विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वि.प्र.स .के सदस्य गाँव और विद्यालय में इन बच्चों की पहचान करने, उनकी जरूरतों को समझने, सीखने के लिए बुनियादी संरचना को उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित मानव संसाधन शिक्षकों की व्यवस्था करने, समावेशी कक्षागत गतिविधियों में सुधार लाने, मूल्यांकन की प्रक्रिया को ब्च्चों के अनुकूल बनाने, अभिभावक परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने, आवश्यक वित्तीय और अन्य सहायक सेवाओं की व्यवस्था करने में पहल कर सकते हैं सिंह, (2012) वे सभी बच्चों के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने और शाला त्यागी संभावित बच्चों को विद्यालयों में रोकने के लिए समुदाय के सदस्यों, विद्यालय के अधिकारियों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। वे समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन नीति में सुधार करने, विद्यालय-

कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने, बाल -केंद्रित शिक्षण विधियों को लागू करने, सीखने के प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित करने और शिक्षकों की सेवा-कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने इत्यादि के लिए वि.प्र.स .के सदस्यों की सक्रियता बढ़ा सकते हैं। सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने, उनकी गुणवत्तपुर्ण शिक्षा प्राप्ति का अवलोकन तथा आकलन करने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना करने में भी सहयोग कर सकतें हैं। बच्चों की रुचियों और उनकी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें अपनी क्षमता व दक्षता विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए विद्यालयों और शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने पर वे लगातार जोर दे सकते हैं। वे विद्यालयों के विकास पर लगातार, समय-समय पर और रचनात्मक प्रतिक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं। वे शिक्षा अर्जन हेतु सभी बच्चों को प्रेरित करने के तरीके खोज सकते हैं। सिंह, (2012) उन्हें विद्यालय और समुदाय के बीच संपर्क बढ़ाकर संबंधों में सुधार करना चाहिए, साथ ही शिक्षा संस्थानों और शिक्षा से संबंधित अन्य संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाना चाहिए।

शोध अध्ययन :दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किए गए शोध अध्ययन मुख्य रूप से वैचारिक और सैद्धांतिक हैं। शिक्षा साहित्य में बहुत कम प्रयोगात्मक शोध किए गए हैं और कार्यान्वयन पर आधारित शोध भी कम हैं। समाज के विभिन्न वर्गों पर और दीर्घकालीन अध्ययन भी बहुत कम हुए हैं। अधिकांशत :किए गए शोध अध्ययन समावेशी शिक्षा अनुसंधान संबंधी विषयों पर जनसांख्यिकीय, मनो-सामाजिक, सांस्कृतिक, नैदानिक और पारिवारिक सह-संबंधों पर केंद्रित हैं। ऐसे बच्चों की शिक्षा पर विभिन्न हितधारकों की धारणाओं के आकलन पर अधिकांश शोध किए गए है। समावेशी और विशेष

शिक्षा, दोनों के लिए आवश्यक शिक्षकों की दक्षताओं के प्रति उनके झुकाव से संबंधित शोध बहुत सीमित हैं। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध, कक्षाकक्ष की गतिविधिओं पर होने वाले अध्ययन में शिक्षण– अधिगम में आने वाले अवरोधों और अन्य प्रासंगिक कारकों, हस्तक्षेपों के प्रभाव आदि शामिल किए जा सकते हैं। शोध के तरीकों में मात्रात्मक, गुणात्मक या फिर दोनों विधियाँ शामिल की जा सकतीं हैं। विकेंद्रीकृत स्तरों जैसे कि विद्यालयी स्तर पर राष्ट्रीय अध्ययनों की पहल की जानी चाहिए। विद्यालयों को भी चाहिए कि अपने स्तरों पर कक्षागत गतिविधियों से संबंधित शोध अध्ययन करें। विद्यालयी संबंधी मानकों और मानदंडों के अनुसार विद्यालय की सार्वभौमिक संरचना पर भी सर्वेक्षण-अध्ययन किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर कक्षाकक्ष की गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन शोध-विषय का केंद्र बिंदू होना चाहिए।

संदर्भ:

- रा.शै.अ.प्र.प .(2006) स्थिति पत्र :दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर राष्ट्रीय फोकस समूह। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
- शुक्ला, नी .और सिंह, वि कु (2011)बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा :चुनौतियां और मुद्दे। मानसिक मंदता- एक आत्मनिरीक्षण। समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रपत्र संकलन (1118)। दिव्यांगता प्रबंधन और विशेष शिक्षा संकाय, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोयंबतूर।

- सिंह, वि.कु (2012).समावेशी संस्थाओं में दिव्यांग बच्चों को समझना। समावेशी शिक्षा पर विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए प्रशिक्षण संदर्शिका। नई दिल्ली, इग्नू।
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2006 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

स्त्री की बदलती छवि और सिनेमा

-अभिजीत सिंह
Dr. Abhijeet Singh
Assistant Professor in Hindi
Govt. General Degree College
Jalpaiguri, West Bengal
abhisingh1985123@gmail.com
Mob : 9831778147

सिनेमा ने अपने सौ वर्ष पूरे किये। सौ वर्षों की यह प्रक्रिया निरंतर कई उतार-चढ़ावों से भरी हुई है। लेकिन भारतीय सिनेमा आज जिस जगह खड़ा है वहाँ से इसे देख कर एक बारगी संतोष या असंतोष नहीं जताया जा सकता, क्योंकि सिनेमा बतौर 'विधा' एक 'लोकतांत्रिक विन्यास' रहा है और लोकतांत्रिकता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तत्व बड़ी सहजता से शामिल रहते हैं। 'लोकतांत्रिक विन्यास' इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सिनेमा ने समाज को एकाधिक कोणों से प्रभावित किया है और समाज की बहुविध छवि हमारे सामने रखी। इसी कारण कई बार इसकी प्रशंसा हुई, तारीफों के कसीदे पढ़े गए तो कई बार तीखी टिप्पणियों और आलोचना का दंश भी झेलना पड़ा।

स्त्री हमेशा से सिनेमा का अभिन्न अंग रही है। लेकिन आज स्त्री की छवि वह नहीं रही जो शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। एक समय था जब श्याम-श्वेत फिल्मों में नाक पर अपने पति को 'स्वामी' पुकारती स्त्री बड़े पर्दे पर चाहे कितनी ही गम्भीर और संवेदनशील दिखने की प्रयास करती हो - लेकिन उसकी संवाद शैली और फिल्म में हाशिए का किरदार दर्शकों के

लिए हास्य साधन ही हुआ करता था। वह स्त्री अपने पिता और पति तक सीमित है - अन्य सामाजिक सरोकारों से अछूती और वंचित। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय कोई आगे की सोचने वाला था ही नहीं। 1957 में महबूब खान की निर्देशन में आई फिल्म 'मदर इंडिया' की नर्गिस को कौन भूल सकता है जिसने एक संघर्षशील पत्नी और माँ का किरदार निभाया था। फिल्म में 'राधा' का किरदार निभाने वाली नर्गिस का संघर्ष आज की तरह का कैरियरिस्ट संघर्ष नहीं था। वह संघर्ष था अपनी जवानी में विधवा हो चुकी एक गरीब औरत का जिस पर गाँव के महाजन 'सुखी लाला' की लालची नजर बराबर गड़ी रहती है। वह संघर्ष था बाढ़ में अपना सब कुछ खो देने वाली औरत का जिसके जिम्मे उसके दो बच्चे बच जाते हैं और इसी जीवन संग्राम मे वह अपने बच्चों को बड़ा करती है और अंत में डाकू बन चुके अपने एक बेटे 'बिरजू' (सुनील दत्त) को उसी सुखी लाला की बेटी को अगवा करने से रोकने के प्रयास में गोली मार देती है। स्त्री का यह लीजेंड्री रूप उस समय फिल्म ने रखा था जब उसके ऐसे रूप और कर्तव्य परायणता की बात कल्पना से बाहर थी। पृथ्वीराज चौहान, दिलीप कुमार और मधुबाला अभिनीत फिल्म 'मुगल-ए-आजम' तक स्त्री का मरना-जीना उसकी अपनी मर्जी पर नहीं था। उसमें भी पुरुष सत्ता का हस्तक्षेप था। जब 'मुगल-ए-आजम' में अकबर, अनारकली से कहता है कि -"सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। "1 तो बात और साफ हो जाती है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वह बदलता भी है और बदला भी है। 70 के दशक में जिन नायिकाओं का दौर आता है वो नायकों के साथ उनके हर कृत्य में भागीदारी देती हैं। ये दौर जीनत अमान और परवीन बाबी जैसी बोल्ड अदाकाराओं के उद्भव का दौर था। 1978 में हिंदी सिनेमा के लीजेंड कहे

जाने वाले राज कपूर साहब के निर्देशन में आई फिल्म 'सत्यम शिवम सुंदरम' की 'रूपा' (जीनत अमान) को कौन भूल सकता है जिसने नायक 'राजीव' (ऋषि कपूर) को सत्य के सुन्दर और सार्वभौम होने का आभास अपने रूप की कुरूपता में कराया था। 1967 में आई दिलीप साहब की फिल्म 'राम और श्याम' की पृष्ठभूमि पर ही बनी 1972 में 'सीता और गीता' जिसमें हेमा मालिनी का बिंदास 'गीता' वाला चरित्र खासा सराहा गया था क्योंकि मर्दों के दाँत खट्टे करती लड़की को पर्दे पर देखना उस दौर में किसी रोमांच से कम न रहा होगा। वैसे 'सीता और गीता' से पहले 1968 में आई फिल्म 'आँखें' में 'माला सिन्हा' ने जिस तरह एक जांबाज, शातिर और देशभक्त जासूस का किरदार निभाया था उसने हिंदी सिनेमा में इस बात का अलार्म तो दे ही दिया था कि स्त्री अब अपने बने-बनाए ढाँचे से बाहर निकल रही है।

इसी कड़ी में 1976 में निहार रंजन गुप्ता के बांग्ला उपन्यास 'रात्रीर यात्री' पर दुलाल गुहा के निर्देशन में बनी फिल्म 'दो अनजाने' में एक महत्वाकांक्षी +व लालची पत्नी के किरदार से तथा 1981 में यश चोपड़ा की फिल्म 'सिलसिला' में अपनी रोमानियत से लोगों के दिलों पर कब्जा कर चुकी अभिनेत्री 'रेखा' आती हैं। 1981 में ही उनकी फिल्म आती है 'उमराव जान' - जिसमे स्त्री केंद्रीयता का अभास अपने ठोस रूप में मिलता है - यानी यह फिल्म किसी 'स्टार' की नहीं थी, यह सिर्फ 'रेखा' की फिल्म थी, 'उमराव' की फिल्म थी। रेखा हिंदी फिल्मों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण लगती हैं क्यों कि 'कलयुग' (1981), 'विजेता' (1982), और 'इज्जत' (1987) जैसी फिल्मों में वे निरन्तर स्त्री मुद्दों से दो-दो हाथ करते दिखती हैं। इसी बीच 'खून भरी मांग' (1988) और 'अब इंसाफ होगा' (1995) जैसी फिल्में स्त्री को केंद्र में तो रखती हैं लेकिन ये केंद्रीयता सिर्फ प्रतिशोध की भावना तक ही

सीमित रहती है। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि सारी स्थितियों में बदलाव के बावजूद हिंदी फिल्में मर्दवादी बैसाखी का सहारा छोड़ नहीं पाई थी। 80 और 90 के दशक में फिल्मों में फिर से स्त्री को उसके पुराने रूप में पहँचाया जाता है - यानी 'शो पीस'। इस तरह की फिल्मों के नाम गिनाना मुश्किल है, क्योंकि तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें नायिका का इससे ज्यादा कोई योगदान नहीं कि वह नायक के ज्यादा से ज्यादा मर्द होने का पुख्ता प्रमाण बने। और तो और इसी 90 के दशक में जो भूमंडलीकरण आता है उसने भी हिंदी फिल्मों की मानसिकता को प्रभावित किया। नायिकाओं को 'बिंबो' बनाने की प्रक्रिया 90के दशक से ही शुरू होती है। 'बिंबो' के बारे में अभय कुमार दुबे लिखते हैं - "चूँकि औरत में सुन्दरता और ज्ञान का संगम नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए बाजार के प्रवक्ताओं ने 'बिंबो' शब्द बनाया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताती है कि बिंबो का अर्थ है दिमाग से खाली एक सुंदर और युवा औरत। "2

हिंदी फिल्मों में बिंबो की शुरुआत पर बात करने से पहले इसके एक और पहलू पर नजर डालना बड़ा आवश्यक है। अभी तक जिन अभिनेत्रियों और फिल्मों की बातें की गई वे सभी व्यवसायिक फिल्में थीं। लेकिन इनके समानांतर कला फिल्मों की भी एक ऐसी दुनिया थी जो इस तरह के मुद्दों पर बड़ी पारखी और सचेत नजरिए से काम कर रही थीं। इस क्षेत्र में जिन अभिनेत्रियों ने अपनी पहचान बनाई उनमें प्रमुख रूप से शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, दीप्ती नवल, डिंपल कपाडिया और रोहिणी हटंगिणि का नाम लिया जा सकता है। हमें यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि बात फिल्मों में स्त्री मुद्दों पर नहीं हो रही है बल्कि स्त्री पक्ष की मजबूत उपस्थिति और बढ़ती दावेदारी की हो रही है। इस नजरिए से देखें तो कला फिल्मों की इन

अभिनेत्रियों ने अपनी मजबूत दावेदारी जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये अभिनेत्रियाँ किसी तरह से पुरुष के मर्दवादी अहम् को तुष्ट करने का साधन नहीं बनी। वरन् अपने बेबाक अभिनय कौशल से अलग ही मूड और ढाँचे की रचना की इन्होंने। शबाना आजमी ने 'अर्थ' (1982), 'मण्डी' (1983), 'खण्डहर '(1984) जैसे फिल्मों में जो अभिनय किया वह तो काबिल-ए-तारीफ था ही। लेकिन 1996 में दीपा मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'फायर' में शबाना आजमी और नन्दिता दास ने जिस नए और बोल्ड मुद्दे से दर्शकों का परिचय कराया वह अभिजात्य समाज में सनसनी फैला देने वाला था। स्त्री समलैंगिकता के मुद्दे से दो-दो हाथ करती यह फिल्म पूरी तरह से स्त्री की, स्त्री के द्वारा और स्त्री के लिए वाली फिल्म थी। 2005 में दीपा मेहता के ही निर्देशन में एक फिल्म आती है 'वाटर' - जिसमें बनारस के आश्रमों में विधवाओं की स्थिति को दिखाया गया है। इस फिल्म के लिए शबाना ने किरदार की स्थिति के अनुसार सिर तक मुंड़वाया, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों और विरोधों के कारण यह फिल्म छोड़नी पड़ी।

स्मिता पाटिल ने भी जिस तरह श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कला प्रेमी निर्देशकों को अपने अभिनय क्षमता से अपनी ओर आकर्षित किया वह फिल्मों में 'स्मिता' के बढ़ते दबदबे का बड़ा प्रमाण है। 'भूमिका' (1977), 'बाजार'(1982), 'मिर्च मसाला'(1987) जैसी फिल्मों में स्मिता पाटिल ने बेजोड़ अभिनय का उदाहरण पेश किया था और ये फिल्में भी नारी सशक्तिकरण और उस पर हो रहे अत्याचार को बखूबी सामने लाने वाली थीं।

1973 में आई अपनी पहली फिल्म 'बाबी' से खासी मशहूर हो चुकी डिंपल कपाडिया ने भी अपने फिल्म कैरियर में फिल्मों की पुरुष

एकध्रुवीयता को कम चुनौतियाँ नहीं दी। 1993 में प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार महाश्वेता देवी की कहानी पर आधारित फिल्म 'रुदाली' की 'सनीचरी' को दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक ऐसी औरत - जिसके जीवन में दुर्भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा लेकिन वह रोने में असमर्थ है। और अंत में जब वह राणा के जनाजे में रोती है तो दुख का वह उद्गार किसी राणा के लिए नहीं बल्कि एक औरत के समूचे उस जीवन के प्रति होता है जिसने सुख का एक कतरा तक न जाना।

बहरहाल, ये स्थितियाँ हिंदी फिल्मों में नारी के 'शो पीस' बनने के समय या उसके आसपास की थी। जब स्त्री व्यवसायिक फिल्मों में शो पीस(बिंबो) बन चुकी थी और कहना न होगा कि 90 के दशक में दिव्या भारती, ममता कुलकर्णी, जूही चावला, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, शिल्पा शेट्टी जैसी न जाने और कितनी अभिनेत्रियाँ आई जिनका काम फिल्मों में बस नायक के आसपास थिरकना और उसका घर बार बसाना भर था। लेकिन इसी 90 के दशक में इन्हीं अभिनेत्रियों की जमात में कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जो इस पूरे दशक के चेहरे पर कालिख पुतने से बचा लेते हैं। मसलन 'तब्बू' का नाम लिया जाए तो इसमें दो राय नहीं कि 'तब्बू' ने जो फिल्में की वे स्त्री मुद्दों को भले ही न घेरती थीं लेकिन फिल्म में पुरुष के इर्द-गिर्द घूमती समूची कहानी में एक अदद औरत की जानदार उपस्थिति तो दर्ज कराती ही है। 1996 में गुलजार के निर्देशन में आई फिल्म 'माचिस', जिसमें 1984 में सिक्ख दंगों के दौरान जसवंत सिंह रंधावा की बहन 'वीरा' का किरदार तब्बू ने बड़ी संजीदगी से महसूस कराया था। 1997 में आई फिल्म 'विरासत' जिसमें गाँव की एक अनपढ़, गंवार 'गहना' के किरदार की मासूमियत को चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। सन् 2000 में महेश

मंजरेकर द्वारा निर्देशित फिल्म 'अस्तित्व' में बेशक एक गृहणी के विवाहेत्तर संबंध और उसके लिए परिवार में एक 'गोपनीयता' के स्पेस के मुद्दे को उठाया गया है। लेकिन तब्बू की प्रतिभा यहीं तक नहीं ठहरती। 2001 में 'चाँदनी बार' नामक फिल्म में तब्बू ने वैश्या जीवन की जिन जटिलताओं से अपने बेबाक अभिनय के माध्यम से दर्शकों का परिचय कराया वह अतुलनीय था। अमिताभ बच्चन की 2007 में एक फिल्म आई थी - 'निःशब्द'। यह फिल्म दर असल एक कम उम्र युवती और एक उम्रदराज बुजुर्ग के प्रेम की कहानी थी। लेकिन इस फिल्म के कुछ महीनों बाद ही अमिताभ बच्चन की ही 'तब्बू' के साथ एक फिल्म आती है - 'चीनी कम'। 'निःशब्द' और 'चीनी कम' में एक अंतर था कि 'निःशब्द' की अपेक्षा 'चीनी कम' में नायक नायिका के उम्र का अंतर कुछ कम था। लेकिन 'चीनी कम' में 'निःशब्द' से कहीं बेहतर 'समीकरण' देखने को मिलते हैं। साथ ही 'तब्बू' के बोल्ड अभिनय के सामने कई बार अमित जी भी हिचकते से दिखते हैं।

'तब्बू' के अलावा भी 'रानी मुखर्जी' और 'रवीना टंडन' जैसी कुछ अभिनेत्रियाँ रही हैं जिन्होंने अपने काम की शुरुआत तो 90 के दशक से ही की थी लेकिन शायद बाजार की मांग कहें या खुद को फिल्म उद्योग में फिट करने की जल्दबाजी और मजबूरी - इन अभिनेत्रियों की शुरुआत भी बतौर परंपरागत स्त्री ही हुई। लेकिन कहना न होगा कि आगे चलकर नई सदी के पहले दशक में समय-समय पर इन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिसमें इनके अभिनय कौशल का लोहा दर्शकों से लेकर फिल्म जगत की नामी-गिरामी हस्तियों तक को मानना पड़ा। रवीना टंडन की 2003 में एक फिल्म आई थी - 'सत्ता', जिसमें एक मध्यवर्गीय स्त्री के एक राजनीतिक दुनिया की सारी तिकड़मबाजी को समझते हुए उसके खुद राजनीति में कूद

पड़ने की कहानी है। इस फिल्म में रवीना के काम पर फिल्म समीक्षक तरन आदर्श का कहना है कि - "रवीना ने फिल्म में बड़ा दिलेर अभिनय किया है। जिस तरह से वे अपने किरदार का अपने व्यक्तित्व में समावेश करती हैं - यह एक ऐसा ही प्रदर्शन है जिसे ध्यान दिया जाना चाहिए। "3

इसी फेहरिस्त में रानी मुखर्जी का भी नाम लिया जा सकता है। चूँकि रानी का योगदान इस संदर्भ में कुछ खास तो नहीं दिखता लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ संजय लीला भंसाली के निर्देशन में 2005 में आई फिल्म 'ब्लैक' में 'मिशेल' नाम की मूक-बधिर युवती के किरदार को कैसे दरकिनार किया जा सकता है जिसमें 'रानी' ने जो संवेदनशील किरदार निभाया है वह उनकी जमात की अन्य अभिनेत्रियों में दुर्लभ और अतुलनीय है। युवावस्था में कदम रखते ही यौन-भावों से परिचय और 40 वर्ष की अवस्था में स्नातक परीक्षा पास करने के उपलक्ष्य पर दिया गया सांकेतिक वक्तव्य का प्रसंग बेजोड़ है इसीलिए टाईम्स मैग्जीन के 'रिचर्ड कार्लिस' ने इसे 2005 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार किया था। 4

बहरहाल, इसके बाद धीरे-धीरे आता है ऐसी अभिनेत्रियों का दौर जिन्होंने हिंदी फिल्मों में स्त्री-पुरुष के समूचे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। इसका यह अर्थ कतई नहीं निकाल लेना चाहिए कि फिल्मों में बिंबोवाद किसी भी मायने में कम हुआ है। उल्टे यह और बढ़ा है। फिल्मों में बढ़ती नग्नता को स्त्री की उन्मुक्त छवि का जामा पहनाने वालों की कमी नहीं है। लेकिन इनसे परे कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियों का आगाज़ हुआ जिन्होंने इस बिंबोवाद की छवि को तोड़ा भले ही न हो लेकिन फिल्मों में स्त्री पात्र की अभिनय के स्तर पर जोरदार उपस्थिति तो दर्ज कराई ही है। इनमें मुख्य रूप से कोनकना सेन शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन के नाम लिए जा

सकते हैं। इन अभिनेत्रियों की स्थिति का जायजा लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बरसों से फिल्मों में कायम पुरुष वर्चस्व को खुलेआम कड़ी चुनौती दी जा चुकी है और पुरुष वर्चस्व इनके आगे कहीं न कहीं घुटने पर आता हुआ दिखाई दे रहा है।

2002 में अपर्णा सेन के निर्देशन में एक फिल्म आई थी - 'मिस्टर एंड मिसेज अय्यर'। कोनकना सेन शर्मा इस फिल्म में एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण गृहणी का किरदार निभाती हैं जो वैसे तो बड़ी कन्जर्वेटिव है लेकिन यात्रा के दौरान अपने मुस्लिम सहयात्री 'राजा' (राहुल बोस) को जगह-जगह दंगाईयों से बचाती है। इस फिल्म के लिए 'कोनकना' को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और इसी फिल्म से 'कोनकना' बतौर गंभीर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाती हैं। लेकिन यहाँ जिस पुरुष वर्चस्व को चुनौतियाँ देने वाली फिल्मों की बात हो रही है - तो वह फिल्म आती है 2005 में - 'पेज-3'। इस फिल्म में कोनकना एक सजग, उत्साहित और अपने कर्तव्यों के प्रति एकनिष्ठ पत्रकार की भूमिका में सामने आती हैं। यह फिल्म तथाकथित उच्चवर्ग या अभिजात्य वर्ग की खोखली, असंवेदनशील और भ्रष्ट जीवन शैली को सामने लाती है। यह पूरी फिल्म 'माधवी' (कोनकना) के इर्द-गिर्द घूमती है। कोनकना की 2005 में एक फिल्म आती है - '15 पार्क एवेन्यू' - जिसमें कोनकना एक सिजोफ्रेनिक युवती 'मिताली' का किरदार निभाती हैं। 'मिताली' बचपन से ही सिजोफ्रेनिक है लेकिन पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान कुछ राजनीतिक अपराधियों द्वारा सामूहिक बलात्कार की शिकार होने के बाद वह पूरी तरह से सिजोफ्रेनिया की शिकार हो जाती है। '15 पार्क एवेन्यू' भी 'मिताली' के किरदार और उसके सपनों पर केंद्रीत फिल्म थी। इसके अलावा भी कोनकना ने बतौर गंभीर अभिनेत्री कई अच्छी

फिल्में की हैं जिनमें उनके किरदार की उपस्थिति सूरज की रौशनी की तरह महसूस की जा सकती है जैसे - डेड लाईन : सिर्फ चौबीस घण्टे (2006), लाईफ इन ए मेट्रो (2007) आदि।

अभिनेत्रियों की इस फेहरिस्त में प्रियंका चोपड़ा का नाम भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे तो प्रियंका की फिल्म उद्योग में जो छवि है वह तब्बू, कोनकना या इस तरह की किसी अभिनेत्री से काफी पीछे है लेकिन समय-समय पर प्रियंका ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिनके मद्देनज़र उन्हें भी इन अभिनेत्रियों की तालिका में शामिल किया जा सकता है। 2004 में आई फिल्म 'ऐतराज' में जिस तरह उन्होंने महिला खलनायक का किरदार निभाया वहीं से उनमें एक गंभीर और सफल अभिनय कौशल का परिचय मिलता है, एक ऐसी अभिनेत्री का परिचय जो अपने अभिनय के बल पर किसी भी फिल्म का केंद्र बन सकती है न कि शारीरिक नुमाईश के बल पर। इसी तरह और भी कई सफल फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाते हुए प्रियंका पहुँचती हैं 2008 में मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित फिल्म 'फैशन' तक, जिसमें 'मेघना माथुर' नाम से प्रियंका ने एक स्ट्रगलर माडल का किरदार निभाया है जो अपने पिता के विरुद्ध माडल बनने मुंबई आती है और वहाँ के माडलिंग की दुनिया में तमाम दिक्कतों का सामना करती है। इसके बाद प्रियंका की 2009 में एक फिल्म आती है 'व्हाट्स योर राशी'। यूँ तो यह फिल्म बाक्स ऑफिस पर कुछ सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी प्रियंका के एक साथ 12 किरदार - एक नाबालिग लड़की से लेकर एक परिपक्व युवती तक और एक डाक्टर से लेकर घरेलू और गंवारू लड़की तक। ऐसे उदाहरण इधर के फिल्मों में कम ही देखने को मिले हैं। अभिनय कौशल के मामले में प्रियंका

की सबसे जबरदस्त फिल्म रही है - 2011 में आई 'सात खून माफ' जिसमें 'सुजाना' नाम की एक एंग्लो-इण्डियन महिला का किरदार प्रियंका ने निभाया है। 'सुजाना' की त्रासदी यह है कि उसने असल प्रेम की खोज में कई मर्दों से विवाह किया लेकिन उन सबके प्रेम के दावे थोथे साबित होते रहे और सुजाना बार-बार ठगी जाती रही। इसी सिलसिले में 'सुजाना' बारी-बारी विवाह करती जाती है और प्रतिशोध स्वरूप एक-एक कर अपने पतियों का कत्ल भी करती चलती है। और अंत में खुद भी आत्महत्या करती है। 'सात खून माफ' के निर्देशक विशाल भारद्वाज का प्रियंका के बारे में मानना था कि - "इस किरदार के लिए प्रियंका ही मेरा वास्तविक चयन थी। वो अपनी पीढ़ी की सर्वोत्तम अभिनेत्रियों में से है। 'कमीने' फिल्म में उनके साथ काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उनमें काफी प्रतिभा है। बतौर निर्देशक मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि इस किरदार को उनसे अच्छा कोई नहीं निभा सकता। "5 हाल ही में 2012 में अनुराग बासू के निर्देशन में एक फिल्म आई थी 'बर्फी' जिसे ऑस्कर तक नामांकित किया गया था। इस फिल्म में प्रियंका ने 'झिलमिल चटर्जी' नामक एक लड़की का किरदार निभाया है जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस किरदार को प्रियंका इतनी बारीकी और भोलेपन से निभाती हैं कि फिल्म में जहाँ सबने अच्छे से अच्छा अभिनय किया है वहाँ प्रियंका अपनी अलग ही छाप छोड़ती हैं।

2005 में शरतचन्द्र के उपन्यास 'परिणीता' के आधार पर इसी नाम से बनी फिल्म में संजय दत्त, सैफ अली खान और साव्यसाची चक्रवर्ती जैसे मंजे हुए कलाकारों के साथ काम करते हुए इसी फिल्म में अपने जोरदार अभिनय कौशल का परिचय देती हैं विद्या बालन। ऐसे कलाकारों के बीच

विद्या बालन का नाम उभरकर आना अपने आप में उनके अभिनय कौशल का प्रमाण देता है।

जेसिका लाल हत्या काण्ड के आधार पर बनी फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका'(2011) में जेसिका की बड़ी बहन 'सबरीना लाल' के किरदार में जान डालने में विद्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चूँकि फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी इसलिए 'सबरीना' के किरदार को निभाते वक्त विद्या ने अभिनय में जितनी संजीदगी भरी है वह काबिल-ए-तारीफ है। विद्या के किरदार पर टिप्पणी करते हुए सुधीश कामथ 'द हिन्दू' में लिखते है कि - "विद्या अपने अभिनय के दौरान अपनी भावनाओं पर जबरदस्त नियंत्रण रखती हैं। "62011 में ही 80 और 90के दशक में अपने बोल्डनेस के कारण मशहूर और विवादास्पद अभिनेत्री 'सिल्क स्मिता' के चरित्र पर आधारित फिल्म 'दि डर्टी पिक्चर' में 'रेशमा' के किरदार के साथ विद्या पर्दे पर करिश्मा करती दिखाई देती हैं। 'रेशमा' के चरित्र को विद्या ने जिस मूड के साथ निभाया है वह अभी तक के अतुलनीय प्रदर्शनों की तालिका में शुमार करने योग्य है। इस किरदार को निभाने की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस किरदार में बोल्डनेस शरीश् के स्तर पर कम और व्यक्तित्व के स्तर पर ज्यादा दिखाना था और कहना न होगा कि विद्या इसे बड़ी बेबाकी से निभा ले गई हैं। इस फिल्म में भी एक स्त्री जिस तरह से अपने अभिनय कौशल के बल पर केंद्रियता का वरण करती है वह फिल्मों में इस परंपरा के गतिमान स्वरूप का परिचय देता है। विद्या बालन की 2012 में सुजय घोष के निर्देशन में 'कहानी' नामक फिल्म आती है। 'कहानी' में भी 'विद्या बागची' का किरदार केंद्रीय है। 'कहानी' में 'विद्या' अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए एक गर्भवती महिला का छद्म आवरण ले कोलकाता आती हैं

और पूरी फिल्म बड़े ही जासूसी ढंग से चलती है। यहाँ यह देने की बात है कि यह प्रतिशोध 'रेखा' के फिल्मों की तरह का प्रतिशोध नहीं है। इसमें 'विद्या बागची' का किरदार जो है वो अपने प्रतिशोध की तीव्र भावुकता को दबा देता है और एक 'कोल्ड ब्लडेड मर्डरर' की तरह विद्या उस कातिल को ढूँढ निकालती हैं और मौका मिलते ही उसे खत्म कर लापता हो जाती हैं। विद्या बालन ने इधर के कुछ वर्षों में जिस तरह से स्त्री चरित्र की केंद्रीयता प्रधान फिल्में की हैं उससे ये साफ हो जाता है फिल्म जगत में स्त्री अगर चाहे तो अपने लिए वही जगह बना सकती है जो किसी सफल पुरुष की होती है। ये स्पेस पुराने जमाने में शायद उपलब्ध न रहा हो लेकिन अब बेशक है और इसका सार्थक उपयोग करना अभिनेत्रियों पर निर्भर करता है।

बहरहाल, स्त्रियाँ समाज और परिवार में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी उपेक्षित रही हैं, इसमें दो राय नहीं। फिल्म की पटकथा में उन्हें कभी से महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन समय-समय पर अलग-अलग अभिनेत्रियों ने अपनी समझ-बूझ, चतुराई और अभिनय कौशल का परिचय देकर यह सिद्ध कर दिया है कि जब-जब स्त्रियों को ऐसे मौके मिलेंगे वे पुरुषों से कहीं बढ़ कर परफार्मेंस देंगी। आज फिल्म उद्योग पश्चिमी जगत की नग्नता और बाजार के नकारात्मक रवैये से चाहे जितना भी प्रभावित क्यों न हो, आज भी ऐसी अभिनेत्रियाँ मौजूद हैं जो अभिनय कौशल के आधार पर अपनी जगह बनाती हैं। हम कह सकते हैं कि इन मामलों में स्थितियाँ और लचीली होती जा रही हैं और मौकों की कमी नहीं - क्योंकि नए अहाते भी खुल रहे हैं। पहले की अभिनेत्रियाँ सीमित फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम करने को मजबूर होती थीं क्योकि उनके पास विकल्प कम होते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज तमाम नए निर्देशक और निर्माता आ रहे हैं

जो सिर्फ प्रतिभा के बल पर आकलन करते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा तो वे दिन दूर नहीं जब फिल्मों में लिंग केंद्रीयता समाप्त हो जाएगी और मुद्दे महत्वपूर्ण होने लगेंगे - जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और तभी नई-नई सोच और आईडिया के साथ नई-नई कहानियाँ फिल्म जगत को मिल सकेंगी।

संदर्भ :

1. मुगल-ए-आजम फिल्म से
2. दुबे, अभय कुमार, पितृ सत्ता के नए रूप (लेख), भारत का भूमंडलीकरण, संपादित- अभय कुमार दुबे,
3. वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण - 2006, पृ.-247
4. आदर्श, तरन, रवीनाज़ पर्फार्मेंस इन सत्ता, रिट्राइव्ड 12 सितम्बर 2007
5. कार्लिस, रिचर्ड, 2005 की सर्वश्रेष्ठ फिल्में, 23 दिसम्बर-2005, रिट्राइव्ड : 15, जनवरी,2010
6. भारद्वाज, विशाल, इण्डो-एशियन न्यूज सर्विस-22 जनवरी 2011, रिट्राइव्ड –22, अप्रैल 2013
7. कामथ सुधीश, This Sledgehammer wants to be subtle, The Hindu, 8th January, 2011

पारंपरिक विद्यालयों का पुनर्गठन और परिवर्तन की आवश्यकता: वैकल्पिक विद्यालयों पर चर्चा

सुनीता कथूरिया (यूजीसी-एस.आर.एफ.)
शोध छात्रा, शिक्षा विभाग
जी.जी.एस.आई. पी.यू., द्वारका, दिल्ली
sunit.kath@gmail.com

शोध सारांश

एक व्यवस्था व शिक्षा पद्धति तब पनपती है जब वह सुधार, नव विचारों और विकल्पों के लिए अपनी सीमाओं को पूरी तरह खोल देती है। भारत को महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे कई अकादमिक खोजकर्ताओं के होने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने, पारंपरिक सोच से दूर जाने की और विकास के तरीके को स्वीकार करने की मिसाल कायम की थी। शोधकर्ता का इस पत्र को लिखने का तर्क छात्रों के बीच अधिगम मे आने वाली समस्याओं, विद्यालयों में अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक समावेश के लिए कई रणनीतियों के बारे में चर्चा और विचार करना है। इसी सोच के साथ पारंपरिक विद्यालयों को वैकल्पिक विद्यालयों में बदलने का विचार शोधकर्ता द्वारा इस शोध में प्रस्तुत किया गया है।

"वैकल्पिक स्कूली शिक्षा क्या है?" वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एक परिप्रेक्ष्य है, कार्यक्रम या प्रक्रिया नहीं। ऐसा माना जाता है कि शिक्षित बनने की अलग-अलग प्रक्रिया होती हैं, साथ ही कई प्रकार के वातावरण भी हैं जहां अधिगम और विकास पूरी तरह से संभव हो सकता है। एक वैकल्पिक विद्यालय विभिन्न प्रकार की संरचना और वातावरण प्रदान करता है जिसमें

एक बच्चा अपनी प्रगति को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होता है। चूंकि हर कोई अलग है, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में अलग तरह से सीखने का अधिकार मिलता है। शोधकर्ता का इस शोधपत्र मे उद्देश्य, भारत के विभिन्न वैकल्पिक विद्यालयों के प्रयोगों, तकनीकों, विचारों और सफलता की कहानियों को उजागर और प्रस्तुत करना है, जो न केवल पूरी प्रणाली को परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि विकास की संभावना की आशा को भी दर्शाते हैं। इस शोधपत्र मे, शोधकर्ता ने वैकल्पिक स्कूली शिक्षा पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन और समग्र दृश्य प्रस्तुत किया है। विभिन्न शोधों से पता चलता है कि छात्र हमेशा नया ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था छात्रों को विभिन्न सीखने की शैलियों को समायोजित करने का अवसर प्रदान नहीं करता। ऐसी परिस्थिति मे, पारंपरिक स्कूलों के पुनर्गठन की अवधारणा (वैकल्पिक विद्यालय मे बदलाव), सभी प्रकार के छात्रों को सकारात्मक तरीके से अपनी क्षमता को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है।

गैर-पारंपरिक शोध पत्र के मुख्य बिंदुः वैकल्पिक स्कूल, वैकल्पिक रणनीतियां, शैक्षिक नवाचार, स्कूल, कार्यक्रम प्रभावशीलता और स्कूल विकल्प।

1. प्रस्तावना

शिक्षा एक स्थिर प्रयास नहीं अपितु गतिशील प्रक्रिया है। चूंकि, प्रक्रिया गतिशील है, इसलिए इसके लिए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसकी संरचना में भी गतिशीलता हो। नियमित स्कूलों का अनम्य संगठन ढांचा प्रत्येक शिक्षार्थी की जरूरत के अनुसार बार-बार खुद को ढालने की

अनुमति नहीं देता है। शैक्षिक विकास के लिए अद्वितीय अवसरों के साथ दुनिया तेजी से बढ़ रही है, फिर भी हर साल लाखों छात्र पारंपरिक स्कूल व्यवस्था या मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। वैकल्पिक स्कूल समाज की लगातार उतार-चढ़ाव वाली जरूरतों को पूरा करने और बच्चे के समग्र विकास को प्राकृतिक तरीके से लाने में सहायता करने के लिए टिकाऊ साधन प्रदान करते हैं। यह शिक्षार्थियों को एक जिम्मेदार और सुखी जीवन व्यतीत करने का पर्याप्त अवसर देता है।

1.1 क्या मौजूदा शिक्षा प्रणाली एक चिंता का विषय है:-

सामान्य धारणा है:- "हर बच्चे को शिक्षा से लाभ होगा"

क्या ये शब्द वास्तव में हमारे समाज में साकार होते हैं? सर्व शिक्षा अभियान (2001) और शिक्षा का अधिकार (2009) कानून शुरू करके क्या हम अपने देश के बच्चों को सार्थक शिक्षा और जीवन प्रदान करने में सक्षम हैं? चिंता का विषय यह है कि कैसे किसी भी बच्चे को शिक्षा से लाभ होगा जब तक शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित नहीं होगी, जब तक क्या बच्चे की रुचि है, वह कितना जानता है, अधिगम कहाँ से शुरु करना है?, इन सब बातों का ज्ञान एक शिक्षक को नहीं होगा।

जब कोई भी व्यवस्था सुधरती है और सुधार, नवाचारों और विकल्पों के लिए अपनी सीमाओं को फैलाती है तभी कोई भी प्रणाली फलती-फूलती है। और अगर इस तरह की गतिविधियों का विरोध किया जाता है, तो पूरी प्रणाली विफल हो जाती है, उस उद्देश्य को भी पूरा नहीं करती है, जिसके लिए इसका गठन किया गया था। हालांकि, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे शैक्षिक खोजकर्ताओं द्वारा भारत की शिक्षा पद्धति

को काफी लाभ पहुंचा, जो सोच और सीखने के समकालीन तरीके को सक्षम करने के लिए सीमाओं और पुष्तैनी तरीकों से परे चले गए, लेकिन, मौजूदा स्थिति एक प्रकार का प्रतिरोध प्रस्तुत करती है, जिसमें कक्षा की दीवारों के भीतर बच्चे की मौलिकता और रचनात्मकता को दबाया जा रहा है।

क्यूं समाज में लंबे समय से स्थापित स्कूल व्यवस्था को खारिज करने का विचार आता है?

उन बच्चों की चर्चा करते हैं जिन्हें कभी स्कूल में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता है, और जिन्हें दिया जाता है, वे भी हमेशा कई कारणों से उस्का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। शैक्षिक सांख्यिकी: एक नजर (२०१६) के अनुसार, एम.एच.आर.डी. ने स्कूल शिक्षा (सभी श्रेणियों के छात्रों) में औसत वार्षिक ड्रॉपआउट दर का प्रदर्शन किया, जो इस प्रकार हैः-

कक्षाएं/ वर्ष प्राथमिक उच्च सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी प्राथमिक

2011-12 5.62 2.65 लागू नहीं लागू नहीं 2012-13 4.67 3.13 14.54 लागू नहीं 2013-14 4.34 3.77 17.79 1.54

हालांकि हाल के वर्षों में ड्रॉप आउट की संख्या में गिरावट आई है लेकिन स्कूली शिक्षा से स्नातक स्तर तक नहीं पहुँचने वाले छात्रों की पहचान करना और शिक्षा को नया स्वरूप देने के नए साधनों की तलाश करना शिक्षा प्रणाली (सभी हितधारकों) की जिम्मेदारी है जिसमें छात्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

"वैकल्पिक स्कूल क्या हैं?

वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एक परिप्रेक्ष्य है, कार्यक्रम या प्रक्रिया नहीं। ऐसा माना जाता है कि शिक्षित बनने की अलग-अलग प्रक्रिया हैं, साथ ही कई प्रकार के वातावरण भी हैं जहां अधिगम और विकास पूरी तरह से संभव हो सकता है। एक वैकल्पिक विद्यालय विभिन्न प्रकार की संरचना और वातावरण प्रदान करना चाहता है जिसमें एक बच्चा अपनी प्रगति को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होता है। चूंकि हर कोई अलग है, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में अलग तरह से सीखने का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है।

वैकल्पिक स्कूल, वह स्कूल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि स्कूल का प्रत्येक छात्र राष्ट्र के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यह शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का संकेत है जो हमारे सांस्कृतिक बहुलवाद को कई विकल्पों की पेशकश करके समायोजित करता है। प्रत्येक बच्चे को पेश किया जाने वाला विकल्प बच्चे को अपनी क्षमता और मूल्यों को सर्वोत्तम संभव तरीके से महसूस करने में सक्षम बनाता है। वैकल्पिक स्कूल का लक्ष्य हर छात्र को यथासंभव उत्पादक योगदानकर्ताओं के रूप में समाज में प्रवेश करन सीखाना है।

वैकल्पिक शिक्षा एक कार्यक्रम या स्कूल की तुलना में ' परिप्रेक्ष्य ' विकसित करने के बारे में अधिक है। यह मूल रूप से उनकी जरूरतों और हितों (टोबिन, टी, और स्प्राग, जे, १९९९) पर विचार करके छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपना रहा है। वैकल्पिक स्कूलों के जन्म ने पहले ही पूरी पारंपरिक व्यवस्था के पुनर्गठन की मुहिम शुरू कर दी है।

एक वैकल्पिक स्कूल बनाने का उद्देश्य छात्र के सीखने के लिए अनुकूल संस्कृति बनाने के लिए एक ईमानदार और सचेत प्रयास करना है और जो शिक्षा की संरचित पारंपरिक प्रणाली की दृढ़ सीमाओं से मुक्त है।

वैकल्पिक स्कूली शिक्षा शब्द की समझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग है। कुछ के लिए, वैकल्पिक स्कूल उन बच्चों के लिए हैं जो नियमित स्कूलों में फिट नहीं बैठते हैं और कुछ के लिए यह विभिन्न विचारधारा वाला स्कूल है। इन स्कूलों को विशेष जरूरतों वाले छात्रों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न शैक्षिक सेटअप के रूप में भी देखा जाता है, जिनकी जरूरतों को पारंपरिक स्कूल के माहौल में संबोधित नहीं किया जाता।

1.2. वैकल्पिक विद्यालयों की आवश्यकता

आज की कक्षाओं को विभिन्न विद्वानों द्वारा देखा और उन पर शोध किया जा रहा है जिससे यह पता चला है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की कमियाँ हैं जैसे:-

स्कूल के पूरा होने के लिए मार्गों के विकल्प
स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरण
एक प्रासंगिक रूप से अनुकूलित पाठ्यक्रम
एक बहुभाषी कक्षा परिवेश
गैर-तुलनात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन
एक सीखने की गति जो बच्चे की क्षमता के अनुसार
शिक्षण पद्धतियों की विविधता
रुचि के विषय
स्कूल के घंटों से परे सीखने की गुंजाइश

पाठ्यक्रम में लचीलापन

मौजूदा पारंपरिक स्कूलों में कठोर प्रणाली, असंबद्ध-सुस्त पाठ्यक्रम है; अनुचित छात्र-शिक्षक अनुपात और खराब शिक्षक-छात्र संबंध है जो बच्चे की मौलिकता और रचनात्मकता को मारता है और शिक्षार्थियों को सिस्टम में फंसा हुआ महसूस करता है (नीना बसिया और रिननॉन मैटन, २०१५)। स्कूल में कुछ छात्र हैं जिन्हें उनकी विकलांगता, उम्र (क्योंकि वे स्कूल प्रणाली में बने रहने के लिए बहुत पुराने हैं) और खराब प्रदर्शन (जैसा कि वे अन्य छात्रों की सीखने की गति का पालन नहीं कर सकते हैं) की वजह से मुख्यधारा से बाहर धकेल दिया जाता है। उन्हें या तो अन्य विशेष स्कूलों में प्रवेश लेने या बिना किसी आकांक्षा के घर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है।

1.3 भारत में वैकल्पिक शिक्षा संस्थानों की एक झलक

प्रत्येक वैकल्पिक विद्यालय को कुछ विशिष्ट दर्शन और उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। समाज में वैकल्पिक विद्यालय की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों को तीन मुख्य श्रेणियों में रखा गया है।

1) विद्यार्थी को एक बदला हुआ वातावरण देने का विचार,

2) एक अलग विद्यालय और सीखने का अनुभव पूरी तरह प्रदान करने का उद्देश्य और

3) शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन का उद्देश्य।

अभय स्कूल, हैदराबाद का दर्शन प्रकृतिवाद पर आधारित है। उनका मानना है कि बच्चे और उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों को उत्तेजित करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जीवन में उनके लिए पर्याप्त उत्तेजना है। इसी

तरह के दर्शन के साथ पूर्णा स्कूल, बैंगलोर' की स्थापना हुई है। जिसके अनुसार अधिगम हर बच्चे के प्राकृतिक विकास और वयस्क' का एक हिस्सा है। समग्र, बाल केंद्रित, मज़ा और स्वतंत्रता के माहौल में सहयोगात्मक सीखन। पूर्णा के दर्शन (सरोजिनी विट्टाची और नीरजा राघवन, २००७) में निहित है।

जाने-माने शिक्षाविद् गिजुभाई बधेका का दर्शन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को पोषित करने वाला वातावरण प्रदान करने में, बच्चे की जिज्ञासा जगाने और वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने मे विश्वास रखनेवाला दर्शन है। उन्होंने शिक्षा की रूढ़िवादी व्यवस्था को भी खारिज कर दिया और 1920 में गुजरात में एक स्कूल ' बालमंदिर ' की स्थापना की।

2. भारत में कुछ वैकल्पिक स्कूलों की संक्षिप्त रूपरेखा

अनन्या शिक्षण केंद्र, बैंगलोर

अनन्या का शाब्दिक अर्थ अद्वितीय है, अपनी तरह का स्थान, एक ऐसी जगह, जो जीवन से भरी हुई है, जिसका अर्थ है सीखना, भय और संवेदनशीलता से मुक्त स्कूल समग्रता के दर्शन में लथपथ है जो सीखने के पारंपरिक तरीके से दूर है और विद्यार्थी को जीवन के लिये तैयार करता है। कक्षाएं, कम किफायती पृष्ठभूमि वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाले टेंट और शेड में हैं। यह एक ऐसा स्कूल है, जहां छात्र और शिक्षक बड़े अनौपचारिक तरीके से कक्षा में बैठते हैं। चूंकि शिक्षक स्कूल परिसर के अंदर या उसके पास ही हमेशा उपलब्ध रहते हैं, इसलिए सीखने का काम तब होता है जब भी बच्चों को लगता है कि वे तैयार हैं। छात्रों की कोई

औपचारिक कक्षाएं और ग्रेडिंग नहीं होती, बच्चे मिश्रित आयु-उपयुक्त समूहों में सीखते हैं और स्कूल में कोई पाठ्यक्रम नहीं है। सीखना प्रासंगिक है।

दीगोतर स्कूल, भावनगर, राजस्थान

दीगोतर, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है क्षितिज से परे। यह एक स्कूल है जो इस दर्शन में विश्वास करता है कि अधिगम का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए और अधिगम हमेशा वास्तविक जीवन के अनुभवों और तत्काल से जोड़ा जाना चाहिए। दीगीतर कोई पाठ्यक्रम का पालन नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तविक सीखना मजबूरी से पैदा नहीं होता है। इस स्कूल के बारे में अलग बात यह है कि दीगांतर (चित्र 1) के पास स्कूल अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं है, कोई संरचित पाठ्यक्रम नहीं है और न ही स्कूल यूनिफॉर्म है। छात्रों को सीखने के, अपने स्तर के आधार पर समूहों में रखा जाता है। वर्टिकल एज ग्रुप के बच्चों वाले अलग-अलग ग्रुप हैं। प्रत्येक समूह में प्रारंभिक स्तर पर 28-30 और माध्यमिक स्तर पर 15-20 छात्र होते हैं। कक्षा संगठन आत्म सीखने, सहकर्मी-मध्यस्थता सीखने और समूह सीखने के सिद्धांत पर काम करता है। स्कूल में शिक्षकों को भी तैयार कर बहुस्तरीय शिक्षण सिखाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नियमित स्कूलों के विपरीत, छात्रों को नियमित रूप से फैशन में नहीं बिठाया जाता है बल्कि उन्हें एक सर्कल में बिठाया जाता है ताकि प्रत्येक बच्चे की गतिविधि देखी जा सके।

चित्र 1. दीग।तर स्कूल, भावनगर, राजस्थान

स्यामंतकः दीवारों के बिना स्कूल, धामपुर, महाराष्ट्र

दीवार के बिना, स्यामंतक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें शिक्षा मां पृथ्वी से संबंधित है और अधिगम अवलोकन के माध्यम से किया जाता है जो पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से सीखने से कहीं अधिक है। स्यामंतक 'प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया' के सिद्धांत में विश्वास करता है। यह छात्र की किसमे रूचि है और क्या वह जानता है की बजाय बच्चे को क्या पता नहीं है पर ध्यान केंद्रित करता है। स्कूल का उद्देश्य मूल रूप से छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके जीवन कौशल पैदा करना है। इस स्कूल के शिक्षा कार्यक्रम को महाराष्ट्र राज्य सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (एनआईओएस) द्वारा भी मान्यता दी जा रही है। छात्र लाइफ नामक पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करता है। स्कूल वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ शिक्षा की अवधारणाओं को बहुत अच्छी तरह से जोड़ता है।

चित्र 2. स्यामंतकः दीवारों के बिना स्कूल, धामपुर, महाराष्ट्र

शिक्षांतर, गुरुग्राम, हरियाणा

शिक्षांतर मे प्रत्येक बच्चे की सामाजिक और भावनात्मक भलाई को नींव माना जाता है। वह एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं जो बच्चों के प्रश्नों, टिप्पणियों और व्याख्याओं से निर्मित होता हैं। बच्चे और शिक्षक मिलकर नए और पुराने ज्ञान की खोज और निर्माण करते हैं जिसमें बच्चा और वयस्क दोनों शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षांतर के अनुसार, शिक्षण में अधिगम का अर्थ है किसी की अनंत इंद्रियों का विकास और एक ऐसे चरित्र को पहचानना जो दुनिया के साथ गरिमा और आत्म-मूल्य के साथ संलग्न जीवन यापन करे। इस स्कूल की मुख्य विशेषता है। प्रतिबंध मुक्त वातावरण, कोई

प्रतियोगिता नहीं, कोई रैंकिंग नहीं, व्यक्तित्व और हर बच्चे की विशिष्टता पर पूर्ण एकाग्रता के साथ कार्य करना।

मीराम्बिकाः फ्री प्रोग्रेस स्कूल, नई दिल्ली

मीराम्बिका विद्यालय, अरबिंदो के सिद्धांत का अनुसरण करता है। यह पुराने स्कूल में से एक है जो सीखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस विद्यालय में न शिक्षकों द्वारा अपनाई गई कोई निर्धारित पाठ्यक्रम, न वर्दी और न कोई निर्धारित शिक्षण रणनीति है। माता-पिता और शिक्षक अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतियों का चयन करने के लिए एक साथ बैठते हैं। शिक्षण एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण पर बनाया गया है। प्रत्येक समूह के लिए, गुणों, मानसिक संकायों और कौशल के संदर्भ में लक्ष्यों को एक वर्ष के दौरान विकसित किया जाना तय किया जाता है और त्रैमासिक लक्ष्यों में संदर्भित किया जाता है। इस व्यापक ढांचे के भीतर, बच्चे को उन परियोजनाओं पर काम करके विभिन्न सीखने के अनुभवों से अवगत कराया जाता है जो प्रकृति में अंतर-अनुशासनात्मक हैं। छात्र परियोजनाओं पर काम करके सीखते हैं, दोपहर में कुछ औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और साथ में खेलते भी हैं।

वीणा वादिनी स्कूल, मध्य प्रदेश

इस स्कूल में लगभग 300 छात्र हैं और वे सभी दोनों हाथों यानी एम्बिडेक्ट्रोस स्किल का उपयोग करके लिख सकते हैं। छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, उर्दू और रोमन जैसी चार से अधिक भाषाओं में भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। इस स्कूल के छात्र एक ही समय में दो अलग-अलग भाषाओं में एक ही शब्द लिख सकते हैं। इतना ही नहीं इस

स्कूल के छात्र 80 तक टेबल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक, एम्बिडेक्स्टरिटी (चित्र 2) बच्चे को एक साथ दिमाग के दोनों तरफ इस्तेमाल करने में मदद करती है और उन्हें ज्यादा क्रिएटिव भी बनाती है।

चित्र 3. वीणा वादिनी स्कूल, मध्य प्रदेश

पूर्णा लर्निंग सेंटर, बैंगलोर

पूर्णा ने शिक्षक के रूप में काम कर रही अपनी मां इंदिरा के साथ १९९३ में तीन बच्चों के लिए होम स्कूलिंग प्रयोग के रूप में शुरुआत की। इंदिरा के बच्चों ने उस समय अपने स्कूल से असंतोष जताया था और जब होम स्कूलिंग का सुझाव विकल्प के तौर पर दिया गया तो बच्चे इस नए एडवेंचर को आजमाने के लिए उत्सुक हो गए। पूर्णा में, अधिगम, एक अनौपचारिक लेकिन आरामदायक वातावरण में है। बच्चों को खुशी से रचनात्मक अधिगम के लिए सक्षम करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों पर न्यूनतम प्रतिबंध रखा जाता है और वे स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकते हैं। पूर्णा का दर्शन और अभ्यास, टिकाऊ और पारिस्थितिकीय रूप से जागरूक शिक्षा और रहन-सहन का है। पूर्णा, वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना और बागवानी के लिए ग्रे पानी का फिर से उपयोग करना, धोने और सफाई की जरूरतों के लिए रासायनिक मुक्त डिटर्जेंट और साबुन का उपयोग करना, कागज रीसाइक्लिंग, अपशिष्ट अलगाव, कंपोस्टिंग और शून्य अपशिष्ट परिसर होने की दिशा में काम करना इत्यादि, दिशा में प्रयास कर रहा है।

चित्र 4. पूर्णा लर्निंग सेंटर, बैंगलोर

अभय, हैदराबाद

आंध्र प्रदेश में आम और बादाम के पेड़ों से घिरा इको फ्रेंडली स्कूल। इस स्कूल में, बच्चों के विकास को कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है जो तीन चक्रों में पूरा होता है। प्रथम वर्ष चक्र (बचपन का चरण), दूसरा चक्र (ग्रेड स्कूल) और तीसरा चक्र (किशोर आयुः हाई स्कूल)। इस स्कूल का मुख्य दर्शन सभी बच्चों को निडर बनाना और छात्रों को जीवन में सीखने, सीखा हुआ भुलाने और फिर से सीखने के लिए जगह देना है। बच्चे के सभी विकास के चरणों को ध्यान में रखकर, इस स्कूल के पाठ्यक्रम की संरचना की जाती है। विषयों को एक महीने के खंड में पढ़ाया जाता है उसके बाद एक और विषय उठाया और पढ़ाया जाता है। इस स्कूल मे बच्चे को संपूर्ण रूप में माना जा रहा है और एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करने के लिए, ज्ञान की पूर्णता लाने के लिए, एक शिक्षक को उतने ही विषयों को पढ़ाने का काम सौंपा जाता है जितना वह कर सकता है।

दा फुटस्टेप, कोट्टीवाकाम, चेन्नई

दा फुटस्टेप , इस स्कूल का दर्शन प्रकृति की खोज और धरती मां के अन्य निवासियों के साथ सद्भाव में रहने में विश्वास रखता है। इसमें कक्षाएं हैं जो बिना सीमाओं के हैं। स्टूडेंट को नेचर वॉक के लिए ले जाया जाता है, जिसमें बच्चे को रियल लाइफ में अलग-अलग रंग, फूल, पेड़, आवाज, जीव और तरह-तरह के रंगों का अवलोकन और पहचान करना सिखाया जाता है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया उन्हें एक बीज रोपण, एक तितली के पीछे भागने, रेत के साथ महल बनाने, मुर्गी को अंडे देते देखने इत्यादि उनके विद्यालय के पाठ्यक्रम मे सम्मलित हैं।

निष्कर्ष

सभी वैकल्पिक स्कूलों की रणनीतियां और दृष्टिकोण अलग हो सकतें हैं। लेकिन सभी वैकल्पिक स्कूलों का मिशन समान पाया गया है जो ' सुरक्षित, जिम्मेदार, स्व-निर्देशित और सामुदायिक योगदानकर्ताओं की तैयारी' है। अपनी शैक्षिक यात्रा में, शिक्षार्थियों के लिए सहायक, देखभाल और सीखने का माहौल उनका लक्ष्य है। शिक्षा प्रणाली के हितधारक चयनात्मक होकर इन सफल वैकल्पिक स्कूलों की सबसे लाभप्रद रणनीतियों को अपना सकते हैं और मौजूदा पारंपरिक स्कूलों को अभिनव प्रयोगशालाओं में बदल सकते हैं। ये वैकल्पिक कार्यक्रम और स्कूल पहले से ही हमारे देश में, राज्य में हैं लेकिन अब समय है कि सर्वोत्तम होनहार वैकल्पिक स्कूली शिक्षा मॉडलों का आकलन और विस्तार किया जाए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूचीः

चॉकर, सी एस (१९९६), प्रभावी वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमः मूल्यांकन के माध्यम से योजना बनाने की सर्वोत्तम प्रथा। लैंकेस्टर, पीएः टेक्नोमिक पब्लिशिंग कंपनी।

लिन बोसेट्टी, (२००४), स्कूल पसंद के निर्धारकः समझ कैसे माता पिता अलबर्टा, शिक्षा नीति के जर्नल, 19:4, 387-405, DOI: 10.1080/0268093042000227465 में प्राथमिक स्कूलों का चयन करें।

नीना बसिया और रिननॉन मटून (२०१५): वैकल्पिक स्कूलों में शिक्षकों का काम और नवाचार, शिक्षा में महत्वपूर्ण अध्ययन, DOI: 10.1080/17508487.2016.1117004 सरोजिनी विट्टाची और नीरजा राघवन, (2007), भारत में वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, नई दिल्ली, ऋषि प्रकाशन

टोबिन, टी, और स्प्रैग, जे (१९९९), जोखिम वाले युवाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमः मुद्दे, सर्वोत्तम प्रथाओं, और सिफारिशों, यूजीन, याः ओरेगन स्कूल अध्ययन परिषद।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण

डॉ.सरिता चौधरी
शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी
अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
Email- saritashireesh@gmail.com
बाल मुकुन्द पाल
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी
विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

सारांश

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) केवल बालकों की प्रगति एवं उपलब्धि ही नहीं मापता बल्कि पाठ्यचर्या के सम्पादन में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री,विधियोंतथा उसके प्रभाव को भी जांचता है। यह पाठ्यचर्या का अभिन्न घटक है। प्रभावशाली निष्पादन तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु यह विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई बार हम मूल्यांकन या निर्धारण को इस प्रकार देखते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए अधिगम के अंतिम चरण में आयोजित किया जाता है। जब मूल्यांकन को अधिगम के अंत के रूप में देखा जाता है तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही इसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से बाहर रखतेहैंतथा पाठ्यचर्या से इसका कुछ संबंध स्थापित नहीकरते हैं। यह विचार शिक्षार्थियों में उत्सुकता एवं

तनाव पैदा कर सकता है। दूसरी ओर जब मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम का एक अटूट अंग समझा जाता है तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापको के प्रत्यक्षण का अध्ययन किया गया हैं।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जबशिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है तो शिक्षार्थी परीक्षा से डरते नहीं, बल्कि इससे वो अपनी क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करते हैं। जब अध्यापक को शिक्षार्थियों की क्षमताओं या कमजोरियों के बारे में पता चलता है तो उसके बाद की जाने वाली प्रक्रिया आसान हो जाती है जो या तो उपचारात्मक हो सकती है या उनके अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने के लिए या उनके अधिगम के स्तर को ऊंचा करने के लिए होती है। विद्यालयों में मूल्यांकन का क्षेत्र शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों तक फैला हुआ है। इसमें शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, इसलिए यह समग्र कहलाता है। भारत में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का विकास यहां की परीक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष एवं उसकी अविश्वसनीयता से जुड़ी कहानी है। सन् 1947 ई० में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गठित विविध शिक्षा आयोग एवं समितियां समय-समय पर इस असंतोष को अभिव्यक्त करती रहीहैं। यद्यपि डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) तथा डॉ० मुदालियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक विद्यालय आयोग (1953) ने प्रचलित परीक्षाओं की अविश्वसनीयता एवं उनके दुष्परिणामों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, किन्तु इनमें सुधार लाने हेतु स्पष्ट एवं मुखर संस्तुति को कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा ही बल प्राप्त हो सका।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.-2009) और एन.सी.एफ.- 2005 में यह बार-बार कहा गया है कि बच्चे के अनुभव को महत्व मिलना चाहिए एवं उसकी गरिमा सुनिश्चित की जानी चाहिए। परन्तु यह तब तक पूर्णतया संभव नहीं है जब तक कि प्रचलित मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन न किया जाए। वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में किसी समय विशेष पर लिखित परीक्षा की व्यवस्था हैजबकि छात्र की संवृद्धि एवं विकास सम्पूर्ण सत्र में विकसित होता है।

प्रत्यक्षण से तात्पर्य संवेदना की मानसिक व्याख्या करने से है। बाह्य उद्दीपकों, ज्ञान देने वाली उत्तेजनाओं, तात्कालिक ज्ञान देने वाली मानसिक प्रकिया को प्रत्यक्षण कहते हैं। अध्यापक संवेदनाओं की व्याख्या करके उन्हें अपने लिए अर्थयुक्त बनाता है। कोई भी संवेदनात्मक स्थिति व्यक्ति के प्रत्यक्षण का आधार बन सकती है। जैसे- किसी बात को सुनना, भोजन की गंध सूँघना, किसी वस्तु का स्वाद लेना अथवा त्वचा में चुभन का होना आदि भी प्रत्यक्षण के उदाहरण हैं। यदि कोई बालक सड़क पर भौंकते कुत्ते की

आवाज सुनता है तथा पहचान जाता है तो यह ध्वनि ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त उसकी संवेदना का प्रत्यक्षण है।प्रत्यक्षण का आधार अध्यापक का पूर्व ज्ञान होता है। इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य बालकों के पूर्व ज्ञान, अनुभव तथा अधिगम में यथासंभव वृद्धि करना है। फलस्वरूप उनमें प्रत्यक्षण शक्ति का विकास हो सके तथा उनके प्रत्यक्षण में स्पष्टता भी आ सके। अवलोकन के द्वारा किसी वस्तु या परिस्थिति का प्रत्यक्षण स्पष्ट ढंग से होता है। अतः प्रत्यक्षण के विकास के लिए प्रारम्भ से ही बालकों की अवलोकन शक्ति का विकास होता है। (**मांटेसरी** तथा **किंडरगार्डेन** जैसी नवीन शिक्षा प्रणालियों में अवलोकन शक्ति के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।) क्रियाशीलता के द्वारा बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलते हैं। इसलिए बालकों को अधिगम के लिए ऐसे वातावरण तथा पर्याप्त व उपयुक्त अवसर प्रदान करना होता है ताकि वे अधिक क्रियाशील हो सकें। इसमें बालकों के लिए खेल-कूद, व्यायाम आदि की उचित व्यवस्था प्रदान करनी होती है। उत्तमप्रत्यक्षण को बढ़ाने के लिए अध्यापक विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। अध्यापक उदाहरणों तथा श्रव्य-दृश्य सामाग्री की सहायता से कठिन व जटिल प्रकरणों को सरस व रोचक ढंग से बालकों के सम्मुख प्रस्तुत करके प्रत्यक्षण को प्रोत्साहित करता है।बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करके उनके प्रत्यक्षण को बढ़ाया जा सकता है। बालकों के निरीक्षण शक्ति में गहनता के न होने के कारण वे अपने सम्मुख विभिन्न उद्दीपकों को अपने संज्ञान में

नहीं ला पाते हैं। बालकों की ज्ञानेन्द्रियों के विकास के अधिक अच्छे अवसर प्रदान करके तथा संवेदनशील बनाकर उनमेंउत्तमप्रत्यक्षण की क्षमता विकसित की जा सकती है।

शोध उद्देश्य

- अध्यापकों का सततएवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति प्रत्यक्षण का अध्ययन करना।
- विषय वर्गों के आधार पर सततएवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- शिक्षण अनुभव के आधार पर सततएवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- लिंग के आधार पर सततएवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

न्यादर्श

प्रस्तुत लघु शोध में शोधकर्ता द्वारा जनसख्या के रूप में महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के शहरी विद्यालयों में से पांच विद्यालयों को यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से चयन किया गया (दो सरकारी और तीन गैर-सरकारी) उच्च प्राथमिक विद्यालय के 63 अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया।

तालिका.1 सरकारी/गैर-सरकारी और लिंग के आधार पर प्रतिदर्शों का वर्गीकरण

विद्यालय का नाम	अध्यापिकाओं की संख्या	अध्यापकों की संख्या	कुल संख्या
केंद्रीयविद्यालय, म.ग.अं. हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा	3	5	8
न्यूइंग्लिश स्कूल, वर्धा	18	0	18
अग्रगामी स्कूल, वर्धा	14	0	14
सेंट एंटनी स्कूल, वर्धा	13	3	16
प्रहार स्कूल, वर्धा	6	1	7
कुल संख्या	54	9	63

तालिका.2 विषय एवं अनुभव के आधार पर प्रतिदर्शों का वर्गीकरण

विषय / अनुभव	7 वर्ष से कम	7 वर्ष से अधिक	कुल
विज्ञान	10	20	30
सामाजिक विज्ञान	23	10	33
कुल	33	30	63

शोध उपकरण का विवरण

प्रस्तुत शोध कार्य में स्वनिर्मित प्रत्यक्षण मापनी का उपयोग किया गया है। जिसमें शोधकर्ता ने तीस पदों की एक प्रश्नावली का निर्माण किया।शिक्षक प्रत्यक्षण मापनी में सम्मलित 30 प्रश्नोंको 3 आयामों में विभक्त किया गया है। इस प्रत्यक्षण मापनी को 3 बिंदु स्केल पर बनाया गया है जिसमें प्रतिक्रियाए 1 के लिए - नहीं, 2 के लिए - अनिश्चित, और 3 के लिए - हां में तीन पद दिए गए

तालिका.3 प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिदर्शों का वर्गीकरण

प्रतिक्रिया	नहीं	अनिश्चित	हां
अंक	1	2	3

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

संकलित आंकड़ों का माध्य, मानक विचलन, मान व्हिटनी यू टेस्ट का उपयोग करके प्रदात्तों का विश्लेषण किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण तथा प्राप्त परिणामों का विवेचन किया गया है। संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति की जांच, उचित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर प्राप्त परिणामों की व्याख्या इसमें निहितहै।

उद्देश्य-1:सी.बी.एस.ई द्वारा प्रस्तावित सततएवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का अध्ययन।

तालिका.4 प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्यक्षण मापनी की सहायता से आंकड़ों का संकलन कर निम्न प्रकार से सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया।

क्र सं	कथन	नहीं	अनिश्चित	हाँ	कुल
1	क्या सी.सी.ई को सी.बी.एस.ई. के निर्देशोंके अनुसार लागू किया गया है?	10 15.9%	3 4.8%	50 79.4%	63 100.0%
2	क्या आपको लगता है कि सी.सी.ई. पारंपरिक पद्धतिके मूल्यांकन से बेहतर है?	34 54.0%	9 14.3%	20 31.7%	63 100.0%
3	क्या सी.सी.ई. प्रणाली पारंपरिक मूल्यांकन से छात्रोंमें बेहतर सीखने-सिखाने में सक्षम है?	17 27.0%	18 28.6%	28 44.4%	63 100.0%
4	क्या आपको लगता है कि सी.सी.ई. पाठयक्रम के पहलुओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिएसहायक है?	4 6.3%	22 34.9%	36 57.1%	63 100.0%
5	क्या सी.सी.ई. छात्रों के बीच पढ़ने की आदत कोसुधारने में मदद करती है?	27 42.9%	13 20.6%	23 36.5%	63 100.0%
6	क्या आपको लगता है कि सी.सी.ई.सह-पाठ्यचर्यागत पहलुओं में छात्रों के प्रदर्शन मेंसुधार के लिए सहायक है?	5 7.9%	22 34.9%	34 54.0%	63 100.0%

7	क्या सी.सी.ई. छात्रों के व्यवहार परिमार्जन में सहायकहै?	11 17.5%	40 63.5%	12 19.0%	63 100.0 %
8	क्या सी.सी.ई. छात्रों में निर्णयन क्षमता का विकास करता है?	7 11.1%	37 58.7%	16 25.4%	63 100.0 %
9	क्या आपको लगता है कि अधिगम के लिएपरियोजना विधि उपयोगी है?	13 20.6%	17 27.0%	28 44.4%	63 100.0 %
10	क्या आप छात्रों को पोर्टफोलियो बनाने में मदद करतेहैं?	2 3.2%	10 15.9%	48 76.2%	63 100.0 %
11	क्या सी.सी.ई.छात्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन में सहायक है?	7 11.1%	14 22.2%	40 63.5%	63 100.0 %
12	क्या आप बेहतर सीखने के लिए समूह कार्य में छात्रोंको शामिल करते हैं?	1 1.6%	1 1.6%	61 96.8%	63 100.0 %
13	क्या आप विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य करवाते हैं?	1 1.6%	1 1.6%	61 96.8%	63 100.0 %
14	क्या सी.सी.ई. विद्यालय छोडने की दर को कम करनेमें सहायक है?	7 11.1%	18 28.6%	38 60.3%	63 100.0 %
15	क्या सी.सी.ई. छात्रों के	4	24	35	63

	प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त है?	6.3%	38.1%	55.6%	100.0 %
16	क्या आप विद्यार्थियों को समूह-चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं?	2 3.2%	3 4.8%	58 92.1%	63 100.0 %
17	क्या आप अपनी कक्षा में प्रश्नोत्तरी आयोजित करते हैं ?	1 1.6%	0 0.0%	62 98.4%	63 100.0 %
18	क्या आप निर्माणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन पर बराबर बल देते हैं?	1 1.6%	4 6.3%	56 88.9%	63 100.0 %
19	क्या आपको लगता है कि वर्तमान मूल्यांकनकेवल कलम और कागज तक सीमित है?	28 44.4%	13 20.6%	21 33.3%	63 100.0 %
20	क्या आप प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं?	1 1.6%	3 4.8%	57 90.5%	63 100.0 %
21	क्या आप छात्रों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं?	3 4.8%	5 7.9%	55 87.3%	63 100.0 %
22	क्या आप मूल्यांकन के उपकरणऔर तकनीक केरूप में साथी मूल्यांकन का उपयोग करते हैं?	3 4.8%	4 6.3%	55 87.3%	63 100.0 %
23	क्या आपने कभी छात्र के	5	11	47	63

	प्रदर्शन के आकलन केलिए एक उपकरण के रूप में रूब्रिक का उपयोग किया है?	7.9%	17.5%	74.6%	100.0 %
24	क्या आप विद्यार्थियों के सहयोग, सहानुभूति,अनुशासन, नियमितता आदि सामाजिकगुणों के विकास पर ध्यान देते हैं?	1 1.6%	2 3.2%	60 95.2%	63 100.0 %
25	क्या आपने कभी सी.सी.ई. के लिए प्रशिक्षण में भाग लिया है?	18 28.6%	0 0.0%	44 69.8%	63 100.0
26	क्या आप सुझाव देने से पहले मूल्यांकन का ध्यान रखते हैं?	0 0.0%	3 4.8%	60 95.2%	63 100.0 %
27	क्या सी.सी.ई. मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता औरपूर्वाग्रह को खत्म करता है?	9 14.3%	37 58.7%	14 22.2%	63 100.0 %
28	क्या आप बच्चे की अच्छाई और कमजोरी पर चर्चा करने के लिए माता-पिता से बात करते हैं?	1 1.6%	11 17.5%	51 81.0%	63 100.0 %
29	क्या बच्चों के माता-पिता मूल्यांकन केसी.सी.ई. प्रणाली से संतुष्ट हैं?	31 49.2%	8 12.7%	24 38.1%	63 100.0 %
30	क्या आपको लगता है कि	0	0	63	63

सी.सी.ई. माध्यम से मूल्यांकन में समय अधिक लगता है?	0.0%	0.0%	100.0 %	100.0 %

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की कुल संख्या में से 15.9 प्रतिशत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का मानना है कि सी.सी.ई. कोनिर्देशों के अनुसार नहीं लागू किया गया, 4.8 प्रतिशत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं ने दुविधा या असमंजस की स्थिति को दर्शाया लेकिन 79.4 प्रतिशत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का मानना है कि सी.सी.ई. को सी.बी.एस.ई. के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है।54 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. पारंपरिक मूल्यांकन पद्धति से बेहतर नही है। 14 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा स्थिति या असमंजस को बतायातथा 31.7 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. पारंपरिक पद्धति के मूल्यांकन से बेहतर है। 27 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई.प्रणाली पारंपरिक मूल्यांकन से छात्रों में बेहतर सीखने-सिखाने में सक्षम नहीं है।28.6 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा या असमंजस की स्थिति को बताया तथा 44.4 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. प्रणाली पारंपरिक मूल्यांकन से छात्रों को बेहतर सीखने-सिखाने में सक्षम है। 6.3 प्रतिशत अध्यापकों को लगता है कि सी.सी.ई. पाठयक्रम के पहलुओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सहायक नहीं है। 34.9 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,तथा 57 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. पाठयक्रम के पहलुओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सहायक है। 42.9 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है सी.सी.ई. छात्रों के बीच

पढ़ने की आदत को सुधारने में मदद नहीं करती है। 20.6 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,तथा 36.5 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों के बीच पढ़ने की आदत को सुधारने में मदद करती है। 7.9 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. सह-पाठ्यचर्यागत पहलुओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सहायक नहीं है। 34.9 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 54 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. सह-पाठ्यचर्यागत पहलुओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सहायक है। 17.5 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों के व्यवहार परिमार्जन में सहायक नहीं है। 63.5 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,तथा 19 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों के व्यवहार परिमार्जन में सहायक है। 11 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों में निर्णय क्षमता का विकास नहीं करता है। 58.7 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,तथा 25.4 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों में निर्णय क्षमता का विकास करता है। 20.6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि अधिगम के लिए परियोजना विधि उपयोगी नहीं है। 27 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 44 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. अधिगम के लिए परियोजना विधि उपयोगी है। 3 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे छात्रों को पोर्टफोलियो बनाने में मदद नहीं करते हैं, 15.9 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 76 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे छात्रों को पोर्टफोलियो बनाने में मदद करते हैं। 11 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन में सहायक नहीं है। 22 प्रतिशत अध्यापकों ने

दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 63.5 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन में सहायक है। 1.6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि बेहतर सीखने के लिए समूह कार्य में छात्रों को शामिल नहीं करते हैं 1.6 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 96.8 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे बेहतर सीखने-सिखाने के लिए समूह कार्य में छात्रों को शामिल करते हैं। 1.6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य नहीं करवाते हैं। 1.6 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 96.8 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य करवाते हैं। 11 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. विद्यालय छोडने की दर को कम करने में सहायक नहीं है। 28.6 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,तथा 60 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी. सी. ई. विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने में सहायक है। 6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। 38.1 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,तथा 55.6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त है। 3.2 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि विद्यार्थियों को समूह-चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। 4.8 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,तथा 92 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे विद्यार्थियों को समूह-चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 1.6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना हैकि अपनी कक्षा में प्रश्नोत्तरी आयोजित नहीं करते हैंलेकिन 98.4 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे अपनी कक्षा में प्रश्नोत्तरी आयोजित करते हैं।

1.6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि निर्माणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन पर बराबर बल नहीं दिया जाता6 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बतायाहै,लेकिन 99 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे निर्माणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन पर बराबर बल देते हैं। 44.4 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वर्तमान मूल्यांकन केवल कलम और कागज तक सीमित नहीं है। 20.6प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 33.3 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे वर्तमान मूल्यांकन केवल कलम और कागज तक सीमित है। 1.6 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं देते हैं। 4.8 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 90.5 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। 4.8 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक रिकॉर्ड का उपयोग नहींकरते हैं। 7.9 प्रतिशत अध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 87.3 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि वे मूल्यांकन के लिए वास्तविक रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं।4.8 प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक के रूप में साथी मूल्यांकन का उपयोग नहीं करते हैं। 6.3प्रतिशतअध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 87.3प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि वे मूल्यांकन के उपकरणऔर तकनीक के रूप में साथी मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। 7.9 प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए एक उपकरण के रूप में रूब्रिक का उपयोग नहींकिया है। 17.5प्रतिशतअध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 74.6प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. छात्र के प्रदर्शन के

आकलन के लिए एक उपकरण के रूप में रूब्रिक का उपयोग किया है। 1.6प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि विद्यार्थियों के सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन, नियमितता आदि सामाजिक गुणों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 3.2प्रतिशतअध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 95.2प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. में विद्यार्थियों के सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन, नियमितता आदि सामाजिक गुणों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। 28.6प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. के लिए प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है, लेकिन 69.8प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. के लिए प्रशिक्षण में भाग लिया है।4.8प्रतिशतअध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया,जबकि 95.2प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. सुझाव देने से पहले मूल्यांकन का ध्यान रखते हैं।14.3प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता और पूर्वाग्रह को खत्म नहीं करता है। 58.7प्रतिशतअध्यापकों ने दुविधा की स्थिति को बताया, लेकिन 22.2प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता और पूर्वाग्रह को खत्म करता है। 1.6प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि बच्चे की अच्छाई और कमजोरी पर चर्चा करने के लिए माता-पिता से बात नहीं करते हैं। 17.5प्रतिशतअध्यापकों ने दुविधा कि स्थिति को बताया, लेकिन 81प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. द्वारा बच्चे की अच्छाई और कमजोरी पर चर्चा करने के लिए माता-पिता से बात करते हैं। 49.2 प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि बच्चों के माता-पिता मूल्यांकन के सी.सी.ई. प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। 12.7प्रतिशतअध्यापकों ने दुविधा कि स्थिति को बताया, लेकिन 38.1 अध्यापकों का मानना है कि बच्चों के माता-

पिता मूल्यांकन के सी.सी.ई. प्रणाली से संतुष्ट है। 100प्रतिशतअध्यापकों का मानना है कि सी.सी.ई. माध्यम से मूल्यांकन में समय अधिक लगता हैं।

उद्देश्य-2: विषय वर्गो के आधार पर सी.सी.ई.के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध कार्य केद्वितीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रहण किया गया तथा विषय वर्गो के आधार पर सी.सी.ई.के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन निम्नानुसार किया गया।

तालिका.5 विषय के आधार पर शिक्षकों का माध्य रैंक, रैंकों का योग और P-मान

शिक्षक प्रत्यक्षण	N	माध्य रैंक	रैंकों का योग	P-मान	सार्थकता
विज्ञान	36	31.22	1124	0.696	0.05
सामाजिक विज्ञान	27	33.04	892		
कुल	63				

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि P का मान 0.696प्राप्त हुआ है। जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है।अतः उपरोक्त मान के अनुसार हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत कीजाती है।परिणामस्वरूप हम यह कह सकते है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात सभी विषयों के अध्यापक

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता अनुभव करते है। तथा शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपयोग को स्वीकार करते है।

ग्राफ 1: विषय वर्गों के आधार पर शिक्षकों का माध्य रैंक और रैंकों का योग

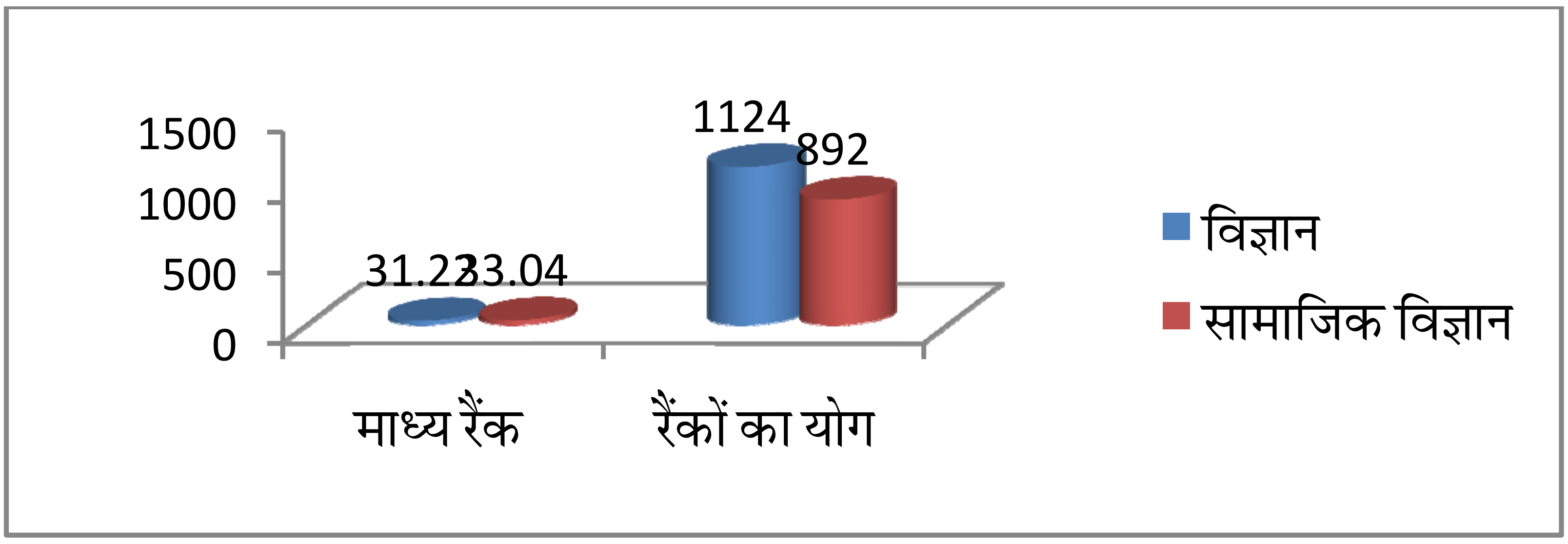

उद्देश्य-3: शिक्षण अनुभव के आधार पर सी.सी.ई.के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का अध्ययन।

शोध कार्य के तृतीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रहण अनुभव के आधार पर सी.सी.ई.के प्रति प्रत्यक्षण का अध्ययन करने के लिए किया गया।

तालिका.6शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों का माध्य रैंक, रैंकों का योग औरP-मान

शिक्षक प्रत्यक्षण	N	माध्य रैंक	रैंकों का योग	P-मान	सार्थकता
7 वर्ष से कम	33	32.30	1066	0.890	0.05

7वर्षसे अधिक	30	31.67	950
कुल	63		

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि P का मान 0.890 प्राप्त हुआ है जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक हैं। अतः उपरोक्त मान के अनुसार हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप हम यह कह सकते है कि 7 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों एवं 7 से वर्ष अधिक अनुभव वाले शिक्षकों का सी.सी.ई.के प्रति प्रत्यक्षण में सार्थक अन्तर है अर्थात अनुभवी तथा कम अनुभवी दोनों प्रकार के अध्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखते है तथा इसकी स्वीकार्यता में अनुभव की कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ती है।

ग्राफ 2: विषय के आधार पर शिक्षकों का माध्य रैंक और रैंकों का योग

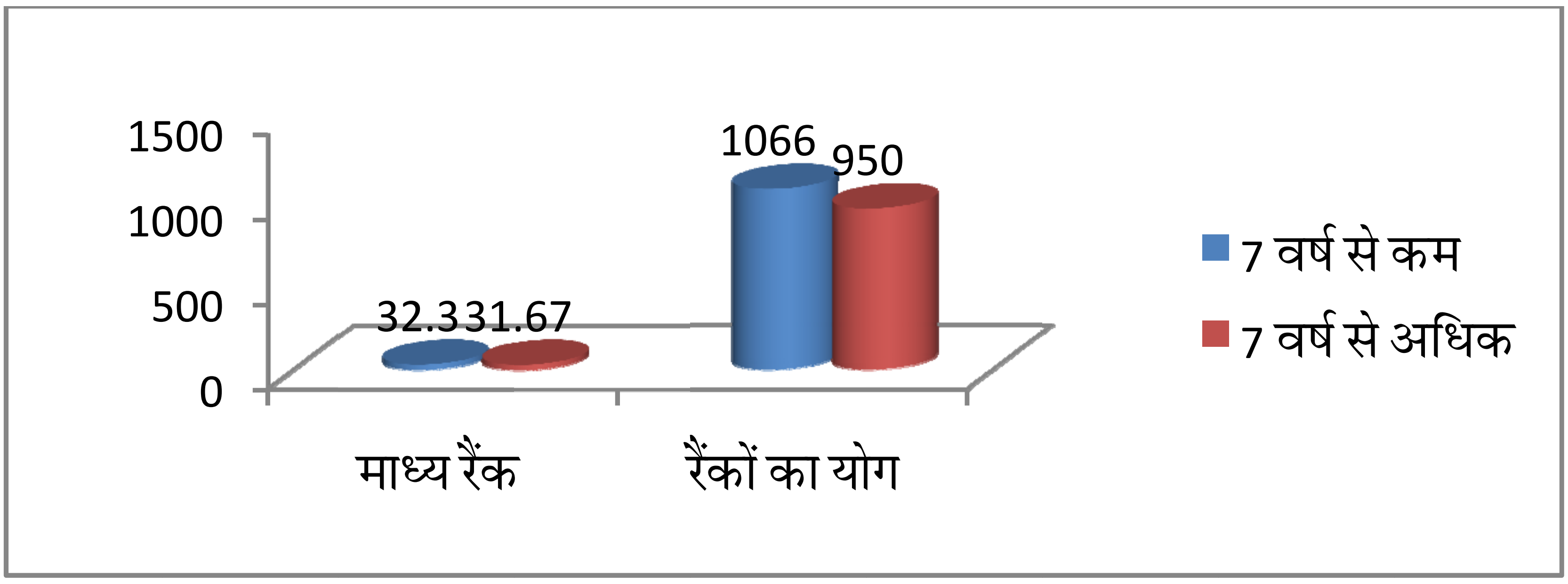

उद्देश्य-4: लिंग के आधार पर सी.सी.ई.के प्रति प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध कार्य के चतुर्थ उद्देश्य की पूर्ति हेतु मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रहण किया गया तथा लिंग के आधार पर सी.सी.ई. के प्रति प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

तालिका.लिंग के आधार पर शिक्षकों का माध्य रैंक, रैंकों का योग और P-मान

शिक्षक प्रत्यक्षण	N	माध्य रैंक	रैंकों का योग	P-मान	सार्थकता
पुरुष	9	31.28	281.50	0.898	0.05
महिला	54	32.12	1734.50		
कुल	63				

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि P का मान 0.898 प्राप्त हुआ है जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है। अतः उपरोक्त मान के अनुसार हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि पुरूष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतएव स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला अध्यापक दोनों ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता को स्वीकार करते है।

ग्राफ 3: लिंग के आधार पर शिक्षकों का माध्य रैंक और रैंकों का योग

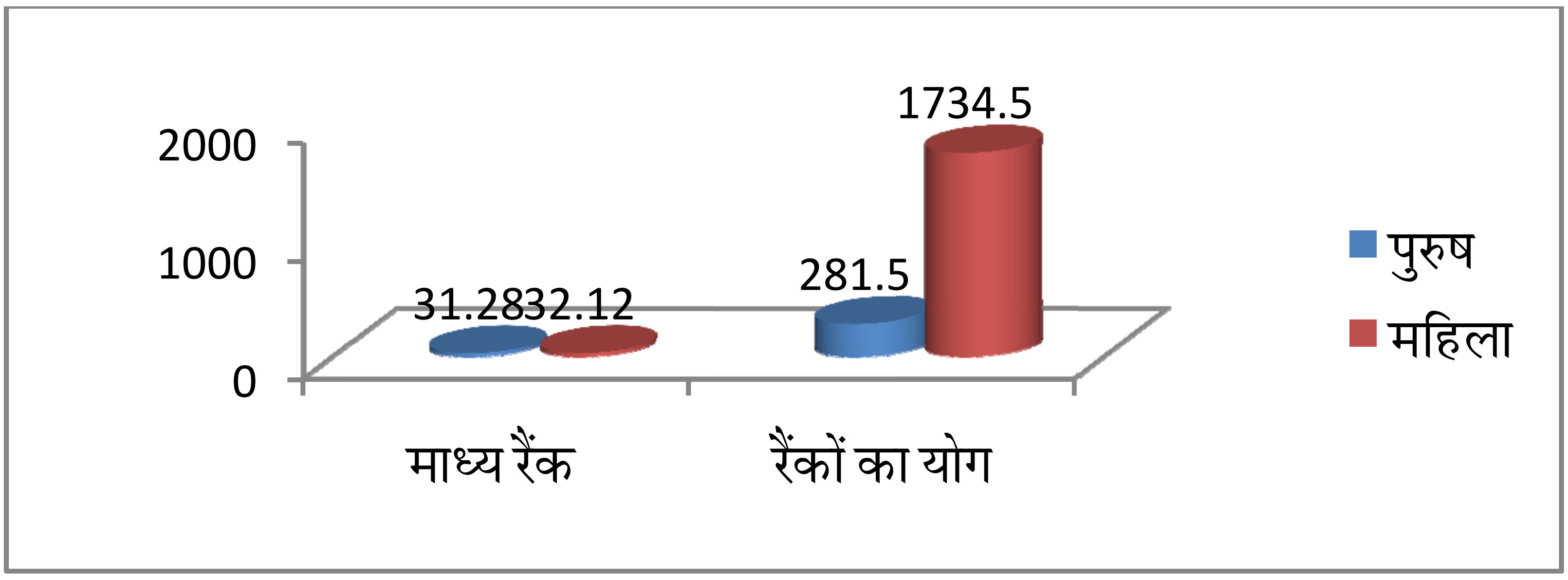

शोध निष्कर्ष

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति प्रत्यक्षण मापनी में महिला अध्यापकों को पुरुष अध्यापकों से अधिक अंक प्राप्त हुएहैं परन्तु उनमें कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। विषय वर्गों के आधार तथा अनुभव के आधार पर भी कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार लागू नहीं किया गया है। अधिकांश शिक्षक यह मानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों को समूह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है और इसकी सहायता से साथी विद्यार्थियों का आकलन कर लेते हैं और इनके माता-पिता से विद्यार्थियों के कमजोर पक्ष पर बात किया जाता हैतथा अधिकांश शिक्षक यह मानकर चलते हैं कि वर्तमान समय में मूल्यांकन कागज और कलम तक सीमित रह गया है।अधिकांश शिक्षक इस

प्रश्न पर असमंजस की स्थिति को दर्शाते हैं साथ ही इसके सकारात्मक जवाब नहीं दे पाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिपरकता को समाप्त करता है इससंबंध में अधिकतर शिक्षक एक मत नहीं है। सततएवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण P का मान 0.696प्राप्त हुआ है जो साथर्कता स्तर 0.05 से अधिक है। अतः मान के अनुसार हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप हम यह कह सकते है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।जब P का मान 0.890 जो साथर्कता स्तर 0.05 से अधिक है अतः इस मान के आधार पर हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप हम यह कह सकते है कि 7 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों एवं 7 से वर्ष अधिक अनुभव वाले शिक्षकों का सी.सी.ई.के प्रति प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अन्तर है।फिर P का मान 0.898 जो साथर्कता स्तर 0.05 से अधिक है अतः उपरोक्त मान के अनुसार हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप हम यह कह सकते है कि पुरूष शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध के द्वारा शोधार्थी ने शिक्षकों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति उनके प्रत्यक्षण को जाननेका प्रयास किया है।इससे हमको

यह पता चला कि विद्यार्थियों की विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को किस प्रकार से अध्यापकों द्वारा अवलोकन किया जाय जिससे कि उनका आंकलन सही तरीके से हो सके।यह शोध कार्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके माध्यम से यह पता चला कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार किया जाताहै तथा अध्यापक किस तरह से बच्चों के गतिविधिओं को बेहतर तरीके से आंकलन कर सकते है। यह शोध कार्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों के लिए भी आवश्यक हो सकता है कि वे मूल्यांकन प्रणाली को किस प्रकार बेहतर कर सकें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की एक बार परीक्षा लेने से उनकी प्रतिभा की जानकारी नहीं हो पाती है इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की विभिन्न गतिविधियों और उनके सभी पहलुओं का पता चल जाएगा क्योंकि जब उनके समस्त सामाजिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है तो एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है।

भावी शोध हेतु सुझाव

- गणित तथा अन्य विषय के अध्यापकों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति प्रत्यक्षण का अध्ययन किया जा सकता है।

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- राज्य बोर्ड एवं सी. बी. एस. ई. बोर्ड के अध्यापकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए इस सम्बंध में अध्यापकों के सुझावों का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

- पाण्डेय, के. पी. (2007) शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन:चौक वाराणसीविश्वविद्यालय प्रकाशन.
- पाण्डेय, के. पी. (2009) शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन:चौक वाराणसी विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- गुप्ता, एस. पी. (2007) अनुसंधान संदर्शिका संप्रत्यय कार्यविधि व प्रविधि. इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन.
- गुप्ता, एस. पी. (2009) अनुसंधान संदर्शिका संप्रत्यय कार्यविधि व प्रविधि. इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन .
- सिं,एस. पी. (2014) राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) वर्ष 21, अंक 2, पृष्ठ सं.- 19-38.

- एन.सी.ई.आर.टी. (2010) सतत एवं व्यापक मूल्यांकनः सी.बी.एस.ई. द्वारा शिक्षकों के लिए मैनुअल.
- एन.सी.ई.आर.टी. (2009) नेशनल फोकस ग्रुप एग्जामिनेशन रिफार्म्स ऑफ पोजीशन पेपर.
- अस्थाना, बी. (2016) शिक्षा में आकलन और मूल्यांकनः अग्रवाल प्रकाशन आगरा.
- गुप्ता, एस. पी. (2013) अनुसंधान संदर्शिका संप्रत्यय कार्यविधि व प्रविधि. इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन.
- मंगल, एस.के.(2013). शिक्षा मनोविज्ञान. दिल्लीः पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड.
- गुप्ता, एस. पी. (2013). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकनः शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद.
- गुप्ता, एस. पी. एवं गुप्ता अ. (2013) उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
- कुमार,अनुज (2012). सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चुनौतियाँ और संभावनाओं का अध्ययन एन.सी.ई.आर.टी : भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 33 अंक 1 पृष्ट संख्या 60-67.
- कौल,लोकेश (2011). शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली. दिल्लीः विकास पब्लिकेशन.

- गुप्ता,एस.पी.&गुप्ता,ए.(2011).शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन.इलाहाबाद:शारदा पुस्तक भवन,
- पाण्डेय, के. पी. (2011) शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन:चौक वाराणसी विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- सिंह,एल.एस (1995) मापन मूल्यांकन एवं सांख्यिकीय, साहित्य प्रकाशन, आगरा, द्वितीय संस्करण
- अग्रवाल,जी के (1983) सामाजिक सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय आगरा बूक स्टोर आगरा द्वितीय संस्करण
- अस्थाना, वि. एवं अग्रवाल;ना. (1987) मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन
- सिंह, एवं एस. (1974) आधुनिक शैक्षिक परीक्षण स्टि्लंग प्रकाशन नई दिल्ली.
- ब्रिजेश, एल. (1995) असेसमेंट कंटिन्युवस लर्निंग. कैलिफोर्निया स्टेनहउस पब्लिशर्स.

सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रियाओं का विश्लेषण : एक अध्ययन

डॉ. विरेन्द्र कुमार
डॉ. शिरीष पाल सिंह

सारांश

प्रस्तुत शोध कार्य में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रियाओं का अध्ययन करने का कार्य किया गया है।कक्षागत अंत:क्रिया से तात्पर्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा कक्षागत शिक्षण के दौरान किए जाने वाले शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहारों से है, जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कार्य संपन्न किया जाता है।प्रस्तुत शोध कार्य के लिए वर्णनात्मक अनुसन्धान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है तथा न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के कुल 4 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान विषय के समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन तकनीकी के द्वारा अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। शोध उपकरण के रूप में स्व-निर्मित 'रूब्रिक' एवं 'शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची'का उपयोग किया गया है। अध्ययन में सम्मिलित समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की कुल 80 कक्षागत अंत:क्रियाओं का असहभागी अवलोकन द्वारा एवं शिक्षकों के साक्षात्कार द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया गया। तत्पश्चात कक्षागत अंत:क्रिया के घटकों एवं उपघटकों को दृष्टिगत रखते हुए इन आंकड़ों का गुणात्मक पद्धति से विश्लेषण किया गया। अंत में यह सुझाव दिया गया कि

यदि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक उक्त घटकों एवं उपघटकों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करें तो कक्षागत अंत:क्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रमुख प्रत्यय/शब्दावली : *सामाजिक विज्ञान विषय की अवधारणा,कक्षागत अंत:क्रिया, अंत:क्रिया विश्लेषण इत्यादि।*

सामाजिक विज्ञान विषय की अवधारणा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसका जन्म, विकास एवं अभिवृद्धि समाज के सहयोग से होती है।समाज की उन्नति भी मनुष्य के सहयोग के बिना असम्भव है। इस प्रकार मनुष्य और समाज में पारस्परिक एवं गहरा संबंध होता है। **(द्विवेदी, 2010).**मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले समस्त विषय सामाजिक विज्ञानों कीश्रेणी में आते हैं, जैसे- भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि। **(श्रीवास्तव,2016).**भूगोल विषय का उद्देश्य लोगों को इस पृथ्वीके आकाशीय पिंडों, महासागर, जीव-जंतुओं, वनस्पतियों तथा अन्य दिखाई दिए जाने वाले वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जीवन की अर्थक्रियाओं,वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन,मूल्य, मांग,वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है।राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की समस्त गतिविधियों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।इतिहास अतीत की कहानी है जिसे मानव सभ्यता का कोष कहा जाता है।इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण होता है। इतिहास भूतकाल का विश्लेषण

करके वर्तमान को स्पष्ट करता है साथ ही भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी करता है।**(दुबे,2014).**

कक्षागत अंत:क्रिया की अवधारणा

शिक्षक के व्यवहार का शिक्षण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक के विभिन्न व्यवहार एवं अन्य गतिविधियाँ एक साथ एकीकृत क्रम में घटित होते हैं। यह अनुक्रम प्रायः शिक्षक द्वारा कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया और शिक्षक की टिप्पणियों के रूप में होता है। **(सुहाग, 2016)**।आधुनिक काल में शिक्षण से तात्पर्य विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना मात्र ही नही है बल्कि शिक्षक-विद्यार्थी के मध्य अन्त:क्रिया से भी है। फ्लैण्डर्स के अनुसार शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है जो शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य अन्त:क्रिया से सम्पन्न होती है। शिक्षण प्रक्रिया में एक ओर विद्यार्थी सीखने वाला है तो दूसरी ओर शिक्षक सिखाने वाला होता है। कक्षा में शिक्षक, विद्यार्थियों का अवलोकन, उनकी भावनाओं की अनुभूति तथा उनको अधिकाधिक समझने का प्रयास करता है।वह विषयवस्तु को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता हैतथा उसका विश्लेषण एवं व्याख्या करता है। इन सभी व्यवहारों के द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच कक्षागत अंत:क्रिया संपन्न होती है **(रेनी, 2013)**।

कक्षागत अंत:क्रिया के प्रकार

(क) शाब्दिक अन्त:क्रिया (Verbal Interaction)

कक्षा में जब शिक्षक तथा विद्यार्थी बोलकर या मौखिक रूप से आपस में चर्चा करते हैं तो इस व्यवहार को शाब्दिक अन्त:क्रिया कहते हैं। इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम मौखिक, लिखित तथा प्रतीकात्मक होता है। प्रायः

शाब्दिक अन्तःक्रिया को दो भागों में विभक्त किया गया है। **पहला प्रत्यक्ष**- यह उस प्रकार का व्यवहार होता है, जिसमें शिक्षक कक्षा में अपना प्रभाव व प्रभुत्त्व स्थापित करने की चेष्टा करता है।वह विद्यार्थियों के तथ्यहीन विचारों व अस्वीकार्य व्यवहारों की आलोचना करता है, कक्षा में अधिकांश समय वह स्वयं बोलता तथा विद्यार्थियों को स्वतंत्रतापूर्वक बोलने का अवसर प्रदान नही करता है। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में बाधा उपस्थित होती है**(सिंह, 1985)**।**दूसरा अप्रत्यक्ष-** यह उस प्रकार का व्यवहार होता है जिसमें शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को कार्य करने तथा उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। शिक्षकविद्यार्थी के विचारों को स्वीकार करता है तथा उनका स्पष्टीकरण करता है, वह अपने विचारों को मानने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य नहीं करता है। शिक्षक स्वयं कम समय बोलते हुए विद्यार्थियों को बोलने का अधिक अवसर प्रदान करता है। उनकी समस्याओं को समझकर यथासंभव समाधान करने का प्रयास करता है। **(सुहाग, 2016)**।

(ख) अशाब्दिक अन्तःक्रिया (Non-Verbal Interaction)

अशाब्दिक अन्तःक्रिया वह व्यवहार है जिसमें विद्यार्थी तथा शिक्षक के मध्य बोलकर भावों व विचारों का सम्प्रेषण नही होता है, अपितु हाव-भाव व संकेत के द्वारा होता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये शिक्षक का सिर हिलाना, विद्यार्थियों को बोलने से रोकने के लिये हाथों, अँगुली का प्रयोग करना, मुस्कुराना आदि सभी क्रियायें विद्यार्थियों को शिक्षक के विचारों व भावों से अवगत कराती है। किसी विद्यार्थी के गलत काम पर शिक्षक यदि क्रोध से लाल-पीला होकर उसकी ओर देखता हैतो निश्चय ही विद्यार्थी समझ जाता है कि उसे वह कार्य नही करना चाहिए। किसी

विद्यार्थी द्वारा कार्य किये जाने पर शिक्षक यदि चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तनाव को कम करता है और सिर हिलाता है तो विद्यार्थी उसी प्रकार से कार्य करने हेतु अधिक प्रोत्साहित होता है**(श्रीवास्तव एवं शर्मा, 2018)**।

कक्षागत अंत:क्रिया विश्लेषण

अन्त:क्रिया विश्लेषण का तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा कक्षा में घटने वाली घटनाओं का व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। शिक्षकों-विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों-विद्यार्थियों के बीच शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार के निरीक्षण तथा अंकन विधि को ही कक्षागत अन्त:क्रिया विश्लेषण प्रविधि कहते हैं। यह विधि कक्षा में होने वाली प्रत्येक घटना का लेखा-जोखा करती है।**(दुबे,2014)**। अन्त:क्रिया विश्लेषण संकेतीकरण (एनकोडिंग)–संकेतवाचन (डिकोडिंग)की एक प्रक्रिया है, जिसमें एनकोडिंग द्वारा कक्षागत घटनाओं को अर्थपूर्ण रूप से तैयार किया जाता है और संकेतवाचन (डिकोडिंग) द्वारा प्राप्त ऑकड़ो का विश्लेषण किया जाता है।**(शर्मा, 2015).**कक्षागत व्यवहारों का विश्लेषण फ्लैण्डर्स के शोध कार्यों से अत्यधिक प्रभावित है।उन्होंने कक्षागत व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया। फ्लैण्डर्स के वर्ग प्रणाली में व्यवहार का प्रेक्षण 'चेक लिस्ट'से किया जाता है। फ्लैण्डर्स की अंत:क्रिया विश्लेषण प्रणाली कक्षा के शाब्दिक व्यवहार के आदान-प्रदान, पहल व अनुक्रिया को स्पष्ट करता है **(कुलश्रेष्ठ, 2010)**। **भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66)**के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि- ***"देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है"*****(लाल, 2012)**।अत: कक्षागत अंत:क्रिया सरल एवं सुदृढ़ होनी चाहिए। बहुत से कारक कक्षागत अंत:क्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसमे शिक्षक व्यवहार को सबसे

महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। यद्यपि शिक्षण विधियाँ, पाठ्य–पुस्तक और विभिन्न सुविधाएँ कक्षा शिक्षण में सुधार के एक कार्यक्रम के रूप में योगदान करती हैं लेकिन ये सभी एक योग्य शिक्षक के अभाव में प्रभावशाली नहीं होती हैं।**(पवनसाम, 1975).**कक्षा निरीक्षण की दो प्रणालियां प्रचलित हैं। **प्रथम, चिह्न प्रणाली-** इसमें पहले से ही अलग-अलग घटनाओं को सूची में लिख लिया जाता है और निरीक्षक कक्षा में जो कुछ देखता है उन घटनाओं पर चिह्न अंकित कर देता है। **द्वितीय, वर्ग प्रणाली-** इस प्रणाली में विशिष्ट व्यवहारों को निश्चित करने की अपेक्षा पहले से वर्गीकृत व्यवहारों को सम्पादित होने के क्रम में अंकित किया जाता है। कक्षा में होने वाली घटना को समुचित वर्ग में अंकित करते हैं। कक्षा की प्रत्येक कुछ सेकेण्ड में होने वाली घटना को अंकित करने के पश्चात उनका विश्लेषण किया जाता है।**(कुलश्रेष्ठ, 2010)**। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए भी चिह्न प्रणाली का उपयोग करते हुए रूब्रिक की सहायता से तथा शिक्षकों के साक्षात्कार द्वारा कक्षागत अंत:क्रियाओं का विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य

1. माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रियाओं का विश्लेषण करना।

शोध का औचित्य एवं महत्त्व

प्रस्तुत शोध कार्य माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अन्त:क्रियाओं से संबंधित है। वर्तमान समय में इस तरह के अध्ययन कार्य अब तक इस स्तर पर नही हुए थे।अतः माध्यमिक स्तर पर उक्त प्रकार के शोध कार्य की जरूरत है। शिक्षकों का कक्षागत व्यवहार, विद्यार्थियों का

कक्षागत व्यवहार, कक्षागत वातावरण तथा शिक्षण विधि इत्यादि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थियो के बीच में यह अन्त:क्रिया जितनी प्रभावीढ़ंग से सम्पन्न होगी, अधिगम उतना ही प्रभावी व स्थायी होगा। इस क्षेत्र में कोथाईनायकी (1994),पॉली (1995),जयंती (2002), कुमार (2008),खदिद्ज्जा (2010),नर्मसिताह (2010),शरीफ (2012), वेरोनिका (2015) एवं सुहाग (2016) इत्यादि ने शोध कार्य किया। उक्त समस्त अध्ययन के अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए फ्लैण्डर्स के कक्षागत अंत:क्रिया वर्ग प्रणाली की सहायता ली गई। जबकि प्रस्तुत शोध की कक्षागत अंत:क्रिया के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए लिए शोधकर्त्ता नें'रूब्रिक' एवं 'शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची'का उपयोग किया गया है। इसकी सहायता से कक्षागत अंत:क्रिया का विश्लेषण करके वर्तमान एवं भविष्य की कक्षागत अंत:क्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं।इन सुझावों को कार्य रूप में परिणत करके माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रियाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक है जिसके लिए वर्णनात्मक शोध विधि का उपयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययनमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के 2-2 माध्यमिक विद्यालयों के सत्र 2018-19 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों एवं

विद्यार्थियों को उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन के आधार पर न्यादर्शमें सम्मिलित किया गया है।

न्यादर्श विवरण

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
1.	जय किसान इंटर कॉलेज सरौनी, वाराणसी.	222	02
2.	महामना मालवीय इंटर कॉलेज बच्छाव, वाराणसी.	251	03
3.	एम. जे. एफ. पब्लिक स्कूल मंडुआडीह, वाराणसी.	200	04
4.	बी.बी.एम.एकेडमी दानगंज बीरभानपुर, वाराणसी.	102	02

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध के लिए दो स्व-निर्मित शोध उपकरणों का उपयोग किया गया है।

1. रूब्रिक
2. शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची

रूब्रिक एक प्रकार का शोध उपकरण है जिसके द्वारा गुणात्मक आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण किया जाता है। रुब्रिक का निर्माण करने के लिए शोधकर्त्ता ने विभिन्न शोध प्रबंधों, शोध पत्रों, साहित्यों तथा सन्दर्भ ग्रंथों की सहायता ली। इनके अध्ययन से प्राप्त घटकों की सहायता से रुब्रिक को

प्रारंभिक (प्रारूप) रूप में तैयार किया गया। तत्पश्चात इसको सेवारत अध्यापकों तथा विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करके उनके द्‌वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 6 घटकों एवं 22 उपघटकों को सम्मिलित करते हुए उपकरण 'रूब्रिक'का निर्माण व वैधता स्थापनकिया गया। यहशोध उपकरण माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंतःक्रियाओं का सूक्ष्मता से अध्ययन एवं विश्लेषण करता है।

शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण भी शोधकर्ता द्‌वारा स्वयं किया गया, जो माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों एवं विद्‌यार्थियों की कक्षागत अंतःक्रियाओं से संबंधित है। शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची के निर्माण के लिए भी वहीं प्रक्रिया अपनाई गई जोकि उपकरण रुब्रिक के निर्माण में अपनाई गयी थी। इसमें कुल 6 घटकों को सम्मिलित किया गया था। इसके निर्माण का मुख्य उद्‌देश्य रूब्रिक की सहायता से प्राप्त आंकड़ों को सत्यापित करना एवं उन तथ्यों को भी ज्ञात करना जो रूब्रिक की सहायता से ज्ञात नहीं किये जा सकते थे।

आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण

शोधकर्त्ता द्‌वारा 4 माध्यमिक स्तर के विद्‌यालयों के सामाजिक विज्ञान विषयके 10 शिक्षकों की कुल 80 कक्षागत अंतःक्रियाओं का अवलोकन 'रूब्रिक' की सहायता से करके आंकड़ों का संग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षकों से साक्षात्कार लेकर भी तथ्यों को संकलित किया गया। आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात् उनका घटकों एवं उपघटकों के अनुसार विश्लेषण किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण

माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंतःक्रियाओं का विश्लेषण विभिन्न घटकों एवं उपघटकों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से है-

घटक - प्रकरण परिचय

- माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंतःक्रिया संबंधीप्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कक्षागत अंतःक्रिया के दौरान शिक्षक, विद्यार्थियों को सामान्यतः प्रकरण से परिचित कराते हैं। कुछ अवसरों पर प्रकरण कोविद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं तथा कभी - कभी प्रकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी करते हैं। कभी - कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक प्रकरण को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं।
- विषयवस्तु ज्ञान के संबंध आंकड़ों के विश्लेषण सेयह ज्ञात होता है किमाध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के समस्त शिक्षकों का विषयवस्तु ज्ञान स्पष्ट है। कक्षा में वे अधिकांश समय विषयवस्तु को प्रासंगिक उदाहरणों एवं सहायक तथ्यों की सहायता से स्पष्ट करते हैं या स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं।
- कक्षागत शिक्षण के दौरान विषयवस्तु को क्रम से अथवा समग्र रूप से प्रस्तुत करने के संबंध में शिक्षकों की कक्षागत अंतःक्रियाओं संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा में विषयवस्तु से संबंधित दी जा रही सूचनाओं को अधिकांश अवसरों पर तार्किक क्रम में संगठित किया जाता है या संगठित करने का प्रयास

किया जाता है। विश्लेषण से अत्यंत कम ऐसे अवसर भी दृष्टिगत होते हैं जब सूचनाएँ तार्किक क्रम में कम संगठित होती हैं।

- कक्षागत शिक्षण के दौरान विषयवस्तु को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के समस्त शिक्षकों के द्वारा कक्षा में प्रयोग की जा रही शब्दावली अधिकांश समयों पर सरल एवं प्रासंगिक होने के साथ ही विषयवस्तु एवं विचारों को स्पष्ट करती हैं, जिसको विद्यार्थी समझते हुए उस शब्दावली को अपने विचारों में अभिव्यक्त करते हैं।
- कक्षागत शिक्षण के दौरान विषयवस्तु के लिए टिप्पणी/नोट्स लेखन के संबंध में कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कुछ शिक्षक शिक्षण करते समय टिप्पणी लेखन का कार्य कभी नहीं करते हैं। कुछ शिक्षक कुछ अवसरों पर विषयवस्तु के कुछ बिन्दुओं के लिए, जबकि कभी-कभी अधिकतर बिन्दुओं के लिए टिप्पणी लेखन का कार्य करते हैं।

घटक – मौखिक प्रस्तुतीकरण

- कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के समस्त शिक्षक कक्षा में अधिकांश अवसरों पर विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं तथा उनकी टिप्पणी को चिन्हित करते हैं।

- कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान शिक्षण गति के संबंध में शिक्षकों की कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है समस्त शिक्षक कक्षागत शिक्षण के दौरान अधिकांश अवसरों पर उचित गति से शिक्षण कार्य करने का प्रयास करते हैं, या शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं। जबकि कुछ अवसरों पर औसत गति से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है।
- कक्षागत शिक्षण के दौरान शिक्षकों के मौन होकर विद्यार्थियों से उनके विचार जानने के संबंध में कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि शिक्षक कक्षा में प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकांश अवसरों पर विशेष बिंदु पर मौन होकर विद्यार्थियों के विचार स्वीकार करते हैं और उनके विचारों को संगठित करते हुए विषयवस्तु को स्पष्ट करते हैं।
- कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से चक्षु संपर्क स्थापित करने के संबंध में कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि शिक्षक कक्षागत शिक्षण के दौरान अत्यंत कम अवसरों पर कुछ विशेष विद्यार्थियों से चक्षु संपर्क स्थापित करते हैं। जबकि अधिकांश समय पर लगभग सामान्य रूप से या समान रूप से विद्यार्थियों से चक्षु संपर्क स्थापित करते हैं।
- कक्षागत शिक्षण के दौरान शिक्षक के व्याख्यान एवं उनके शारीरिक हाव-भाव में सामंजस्य के संबंध में कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान अधिकांश अवसरों पर शिक्षकों के व्याख्यान एवं शारीरिक हाव-भाव में सामंजस्य दृष्टिगत होता है।

घटक – व्यवहार

- कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार के संबंध में अंत:क्रिया विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वे आधे अवसर पर विद्यार्थियों के नए विचारों एवं सुझावों को सुनते हैं। कुछ अवसरों पर उन्हें खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं, कुछ अवसरों पर इसके साथ सकारात्मक टिप्पणी भी करते हैं।
- कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति व्यवहार के संबंध में अंत:क्रिया विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सामाजिक विज्ञान विषय के समस्त विद्यार्थी हमेशा ही शिक्षक के निर्देशों/कथनों को ध्यान से सुनते हैं, जबकि कुछ अवसर पर उन कथनों के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न भी करते हैं।
- कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान विद्यार्थियों के विचारों का शिक्षकों द्वारा सम्मान करने के संबंध में अंत:क्रिया विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समस्त शिक्षक अधिकांश अवसरों पर विद्यार्थियों के अधिकतर विचारों या समस्त विचारों का सम्मान करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। समस्त विद्यार्थी भी सामान्यत: शिक्षकों के समस्त विचारों का सम्मान करते हैं।

शिक्षक सुविधाप्रदाता के रूप में

- शिक्षकों द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को बोलने हेतु अवसर प्रदान करने के संबंध में कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के समस्त शिक्षक आधे अवसर पर कुछ विद्यार्थियों को कक्षा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जबकि आधे अवसरों पर

कुछ विद्यार्थियों को कक्षा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करते हैं तथा बोलने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की भी कोशिश करते है।

शिक्षण सहायक सामग्री

- कक्षागत शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग करने के संबंध में शिक्षक की कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वे शिक्षण सहायक सामग्री जैसे- ग्लोब, मानचित्र, मॉडल, चित्र या आई.सी.टी. इत्यादि का उपयोग करते हुए कभी भी दृष्टिगत नहीं होते हैं। शिक्षक केवल अधिकांश अवसरों पर विषयवस्तु के कुछबिन्दुओं एवं कुछ अवसरों पर अधिकतर बिन्दुओं के लेखन एवं समझाने में चॉक बोर्डका उपयोग करते है। लेकिन इनके अतिरिक्त शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं।

कक्षागत वातावरण एवं अनुशासन

- शिक्षकों के साक्षात्कार से उनके द्वारा कक्षागत वातावरण को उत्साहपूर्ण बनाने के संबंध में आंकड़ों के विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि अलग-अलग शिक्षक अलग-अलग युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कुछ शिक्षक भूमिका निर्वाह, समूह चर्चा, कुछ शिक्षक प्रस्तुतीकरण का कार्य जबकि कुछ शिक्षक विद्यार्थियों से ही कभी-कभी शिक्षण कार्य करवाते हैं।कक्षा में स्व-अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिकांश शिक्षक विद्यार्थियों को नैतिक, चारित्रिक एवं प्रेरक कहानियां सुनाकर स्व-अनुशासन में रखने पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ ही शिक्षक उन्हें डांटकर अनुशासन में रखने की बात स्वीकार करते हैं।

अभिप्रेरणा

- शिक्षकों के साक्षात्कार से उनके द्वारा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को कक्षा में बोलने के लिए अभिप्रेरित करने के संबंध में आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश शिक्षक शिक्षण के बीच-बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनके विचार स्वीकार करके उन्हें अभिप्रेरित करते हैं। कुछ शिक्षक पुरस्कार देने की बात कहकर तो कुछ शिक्षक प्रेरक वाक्य बोलकर विद्यार्थियों को कक्षा में बोलने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। विद्यार्थियों के नवीन विचार अथवा शंकाओं को प्रकट करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए उन्हे प्रोत्साहित भी किया जाता है।कुछ शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षिक चैनल देखने, समाचार पत्र पढ़ने के बाद नयी जानकारियों पर कक्षा में चर्चा करने को कहकर प्रेरित करते हैं।

पुनर्बलन

- शिक्षकों के साक्षात्कार से उनके द्वारा विद्यार्थियों की सही या गलत अनुक्रियाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के संबंध में आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समस्त शिक्षक विद्यार्थियों की सही अनुक्रिया के लिए सही, अच्छे, बहुत अच्छे, गुड,वेरी गुड,जबकि गलत अनुक्रिया पर शिक्षको की प्रतिक्रिया,आपका जवाब सही नहीं है, आपका ध्यान कक्षा में नहीं था, इसमें सुधार की आवश्यकता है, इत्यादिप्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को अशाब्दिक पुनर्बलन प्रदान करने के संबंध में अधिकांश शिक्षक विद्यार्थियों के विषयवस्तु से संबंधित सही जवाब पर अपने हाथ एवं सिर हिलाकर संकेत से उन्हें आगे बोलते रहने के लिए कहते हुए उनके विचारों को स्वीकार करते हैं। अत्यधिक उत्साही विद्यार्थियों को कक्षानुकुल बनाने के लिए अधिकांश शिक्षक

उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तथा अन्य विद्यार्थियों के जवाबों पर टिप्पणी करने को कहते हैं। **मूल्यांकन या प्रतिपुष्टि**

- कक्षागत शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के संबंध में कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के समस्त शिक्षक विषयवस्तु के लिए विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि अधिकांश अवसरों पर शिक्षण के अंत में एवं यथासंभव बीच-बीच में प्राप्त करते हैं।
- शिक्षण के उपरांत शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के अनुसार पुन:शिक्षण करने के संबंध में अंत:क्रिया विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समस्त शिक्षक अधिकांश अवसरों पर विषयवस्तु के लिए अधिकतर विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करके उसके अनुसार पुन:शिक्षण करने की कोशिश करते हैं, जबकि अधिकतर अवसर ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जब शिक्षक कुछ विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेकर उसके अनुसार पुन:शिक्षण नहीं करते हैं।
- सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान विद्यार्थियों द्वारा अपने साथी विद्यार्थियों के कथनों केमूल्यांकन करने के संबंध में कक्षागत अंत:क्रिया के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा साथी विद्यार्थियों के कथनों पर अधिकांश समय ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसका समर्थन/खण्डन नहीं किया जाता है। जबकि कभी-कभी विद्यार्थियों द्वारा साथी

विद्यार्थियों के अधिकतर कथनों का समर्थन/खण्डन तर्कों के आधार पर किया जाता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं -

1. माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को प्राय: प्रकरण से परिचित कराते हैं तथा अधिकतर अवसरों पर उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षकों का विषय ज्ञान स्पष्ट होता है, वे कक्षागत शिक्षण के दौरान अधिकांशत: विषयवस्तु को प्रासंगिक उदाहरणों एवं सहायक तथ्यों की सहायता से स्पष्ट करते है।शिक्षक द्वारा शिक्षण के दौरान अधिकांशत: विषयवस्तु को तार्किक क्रम/क्रमबद्ध ढ़ंग से प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षकों द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली सरल, प्रासंगिक तथा विषयवस्तु को स्पष्ट करती हैं,जिनको विद्यार्थी समझते हुए अपने विचारों में भी अभिव्यक्त करते हैं।
2. माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रियाओं के विश्लेषण से निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि शिक्षक विषय की प्रस्तुतीकरण के दौरान सदैव उचित, स्पष्ट एवं उतार-चढ़ाव वाली आवाज का प्रयोग करते हैं, जोकि समझने योग्य होती है। वे प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकांशत: विशेष बिन्दु पर मौन होकर विद्यार्थियों के विचार स्वीकार करते हैं,उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं तथा उनके विचारों को

संगठित करते हुए विषयवस्तु को स्पष्ट करते हैं। शिक्षक कक्षा में प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकांश समय उचित गति से शिक्षण कार्य करने का प्रयास करते हैंतथा समान रूप से विद्यार्थियों से चक्षु संपर्क स्थापित करते हैं। अधिकांश अवसरों पर शिक्षकों के व्याख्यान एवं उनके शारीरिक हाव-भाव में सामंजस्य भी दृष्टिगत होता है।

3. शिक्षक अधिकांश अवसरों पर विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण करने पर उनकी जिज्ञासा/समस्या का तत्काल समाधान करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी भी कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान शिक्षक के निर्देशों/कथनों को सदैव ध्यान से सुनते हैं तथा कथनों के समझ में न आने पर उसके स्पष्टीकरण के लिए प्रशन करते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी अंत:क्रिया के दौरान सामान्यत:एक दुसरे के विचारों या कथनों का सम्मान करते हैं।

4. शिक्षक कक्षा में केवल चॉक बोर्ड का उपयोग करते है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कभी भी विषयवस्तु से संबंधित अन्यशिक्षण सहायक सामग्री जैसे- मॉडल, चित्र, ग्लोब, मानचित्र, चार्ट पेपर इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता है।

5. कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान कक्षा वातावरण को उत्साहपूर्ण बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा सामान्यत: भूमिका निर्वाह, प्रस्तुतीकरण, समूह चर्चा तथा विद्यार्थियों से ही शिक्षणकार्य करवाना इत्यादि शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षकों द्वारा कक्षा में विभिन्न अवसरों पर अशाब्दिक पुर्बलन का भी प्रयोग किया जाता है।

6. माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा विषयवस्तु के लिए विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टी ली

जाती है, प्रतिपुष्टि लेने का कार्य शिक्षण के मध्य एवं अंत दोनों समयों पर किया जाता है। प्रतिपुष्टि के उपरांत अधिकांश अवसरों पर शिक्षक आवश्यकतानुसार पुन:शिक्षण कार्य करने की कोशिश करते हैं।

7. कक्षागत अंत:क्रिया के दौरान विद्‌यार्थियों द्‌वारा कक्षा में अपने सहपाठियों के कथनों परअधिकांश समय ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसका समर्थन/खण्डन नहीं किया जाता है। कुछ ही अवसर ऐसे होते हैं जब विद्‌यार्थियों द्‌वारा सहपाठियों के कथनों पर ध्यान देने के साथ ही उसका समर्थन/खण्डन तर्कों के आधार पर किया जाता है।

शोध के शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षागत अंत:क्रियाओं का विश्लेषण करने का कार्य किया गया है।शोध कार्य को तब तक प्रभावी नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि उसका अपने क्षेत्र में अनुप्रयोग न हो।अत: उसके आधार पर इस शोध की सार्थकता का वर्णन शैक्षिक निहितार्थ में प्रस्तुत किया गया है जो कि बिन्दुवार निम्नलिखित है –

1. प्रस्तुत शोध सामाजिक विज्ञान विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केन्द्रित से परिवर्तितकर विद्‌यार्थी केन्द्रित करने के दृष्टिकोण का विकास करेगा। इससे समस्त शिक्षण गतिविधियों में विद्‌यार्थियों की केन्द्रीय भूमिका होगी तथा उन्हें सहभागी बनने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

2. प्रस्तुत शोध शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय की विषयवस्तु को क्रमबद्‌ध व प्रभावशाली ढ़ंग से प्रस्तुत करने,उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं संबंधित शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग

करने तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने संबंधी भावना का विकास करेगा।

3. सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण संबंधी सामान्य अंतःक्रिया पद्धति का ज्ञान शिक्षकों को अपनी कक्षा के अंदर वांछनीय अंतःक्रिया को पूरा करने व शिक्षण को अधिक सफल बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

4. प्रस्तुत शोध शिक्षकोंएवं विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक कक्षागत अंतःक्रिया को बढ़ावा देगा जो शिक्षण अधिगम वातावरण को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करेगा।

5. प्रस्तुत शोध कक्षागत अंतःक्रिया के क्षेत्र के शोधार्थियों एवं अध्येताओं को गहन समझ विकसित करने में मदद करेगा।

6. प्रस्तुत शोध शैक्षिक प्रशासकों एवं नीति निर्धारकों को शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से संबंधित योजना बनाने में मदद करेगा जिससेवर्तमान व भविष्य की कक्षागत अंतःक्रियाओं कोप्रभावी ढ़ंग से संपादित की जा सके।

इस प्रकार से उक्त शोध शिक्षकों, विद्यार्थियों, नीति नियंताओं, प्रशासकों, भावी शोधार्थियों, विषय विशेषज्ञों तथा समाज के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ

भट्टाचार्य, जी. सी. (2012). *अध्यापक शिक्षा.* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन. पृष्ठ: 84-106.

बेदी, एस. (1992). क्लासरूम इंटरैक्सन पैटर्न इन रिलेसन टू सम टीचर्स कैरेक्टरस्टिक्स एण्ड दियर इफेक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स ऑफ साइंस स्टूडेंट एट हाईस्कूल लेवल. पी-एच.डी. शोध प्रबंध(अप्रकाशित). *पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़.*पृष्ठ: 26-32.

द्विवेदी, आर. डी. एवं मिश्रा, पी. (2010). माध्यमिक स्कूल स्तर पर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में अग्रिम संगठक प्रतिमान की प्रभावकारिता. *परिप्रेक्ष्य:* वर्ष 17 अंक 3. पृष्ठ: 83-90.

दुबे, एस. (2014). सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षण. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन. पृष्ठ:15-41.

कुलश्रेष्ठ, एस.पी. (2010). *शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार.* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स. पृष्ठ: 255-260.

लाल,आर.बी. (2012-13). *भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ.*मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स. पृष्ठ: 275.

पवनसाम, आर. (1975). टीचर बिहैवियर एण्ड क्लासरूम डाइनेमिक्स.पी-एच.डी. शोध प्रबंध(अप्रकाशित). शिक्षाशास्त्र विभाग. *महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा.*पृष्ठ: 14-18.

रेनी, एस. (2013). डेवलपिंग सर्टेन स्ट्रैटजी फॉर द इफेक्टीव क्लासरूम मैनेजमेंट एट हॉयर सेकेंण्डरी लेवल. पी-एच.डी. शोधप्रबंध(अप्रकाशित).

शिक्षाशास्त्र विभाग. *महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयमकेरला.*पृष्ठः 16-20.

शर्मा, आर.ए. एवं चतुर्वेदी, एस. (2015). *शिक्षा तकनीकी के आधार.* मेरठः आर लाल बुक डिपो. पृष्ठः 836-843.

श्रीवास्तव, आर.एवं गौतम, आर. (2016). सामाजिक विज्ञान शिक्षण. आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन. पृष्ठः 20-32.

श्रीवास्तव, एस. एवं शर्मा, आर. (2018). *शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य.* आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन.पृष्ठ : 84-89.

सिंह,पी.(1985). ए फैक्टर एनालिटिक ऑफ टीचिंग विहैवियर. पी-एच.डी. शोध प्रबंध (अप्रकाशित). शिक्षा संकाय.*काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी.*पृष्ठ : 22-28.

सुहाग, जे. के. (2016).इंटरैक्सन एनॉलिसिस ऑफ क्लासरूम बिहैवियर ऑफ इफेक्टिवएण्ड इनइफेक्टिव हिस्ट्री टीचर्स. पी-एच.डी. शोध प्रबंध(अप्रकाशित). शिक्षाशास्त्र विभाग. *महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक.*पृष्ठ : 38-46.

अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण: निर्माण एवं मानकीकरण

देवेन्द्र कुमार यादव*
*शोध छात्र, शिक्षा विद्यापीठ.
महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
मोबाइल नम्बर: 9415556096 ईमेल: devendrayadav2514@gmail.com
डॉ. शिरीष पाल सिंह**
**एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ. महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
मोबाइल नम्बर: 9888801146 ईमेल: shireeshsingh1982@gmail.com

सारांश

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान एवं कौशल का मापन उपलब्धि परीक्षण द्वारा करते हैं। प्रस्तुत शोध में अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण का निर्माण माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 9 की पाठ्य- पुस्तक के आधार पर किया गया है। इस उपलब्धि परीक्षण में सर्वप्रथम 95 प्रश्नों का निर्माण किया गया, जिसमें 60 बहुविकल्पीय एवं 35 लघुउत्तरीय प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। परीक्षण का प्रशासन अंग्रेजी विषय के 100 विद्यार्थियों वाले एक प्रतिनिधिक न्यादर्श पर करके आँकड़ों की सहायता से परीक्षण के प्रत्येक एकांश का विश्लेषण कर, एकांश कठिनता मान तथा एकांश विभेदन सूचकांक ज्ञात किया गया है। एकांश कठिनता मान एवं एकांश विभेदन सूचकांक ज्ञात करने के उपरान्त 60 एकांश युक्त अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण का अंतिम प्रारूप प्राप्त

हुआ। विभक्तादर्ध विश्वसनीयता विधि स्पीयरमैन ब्राऊन प्रोफेसी द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की गई जिसका मान .84 प्राप्त हुआ। अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों से विचार-विमर्श कर परीक्षण की अंतर्विषय वैधता का निर्धारण किया गया।

प्रमुख प्रत्यय / शब्दावली : उपलब्धि, मानकीकरण, वैधता कठिनाई स्तर एवं विभेदन क्षमता।

जिस प्रकार जीवन में प्रतिदिन के किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी एक सुनियोजित योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार परीक्षण-रचना की वास्तविक प्रक्रिया से पूर्व भी एक निश्चित योजना की आवश्यकता होती है। अर्थात् परीक्षण निर्माता का सर्वप्रथम कार्य परीक्षण योजना की रुपरेखा प्रस्तुत करना है। परीक्षण योजना के अंतर्गत उसके उद्देश्य, विषय-वस्तु, स्वरुप, माध्यम, प्रशासन-विधि, स्तर, प्रतिदर्श, जनसंख्या आदि को निर्धारित करते समय उसके विभिन्न चरों, आयु, लिंग, शैक्षिक स्तर, मातृभाषा, ग्रामीण/शहरी, सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा अन्य पर्यावरण संबंधी कारकों के संबंध में विचार किया जाता है। परीक्षण रचना से पूर्व उसे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह परीक्षण किस मानसिक या व्यावहारिक पहलू के मापन हेतु बनाया जा रहा है (भार्गव, 2015)। उपलब्धि/ संप्राप्ति परीक्षणों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो छात्रों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं। विद्यालयों में पढाये जाने वाले विभिन्न विषयों में छात्रों ने क्या सीखा है, इसका मापन करने के लिए संप्राप्ति परीक्षणों का ही प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि किसी निश्चित समयावधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा किसी एक या अनेक विषयों में छात्र के ज्ञान व समझ में

हुए परिवर्तन का मापन करने वाले उपकरणों को संप्राप्ति/उपलब्धि परीक्षण कहते हैं (गुप्ता, 2015)। निष्पत्ति परीक्षा विद्यालय में विषय संबंधी अर्जित ज्ञान की परीक्षा है। इस परीक्षा में अध्यापक यह ज्ञात कर सकता है कि छात्र ने कक्षा में बैठकर कितनी उन्नति की है, उसने किस सीमा तक विषय ज्ञान पूर्ण कर लिया है। दूसरे शब्दों में उपलब्धि परीक्षाएं सीखने के परिणाम का माप करती हैं (सिंह, 2014)।

परीक्षण निर्माण तथा मानकीकरण के चरण

उपलब्धि परीक्षण के निर्माण और मानकीकरण हेतु प्रमुख रूप से चार चरण का उपयोग किया गया है।

- प्रथम चरण- नियोजन
- द्वितीय चरण- निर्माणः परीक्षण के एकांशो का लेखन
- तृतीय चरण- परीक्षण के एकांशों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन
- चतुर्थ चरण- परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण

प्रथम चरण- नियोजन

परीक्षण की योजना बनाते समय परीक्षण निर्माणकर्ता प्रायः परीक्षण के उद्देश्य एवं उनमें सम्मिलित होने वाले पदों की विषय-वस्तु के संबंध में विचार करता है तथा उन व्यक्तियों की क्षमताओं, शैक्षिक-स्तर, आयु-स्तर आदि का भी ध्यान रखता है जिनके लिए परीक्षण की रचना करनी हो। इसके अतिरिक्त परीक्षण निर्माण के प्रथम चरण में परीक्षण का स्वरुप कैसा होगा- शाब्दिक तथा अशाब्दिक एवं उसका माध्यम क्या होगा- हिंदी, अंग्रेजी आदि उसकी प्रशासन विधि कौन सी होगी-व्यक्तिगत, सामूहिक या मिश्रित तथा उसमे कितनी धनराशि, कितना समय आदि लगेगा तथा जांचे जाने वाले

व्यक्ति की आयु, लिंग, योग्यता, अनुभव, आदि पर प्रकाश डाला जाता है। अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित सोपान को शामिल किया गया है-

- परीक्षण समष्टि तथा परीक्षण उद्देश्य का परिभाषीकरण
- मापन में सम्मिलित बौद्धिक स्तरों का परिभाषीकरण
- उपलब्धि परीक्षण का ब्लू प्रिंट तैयार करना

परीक्षण समष्टि तथा परीक्षण उद्देश्य का परिभाषीकरण

परीक्षण समष्टि के रूप में शोधकर्त्ता द्वारा वर्तमान समय में यू.पी. बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 के अंग्रेजी व्याकरण के विद्यार्थियों को चयनित किया गया है। प्रस्तुत शोध में परीक्षण का उद्देश्य अंग्रेजी व्याकरण की शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करना है।

मापन में सम्मिलित बौद्धिक स्तरों का परिभाषीकरण

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्ता द्वारा उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के समय मूलभूत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमुख रूप से ज्ञान के सभी पक्षों (ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक एवं क्रियात्मक) का चयन किया गया है।

उपलब्धि परीक्षण का ब्लू प्रिंट तैयार करना

परीक्षण की विषयवस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार तथा प्रश्नों की संख्या इत्यादि सुनिश्चित करने के उपरान्त शोधकर्त्ता पूरे परीक्षण का एक ब्लू प्रिंट तैयार करता है। यह ब्लू प्रिंट शोधार्थी को आरम्भ से अंत तक का मार्गदर्शन करता रहता है। ब्लू प्रिंट में विषयवस्तु के विभिन्न प्रकरणों तथा शिक्षण उद्देश्य को दिए जाने वाले भार को स्पष्ट किया जाता है।

तालिका 1: अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण ब्लू प्रिंट (प्रथम प्रारूप): उद्देश्य अनुरूप विभाजन

क्रम. सं.	प्रकरण	ज्ञानात्मक	अवबोधात्मक	क्रियात्मक	कुल प्रश्न
1	Part of Speech	15	13	3	31(32.63%)
2	Tense	6	1	5	12(12.63%)
3	Sentence (Type)	4	2	1	7(7.37%)
4	Negative Sentence	-	-	4	4(4.21%)
5	Interrogative Sentence	-	-	4	4(4.21%)
6	Passive Voice	-	-	12	12(12.63%)
7	Indirect or Reported Speech	-	-	6	6 (6.32%)
8	Primary or Modal Auxiliaries	10	-	-	10(10.53%)
9	The Verb: Transitive and Intransitive	4	-	-	4(4.21%)
10	Punctuation	5	-	-	5(5.26%)
कुल		44(46.316%)	16(16.842%)	35(36.842%)	95(100%)

तालिका 2:अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण हेतु ब्लू-प्रिंट (अंतिम प्रारूप): उद्देश्य अनुरूप विभाजन

क्रम. सं.	प्रकरण	ज्ञानात्मक	अवबोधात्मक	क्रियात्मक	कुल प्रश्न
1	Part of Speech	7	8	1	16 (26.67%)
2	Tense	6	1	4	11 (18.33%)
3	Sentence (Type)	4	2	1	7 (11.67%)
4	Negative Sentence			2	2 (3.33%)
5	Interrogative Sentence	-	-	3	3 (5%)
6	Passive Voice			8	8 (13.33%)
7	Indirect or Reported Speech	-	-	3	3 (5%)
8	Primary or Modal Auxiliaries	4	-	-	4 (6.67%)
9	The Verb: Transitive and Intransitive	4	-	-	4 (6.67%)
10	Punctuation	2	-	-	2 (3.33%)
		27 (45%)	11 (18.33%)	22 (36.67%)	60 (100%)

द्वितीय चरण- निर्माणः परीक्षण के एकांशो का लेखन

शोधकर्त्ता ने अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक एवं क्रियात्मक सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए बहुविकल्पीय एवं लिखित दोनों प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया है। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के द्वारा जहाँ विद्यार्थियों को निष्पक्ष रूप से वर्गीकृत किया जा सका, वहीं पर लघुउत्तरीय प्रश्नों के द्वारा उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति को भी देखा जा सका।अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण में बहुविकल्पीय एवं लघुउत्तरीय प्रश्नों को मिलाकर कुल 95 पदों को तैयार किया गया। जिनकी विषय विशेषज्ञों के द्वारा समीक्षा भी कराई गई और फिर मार्गदर्शी अध्ययन (Pilot Study) के लिए अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया।

तृतीय चरण – परीक्षण के एकांशों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन

परीक्षण के एकांशों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन

अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का प्रथम प्रारूप शोध पर्यवेक्षक, मापन एवं मूल्यांकन के विशेषज्ञों एवं अंग्रेजी भाषा के विषय विशेषज्ञों को दिया गया। उनसे निर्मित परीक्षण के एकांशों में सुधार का आग्रह किया गया तथा यह भी पूछा गया कि उपलब्धि परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बना उसकी पूर्ति कर रहा है या नहीं। तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर शोधार्थी ने आवश्यक सुधार एवं संशोधन किया एवं भाषाई त्रुटियों में भी संशोधन किया गया। इसके पश्चात् अंतिम रूप से उपलब्धि परीक्षण तैयार हुआ।

परीक्षण के एकांशों का मात्रात्मक मूल्यांकनः प्रारंभिक/ मार्गदर्शी चरण

प्रारंभिक अध्ययन के लिए 'अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण' को उत्तर-प्रदेश के गाजीपुर जिला के 'माँ शारदा इंटर कॉलेज' के कक्षा 9 के अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों के प्रतिनिधि स्वरुप न्यादर्श पर प्रशासित किया गया। जिनमे कुल 100 विद्यार्थियों ने सहभागिता ली। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि विद्यार्थियों को परीक्षण का पूर्व ज्ञान है। चार विकल्पों वाले कुल 60 बहुविकल्पीय एकांशों एवं 35 लघुउत्तरीय एकांश सम्मिलित थे। इस प्रकार कुल 95 एकांश परीक्षण में सम्मिलित किये गए थे। उन्हें बहुविकल्पीय एकांशों के उत्तर/ प्रतिक्रिया स्वरुप विभिन्न विकल्पों (i), (ii), (iii), (iv) में से उपयुक्त विकल्प पर प्रतिक्रिया पत्रक में एक सही का चिन्ह लगाना था। इसके अतिरिक्त लिखित एकांशो की प्रतिक्रिया हेतु उन्हें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर देना था। सभी विद्यार्थियों को सामान्य रूप से अधिकतम 1.5 घंटे का समय प्रदान किया गया था।

एकांश विश्लेषणः एकांश का कठिनाई सूचकांक

किसी परीक्षण की प्रभाविकता एवं उपयोगिता उसमें निहित पदों की विशेषताओं पर निर्भर करती है। परीक्षण का फलांक, उसकी वैधता, विश्वसनीयता तथा अंगभूत पदों के आपसी सह-संबंध के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए परीक्षण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षण निर्माता को उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त पदों का पृथक-पृथक अध्ययन करना चाहिए। इसी स्थिति को पद/एकांश विश्लेषण विधि कहा जाता है। **गिल्फोर्ड** के अनुसार –'परीक्षण की अंतिम रूप की रचना करने से पूर्व, श्रेष्ठ पदों का चयन हेतु पद/ एकांश विश्लेषण विधि का प्रयोग अत्यंत

उपयोगी है। सम्पूर्ण परीक्षण के विभिन्न गुण उसमें निहित होने वाले पदों के गुणों पर निर्भर होते हैं; जैसे – मध्यमान प्रसरण, फलांक- वितरण का रूप, विश्वसनीयता तथा वैधता। ''

एकांश की कठिनता स्तर से तात्पर्य व्यक्तियों के उस अनुपात या प्रतिशत से होता है जो किसी एकांश का उत्तर सही-सही दे पाता है। एकांश की कठिनता स्तर को अंग्रेजी के P अक्षर से संकेतित किया जाता है। यह अनुपात या प्रतिशत जितना अधिक होता है, एकांश को उतना ही आसान समझा जाता है, यानि उसका कठिनता स्तर कम होता है। किसी एकांश के P का अधिकतम मान +1.0 हो सकता है। यह उस समय पाया जाता है जब किसी एकांश का उत्तर सभी व्यक्तियों ने सही-सही दिया हो। किसी एकांश के P का न्यूनतम मान 0 हो सकता है और यह उस परिस्थिति में पाया जाता है जब सभी उत्तरदाताओं या व्यक्तियों ने गलत उत्तर दिया हो। नन्नली (1972) के अनुसार, 'चार या इससे अधिक विकल्पों से मिलकर निर्मित किसी बहुविकल्पीय परीक्षण के लिए 0.20 से 0.80 के बीच की सीमा में आने वाले सभी एकांशों का चयन किया जाना चाहिए। ' प्रस्तुत शोध में एकांशों की कठिनाई सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की गई है-

$P = (R_u + R_l) / (N_1 + N_2)$

जहाँ P = एकांश की कठिनता स्तर

R_u = उच्च्च समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या

R_l = निम्न समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की संख्या

N_1 = उच्च्च समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या

N_2 = निम्न समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या

एकांश की विभेदन शक्ति

एकांश की विभेदन शक्ति एकांश विश्लेषण का दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू है। एकांश के विभेदन शक्ति से तात्पर्य एकांश की वैसी शक्ति से होता है जिसके द्वारा एकांश वैयक्तिक विभिन्नता को दिखलाता है। दूसरे शब्दों में, विभेदन शक्ति वह है जिसके द्वारा एकांश सफल व्यक्ति या उत्तरदाता तथा असफल व्यक्ति या उत्तरदाता के बीच स्पष्ट विभेद कर पाता है। बीन (1953) के अनुसार, 'मापे जाने वाले शीलगुण या शीलगुणों के समूह के रूप में श्रेष्ठ व्यक्तियों से अलग करने की किसी एकांश की क्षमता को विभेदन सूचकांक कहा जाता है। विभेदन क्षमता को को D.P. अक्षर के संकेतांक से व्यक्त किया जाता है। प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के एकांशो की विभेदन सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की गई है –

DP = (RH-RL)/ N

जहाँ, DP = एकांश का कठिनाई स्तर

RH = उच्च समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या

RL = निम्न समूह में सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या

N = किसी एक समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या

प्रस्तुत शोध उपकरण में विभेदन शक्ति की गणना के लिए सबसे पहले कुल 95 एकांशों वाले अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण को विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधि न्यादर्श (100) पर प्रशासित किया गया। प्रत्येक एकांश की सही अनुक्रिया करने पर एक-एक अंक दिया गया तथा गलत अनुक्रिया करने पर शून्य अंक प्रदान किये गए। प्रत्येक उत्तरदाता द्वारा सभी एकांशो पर सही उत्तर के लिए प्राप्त अंकों का योग किया गया। इसके बाद कुल प्राप्तांकों के आधार पर अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया। फिर उत्तर पत्रकों के दो

समूह– उच्च समूह एवं निम्न समूह बनाये गए। ऊपर के 27% (27) विद्यार्थियों के उत्तर पत्रकों को उच्च समूह में तथा नीचे के 27% (27) विद्यार्थियों के उत्तर पत्रकों को निम्न समूह में रखा गया। दोनों समूहों में विद्यार्थियों की संख्या (27) समान थी, जिसे N से व्यक्त किया गया है। फिर प्रत्येक प्रश्न के लिए उच्च समूह के विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या (RH) तथा इसी प्रकार प्रकार से निम्न समूह के छात्रों के द्वारा दिए गए गये सही उत्तरों की संख्या (RL) ज्ञात की गई। फिर प्रत्येक प्रश्न के लिए (RL) को (RH) से घटा दिया गया तथा प्राप्त अंतर को N से भाग दिया गया। तत्पश्चात् प्राप्त मान सम्बंधित प्रश्न (पद) के लिए विभेदन क्षमता गुणांक हुआ जिसे DP संकेताक्षर से अभिव्यक्त किया गया।

तालिका 3: विभेदन सूचकांक सारणी

प्रसार	श्रेणी	संस्तुति
>0.39	उत्कृष्ट	एकांश को सम्मिलित कर सकते हैं
0.30 -0.39	उत्तम	एकांश में सुधार अपेक्षित है
0.20 -0.29	उत्तम	एकांश समीक्षा की पुनः आवश्यकता है
0.00 -0.20	घटिया	एकांश को अस्वीकृत या गहन समीक्षा की आवश्यकता है
<-0 .01	सबसे खराब	एकांश को पूर्णतया हटा दिया जाए

तालिका 4: अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण का एकांश विश्लेषण सारणी

पद संख्या	उच्च समूह	निम्न समूह	अंतर	कठिनाई स्तर	विभेदन क्षमता	टिप्पणी
1	26	27	-1	.98	-.0.03	अस्वीकृत
2	6	9	-3	0.27	-0.11	अस्वीकृत

3	17	13	4	0.55	0.14	अस्वीकृत
4	22	14	8	0.66	0.29	स्वीकृत
5	20	13	7	0.61	0.25	स्वीकृत
6	19	14	5	0.61	0.18	अस्वीकृत
7	23	16	7	0.72	0.25	स्वीकृत
8	10	5	5	0.27	0.18	अस्वीकृत
9	22	10	12	0.59	0.44	स्वीकृत
10	10	6	4	0.29	0.14	अस्वीकृत
11	20	6	14	0.48	0.51	स्वीकृत
12	24	8	16	0.59	0.59	स्वीकृत
13	24	15	9	0.72	0.33	स्वीकृत
14	14	4	10	0.33	0.37	स्वीकृत
15	23	15	8	0.70	0.29	स्वीकृत
16	12	9	3	0.38	0.11	अस्वीकृत
17	14	7	7	0.38	0.25	स्वीकृत
18	26	16	10	0.77	0.37	स्वीकृत
19	18	6	12	0.44	0.44	स्वीकृत
20	24	13	11	0.68	0.40	स्वीकृत
21	12	6	6	0.33	0.22	संशोधन के बाद स्वीकृत
22	20	9	11	0.53	0.40	स्वीकृत
23	13	11	2	0.44	0.07	अस्वीकृत
24	26	16	10	0.77	0.37	स्वीकृत
25	23	11	12	0.62	0.44	स्वीकृत
26	34	10	24	0.81	0.88	अस्वीकृत
27	8	2	6	0.18	0.22	अस्वीकृत
28	19	10	9	0.53	0.33	स्वीकृत

29	27	13	14	0.74	0.51	स्वीकृत
30	7	6	1	0.24	0.03	अस्वीकृत
31	19	8	11	0.50	0.40	स्वीकृत
32	18	9	9	0.50	0.33	स्वीकृत
33	20	8	12	0.51	0.44	स्वीकृत
34	12	1	11	0.24	0.44	संशोधन के बाद स्वीकृत
35	25	15	10	0.74	0.37	स्वीकृत
36	22	8	14	0.55	0.51	स्वीकृत
37	3	3	0	0.11	0	अस्वीकृत
38	6	4	2	0.18	0.07	अस्वीकृत
39	2	1	1	0.05	0.03	अस्वीकृत
40	14	10	4	0.44	0.14	अस्वीकृत
41	4	4	0	0.14	O	अस्वीकृत
42	23	14	9	0.68	0.33	स्वीकृत
43	20	11	9	0.57	0.33	स्वीकृत
44	22	7	15	0.53	0.55	स्वीकृत
45	11	5	6	0.29	0.22	अस्वीकृत
46	16	10	6	0.48	0.22	संशोधन के बाद स्वीकृत
47	20	3	17	0.43	0.63	संशोधन के बाद स्वीकृत
48	18	10	8	0.51	0.30	स्वीकृत
49	4	6	-2	0.18	-0.07	अस्वीकृत
50	10	6	4	0.29	0.14	अस्वीकृत
51	14	6	8	0.37	0.30	स्वीकृत
52	11	4	7	0.27	0.25	अस्वीकृत

53	12	7	5	0.35	0.18	अस्वीकृत
54	8	3	5	0.20	0.18	अस्वीकृत
55	15	7	8	0.40	0.29	स्वीकृत
56	26	13	13	0.72	0.48	स्वीकृत
57	25	9	16	0.62	0.59	स्वीकृत
58	3	3	0	0.11	0	अस्वीकृत
59	24	8	16	0.59	0.59	स्वीकृत
60	17	7	10	0.44	0.37	स्वीकृत
61	23	6	17	0.53	0.62	स्वीकृत
62	16	1	15	0.31	0.55	स्वीकृत
63	16	2	14	0.33	0.51	स्वीकृत
64	12	3	9	0.27	0.33	संशोधन के बाद स्वीकृत
65	24	16	8	0.74	0.29	स्वीकृत
66	25	6	19	0.57	0.70	स्वीकृत
67	9	0	9	0.16	0.33	अस्वीकृत
68	24	7	17	0.57	0.62	स्वीकृत
69	19	1	18	0.37	0.66	स्वीकृत
70	16	12	4	0.51	0.14	अस्वीकृत
71	22	13	9	0.64	0.33	स्वीकृत
72	3	1	2	0.07	0.07	अस्वीकृत
73	0	0	0	0	0	अस्वीकृत
74	22	10	12	0.59	0.44	स्वीकृत
75	3	0	3	0.05	0.11	अस्वीकृत
76	16	1	15	0.31	0.55	स्वीकृत
77	21	10	11	0.57	0.40	स्वीकृत
78	0	1	-1	0.01	-0.3	अस्वीकृत

79	26	9	17	0.64	0.62	स्वीकृत
80	23	12	11	0.64	0.40	स्वीकृत
81	8	0	8	0.14	0.29	अस्वीकृत
82	25	12	13	0.68	0.48	स्वीकृत
83	23	12	11	0.64	0.40	स्वीकृत
84	17	0	17	0.31	0.62	स्वीकृत
85	15	0	15	0.27	0.55	अस्वीकृत
86	17	1	16	0.33	0.59	स्वीकृत
87	17	10	7	0.50	0.25	स्वीकृत
88	11	0	11	0.20	0.40	अस्वीकृत
89	21	10	11	0.57	0.40	स्वीकृत
90	20	10	10	0.55	0.37	स्वीकृत
91	7	0	7	0.12	0.25	अस्वीकृत
92	1	00	1	0.01	0.03	अस्वीकृत
93	25	10	15	0.64	0.55	स्वीकृत
94	0	0	0	0	0	अस्वीकृत
95	23	13	10	0.66	0.37	स्वीकृत

अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि का अंतिम प्रारूप तैयार करना

इस प्रकार अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के प्रथम प्रारूप में कुल 95 पद सम्मिलित किये गए थे। जिसे शोधार्थी द्वारा पद विश्लेषण के सभी मानदंडो के अनुसार पुनः सुव्यवस्थित किया गया। इसके पश्चात् जिन एकांशों की विभेदन क्षमता का मान 0.25 से कम था एवं कठिनाई स्तर 0.30 से कम था उन सभी एकांशों को अस्वीकृत कर दिया गया।कुछ एकांशों को संशोधन के बाद स्वीकृत किया गया। इस प्रकार शोधार्थी द्वारा निर्मित अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण के अंतिम प्रारूप में कुल 60 पद चयनित हुए।

चतुर्थ चरणः उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण

उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता

परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध मापन की चर त्रुटियों से है। परीक्षण की यह विशेषता बताती है कि परीक्षण किस सीमा तक चर त्रुटियों से मुक्त है। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास करने की सीमा से है। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार-बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए तथा वे छात्र बार-बार समान अंक प्राप्त करें, तो परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है (गुप्ता, 2015)। चैपलिन (1975) के अनुसार-'विश्वसनीयता का अर्थ परीक्षण के उस भरोसेपन से है जिसकी अभिव्यक्ति एक परीक्षण द्वारा इसी समूह के पुनरावृत्त मापनों से प्राप्त प्राप्तांकों की संगति से है। करलिंगर (2002) के अनुसार, 'भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता शब्द विश्वसनीयता शब्द के ही पर्यायवाची हैं। '

अद्र्ध विच्छेदन विधि

आंतरिक संगति विश्वसनीयता (Internal Consistency Reliability) ज्ञात करने की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि अद्र्ध विच्छेदन विधि है। इस विधि में जिस परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करनी होती है उस परीक्षण का प्रशासन एक समूह के व्यक्तियों पर कर लिया जाता है। प्रशासन के बाद परीक्षण को दो अद्र्ध या दो बराबर भागों में बाँटने की दो विधियाँ हैं।पहली विधि विषम-सम विधि कहलाती है। इस विधि में परीक्षण के समपदों को एक भाग या अद्र्ध (One Half) में रखते हैं तथा परीक्षण के विषम पदों को दूसरे भाग या अद्र्ध (Other Half) में रखते हैं। परीक्षण को दो अद्र्ध भाग में बाँटने की दूसरी विधि

प्रथम बनाम द्वितीय अर्द्ध विधि कहलाती है। प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त उपलब्धि परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक की गणना इसी विधि से की गई है। जिसमें कुल अंतिम रूप से चयनित 60 एकांशों वाले परीक्षण के 30 को एकांश प्रथम तथा शेष 30 एकांश को द्वितीय अर्द्धांश में रखा गया। जिससे कुल 100 प्रयोज्यों के दो-दो फलांक प्राप्त हुए। जिसके आधार पर एस.पी. एस. एस. की सहायता से पियर्सन (r) की गणना की गई, जो अर्द्ध परीक्षण की विश्वसनीयता (Half test of Reliability) को बतलाता है। इस सहसंबंध के आधार पर स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र द्वारा परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात किया गया। जो कि r = .738 प्राप्त हुआ। यह आधे परीक्षण की विश्वसनीयता है, इसलिए सम्पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र (rtt = 2r/1+r) का प्रयोग किया गया है। अतः सम्पूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक 0.84 है, जो अति उच्च धनात्मक श्रेणी में है।

उपलब्धि परीक्षण की वैधता

वैधता किसी मापन यन्त्र का वह गुण है कि वह उसी चीज का मापन करता है जिसको मापना उसका उद्देश्य है (चैपलिन,1975)। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह माप करता है तथा जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है (क्रानबैक,1971)। प्रस्तुत शोध में विषय-वस्तु वैधता /अंतर्विषय वैधता (Content Validity) एवं आभासी/अंकित वैधता (FaceValidity) का निर्धारण विशेषज्ञों के सुझाव के आधार किया गया है। इस प्रकार की वैधता (विषय-वस्तु) में परीक्षण के पदों की विस्तृत परीक्षण की जाती है। यहाँ विषय-वस्तु का अर्थ परीक्षण के पदों से है जिनका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता कि परीक्षण के लिए उपयुक्त है या नहीं। यह भी

मूल्यांकन किया जाता है कि परीक्षण के पदों में समग्रता (Comprehensiveness) का गुण है या नहीं (रेबर, 1987)। आभासी वैधता वह वैधता है जिसमे परीक्षण निर्माणकर्त्ता परीक्षण के पदों के रूप या आभास (Face) से ही ज्ञात कर लेता है कि परीक्षण अपने उद्देश्यों की सही-सही पूर्ति कर रहा है या नहीं। परीक्षण के पदों के अवलोकन से पदों के रूप का ज्ञान हो जाता कि परीक्षण अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं। यदि ऐसा है तब परीक्षा में आभासी या अंकित वैधता होती है।

अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण का शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध-पत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा निर्धारित कक्षा 9 की अंग्रेजी व्याकरण विषय की पाठ्यचर्या को ध्यान में रखकर अंग्रेजी व्याकरण की शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए 'अंग्रेजी व्याकरण उपलब्धि परीक्षण' का निर्माण एवं मानकीकरण किया गया है। इस परीक्षण का उपयोग विद्यार्थियों के विषय ज्ञान हो जानने हेतु किया जा सकता है। इस परीक्षण का उपयोग कर कोई भी शिक्षक अपने अध्ययन-अध्यापन की शैली में सुधार कर सकता है। वह कक्षा में नवाचारी शिक्षण विधियों एवं अमुक विद्यार्थी के कमजोरी का भी पता लगा सकता है। इस परीक्षण को आधार मानकर शिक्षक अपने विधार्थियों के लिए भी स्वयं उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य शोधार्थी भी अपने विषय से सम्बंधित ऐसे ही उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कर सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

- भार्गव, एम., एवं भार्गव, वी. (2015).*आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन.* आगरा: राखी प्रकाशन. पृष्ठ सं. 127-143.

- चौधरी, एस., एवं त्यागी, एस. के. (2017).कंस्ट्रक्शन एंड स्टैण्डर्डाईजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी. *एजुकेशनल क्वेस्ट, 8* (3), 817-823.
- छब्रा, एस. (2019). कंस्ट्रक्शन एंड स्टैण्डर्डाईजेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन इंग्लिश फॉर क्लास नाईन्थ स्टूडेंट्स. *आयुषी इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, 6* (4), 32-34.
- गुप्ता, एस.पी. (2015). *आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन.* इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन. पृष्ठ सं. 169-182.
- कौर, ए. (2017). कंस्ट्रक्शन एंड स्टैण्डर्डाईजेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन इंग्लिश. स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर *इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज 4* (37), 32-34.
- कुमार, एन. (2016). कंस्ट्रक्शन एंड स्टैण्डर्डाईजेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करेंट रिसर्च एंड मॉडर्न एजुकेशन, 1* (2), 241-252.
- कौल,एल.(2011). *शैक्षिक अनुसन्धान की कार्य प्रणाली.*दिल्लीः विकास पब्लिकेशन्स.
- रावत, एच. (2013). *सामाजिक शोध की विधियाँ.* जयपुर. रावत पब्लिकेशन्स.
- सिंह, ए.के. (2013). *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ.* पटनाः मोतीलाल बनारसीदास. पृष्ठ सं. 271-283.
- श्रीवास्तव, डी.एन., एवं वर्मा, पी. (2010). *मनोविज्ञान, शिक्षा और अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी.* आगराः श्री विनोद पुस्तक मंदिर.

- सुलैमान, एम. (2016). *मनोविज्ञान, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी.* पटना: मोतीलाल बनारसीदास.
- शर्मा, एच. एल., एवं गुप्ता, पी. (2017). कंस्ट्रक्शन एंड स्टैण्डर्डाईजेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एजुकेशनल रिसर्च, 2* (3), 2455-6157.
- पाण्डेय, के .पी. (2011). *शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन.* वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन. पृष्ठ सं. 69-76.
- सिंह, आर. (2014). *शैक्षिक मूल्यांकन.* आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशनस. पृष्ठ सं. 153-172.

कोविड-19 से जूझते समकालीन परिदृश्य में डिजिटल शिक्षा पद्धति का महत्व : न्यू मीडिया की नजर से

डॉ. शैलेश शुक्ला
राजभाषा अधिकारी, एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम)
दोणिमलै परिसर, बेल्लारी - 583118, कर्नाटक
ईमेल पता : poetshailesh@gmail.com,
फोन : 8759411563

सार : भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। चीन से शुरू हुई यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया भर के चिकित्सक और वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत में अभी भी (17 दिसंबर, 2020 तक) संक्रमण फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे ठोस कदम `सोशल डिस्टेंसिंग' को बताया। दुनिया के दूसरे देशों से सबक लेते हुए भारत सरकार ने भी 22 मार्च को '21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन' की घोषणा की और बाद में इसकी समय-सीमा तीन महीने तक बढ़ा दी गई। अब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहप हो सकी। चाहे टेलीवीजन हो या सोशल मीडिया हर जगह कोरोना वायरस ही बहस के केंद्र में है।

दुनिया के लिए लॉकडाउन नया `नियम' है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। इससे शिक्षा में अभूपूर्व व्यवधान पड़ा और विद्यालय, महाविद्यालय और

विश्वविद्यालय प्रभावित हुई। परिणामस्वरूप शिक्षा अब तेज़ी से ई-शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए भारत में शिक्षा ने अनेक सोपान तय किए हैं। पिछली सदी के कमोबेश पारंपरिक श्यामपट तथा खड़िया मिट्टी (चॉक) के दौर से गुजरते हुए 21वप सदी के इस दूसरे दशक में पठन-पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। इस शोध पत्र में ई-शिक्षा की बढ़ती भूमिका, उसकी विशेषताएं तथा इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों पर विमर्श किया गया है।

कुंजी/बीज शब्दः कोरोना संक्रमण का शिक्षा पर प्रभाव, कोविड -19 का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, शिक्षा प्रणाली, ई-शिक्षा

प्रस्तावनाः कोरोना वायरस कोई एकल वायरस का नाम नहप, बल्कि पूरा परिवार है। जिसे कोरोनवीरिडे कहा जाता है। इनमें से कुछ सामान्य सदब का कारण बनते हैं। कोरोना का अर्थ लैटिन में 'ताज' होता है। जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो उन्हें यह वायरस, क्राउन या सूर्य के कोरोना जैसा दिखाई दिया। वास्तव में यह वायरस गोल है और इसकी सतह पर सूर्य के कोरोना जैसी प्रोटीन की स्ट्रेंस यानी शाखाएं उगी हुई है, जो हर दिशा में फैलती हुई महसूस होती हैं। इसी कारण इसका नाम `कोरोना' रखा गया। इस कोरोना वायरस का अधिकारिक नाम कोविड-19 ( ब्व्टप्क्-19), इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सनॉमी ऑफ वायरस (आईसीटीवी) ने दिया है। इसमें `सीओ' (ब्व्) का मतलब कोरोना, `वी आई' (टप्) का मतलब वायरस, `डी' (क्) का मतलब डिजीज और संख्या `19' वर्ष 2019 को दर्शाती है, क्योंकि पहली बार यह वर्ष 2019 में मनुष्य में पाया गया।1

कोरोना वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस या जीनोम है। जिसका आकार लगभग 27 से 34 किलोबेस होता है। यह वायरस नाक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन फैलाते हैं और प्राणवायु जो हम मुख अथवा नाक द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, को बाधित कर देता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन ना पहुंचने से सबसे पहले मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है और श्वास प्रतिक्रिया धीरे-धीरे लुप्त हो जाती है। वायरस बड़ी आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और इसका वायरस घंटों और दिनों तक जिंदा रह सकता है।

`विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस नए वायरस के उपचार के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए, उसमें नियमित रूप से हाथ धोना, छपकते व खांसते हुए नाक व मुंह को ढंकना और सामाजिक एवं शारीरिक दूरी जैसे उपाय बेहद जरूरी बताए।2` कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की निगरानी करने वाली वेबसाइट वर्ल्ड-ओ-मीटर के अनुसार, 17 दिसंबर तक दुनिया में कोरोना वायरस से 16,58,677 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,47,03,691 लोग संक्रमित हो चुके थे और 5,25,26,149 लोग स्वस्थ हुए। सबसे ज्यादा संक्रमित और मौत का आंकड़ा अमेरिका में है। अमेरिका में 1,74,03,423 संक्रमित हुए और 3,14,726 लोगों की मृत्यु हुई। दूसरे नंबर पर भारत आता है।3

24 मार्च को कोविड-19 के रोकथाम के लिए जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था। उसके बाद राज्य सरकारों ने ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के विकल्प की ओर बढ़ने का निष्चय किया। इसमें एनजीओ, फाउंडेशन और निजी क्षेत्र की तकनीकी शिक्षा कंपनियों की मदद ली गई। शिक्षा के लिए

उपलब्ध संवाद माध्यमों टीवी, डीटीएच चैनल, रेडियो प्रसारण, मोबाइल एप्लीकेशन, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सऐप ग्रुप का प्रयोग शुरू किया।

शोध विषय का चयनः विश्वव्यापी लॉकडाउन के बीच तमाम देशों में ऑनलाइन कक्षाओं और इंटरनेट से पढ़ाई पर जोर है। भारत में भी लॉकडाउन की घोषणा के बाद विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्याल बंद हो गए। विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पर अधिक बल दिया। जिससे ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था, चुनौतियों और समकालीन परिदृश्य में इसके महत्व के कारण इस विषय का चयन किया गया।

शोध का उद्देश्यः इस अध्ययन का उद्देश्य इस तरह हैः

1. कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के क्या व्यवस्था की
2. ऑनलाइन शिक्षण के लिए क्या-क्या तकनीक अपनाई गई
3. लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण का कितना विस्तार हुआ

शोध प्रविधिः शोध अध्ययन में अवलोकन विधि का इस्तेमाल किया गया। इस विधि के जरिए ऑनलाइन शिक्षण देने की व्यवस्था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम और मीडिया में छपी खबरों एवं लेख-आलेखों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की सीमाः इस अध्ययन में केवल ऑनलाइन शिक्षा को शामिल किया गया है। वैसे तो देश में कई निजी कंपनियां भी ऑनलाइन शिक्षा को

लेकर काम कर रही है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उसके महत्व पर को लेकर अधिक केंद्रित किया गया है।

शोध चयन प्रक्रिया: शोध अध्ययन के दौरान सेकेंडरी डाटा की मदद ली गई। आंकड़ों के लिए केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य शिक्षा विभाग की मदद ली गई है। ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार और अन्य जानकारी के लिए शिक्षण गतिविधियों पर नजर रखने वाली विभिन्न वेबसाइट, समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल का भी अध्ययन किया गया है। तथ्य विश्लेषण शोध अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों की मदद से तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत: भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया था। चीन के वुहान विश्वविद्यालय से केरल लौटी एक छात्रा में इसकी पुष्टि हुई थी। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के जरिये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी।4 इसके बाद लगातार देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले गए। 17 दिसंबर 2020 तक की प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में कुल संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या 99,53,235 थी। जबकि 1,44,505 कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी।5

ई-शिक्षा से अभिप्राय: ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ई-शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित

लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। वेबिनार, मॉक टेस्ट, वीडियो और काउंसलिंग आदि की विधियां भी ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं।6

ई-शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

1. समकालिक (Sलदबीतवदवने)
2. अतुल्यकालिक (।ेलदबीतवदवने)

1. समकालिक शैक्षिक व्यवस्थाः इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि `एक ही समय में' अर्थात विद्याथब और शिक्षक अलग-अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्याथब अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई-लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। सिंक्रोनस ई-शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षो में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।

2. अतुल्यकालिक शैक्षिक व्यवस्था- इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि `एक समय में नहप' अर्थात यहां विद्याथब और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहप है। इस व्यवस्था में पाठ्क्रम से संबंधित जानकरी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिये वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्याथब किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्युटोरिअल्स, ई-बुक्स इत्यादि

की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई-शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्याथब किसी भी समय, जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच सकते हैं। यही कारण है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है।

ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति: दूरदराज तक ऑनलाइन के जरिये कई निजी कंपनियां शिक्षा के सेवा के साथ व्यापार कर रही है। कोरसेरा, बाईजूस, वेदांतु और माइंडस्पार्क जैसे बहुत से ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और ट्युटोरियल का कोविड-19 के दौरान तेजी से विस्तार हुआ।

ऑडिट और मार्केटिंग की शीर्ष एजेंसी केपीएमजी और गूगल ने `भारत में ऑनलाइन शिक्षा: 2021' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2016 से 2021 की अवधि के दौरान भारत में ऑनलाइन शिक्षा के कारोबार में आठ गुना की अभूतपूर्व वृद्धि आंकी गयी हैं। 2016 में ये कारोबार करीब 25 करोड़ डॉलर का था और 2021 में इसका मूल्य बढ़कर करीब दो अरब डॉलर हो जाएगा। शिक्षा के पेड यूजरों की संख्या 2016 में करीब 16 लाख बताई गयी थी, 2021 में जिनके करीब एक करोड़ हो जाने की संभावना है।7

ई-शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास: केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और शिक्षा से जुड़े अन्य संस्थानों के सहयोग से संचालित वेब पोर्टल और अन्य कार्यक्रमों जैसे- दीक्षा पोर्टल, स्वयं, स्वयं प्रभा, ई-पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ और वर्चुअल लैब आदि के माध्यमों से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। बिहार में शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के

सहयोग से दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर `मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय` कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पाठ्य-पुस्तक आधारित शिक्षण लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार पहली कक्षा से कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ई-लर्निंग कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए वाट्सऐप के ज़रिये सभी विषयों के टेस्ट-पेपर आयोजित करवाए जा रहे है। हरियाणा सरकार ने डीटीएच सेवा शुरू किया है। जिसमें पहली से 12वप कक्षा के विद्याथब लाभ उठा रहे है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल `निशंक 'ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा के जरिये लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा `भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान की शुरुआत 10 अप्रैल को नई दिल्ली में शुरू किया था।8 प्रज्ञाता दिशा-निर्देशों में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के आठ चरण, जिनमें योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याक (बात), असाइन, ट्रैक और सराहना शामिल हैं। ये आठ चरण उदाहरणों के साथ चरणबद्ध तरीके से डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं।9

केंद्रीय मानव संसाधन विभाग द्वारा शुरू किए गए प्रयास इस तरह है-

1. **स्वयः** स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं) एक एकीकृत मंच है, जो स्कूल (9वप- 12वप) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक स्वयं पर 2769 ऑनलाइन कोर्सेज़ (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस - मूक्स) (बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम) की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02

करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर-छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है। एनसीईआरटी कक्षा नौंवी से 12वप तक के लिये 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (मूक्स) का मॉड्यूल विकसित कर रहा है।10

2. **स्वयं प्रभाः** यह 24 ग् 7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूरदराज़ के ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।11

3. **राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरीः** भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) एक एकल-खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभाषी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। इसके माध्यम से यहां 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है।12

4. **स्पोकन ट्यूटोरियलः** छात्रों की रोज़गार क्षमता को बेहतर बनाने के लिये ओपन सोर्स सॉटवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिये बनाया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल के

माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्त्ता को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।13 यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉटवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है। इसमें शिक्षण कार्य, जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम, यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।

5. **वर्चुअल लैबः** इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आंकड़ें एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिये पूरी तरह से इंटरेक्टिव सिमुलेशन एन्वायरनमेंट (प्दजमतंबजपअम Sपउनसंजपवद म्दअपतवदउमदज) विकसित करना है। महत्त्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएँ संचालित हैं और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही हैं।14

6. **ई-यंत्रः** यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है। शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं।15

7. **एनसीईआरटी पोर्टलः** एनसीईआरटी ने अपने वेबपोर्टल पर कक्षा पहली से 12वप तक सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराई है। इसमें हिन्दी,

अंग्रेजी और ऊर्दू में किताबें उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर पढ़ सकते है। इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा ई- रिसोर्सेज़ जैसे ऑडियो, वीडिओ इंटरएक्टिव आदि के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री विद्याथब, अभिभावक और शिक्षकों के लिए उपलब्ध है।16

ऑनलाइन शिक्षा की स्वीकार्यता: मौजूदा ऑनलाइन शिक्षा से पहले देश में `इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी' और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान तथा कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के कई सफल प्रयास किये गए हैं। देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तक करीब डेढ़ करोड़ लोग पहुंच चुके है। स्वयं मंच पर पांच गुणा वृद्धि हुई। 574 पाठ्यक्रमों में करीब 26 लाख विद्याथब नामांकित है। `स्वयं प्रभा' टीवी चैनल को षिक्षा के लिए लगभग सात लाख लोग देख रहे है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को 15 लाख से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है।17

कोविड-19 और शैक्षिक बदलाव: देश में कोविड-19 और इसके नियंत्रण हेतु लागू नियमों से शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हुई है। लॉकडाउन के बाद कई शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य जारी रखने का प्रयास किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए शैक्षणिक कैलेंडर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन, वर्चुअल लैबोरेटरीज़ आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिये अध्यापकों को `इनफॉर्मेशन व कम्युनिकेशन टूल्स' जैसी तकनीकों के लिए प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया है।18

ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतिया: ऑनलाइन शिक्षा की सारी परिचर्चाएं इस बुनियाद पर आधारित हैं कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट सेवा और लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद हो। नेशनल सैंपल सर्वे के शिक्षा से जुड़े 75वें चरण के आंकड़े बताते हैं कि देश में केवल 24 प्रतिशत घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। इनमें से 42 फ़ीसदी शहरी क्षेत्र और 15 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है। वहप देश के केवल 11 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं। 23 प्रतिशत शहरी घरों में कंप्यूटर हैं। गांवों में केवल 4.4 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं। इसमें स्मार्टफ़ोन को शामिल नहप किया गया है।19 भारत में, 5-11 वर्ष की आयु के लगभग 71 मिलियन बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं जो कि देश के 500 मिलियन के सक्रिय इंटरनेट यूजर बेस का लगभग 14 प्रतिशत हैं। भारत में दो तिहाई इंटरनेट यूजर 12 से 29 वर्ष की आयु समूह के (इंटरनेट एवं एएमपी, मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा साझा किया गया डाटा) हैं।20

निष्कर्ष: देश की भौगोलिक स्थिति और बड़ी जनसंख्या के कारण सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करना लंबे समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत में कोविड-19 महामारी का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा क्षेत्र पर भी देखने को मिला है। इस महामारी ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को शिक्षण माध्यमों के नए विकल्पों और संसाधनों पर विचार करने पर विवश किया है। पूर्व में भी दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने का प्रयास किया गया था और लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्तमान परिस्थिति से सीख लेते हुए भविष्य में इंटरनेट, मोबाइल एप और अन्य नवाचारों के माध्यम से शिक्षा की पहुंच में विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक देश में 993

विश्वविद्यालय, करीब चालीस हजार महाविद्यालय हैं और 385 निजी विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा में करीब चार करोड़ विद्याथब हैं और नामांकित छात्रों की दर यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़कर 26.3 प्रतिशत हो गया है। देश के प्रमुख शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 2019 की परीक्षा के लिए 10वप और 12वप कक्षाओं में 31 लाख से ज्यादा विद्याथब नामांकित थे। विभिन्न राज्यों के स्कूली बोर्ड़ों की छात्र संख्या भी करोड़ों में है। सरकार के सभी विकल्पों और संसाधनों का उपयोग कर दूरस्थ शिक्षा का एक मज़बूत आधार स्थापित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।

संदर्भः

1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
2. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 11 February 2020
3. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/ 25 July 2020, 10.30 GMT
   https://www.bhaskar.com/international/news/coronavirus-us-china-italy-coronavirus-outbreak-china-italy-iran-usa-japan-france-live-today-news-updates-world-cases-novel-corona-covid-19-death-toll-127550080.html
4. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1601095, 30 JAN 2020 1:33PM

5. https://www.bhaskar.com/national/news/coronavirus-outbreak-india-cases-live-news-and-updates-25-july-127550070.html Jul 25, 2020, 02:42 PM IST
6. 'kSf{kd rduhdh] çFke o"kZ] çk;ksfxd laLdj.k] jkT; 'kSf{kd vuqlaèkku ,oa çf'k{k.k ifj"kn~] jk;iqj] NRrhlx<+] ¼i`"B la[;k & 51½ http://scert.cg.gov.in/pdf/deled-2018-19pdf/ET-2018-19.pdf
7. https://www.amarujala.com/columns/opinion/coronavirus-effect-online-class-and-e-learning-after-lockdown-due-to-covid19Wed, 01 Apr 2020 12:43 AM IST
8. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1612999 10 APR 2020 2:43PM by PIB Delhi
9. https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pr_2703_0.pdf https://www.india.com/hindi-news/career-hindi/hrd-ministry-launches-pragyata-education-guidelines-for-digital-education-mental-health-tips-and-screen-time-for-children-4085061/ July 15, 2020 8:50 AM IST
10. https://swayam.gov.in/explorer
11. https://www.swayamprabha.gov.in/
12. https://ndl.iitkgp.ac.in/
13. https://spoken-tutorial.org/
14. http://www.vlab.co.in/
15. https://www.e-yantra.org/
16. http://www.ncert.nic.in/
17. https://www.patrika.com/opinion/coronavirus-epidemic-lockdown-mhrd-revolution-in-education-and-online-education-system-6016188/19 Apr 2020, 12:33 PM IST

18. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1619531 29 APR 2020 8:16PM by PIB Delhi

19. http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/KI_Education_75th_Final.pdf

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629744 05 JUN 2020 3:51PM by PIB Delhi

प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों की प्रत्यक्षण मापनी (निर्माण एवं मानकीकरण)

विनोद कुमार*

डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर**

शोध उपकरण के रूप में मापनी का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के गुण, व्यवहार, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति तथा किसी घटना/व्यक्ति के प्रति प्रत्यक्षण को मापने हेतु किया जाता है। प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों की प्रत्यक्षण मापनी के निर्माण एवं मानकीकरण हेतु मापनी निर्माण की कतिपय विधियों में से लिकर्ट विधि का प्रयोग किया गया है। लिकर्ट मापनी के द्वारा किसी भी चर को एक से अधिक कथनों के माध्यम से मापा जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य सरोकार प्रधानाचार्यों के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण को मापने हेतु एकमापनी का निर्माण एवं मानकीकरण करना है। जिसके लिये शोधार्थी द्वारा लिकर्ट मापनी की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुएउपकरण हेतु प्रथम प्रारूप में प्रधानाचार्य के विद्यालयी दैनंदिन क्रिया-कलापों से संबंधित 95 कथनों का निर्माण किया गया। विषय-विशेषज्ञों से विचार-विमर्श एवं उनके सुझावों के आधार पर 20 कम संबंधित कथनों को हटाया गया तथा कुछ कथनों में सुधार करके प्रथम प्रारूप में अंतिम रूप से कुल 75कथनों का चयन किया गया। मापनी के प्रथम प्रारूप के प्रारम्भिक परीक्षण हेतु उच्चतर माध्यमिक स्तर के 160 अध्यापकों के एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श को वितरित करके प्रदत्त संकलन किया गया। 22 बुकलेट पूर्णतः ठीक ढंग से नहीं भरे गए थे और 13 बुकलेट को केवल एक-दो विकल्प पर चिन्हित किया गया था,जोकि अस्पष्ट थे। अतः कुल 125

प्रतिदर्शों से प्रत्येक कथन के प्राप्तांक एवं सम्पूर्ण मापनी के प्राप्तांक के मध्य सहसंबंध विधि से एकांशों का विश्लेषण करने के पश्चात 7 आयामों के अंतर्गत कुल 51 कथन अंतिम प्रारूप में चयनित हुए। उक्त मापनी की विषयवस्तु वैधता को 15 से अधिक संबंधित विषय-विशेषज्ञों से विचार-विमर्श एवं उनके आलोचनात्मक सुझाव द्वारा और निर्मित/अन्वय वैधता को कथनों का कारक विश्लेषण एवं प्रत्येक आयाम के कुल स्कोर तथा मापनी के कुल स्कोर में सहसंबंध (rho) द्वारा निर्धारित किया गया। प्रत्येक आयाम के लिए विभेदक वैधता का निर्धारण उच्च समूह के 27% एवं निम्न समूह के 27%प्रयोज्यों के प्राप्तांकों के मध्य दो स्वतंत्र समूहमान व्हिटनी यू-परीक्षण द्वारा किया गया। मापनी एवं सभी आयामों की विश्वसनीयता गुणांक की गणना आंतरिक संगतता विधि (क्रोनबैक अल्फा) द्वारा किया गया। सम्पूर्ण मापनी का विश्वसनीयता गुणांक उत्कृष्ट**(अल्फा= 0.957)** है।

बीज शब्द : लिकर्ट मापनी,निर्माण एवं मानकीकरण,एकांश विश्लेषण, वैधता, विश्वसनीयता तथा निर्वचन।

*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।

मो.- 7985589494

ई-मेल : vinodpal334@gmail.com

**अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।

मो.- 8007845441

ई-मेल : gkthakur11@gmail.com

प्रस्तावना :

किसी भी शोध अध्ययन में प्रदत्त संकलन एक सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। प्रदत्त संकलन हेतु विभिन्न प्रकार के शोध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शोधार्थी को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसके अध्ययन में प्रयुक्त शोध उपकरण, अध्ययन की प्रकृति एवं उद्देश्यों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो क्या उपकरण वैध एवं विश्वसनीय भी है? तथा यह भी कि क्या उपकरण अध्ययन क्षेत्र,प्रतिदर्श की समझ, संस्कृति, भाषा, भौगोलिकता इत्यादि संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्रयोग हेतु प्रासंगिक है? यदि नहीं तो एक शोध उपकरण का निर्माण एवं उसका मानकीकरण आवश्यक हो जाता है। उपरोक्त संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, विद्यालयी नेतृत्व के क्षेत्र में प्रधानाचार्यों के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण को मापने हेतु एक मापनी का निर्माण आवश्यक जान पड़ता है। इसलिए शोधार्थी ने अपने शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक मापनी का निर्माण किया है। जिसमें लिकर्ट विधि का प्रयोग किया गया है। लिकर्ट मापनी एक विशेष प्रकार की मापनी होती है। जिसका प्रयोग किसी गुण, प्रवृत्ति, व्यवहार, अभिवृत्ति, प्रत्यक्षण इत्यादि को विश्वसनीय ढंग से मापने के लिए किया जाता है। लिकर्ट मापनी में किसी विषय (चर) या उसके किसी विशेष आयाम को उससे संबंधित एक से अधिक कथनों द्वारा मापा जाता है। अर्थात लिकर्ट मापनी में एक ही सवाल (कथन) के उत्तर के आधार पर मापन नहीं किया जाता है। बल्कि उस चर से संबंधित अधिक से अधिक सकारात्मक एवं नकारात्मक कथनों के माध्यम से यह मापा जाता है कि उत्तरदाता अपनी बात पर लगातार सहमत है या नहीं। यदि वह सभी कथनों के अनुकूल सहमति या असहमति दिखाता है तो उस चर के सापेक्ष उसके उत्तर को सही माना जाता है अन्यथा नहीं। चूंकि वैध एवं विश्वसनीय प्रदत्त

का संकलन एक वैध एवं विश्वसनीय उपकरण द्वारा ही संभव है; इसलिए अध्ययन को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए एक मानकीकृत शोध उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यावहारिक समाज विज्ञान के अध्ययनों में मात्रात्मक विश्लेषण हेतु लिकर्ट मापनी के द्वारा सर्वाधिक वैध एवं विश्वसनीय आंकड़ों की प्राप्ति संभव होती है और उसका निर्वचन भी सरल एवं समझने में आसान होता है। इसीलिए प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रधानाचार्यों के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण का मापन करने हेतु शोधार्थी द्वारा शोध उपकरण के रूप में लिकर्ट आधारित प्रत्यक्षण मापनी के निर्माण एवं मानकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है।

शोध-उद्देश्य :

इस शोध-अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1- प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों की प्रत्यक्षण मापनी का निर्माण करना।

2- प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों की प्रत्यक्षण मापनी की वैधता का मूल्यांकन करना।

3- प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों की प्रत्यक्षण मापनी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना।

4- प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों की प्रत्यक्षण मापनी का निर्वचन विधि प्रस्तुत करना।

शोध-विधि :

इस शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया। सर्वेक्षण विधि से आंकड़ों का संकलन करके सारिणीबद्ध किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण सहसंबंध, यू-परीक्षण एवं कारक विश्लेषण द्वारा करके मूल्यांकन एवं निर्वचन को प्रस्तुत किया गया।

प्रतिदर्शः

अध्ययन के प्रतिदर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (इंटर कॉलेज) के वर्तमान (सत्रः 2019-20) में कार्यरत 160 अध्यापकों को शामिल किया गया। यह अध्ययन कक्षा 11-12वीं में अध्यापन करने वाले अध्यापकों तक सीमित था।

उपकरण निर्माण के चरण :

शोध उपकरण के निर्माण एवं मानकीकरण की एक विस्तृत और क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। उपकरण निर्माण के चरणों के संदर्भ में विशेषज्ञों में पूर्णतः सहमति नहीं है (वानी एवं मसीह, 2016)।गुप्ता (2012) ने शोध उपकरण निर्माण तथा प्रमापीकरण की प्रक्रिया को चार चरणों में बांटा है।शोध उपकरण का निर्माण करते समयउपकरण की गुणवत्ता सुनिश्चायन हेतु क्रमबद्ध चरणों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। शोधार्थी ने उक्त मापनी के निर्माण एवं मानकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पांच क्रमबद्ध चरणों में विभाजित किया है। इसका विवरण अधोलिखित है-

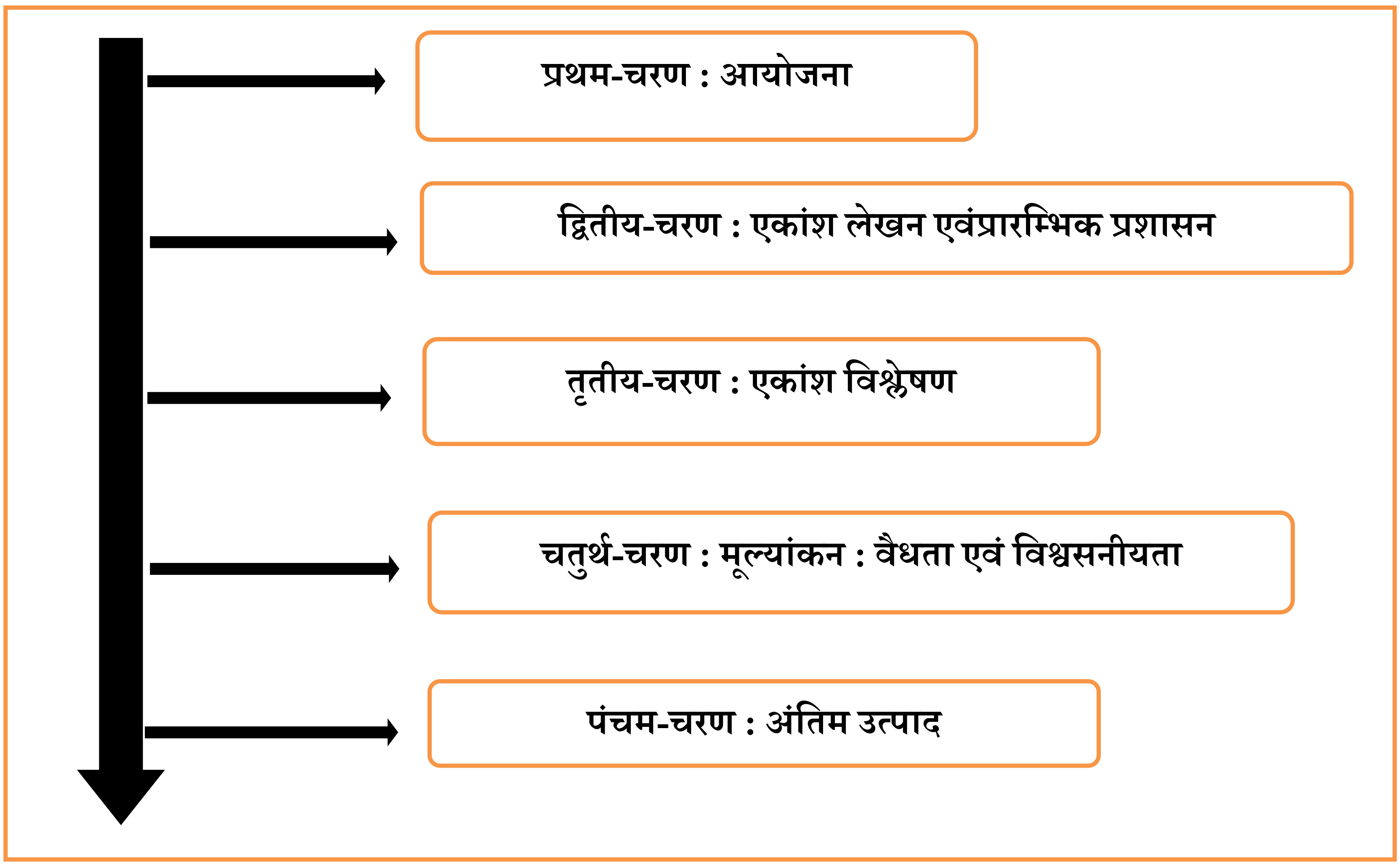

प्रथम-चरण : आयोजना

शोध उपकरण के निर्माण काप्रथम सोपानयोजना बनाना है। वास्तव में योजना बनाना उपकरण निर्माण कासबसे महत्त्वपूर्ण कदम होता है। जिसमें उपकरण संबंधितविभिन्न संदर्भों यथा- उपकरण का प्रकार,मापन का स्वरूप, कथन के प्रकार,समयावधि,प्रशासन तथा अंकन विधि इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। उपरोक्त संदर्भों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने प्रधानाचार्यके नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों की प्रत्यक्षण मापनी के निर्माण हेतु योजना का निर्माण किया। जिसके अंकन हेतुबढ़ते सातत्य क्रम में पांच विकल्प निर्धारित किये गये।

प्रतिक्रिया का अंकन :

इस शोध उपकरण के प्रत्येक एकांश की प्रतिक्रिया के मापन हेतु तीन विकल्प- असहमत, तटस्थ तथा सहमत का निर्धारण किया गया। उपरोक्त तीनों विकल्पों के लिये क्रमशः 1,2व 3अंक निर्धारित किया गया। यह मापनी उत्तरदाता को प्रत्येक कथन पर बढ़ते सातत्य क्रम में 1 से 3 अंक तक प्रतिक्रिया करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। अर्थात कोई भी उत्तरदाता प्रत्येक कथन पर न्यूनतम 1 और अधिकतम 3 अंक प्राप्त कर सकता है। सकारात्मक कथनों का अंकन बढ़ते क्रम में 1 से 3 तक तथा नकारात्मक कथनों का अंकन 3 से 1 तक घटते क्रम में किया गया।

द्वितीय चरण : एकांश लेखन एवं प्रारम्भिक प्रशासन

शोधार्थी ने उपलब्ध साहित्य की समीक्षा तथापूर्व में निर्मित उपकरणों के अध्ययन के बाद वास्तविक विद्यालयी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुल 114 कथनों का निर्माण किया। अपने शोध-निदेशक के सुझावों के आधार पर उनमें से महत्त्वपूर्ण 94 कथनों का चयन करके विषय-विशेषज्ञों के पास आलोचनात्मक अवलोकन हेतु मुद्रित एवं अमुद्रित रूप में भेजा गया। 15 से अधिक विशेषज्ञों से विचार-विमर्श एवं उनके सुझाव के आधार पर अति महत्त्वपूर्ण 75 कथन प्रारम्भिक प्रारूप के रूप में चयनित हुए। जिनका विवरण अग्रलिखित है-

तालिका-प्रथम : एकांशों का विवरण

क्र. सं.	आयाम	एकांश सं.
1.	क- विद्यालयी योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	**08**
2.	ख- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया	**07**
3.	ग- समस्या-समाधान एवं निर्णयन	**10**
4.	घ- अनुशासन एवं पर्यवेक्षण	**07**
5.	च- विद्यालयी कार्य-संस्कृति	**09**
6.	छ- संसाधनों का प्रबंध एवं रख-रखाव	**08**
7.	ज- सम्प्रेषण	**04**
8.	झ- समन्वय एवं प्रत्यायोजन	**08**
9.	ट- विद्यालय विकास एवं दूरदर्शिता	**09**
10.	ठ- अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा	**5**
कुल	**10**	**75**

उपकरण प्रशासन एवं प्रदत्त संकलन :

उपकरण के प्रारम्भिक प्रारूप, जिसमें कुल 75 कथन थे, को वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2019-2020) के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (इंटरमीडिएट स्तर) में अध्ययन-अध्यापन करने वाले 160 अध्यापकों (प्रतिनिधिक प्रतिदर्श) को वितरित किया गया। इस प्रकार पूर्व निर्धारित अंकन विधि से प्रत्येक अध्यापक की प्रतिक्रिया को अंकित करके प्राप्त आंकड़ों को एस.पी.एस.एस. (SPSS) साफ्टवेयर की सहायता से सारिणीबद्ध किया गया।

एस.पी.एस.एस की सहायता से मिसिंग एवं वर्णनात्मक विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि 22 अध्यापकों ने अपूर्ण प्रतिक्रिया की थी तथा 13 अध्यापकों ने किसी एक-दो विकल्प को ही चिन्हित किया था। इसलिएअस्पष्ट एवं अपूर्ण प्रतिक्रिया करने वाले 35 उत्तरदाताओं की की बुकलेट (प्रश्नावली) हटा दिया गया। इस प्रकार शेष 125 अध्यापकों की प्रतिक्रिया के आधार पर विश्लेषण किया गया।

तृतीय चरण : एकांश विश्लेषण

शोधार्थीद्वारा ठीक एवं पूर्ण प्रतिक्रिया करने वाले 125 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर एकांश विश्लेषण हेतु द्विपांक्तिक सहसंबंध विधि का प्रयोग किया गया। प्रत्येक कथन के स्कोर तथा उपकरण के कुल स्कोर के मध्य सहसंबंध की गणना (Item Vs.Whole) सहसंबंध विधि से की गयी। बेस्ट (2006)के शब्दों में यदि स्वतंत्रांश 100 हो तो सार्थकता के 0.05 स्तर पर सहसंबंध गुणांक का मान 0.196 होता है। इसलिए शोधार्थी द्वारा 0.196 या अधिक मान वाले कथनों को चयनित किया गया तथा 0.196 से कम मान वाले कथनों को अस्वीकृतकिया गया। एकांश विश्लेषण का विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है-

तालिका-द्वितीय : एकांश स्वीकृत/अस्वीकृत का विवरण

कथन	स. गु.	टिप्पणी	कथन	स. गु.	टिप्पणी	कथन	स. गु.	टिप्पणी
1.	.507	स्वीकृत	26.	.578	स्वीकृत	51.	.607	स्वीकृत
2.	.669	स्वीकृत	27.	.629	स्वीकृत	**52.**	**.124**	***अस्वीकृत***
3.	.517	स्वीकृत	28.	.669	स्वीकृत	53.	.454	स्वीकृत
4.	**.135**	***अस्वीकृत***	29.	.622	स्वीकृत	54.	.616	स्वीकृत
5.	.453	स्वीकृत	**30.**	**-.145**	***अस्वीकृत***	55.	.612	स्वीकृत
6.	**-.331**	***अस्वीकृत***	31.	.197	स्वीकृत	56.	.615	स्वीकृत
7.	.502	स्वीकृत	32.	.272	स्वीकृत	57.	.599	स्वीकृत
8.	.665	स्वीकृत	33.	.598	स्वीकृत	**58.**	**.104**	***अस्वीकृत***
9.	.475	स्वीकृत	34.	.627	स्वीकृत	59.	.451	स्वीकृत
10.	.579	स्वीकृत	35.	.411	स्वीकृत	**60.**	**-.046**	***अस्वीकृत***
11.	.365	स्वीकृत	**36.**	**-.329**	***अस्वीकृत***	**61.**	**.086**	***अस्वीकृत***
12.	.468	स्वीकृत	37.	.608	स्वीकृत	62.	.521	स्वीकृत
13.	**-.458**	***अस्वीकृत***	**38.**	**-.031**	***अस्वीकृत***	63.	.490	स्वीकृत
14.	**-.212**	***अस्वीकृत***	**39.**	**.169**	***अस्वीकृत***	64.	.626	स्वीकृत
15.	.198	स्वीकृत	40.	.618	स्वीकृत	65.	.636	स्वीकृत
16.	**.163**	***अस्वीकृत***	41.	.365	स्वीकृत	66.	.659	स्वीकृत
17.	**-.235**	***अस्वीकृत***	**42.**	**-.009**	***अस्वीकृत***	67.	.657	स्वीकृत
18.	**-.302**	***अस्वीकृत***	43.	.498	स्वीकृत	68.	.511	स्वीकृत
19.	**-.153**	***अस्वीकृत***	44.	.545	स्वीकृत	69.	.568	स्वीकृत
20.	.634	स्वीकृत	45.	.630	स्वीकृत	70.	.588	स्वीकृत
21.	**-.281**	***अस्वीकृत***	46.	.543	स्वीकृत	71.	.565	स्वीकृत
22.	.572	स्वीकृत	47.	.600	स्वीकृत	72.	.650	स्वीकृत
23.	.635	स्वीकृत	48.	.537	स्वीकृत	**73.**	-.023	***अस्वीकृत***
24.	**-.293**	***अस्वीकृत***	**49.**	**-.144**	***अस्वीकृत***	74.	.614	स्वीकृत
25.	**.039**	***अस्वीकृत***	**50.**	**.191**	***अस्वीकृत***	**75.**	**.077**	***अस्वीकृत***

उपरोक्त तालिका-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ कथन (बोल्ड एवं इटैलिक) हैं, जोकि मापनी के कुल स्कोर के साथसार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक रूप से सहसंबंधित नहीं हैं। इसलिए उन्हें अस्वीकृत करते हुये मापनी से हटा दिया गया। इस प्रकार कुल 51 कथन अंतिम रूप से स्वीकृत हुए। जिनका विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है-

तालिका-तृतीय : स्वीकृत एकांशों का विवरण

आयाम	एकांशों की सं.	संभव प्राप्तांक विस्तार
क- विद्यालयी योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन	**06**	06-18
ख- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया	05	05-15
ग- समस्या समाधान एवं निर्णयन	05	05-15
घ- अनुशासन एवं पर्यवेक्षण	05	05-15
च- विद्यालयी कार्य-संस्कृति	05	05-15
छ- संसाधनों का प्रबंध एवं रख-रखाव	06	06-18
ज- सम्प्रेषण	04	04-12
झ- समन्वयन एवं प्रत्यायोजन	06	06-18
ट- विद्यालयी विकास एवं दूरदर्शिता	06	06-18
ठ- अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा	03	03-09
कुल	**51**	**51-153**

चतुर्थ-चरण : मूल्यांकन : वैधता एवं विश्वसनीयता

तृतीय चरण में एकांश विश्लेषण के उपरांत अस्वीकृत कथनों को हटाने के बाद शेष स्वीकृत कथनों के अंकों को एक अलग सारिणी में वर्गीकृत

किया गया और फिर उसी सारिणी के प्रदत्तों के आधार पर मापनी की वैधता एवं विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया गया।

वैधता का मूल्यांकन :

कोई भी शोध उपकरण, जब वही मापे, जिसे मापने के लिए ही उसे बनाया गया है,तो उसे एक वैध उपकरण कहा जाता है। 'कोई भी मापन विधि उस सीमा तक वैध है, जिस सीमा तक उस कार्य के किसी सफल मापन से सह-संबंधित है जिसके विषय में पूर्व कथन हेतु उसकी रचना की गयी है' (थार्नडाइक एवं हेगन, 1969)। शोधार्थी द्वारा इस मापनी की वैधता को निर्धारित करने हेतु आमुख/विषय-वस्तु वैधता, निर्मित/अन्वय वैधता और विभेदक वैधता का परीक्षण किया गया।

आमुख/विषय वस्तु वैधता :

आमुख एवं विषय-वस्तु वैधता के परीक्षण हेतु शोधार्थी द्वारा उपकरण को 15 से अधिक विषय-विशेषज्ञों के पास भेजा गया। विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि मापनी के सभी एकांश विद्यालयी नेतृत्व व्यवहार के विभिन्न आयामों से उच्च्व रूप से सहसंबंधित हैं।

कारक विश्लेषण :

निर्मित वैधता के परीक्षण से पूर्व कारक विश्लेषण द्वारा आयामों का विश्लेषण आवश्यक होता है। कारक विश्लेषण हेतु प्रतिदर्श का पर्याप्त होना एक प्रमुख मान्यता है। इसकी पूर्ति के लिए शोधार्थी द्वारा के.एम.ओ. और बर्टलेट (KMO and Bartlett) परीक्षण की गणनाकी गयी, जिसका विवरण अधोलिखित तालिका में दिया गया है-

तालिका-चतुर्थ : के.एम.ओ. और बर्टलेट परीक्षण

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.836
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	4.065E3
	Df	1378
	Sig.	.000

उपरोक्त तालिका-4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि केएमओ का मान 0.836 है जोकि 0.60 से अधिक है। अतः प्रतिदर्श पर्याप्त हैं। इसलिए उपकरण का कारक विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए। मापनी का कारक विश्लेषण प्रिन्सिपल कोम्पोनेंट्स विधि (PCM) से किया गया। जोकि साधारण, विशेष और यादृच्छिक त्रुटि विसरण पर आधारित कारक विश्लेषण की एक प्रमुख विधि है (फोर्ड, मैक्कलम एवं टेट, 1986; रुमेल,1970)। किम एवं मुएल्लर (1978) के शब्दों में 0.4 से कम सहसंबंध वाले कथन को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसीलिए शोधार्थीद्वारा प्रत्येक आयाम में 0.4 से अधिक सहसंबंध वाले कथनों को ही सम्मिलित किया गया। वास्तव में किसी उपकरण में जितने कथन होते हैं, उतने आयाम बन सकते हैं। लेकिन एक सामान्य नियम यह है कि आइगेन मान (Eigen Value)एक (01) से अधिक वाले आयामों को स्वीकार किया जाता है (कैटेल, 1966)। इस प्रकार अंतिम रूप से कुल सात आयामों का निर्धारण किया गया,जिनका विवरण मापनी के अंतिम उत्पाद के रूप में तालिका-अष्टम में दिया गया है।

निर्मित/अन्वय वैधता :

निर्मित वैधता ज्ञात करने के लिए शोधार्थी द्वारा स्पीयरमेन सहसंबंध विधि से प्रत्येक आयाम और सम्पूर्ण मापनी के कुल स्कोर के मध्य सहसंबंध की गणना की गयी। जिसका विवरण अधोलिखित तालिका में प्रस्तुत है-

तालिका-पंचम : प्रत्येक आयाम एवं कुल स्कोर में सहसंबंध

आयाम	स्पीयरमेन (रो)-मान	आयाम	स्पीयरमेन (रो)- मान
क	0.870	च	0.875
ख	0.857	छ	0.861
ग	0.846	ज	0.907
घ	0.884	Sig. at 0.01 level.	

उपरोक्त तालिका-पंचम से स्पष्ट है कि प्रत्येक आयाम (Component) का सहसंबंध मान क्रमशः 0.870, 0.857, 0.846, 0.884, 0.875, 0.861, व 0.907 है, जोकि सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक है। इससे पता चलता है कि सभी आयाम विद्यालयी नेतृत्व व्यवहार से उच्च स्तर पर संबंधित हैं और उपकरण की निर्मित/अन्वय वैधता अच्छी है।

विभेदक वैधता :

विभेदक वैधता ज्ञात करने के लिए शोधार्थी द्वारा उत्तरदाताओं के प्राप्तांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 27% उच्च प्राप्तांक समूह एवं 27% निम्न प्राप्तांक समूह के बीच में दो स्वतंत्र प्रतिदर्श मान व्हिटनी यू-परीक्षण की गणना प्रत्येक आयाम और सम्पूर्ण मापनी हेतु किया गया,जिसका विवरण अग्रलिखित तालिका-षष्टम में दिया गया है :

तालिका-षष्टम : मापनी के प्रत्येक आयाम का यू-परीक्षण विवरण

आयाम	समूह	संख्या (N)	माध्य रैंक	यू-मान	पी-मान
क	निम्न उच्च	34 34	19.16 49.84	56.500	**.000**
ख	निम्न उच्च	34 34	18.24 50.76	25.000	**.000**
ग	निम्न उच्च	34 34	19.47 49.53	67.000	**.001**
घ	निम्न उच्च	34 34	18.09 50.91	20.000	**.000**
च	निम्न उच्च	34 34	17.78 51.22	9.500	**.000**
छ	निम्न उच्च	34 34	17.50 51.50	0.000	**.000**
ज	निम्न उच्च	34 34	17.50 51.50	0.000	**.000**
कुल	निम्न उच्च	35 35	18.0 53.0	0.000	**.000**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक आयाम का पी-मान (p-value) क्रमशः 0.000, 0.000, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000 तथा 0.000 है। सम्पूर्ण मापनी का पी-मान 0.000 है।सभी पी-मान सार्थकता स्तर 0.01 से कम (P<0.01) हैं। अतः सम्पूर्ण मापनी एवं उसके सभी आयाम सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक हैं। अर्थातदोनों समूहों में सार्थक अंतर है। इससे पता चलता है

कि मापनी उच्च एवं निम्न प्राप्तांक वाले समूह में अच्छे से अंतर प्रदर्शित कर रही है। अर्थात प्रत्यक्षण मापनी में उच्च स्तर का विभेदक वैधता है।

विश्वसनीयता का मूल्यांकन :

प्रधानाचार्यों के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकोंकी प्रत्यक्षण मापनी की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए शोधार्थी द्वारा प्रत्येक आयाम एवं सम्पूर्ण मापनी के लिए अलग-अलग विश्वसनीयता गुणांक (अल्फा) की गणना की गयी। इसका विवरण अधोलिखित तालिका-सप्तम में दिया गया है :

तालिका-सप्तम : विश्वसनीयता गुणांक का विवरण

आयाम	अल्फा	आयाम	अल्फा
क	0.788	**च**	0.785
ख	0.732	**छ**	0.811
ग	0.742	**ज**	0.891
घ	0.779	**मापनीकी कुल विश्वसनीयता**	0.957

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक आयाम (Component) का विश्वसनीयता गुणांक (अल्फा) क्रमशः 0.788, 0.732, 0.742, 0.779, 0.785, 0.811 तथा 0.891 है। सभी आयामों की विश्वसनीयता गुणांक 0.70 से अधिक है। नूनली (1978) के शब्दों में किसी भी मापनी का अल्फा मान 0.70 से अधिक होने पर उस मापनी में आंतरिक संगतता अच्छी पायी जाती है।इस प्रकार मापनी के प्रत्येक आयाम की विश्वसनीयता अच्छी है। साथ ही सम्पूर्ण

मापनी का अल्फा गुणांक 0.957 है, जोकि उत्कृष्ट की श्रेणी में आता है। अतः इस मापनीकी विश्वसनीयता उत्कृष्ट है।

पंचम-चरण : अंतिम उत्पाद

मापनी का अंतिम प्रारूप, सकारात्मक एवं नकारात्मक कथनों (एकांशों) सहित अधोलिखित तालिका-अष्टम में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-अष्टम : मापनी का अंतिम का प्रारूप

आयाम	सकारात्मक कथन	नकारात्मक कथन	संख्या
योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन (क)	1,2,3, 5,	4, 6	06
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं निर्णयन (ख)	7, 8, 11, 13,14,	9, 10, 12	08
अनुशासन तथा पर्यवेक्षण (ग)	15, 16,18	17, 19, 20	06
विद्यालयी कार्य-संस्कृति (घ)	21, 22, 24, 26	23, 25	06
संसाधनों का प्रबंधन एवं रख-रखाव (च)	27, 28, 31, 32	29, 30	06
सम्प्रेषण, समन्वयन एवं प्रत्यायोजन (छ)	33, 34, 36, 37	35, 38, 39	07
अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा एवं दूरदर्शिता (ज)	40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49	43, 47, 50, 51	12
कुल	**32**	**19**	**51**

अंतिम उत्पाद का अंकन एवं निर्वचन :

अंतिम रूप से निर्मित प्रधानाचार्यों के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण मापनी पर प्राप्त अंकों का विवरणात्मक प्रारूप अधोलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका-नवम : मापनी का अंकन

आयाम	क	ख	ग	घ	च	छ	ज	कुल
स्कोर								
माध्य								
मानक विचलन								
z-स्कोर								

उपरोक्त तालिका-9 मापनी के प्रत्येक आयाम के लिए अंकन स्वरूप को प्रदर्शित करती है। तालिका को खाली रखा गया है क्योंकि प्राप्तांक, माध्य एवं मानक विचलन अलग-अलग प्रतिदर्श पर भिन्न-भिन्न होंगे। प्रत्येक आयाम का निर्वचन अलग-अलग किया जायेगा। निर्वचन हेतु शोधार्थी द्वारा माध्य और मानक विचलन का प्रयोग करते हुए तीन श्रेणियोंउत्कृष्ट, सामान्य और निम्न स्तर का निर्माण किया गया है। जिसका विवरण अग्रलिखित तालिका-10 में दिया गया है।

तालिका-10 : नेतृत्व व्यवहार निर्वचन प्रारूप

नेतृत्व व्यवहार	उत्कृष्ट स्तर	सामान्य स्तर	निम्न स्तर
अंक	माध्य +मानक विचलन से अधिक	माध्य +मानक विचलन से माध्य-मानक विचलनतक	माध्य -मानक विचलन से कम

उपरोक्त तालिका-10 से स्पष्ट है कि प्रत्येक आयाम एवं सम्पूर्ण मापनी के प्राप्तांकों के माध्य एवं मानक विचलन के आधार पर अध्यापकों के प्रत्यक्षण को तीन श्रेणियों में बांटकर निर्वचन को प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस मापनी को भावी उपयोगकर्त्ता अपने शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य विधियों यथा- ज़ेड स्कोर (z-score), स्टेनाइन एवं सी-स्कोर (c-score) की सहायता से पाँच/सात/नव या 11 श्रेणी में भी बाँटकर अपने निर्वचन को प्रस्तुत कर सकते हैं

परिणाम :

इस शोध-पत्र में प्रधानाचार्य के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण को मापने हेतु एक मापनी के निर्माण एवं मानकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पाँच सोपानों में वर्णन किया गया। जिसके परिणाम निम्नवत हैं-

❖ इस शोध-अध्ययन में प्रधानाचार्यों के नेतृत्व व्यवहार के प्रति अध्यापकों के प्रत्यक्षण को मापनेहेतु लिकर्ट आधारित मापनी का निर्माण किया गया है। इसमें सात आयामों/घटकों के अंतर्गत कुल 51 कथन हैं।

❖ मापनी की आमुख/विषय-वस्तु वैधता को विषय-विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित किया गया। निर्मित वैधता की गणना स्पीयरमेन सहसंबंध विधि से किया गया, जोकि 0.01 स्तर पर सार्थक है। विभेदन क्षमता या विभेदन वैधता ज्ञात करने के लिये 27% उच्च्व समूह एवं 27% निम्न समूह के मध्य मान व्हिटनी यू-परीक्षण का प्रयोग किया गया। सभी आयामों एवं सम्पूर्ण मापनी के माध्य रैंक (माध्यिका) में 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। अतः मापनी उच्च्व रूप से वैध है।

- मापनी की विश्वसनीयता की गणना क्रोनबैक अल्फा विधि से की गयी। प्रत्येक आयाम की विश्वसनीयता 0.70 से अधिक है। सम्पूर्ण मापनी की विश्वसनीयता गुणांक 0.957 है, जोकि विश्वसनीयता की उत्कृष्ट श्रेणी (0.90-1.00) के अंतर्गत आता है। अतः मापनी उत्कृष्ट रूप से विश्वसनीय है।
- प्रत्येक आयाम एवं सम्पूर्ण मापनी के प्राप्तांकों के माध्य एवं मानक विचलन के आधार पर अध्यापकों को तीन श्रेणी में बांटकर निर्वचन को प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इस मापनी को भावी उपयोगकर्त्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य विधियों यथा- ज़ेड स्कोर (z-score), स्टेनाइन एवं सी-स्कोर (c-score) की सहायता से पाँच/सात/नव या 11 श्रेणी में भी बाँटकर अपने निर्वचन को प्रस्तुत कर सकते हैं।

संदर्भ :

1. मार्टिन, टी. जे. (2016). टीचर्स पर्सेप्शंस ऑफ प्रिन्सिपल लीडरशिप प्रैक्टिसेज इन मिडिल टेनेसी स्कूल्स. इलेक्ट्रानिक थेसिस एंड डिजर्टेशन. पेपर 3124.https://dc.etsu.edu/etd/3124
2. वानी, एम. ए. एवं मसीह, ए. (2016). लिकर्ट स्केल डेवलपमेंट : कन्स्ट्रक्सन एंड इवैल्यूएशन ऑफ होम इनवायरमेंट स्केल. 18-26. http://aajhss.org/index.php/ijhss
3. अल-महदी, वाई. एंड अल-कियूमी, ए. (2015). टीचर्स पर्सेप्शंस ऑफ प्रिन्सिपल्स इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप इन ओमानी स्कूल्स. अमेरिकन जर्नल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च. 1504-1510. पुनः प्राप्त किया फ्राम :

https://www.researchgate.net/publication/288338650Teachers'PerceptionsofPrincipals'InstructionalLeadershipinOmaniSchools

4. गुप्ता, एस. पी. (2013), व्यवहारपरक विज्ञानों में सांख्यिकीय विधियाँ,शारदा पुस्तक भवन : प्रयागराज.

5. हार्डमैन, बी. के. (2011), टीचर्स पर्सेप्शन ऑफ दियर प्रिन्सिपल्स लीडरशिप स्टाइल एंड द एफ़ेक्ट्स ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट इन इंप्रूविंग एंड नॉन-इम्प्रूविंग स्कूल्स. ग्रेजुएट थेसिस एंड डिजर्टेशन्स. http://scholarcommons.usf.edu/etd/3726

6. फोर्ड, जे. के., मैकलम, आर. सी. एवं टेट, एम. (1986). द एप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लोरेटरी फ़ैक्टर एनालिसिस इन अप्लाइड साइकॉलजी : ए क्रिटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस. पर्सनल साइकॉलजी. 39(2), 291-314. पुनः प्राप्त किया 29 जनवरी, 2020 फ्राम : https://www.researchgate.net/publication/227656338TheApplicationofExploratoryFactorAnalysisinAppliedPsychologyACriticalReviewandAnalysis

7. किम, जे. एवं मुएल्लर, सी. डब्ल्यू. (1978). इंट्रोडक्सन टू फ़ैक्टर एनालिसिस : व्हाट इट इज एंड हाउ टू डू इट. बिवेर्ली हिल्स, सेज पब्लिकेशन.

8. रुमेल, आर. जे. (1970). अप्लाइड फ़ैक्टर एनालिसिस. एवंस्टोन, आईएल : नॉर्थवेस्टर्न युनिवर्सिटी प्रेस.

9. थार्नडाइक, आर. एल. एवं हेगन, बी. पी. (1969). मीजरमेंट एंड एडुकेशन इन साइकोलॉजी एंड एडुकेशन, न्यू यार्क : जॉन विले एंड संस। पृष्ठ -57

10. कैटेल, आर. बी. (1966). द स्क्री टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ फ़ैक्टर्स. मल्टीवेरिएट बीहेवियरल रिसर्च. 1, 245-276. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr0102_10

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन

डॉ. सुमित गंगवार*
डॉ. शिरीष पाल सिंह**
*रिसर्च एसोसिएट, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्विविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
मोबाइल नम्बर- +91-7522945943
ईमेल- sumitgangwarhnbgu@gmail.com
** एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वएविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
मोबाइल नम्बर- +91-9888801146
ईमेल- shireeshsingh1982@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों की **निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया का** लिंग तथाआवासीय पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना था। प्रस्तुत शोध कार्य वर्णात्मक सर्वेक्षण शोध विधि पर आधारित है। प्रतिदर्श के रूप शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में अध्ययनरत कक्षा नौ के सत्र 2019-20 (माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) के 50 विद्यार्थियों का चयनसाधारण यादृच्छिक न्यादर्शन प्रविधि द्वारा किया गया। आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित **निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया** मापनी का उपयोग कियागया। यह मापनी पांच

बिन्दु लिकर्ट मापनी (पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतः असहमत) पर आधारित है। इस मापनी में **निर्माणवादी शिक्षण उपागम के आठ आयामों से** जुड़े कुल 30एकांश(17 धनात्मक एवं 13 ऋणात्मक एकांश) हैं। शोधार्थी द्वारा एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए माध्य, मानक विचलन, विचरणशीलता गुणांक तथा स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण सांख्यिकीप्रविधियों का उपयोग किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष के रूप में प्राप्त हुआ कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ केविद्यार्थी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में अपनी प्रतिक्रयाएं व्यक्त करते है। माध्यमिक स्तरपर कक्षा नौ के छात्र तथा छात्राओं के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। अर्थात् निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति छात्र तथा छात्राएं की प्रतिक्रिया एक समान है। इसके अतिरिक्त कक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं पर आवासीय पृष्ठभूमि का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।जिसके फलस्वरूप कहा जा सकता ही कि ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति एक समान प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

प्रमुख शब्दावली:विज्ञान शिक्षा, आवासीय पृष्ठभूमि, निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया।

प्रस्तावना

समकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण-अधिगमप्रक्रिया में निर्माणवादी विचारधारा का विशेष महत्त्व है(सिंह तथायदुवंशी, 2015)।निर्माणवाद एक तार्किक सिद्धांत है जिसका आधार

दर्शनशास्त्र तथा मनोविज्ञान में निहित है (ग्लासर्सफेल्ड, 1995)। शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में निर्माणवाद का अर्थ अधिगम अभिमतों, शिक्षण, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को सम्मिलित किए हुए है(झा, 2009)। यह मानव की अधिगम प्रक्रिया सम्बंधित मान्यताओं का एक समूह है जो निर्माणवादी अधिगम सिद्धांतों तथा निर्माणवादी शिक्षण विधियों का वर्णन करता है (स्कॉट, 1987)। निर्माणवाद का मानना है कि ज्ञान का निर्माण अधिगम सामग्री के अनुकरण अथवा पुनरावृत्ति की अपेक्षा सक्रिय भागीदारी से होता है तथा ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्त्ता स्वयं सक्रिय रूप से करता है (यागेर, 1991)। जब किसी व्यक्ति के समक्ष नवीन परिस्थिति या उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो वह इस नवीन परिस्थिति या उद्दीपक के सापेक्ष कोई न कोई प्रतिक्रिया देता है। यदि इस व्यक्ति के समक्ष यही उद्दीपक या परिस्थिति लगातार अथवा बार-बार प्रस्तुत की जाती है तो एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति इस के प्रति अनुकूलित हो जाता है (पाठक, 2009; अग्रवाल तथा मिश्रा, 2012; सिंह, 2015)। वर्तमान समय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केन्द्रित, और अधिक रुचिकर एवं प्रभावी बनाने तथा विभिन्न विषयों के नवीन संप्रत्ययों के प्रति शिक्षार्थियों के अनुकूलन को विकसित करने के लिए शिक्षक अपनी कक्षाओं में नवाचारी शिक्षण विधियों तथा आव्यूहों को व्यवहार में ला रहे हैं साथ ही इन नवाचारी शिक्षण विधियों तथा आव्यूहों की प्रभावशीलता एवं इनके प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया एवं अभिवृत्ति को जानने का भी प्रयास करते हैं (कोहली, 2006)। जिससे विभिन्न विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययनमें निम्नलिखितशोध उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया-

1. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययनकरना।
2. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ केछात्र तथा छात्राओं की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाके माध्य फलांकों की तुलना करना।
3. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ केग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाके माध्य फलांकों की तुलना करना।

शोध परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध अध्ययनमें निम्नलिखितशोध परिकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया-

1. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं।

2. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ केछात्र तथा छात्राओं की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है।

3. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ केग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाके माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध में प्रयुक्त चर

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा स्वतंत्र चर के रूप में माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिंग(छात्र एवं छात्रा) एवं

आवासीय पृष्ठभूमि (ग्रामीण एवं शहरी) तथा आश्रित चर के रूप में निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं को लिया गया।

शोध विधि एवं प्रक्रिया

प्रस्तुत अध्ययन प्रयोगात्मक शोध का एक भाग है। जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय तक कक्षा नौ के विद्यार्थियों को निर्माणवादी उपागम के द्वारा विज्ञान विषय के 5 अध्यायों को सीखने का अवसर दिया गया। प्रयोगात्मक शोध की अवधि पूरी होने के पश्चात समूह के सभी विद्यार्थियों पर मापनी का प्रशासन कर आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया। जिसके लिए सर्वेक्षण प्रविधि को व्यवहार में लाया गया। सर्वेक्षण का संबंध, वर्तमान परिस्थितियों, प्रचलित विश्वासों, दृष्टिकोण या स्थापित अभिवृत्तियों एवं अभिमतों से होता है। जिसमें किसी क्षेत्र, समूह या संस्था की वर्तमान स्थिति को जानने, विश्लेषित करने तथा प्रतिवेदित करने का प्रयास किया जाता है (सिंह, 2014 तथा गुप्ता, 2017)।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) से सम्बद्ध माध्यमिक स्तर के समस्त विद्यालयों में सत्र 2019-20 में अध्ययनरत कक्षा नौके सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया।

प्रतिदर्शन प्रविधि तथा प्रतिदर्श

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रतिदर्श चयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) से सम्बद्ध माध्यमिक

स्तर के विद्यालयों में एक विद्यालय का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्रविधि (लाटरी पद्धति) द्वारा किया गया। इसके लिए शोधार्थी द्वारा सर्वप्रथम जनपद पीलीभीत मुख्यालय में संचालित माध्यमिक विद्यालयों की सूची तैयार की गई। तत्पश्चात इन विद्यालयों के नामों को समान आकार की कागज की पर्चियों पर लिखकर पर्चियों को एक समान मोड़कर एक बॉक्स में डालकर हिलाया गया। इसके बाद शोधार्थी द्वारा यादृच्छिक प्रविधि से एक पर्ची को उठाकर उनमें लिखे विद्यालय के नाम को अलग कागज पर लिखा गया। इसके बाद इस विद्यालय में अध्ययनरत सत्र 2019-20 के कक्षा नौकेसभी 50 विद्यार्थियों को शोध कार्य में सम्मिलित किया गया।चयनित प्रतिदर्श का पुनः लिंग तथा आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर किए गए वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका क्रमांक-01

विभिन्न स्वतंत्र चरों के आधार पर प्रतिदर्श का विस्तृत स्वरूप

क्रम सं.	स्वतंत्र चर	स्वतंत्र चर के स्तर	संख्या (N)	योग
1.	लिंग	छात्र	28	50
		छात्राएं	22	
2.	आवासीय पृष्ठभूमि	ग्रामीण विद्यार्थी	26	50
		शहरी विद्यार्थी	24	

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ केविद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओंके मापन हेतु स्वनिर्मित निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का उपयोग किया गया। यह मापनी पांचबिन्दु लिकर्ट मापनी (पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतः असहमत) पर आधारित है। इस मापनी में निर्माणवादी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों तथा विशेषताओं के आधार पर मुख्य पांच आयामों को दृष्टिगत रखते हुए कुल 30एकांशहैं,जिसमें 17 धनात्मक एवं 13 ऋणात्मक एकांशहैं।

निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की वैधता

निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की प्रत्यक्ष या आमुख वैधता, अन्तर्विषय वैधता तथा संरचना वैधता का निर्धारण किया गया। मापनी की आमुख तथा अन्तर्विषय वैधता निर्धारित करने के लिए मापनी के एकांशों का समालोचनात्मक मूल्यांकन के लिए इसको विज्ञान विषय के 4 विशेषज्ञों, 7 शिक्षक- प्रशिक्षकों तथा माध्यमिक स्तर पर अध्यापन करने वाले 8 शिक्षकों को दिया गया साथ ही उनसे एकांशों द्वारा सम्बंधित तथ्यों के ज्ञान के सही-सही मापन और निर्माणवादी सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श भी किया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए मापनी के एकांशों की भाषा शैली, शब्द संरचना तथा वाक्य विन्यास में आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन किया गया। मापनी की संरचना वैधता के निर्धारण के लिए शोधार्थी द्वारा मापनी के प्रत्येक आयाम के फलांक तथा मापनी के योगात्मक फलांक के मध्य सहसंबंध की गणना की गई। जिसका

मान प्रत्येक आयाम के लिए जिसका मान क्रमशः 0.65, 0.73, 0.78, 0.69 तथा 0.77 निर्धारित किया गया।

निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की विश्वसनीयता

शोधार्थी द्वारा निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के प्रत्येक आयाम तथा सम्पूर्ण मापनी की आंतरिक संगतता विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए गुणांक अल्फा का उपयोग किया गया। निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के प्रत्येक आयाम आंतरिक संगतता विश्वसनीयता का मान क्रमशः 0.71, 0.76, 0.81, 0.75, 0.78 तथा तथा सम्पूर्ण मापनी की आंतरिक संगतता विश्वसनीयता का मान 0.74 निर्धारित किया गया।

निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं मापनी में धनात्मक तथा ऋणात्मक कथनों का वितरण निम्नलिखित तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है-

तालिका क्रमांक-02

आयामों को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी में एकांशों की स्थिति

आयाम	एकांशों की कुल संख्या	एकांशों की प्रकृति	मापनी में एकांशोंकी स्थिति
नवीन ज्ञान का निर्माण	7	धनात्मक एकांश	1, 8, 11, 19, 21
		ऋणात्मक एकांश	26, 29
पूर्व ज्ञान का उपयोग तथा नवीन ज्ञान से इसकी संलग्नता	6	धनात्मक एकांश	2, 3, 13, 28
		ऋणात्मक एकांश	5, 14
अधिगम में अवसरों की	6	धनात्मक एकांश	4, 16

प्राप्ति तथा शंका समाधान		ऋणात्मक एकांश	6, 9, 15,20
स्वः द्वारा किया जाने वाला कार्य	2	धनात्मक एकांश	24
		ऋणात्मक एकांश	10
कक्षागत अंतर्क्रिया एवं भागीदारी	9	धनात्मक एकांश	7, 12, 17, 18, 27
		ऋणात्मक एकांश	22, 23, 25, 30
सकल योग= 30 (धनात्मक एकांश= 17 + ऋणात्मक एकांश= 13)			

शोध उपकरण का प्रशासन एवं आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया

प्रदत्त संग्रहण हेतु सर्वप्रथम शोधार्थी द्वारा शोध कार्य में चयनित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुमति लेकर कक्षा नौ के विद्यार्थियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर 36 कार्यदिवसों पर प्रतिदिन 2 घंटे तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की अनुमति एवं सहयोग से माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा कक्षा 9 (सत्र 2019-20) के लिए अनुमोदित विज्ञान विषय की पुस्तक के 5 पाठों (हमारे आस-पास के पदार्थ, परमाणु तथा अणु, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक एवं बल तथा गति के नियम) के विषय वस्तु को निर्माणवादी शिक्षण उपागम के सिद्धांतों पर विकसित की गईं कुल 21 पाठ योजनाओं के द्वारा सीखने का अवसर दिया गया। उपरोक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात विद्यार्थियों को निर्माणवादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी से अवगत कराया। तत्पश्चात शोधार्थी द्वारा विद्यार्थियों पर मापनी को प्रशासित किया गया और साथ ही साथ विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके द्वारा दी गयी सूचना को गुप्त रखा जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा मापनी को पूर्ण करने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया। समय सीमा पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा पूरित मापनी का संकलन कर लिया गया। सभी

संकलित मापनी का फलांकन, परीक्षण नियमावली (Test Manual) की सहायता से किया गया।

फलांकन प्रक्रिया

शोधार्थी द्वारा विद्यार्थियों पर इस मापनी के पश्चात प्राप्तांकों का फलांकन, फलांकन कुंजी की सहायता से किया गया। विद्यार्थियों की धनात्मक कथनों पर पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतः असहमत क्रमशः 5, 4, 3, 2 एवं 1 अंक और ऋणात्मक कथनों पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 एवं 5 अंक प्रदान किए गए। इस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा मापनी में प्राप्तांकों का न्यूनतम तथा अधिकतम प्रसार30-150 के मध्य था।

तालिका क्रमांक-03

क्रम संख्या	**कथनों की प्रकृति**	**विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया तथा उस पर प्रदान किए गए अंक**				
		पूर्णतः सहमत	**सहमत**	**अनिश्चित**	**असहमत**	**पूर्णतः असहमत**
1.	धनात्मक	5	4	3	2	1
2.	ऋणात्मक	1	2	3	4	5

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय प्रविधियाँ

प्रस्तुतशोधमेंसमस्तआंकड़ों केविश्लेषणकेलिएशोधकर्त्ता द्वारानिम्नलिखित उद्देश्यवारउपयुक्तसांख्यिकीयप्रविधियों द्वाराआंकड़ों काविश्लेषणकियागया –

1. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययनकरने के लिएशोधार्थी द्वारा माध्य, मानक विचलन तथा विचरणशीलता गुणांक सांख्यिकीप्रविधि का उपयोग किया गया।

2. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ केछात्र तथा छात्राओं की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं के माध्य फलांकों की तुलना करने केस्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधि का उपयोग किया गया।

3. माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौकेग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं के माध्य फलांकों की तुलना करने के लिए लिए स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधि का उपयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रस्तुत शोध में समस्त आंकड़ों केविश्लेषणकेलिएशोधकर्ताद्वाराउद्देश्यवार उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधिद्वाराआंकड़ों का विश्लेषण किया गया प्राप्त परिणामों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है-

1. शोध कार्य के प्रथम उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौके विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सभी विद्यार्थियों से प्राप्त आंकड़ों माध्य, मानक विचलन तथा विचरणशीलता गुणांक सांख्यिकी प्रविधि का उपयोगकर विश्लेषण किया गया। जिसका परिणाम निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका क्रमांक-04

निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का माध्य,मानक विचलन तथा विचरणशीलता गुणांक

समूह	N	माध्य	मानक विचलन	विचरणशीलता गुणांक
प्रयोगात्मक समूह	50	4.40	0.264	6.00%

तालिका क्रमांक 5.40 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति दी गई प्रतिक्रियाओं का माध्य 4.40 है जो इस बात को इंगित करता है कि विद्यार्थी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार विचरणशीलता गुणांक 6.00% है। यह मान बहुत कम है जोकि इस तथ्य का द्योतक है कि कक्षा 9 के विद्यार्थी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। इसी प्रकार (4.40/5)*100 = 88% अर्थात् विद्यार्थियों के द्वारा दी गईं प्रतिक्रियाएं 6% विचलन के साथ 88% निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उपचार, निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया की दृष्टि से प्रभावशाली रहा।

2. शोध कार्य के द्वितीय उद्देश्य माध्यमिक स्तरपर कक्षा नौ के छात्र तथा छात्राओं की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों की तुलना करने के लिए विद्यार्थियों से प्राप्त आंकड़ों को लिंग (छात्र तथा छात्राओं) केआधार परव्यवस्थित करसर्वप्रथम प्राप्तांकों की प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समरूपता की अवधारणाओं की जाँच की गई।

प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं के संतुष्ट हो जाने के बाद स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधि की सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्राप्तांकों की प्रसामान्यता, प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं की जाँच तथा स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण सांख्यिकीय के परिणामों का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है-

3.

तालिका क्रमांक-05

लिंग के आधार पर विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता का परीक्षण

निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांक	लिंग	कोल्मोगोरोव-स्मिरनोव[a]			**शापिरो-विल्क**		
		सांख्यिकी	स्वतंत्र्यांश	सार्थकता	**सांख्यिकी**	**स्वतंत्र्यांश**	**सार्थकता**
	छात्र	0.135	28	0.200*	**0.940**	**28**	**0.113**
	छात्राएं	0.085	22	0.200*	**0.971**	**22**	**0.726**

*. This is a lower bound of the true significance, a. Lilliefors Significance Correction

तालिका क्रमांक-05 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, छात्रों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाफलांकों के शापिरो-विल्क परीक्षण (N<50) का सांख्यिकी का मान 0.940 है। जिसका स्वतंत्र्यांश 28 पर सार्थकता मान 0.113 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साथर्कता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना, *छात्रोंकी*

निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों का वितरण प्रसामान्य वितरण से सार्थक रूप से भिन्न नहीं हैं, निरस्त नहीं की जा सकती। फलस्वरूप कहा जा सकता है कि छात्रोंकी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

तालिका क्रमांक-05 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि, छात्राओं के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों के शापिरो-विल्क परीक्षण (N<50) का सांख्यिकी का मान 0.982 है। जिसका स्वतंत्र्यांश 22 पर सार्थकता मान 0.726 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साथर्कता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना, *छात्राओं कीनिर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों का वितरण प्रसामान्य वितरण से सार्थक रूप से भिन्न नहीं हैं, निरस्त नहीं की जा सकती।* फलस्वरूप कहा जा सकता है कि छात्राओं कीनिर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

तालिका क्रमांक-06

लिंग के आधार पर विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसरणों की समजातीयताका परीक्षण

निर्माणवादी शिक्षण उपागम	लीवेन सांख्यिकी	स्वतंत्र्यांश 1	स्वतंत्र्यांश 2	सार्थकता
के प्रति प्रतिक्रिया फलांक	1.753	1	48	0.113

(माध्य आधारित)				

तालिका क्रमांक-06 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, छात्र तथा छात्राओं के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों के लीवेन परीक्षण का सांख्यिकी का मान 1.753 है। जिसका स्वतंत्र्यांश (1, 48) पर सार्थकता मान 0.113 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साथर्कता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना, *छात्र तथा छात्राओं की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों का प्रसरण सार्थक रूप से भिन्न नहीं हैं, निरस्त नहीं की जा सकती*। फलस्वरूप कहा जा सकता है कि छात्र तथा छात्राओं के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसरण की समजातीयता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

चूंकि लिंग के आधार पर विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता तथाप्रसरणों की समजातीयता की अवधारणा संतुष्ट होती है अतः स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण को व्यवहार में लाकर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिसका परिणाम तालिका क्रमांक-07 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रमांक-07

लिंग के आधार पर आधार पर विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों का t-परीक्षण

समूह	N	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्र्यांश	t	सार्थकता मान	टिप्पणी
छात्र	28	100.93	3.80	48	0.945	0.350	>0.05 सार्थकनहीं है।
छात्रा	22	102.05	4.56				

उपरोक्त तालिका क्रमांक-07 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के कक्षा नौ के छात्र तथा छात्राओं की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों की तुलना करने छात्रों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं के प्राप्तांको का माध्य 100.93तथा मानक विचलन 3.80है। इसी प्रकार छात्राओं के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के प्राप्तांकों का माध्य 102.05 तथा मानक विचलन 4.56है। छात्र तथा छात्राओं की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाफलांकों का परिकलित t-परीक्षण का मान 0.945है, जिसका स्वतंत्र्यांश 48 पर सार्थकता मान 0.350 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साथर्कता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना,*माध्यमिक स्तर के छात्र तथा छात्राओंकी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है,निरस्त नहीं की जा सकती है।*परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के छात्र तथा छात्राएं की प्रतिक्रिया एक समान है। इस परिणाम के प्रमुख कारण यह हो सकता है कि

निर्माणवादी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान जेंडर पूर्वाग्रहों से बचा गया साथ ही बालक एवं बालिकाओं को नवीन ज्ञान निर्माण के समान अवसर प्रदान किए गए। निर्माणवादी अधिगम सिद्धांतों पर आधारित विकसित की गईं पाठ योजनाओं में प्रयुक्त उदाहरणों, प्रयोगों तथा क्रियाकलापों में जेंडर संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया साथ ही सहभागी अधिगम एवं हस्तकौशलों के माध्यम से सीखते समय और विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने के लिए सभी बालक एवं बालिकाओं को पर्याप्त और समान अवसर दिए गए।

उपरोक्त उद्देश्य के परिणाम की पुष्टि हरसन तथा अरटैक द्वारा सन् 2014में किए गए कार्य द्वारा होती है। अपने शोध कार्य में इन्होंने माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कक्षा 12 के विद्यार्थियों की इतिहास विषय के शिक्षण में में निर्माणवादी उपागम के प्रयोग के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया। इनके शोध का एक प्रमुख उद्देश्य लिंग के आधार पर विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना था। अपने शोध परिणाम में इन्होंने पाया कि इतिहास विषय के शिक्षण में निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति छात्र तथा छात्राओं की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् छात्र तथा छात्राएं दोनों ही निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति एक समान अभिवृत्ति रखते हैं।

4. शोध कार्य के तृतीय उद्देश्य माध्यमिक स्तर के कक्षा नौ के ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों कीतुलना करने के लिए विद्यार्थियों से प्राप्त आंकड़ों को आवासीय पृष्ठभूमि (ग्रामीण तथा शहरी) के आधार पर

व्यवस्थित कर सर्वप्रथम प्राप्तांकों की प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समरूपता की अवधारणाओं की जाँच की गई। प्रसामान्यता तथा प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं के संतुष्ट हो जाने के बाद स्वतंत्र न्यादर्शt-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधि की सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्राप्तांकों की प्रसामान्यता, प्रसरणों की समजातीयता की अवधारणाओं की जाँच तथा स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण सांख्यिकीय के परिणामों का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका क्रमांक-09आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता का परीक्षण

निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांक	आवासीय पृष्ठभूमि	कोल्मोगोरोव-स्मिरनोव[a]			**शापिरो-विल्क**		
		सांख्यिकी	स्वतंत्र्यांश	सार्थकता	**सांख्यिकी**	**स्वतंत्र्यांश**	**सार्थकता**
	ग्रामीण	0.126	26	0.200*	**0.947**	**26**	**0.194**
	शहरी	0.128	24	0.200	**0.949**	**24**	**0.260**

*. This is a lower bound of the true significance, a. Lilliefors Significance Correction

तालिका क्रमांक-09 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, ग्रामीण विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों के

शापिरो-विल्क परीक्षण (N<50) का सांख्यिकी का मान 0.947 है। जिसका स्वतंत्र्यांश 26 पर सार्थकता मान 0.194 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साथर्कता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना,*ग्रामीण विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों का वितरण प्रसामान्य वितरण से सार्थक रूप से भिन्न नहीं हैं, निरस्त नहीं की जा सकती*। फलस्वरूप कहा जा सकता है कि ग्रामीण विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

तालिका क्रमांक-09 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि, शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं फलांकों के शापिरो-विल्क परीक्षण (N<50) का सांख्यिकी का मान 0.949 है। जिसका स्वतंत्र्यांश 24 पर सार्थकता मान 0.260 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साथर्कता के 0.01 स्तर पर सार्थक नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना, *शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों का वितरण प्रसामान्य वितरण से सार्थक रूप से भिन्न नहीं हैं, निरस्त नहीं की जा सकती*। फलस्वरूप कहा जा सकता है कि शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

तालिका क्रमांक-10

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसरणों की समजातीयताका परीक्षण

निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांक (माध्य आधारित)	लीवेन सांख्यिकी	स्वतंत्र्यांश 1	स्वतंत्र्यांश 2	सार्थकता
	0.235	1	48	0.630

तालिका क्रमांक-10 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि, ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों के लीवेन परीक्षण का सांख्यिकी का मान 0.235 है। जिसका स्वतंत्र्यांश (1, 48) पर सार्थकता मान 0.630 है। यह मान 0.05 से अधिक है। इसलिए साथर्कता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना, *ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों के प्रसरण सार्थक रूप से भिन्न नहीं हैं, निरस्त नहीं की जा सकती।* फलस्वरूप कहा जा सकता है कि ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसरण की समजातीयता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

चूंकि आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों की प्रसामान्यता तथाप्रसरणों की समजातीयता की अवधारणा संतुष्ट होती है, अतः t-परीक्षण

को व्यवहार में लाकर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसका परिणाम तालिका क्रमांक-11 में दर्शाया गया है-

तालिका क्रमांक-11

आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यार्थियों केनिर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया फलांकों का t-परीक्षण

समूह	N	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्र्यांश	t	सार्थकता मान	टिप्पणी
ग्रामीण	26	101.46	4.17	48	0.073	0.942	>0.05 सार्थक नहीं है।
शहरी	24	101.38	4.20				

उपरोक्त तालिका क्रमांक-11 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के कक्षा नौ के ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों की तुलना करने ग्रामीण विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाका माध्य फलांक 101.46 तथा मानक विचलन 4.17 है। इसी प्रकार शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया का माध्य फलांक 101.38 तथा मानक विचलन 4.20 है।ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों केनिर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाके माध्य फलांकों का परिकलितt-परीक्षण का मान 0.073 है, जिसका स्वतंत्र्यांश 48 पर सार्थकता मान 0.942 है। यह

मान 0.05 से अधिक है। इसलिए सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना, *माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, निरस्त नहीं की जा सकती*। परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के कक्षा नौ के ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं के माध्य फलांको में सार्थक अंतर नहीं है। परिणाम से यह स्पष्ट होता ही कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं पर उनकी आवासीय पृष्ठभूमि का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि जिन विद्यार्थियों को निर्माणवादी उपागम की सहायता से नवीन ज्ञान निर्माण के अवसर प्राप्त हुए उनकी ज्ञान निर्मिति के दौरान आवासीय पृष्ठभूमि से सम्बंधित पूर्वाग्रहों को सम्मिलित नहीं होने दिया गया साथ ही ग्रामीण तथा शहरी दोनों पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, तर्क करने, अपनी बात रखने, वाद-विवाद करने और शंका समाधान के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए।

उपरोक्त शोध उद्देश्य परिणाम की पुष्टि पीटर तथा नाक्का के द्वारा सन् 2014 में किए गये कार्य के परिणाम से होती है। इन्होंने नाइजीरिया के वेन्यू प्रान्त के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण आव्यूह के प्रति अभिरूचि का अध्ययन किया। इनके शोध का एक प्रमुख उद्देश्य आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण आव्यूह के प्रति अभिरूचि की तुलना करना था। अपने शोध परिणामों में इन्होंने पाया कि ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति अभिरूचि में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

1. माध्यमिक स्तरपर कक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाको जानने के लिए निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया मापनी के द्वारा एकत्रित आंकड़ोंके विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष के रूप में यह प्राप्त हुआ कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

2. लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तरपर कक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाका तुलना करने पर पाया गया कि छात्र तथा छात्राओं के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के कक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया पर लिंग का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह परिणाम इस बात की और संकेत करते हैं कि निर्माणवादी शिक्षण उपागम की सहायता से छात्र तथा छात्राओं को सीखने के समान अवसर दिए गए साथ ही निर्माणवादी ज्ञानमीमांसा तथा इस शिक्षण उपागम के सिद्धांतो पर आधारित अध्ययन सामग्री के विकास एवं कक्षा में शिक्षण-अधिगम की परिस्थितियों के निर्माण के समय लैंगिक पूर्वाग्रहों को स्थान नहीं दिया गया। कक्षा के निर्माणवादी वातावरण में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सभी विद्यार्थियों को अपने पूर्ववर्ती ज्ञान का उपयोग करने के समान अवसर प्रदान किए गए

साथ ही छात्र तथा छात्राओं को इस प्रक्रिया में सक्रीय रूप से भाग लेने के लिए अभिप्रेरित किया गया। ये सभी प्रस्तुत निष्कर्ष के कारण हो सकते हैं।

3. आवासीय पृष्ठभूमि आधार पर माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया का तुलना करने पर पाया गया किकक्षा नौ के ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया के माध्य फलांको में सार्थक अंतर नहीं है। परिणाम से यह स्पष्ट होता ही कि माध्यमिक स्तर परकक्षा नौ के विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया पर उनकी आवासीय पृष्ठभूमि का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।यह परिणाम इस बात को इंगित करता है कि शिक्षण-अधिगम की निर्माणवादी प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण तथा शहरी पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण के समान अवसर प्राप्त हुए। दूसरे शब्दों में निर्माणवादी सिद्धांतों पर विकसित अध्ययन सामग्री में न तो आवासीय पृष्ठभूमि से सम्बंधित पूर्वाग्रहों को स्थान दिया गया और न ही ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग गतिविधियों तथा क्रियाकलापों को स्थान दिया गया साथ कक्षा में दोनों पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के पूर्वज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान सृजन के अवसर दिए गए। इसके अतिरिक्त ज्ञान निर्माण के दौरान दोनों पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रयोग करने, तर्क-वितर्क करने, अपनी बात रखने, प्रश्न करने, अनुप्रयोग करने, सम्बन्ध स्थापित करने के समान तथा पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। अतः परिणामस्वरूप कहा जा सकता है कि ये सभी प्रस्तुत निष्कर्ष के कारण हो सकते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध कार्य के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं-

1. पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक नीतियों के निर्माण में

इस अध्ययन के परिणाम इस बात को इंगित करते है कि विद्यार्थी अपनी कक्षा में निर्माणवादी शिक्षण-अधिगम वातावरण में स्वगति एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन ज्ञान करते हुए निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। अतः इन परिणामों के अलोक में यह अध्ययन माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों तथा इस स्तर के लिए विज्ञान के साथ-साथ अन्य विषयों की पाठ्यचर्या के विकास एवं शैक्षिक नीतियों के निर्माताओं लिए एक ऐसा आधार प्रदान करेगा। जो इनको विज्ञान तथा अन्य विषयों की पाठ्यचर्या का विकास करते समय निर्माणवादी शिक्षण-अधिगम सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यचर्या का विकास करने में सहायक होगा। जिसकी सहायता से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जा सके।

2. शिक्षकों के लिए निर्माणवादी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम शिक्षकों नवीन शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होंगे। विभिन्न विषयों की विषय-वस्तु की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। जिसके अध्यापन के लिए शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का चयन करता है। प्रस्तुत शोध कार्य के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी निर्माणवादी शिक्षण उपागम के पक्ष में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं अतः इसको आधार बनाकर शिक्षक अपने विषय के शिक्षण के लिए

निर्माणवादी शिक्षण उपागम के विभिन्न प्रतिमानों का चयन कर विद्यार्थियों की उपलब्धि में सार्थक वृद्धि कर सकता है।

3. विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन हेतु उचित प्रविधियों के चयन में

वर्तमान समय में विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति की जाँच के लिए परंपरागत प्रविधियों की जगह नवाचारी आकलन प्रविधियों का उपयोग किया जा रहा है। ये आकलन प्रविधियाँ विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति की जाँच के साथ-साथ शिक्षक को भी अपने स्वयं के शिक्षण आकलन में सहायक होती हैं। जिससे वह अपनी कक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकता अनुकूल परिवर्तन कर सके। प्रस्तुत शोध कार्य शिक्षकों को विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं के स्तर से परिचित करवाएगा। जिससे शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों के आकलन के लिए उपयुक्त नवाचारी आकलन प्रविधियों जैसे संप्रत्यय से सम्बंधित क्रियाकलाप, पोर्टफोलियो तथा रुब्रिक आदि का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ ही समावेशन करते हुए विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति की जाँच की कर सकता है।

अन्य शोधकर्त्ताओं के लिए

यह शोध कार्य उन शोधार्थियों के लिए एक आधार प्रदान करेगा जो माध्यमिक स्तरके विद्यार्थियों की निर्माणवादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाओं तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण और प्राप्त परिणाम विभिन्न विषयों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नवाचारी

शिक्षण विधियों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए विकसित की जाने वाली प्रतिक्रिया मापनी एवं प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करेगा।

सन्दर्भ सूची

अग्रवाल, आर. & मिश्रा, एम. के. (2012). *शिक्षण अधिगम के सिद्धांत.* आगराः राखी प्रकाशन.

ग्लासर्सफेल्ड, ई. वी. (1995). *रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्म : ए वे ऑफ नोइंग एंड लर्निंग.* लन्दन : दी फल्मर प्रेस.

गुप्ता, एस. पी. (2017). *अनुसंधान संदर्शिका : सम्प्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि.* इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन.

हरसन, सी. & अरटैक, जी. (2014). के12 स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवड्र्स यूजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म इन हिस्ट्री लेसन्स. *प्रोसीडिया-सोशल एंड बिहेविरल साइंस, 177* (2015), 475-480.

झा, ए. के. (2009). *कंस्ट्रक्टीविस्ट एपिस्टमोलोजी एंड पेडागोजी.* न्यू दिल्ली : अटलांटिक पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड.

कोहली, वी. के. (2006). *हाऊ टू टीच साइंस.* अम्बाला कैंटः श्री कृष्णा पब्लिकेशन्स.

पीटर, ए. & नाक्का, डी. ए. (2014). इफेक्ट ऑफ 5Es कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी ऑन इंटरेस्ट एट सेकेंड्री लेवल. *दी क्वालिटेटिव रिपोर्ट, 6* (2), 112-132.

पाठक, पी. डी. (2009). *शिक्षा मनोविज्ञान.* आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर.

स्कॉट, पी. (1987). *ए कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग.* लीड्स, चिल्ड्रन्स लर्निंग इन साइंस प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स.

सिंह, ए. के. (2014). *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ.* दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास.

सिंह, ए. के. (2015). *शिक्षा मनोविज्ञान.* पटना : भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूर्टश.

सिंह, एस. &यदुवंशी, एस. (2015). कंस्ट्रक्टीविज्म इन साइंस क्लासरूम : व्हाई एंड हाऊ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेसन, 8* (3), 91-105.

सिंह, एस. &यदुवंशी, एस. (2015). कंस्ट्रक्टीविज्म एप्रोचेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, 5* (3), 1-14.

यागेर, आर. ई. (1991). दी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मॉडल. *दी साइंस टीचर, 58* (61), 52-57.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : अनुवाद के क्षेत्र में एक दूरदर्शी पहल

-डॉ. राम प्रकाश यादव
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा, महाराष्ट्र, पिन- 442001
दूरभाष: +91-7972952363
ई मेल: hindi.spain@gmail.com

नए भारत की संकल्पना को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम है। शिक्षा क्षेत्र का वर्तमान ढाँचा नई आवश्यकताओं और बदली परिस्थितियों में अपेक्षानुरूप उत्पादक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता लम्बे समय से अनुभव की जा रही थी। इक्कीसवीं सदी के बदलाव दुनिया भर में अत्यंत तीव्र और अभूतपूर्व रहे हैं। पुराने पद्धति की शिक्षा व्यवस्था बच्चों और युवाओं के लिए बोझिल और रूढ़ हो गयी थी। उनकी अपेक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए आमूल चूल परिवर्तन करते हुए एक नवीन व्यवस्था की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक युगांतरकारी और दूरदर्शी नीति के रूप में इसी की पूर्ति हेतु हमारे समक्ष है। यह भी पहली बार हुआ जब समाज के विभिन्न वर्गों से व्यापक स्तर पर इस नीति को लागू करने हेतु सुझाव माँगे गए और सामान्य जन ने इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी की। के० कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को कौशल विकास और रोजगार सृजन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई प्रावधान किए। अनुवाद की महत्ता को भी पहली बार ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में रेखांकित किया गया है।

भारत विश्व के एक युवतम देश के रूप में सामने आ रहा है, जहाँ कि औसत आयु उनतीस वर्ष है। प्रतिवर्ष 28 मिलियन युवाओं के यहाँ की जनसंख्या में जुड़ते रहने का अनुमान है। इकोनोमिक टाइम्स में दिनांक: 18 नवंबर, 2014 को प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 24 आयु वर्ग के 356 मिलियन लोग हैं। चीन से कुल जनसंख्या में द्वितीय स्थान पर होने के बावजूद भारत युवाओं की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का विश्व का सबसे बड़ा देश है। स्पष्ट है कि युवाओं की इतनी बड़ी सख्या को शिक्षित करना, इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना और उनमें कौशल का विकास करना एक बड़ी चुनौती है। इन युवाओं की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें आय अर्जन के योग्य बनाना राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की आवश्यक शर्त है। परंपरागत क्षेत्रों में अब रोजगार सृजन का बोझ वहन करने की संभावना निरंतर कम होती जा रही है। इसलिए नीति निर्माता भी गैर परंपरागत क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावनाओं की ओर बड़ी आशाभरी दृष्टि से देख रहे हैं।

इस स्थिति को ध्यान में रखें तो हम पाते हैं कि अनुवाद और निर्वचन के क्षेत्र में रोजगार सृजन के वृहद अवसर विद्यमान हैं। यह खेद का विषय है कि अब तक संस्थागत रूप में इसके प्रशिक्षण और अनुवाद कार्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी अनुवाद कार्य एक असंगठित क्षेत्र की तरह ही कार्य कर रहा है। सरकारी सेवाओं के अलावा इसकी उपाधियों की पूछ अभी निजी क्षेत्र में नहीं है। यद्यपि अनुवाद के क्षेत्र की महत्ता को पहचानते हुए विगत दस वर्षों में कई विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ऑनलाइन दुनिया में अनुवाद का एक बड़ा बाजार है। वैश्वीकरण के इस युग में दुनिया सिमट गई है और भौगोलिक

दूरियों के अब कोई मायने नहीं हैं। सेवा क्षेत्रक में भारत की बढ़ती भागीदारी इसे स्पष्ट करती है। यह समझना बहुत आसान है कि जब दुनिया भर के लोग आपस में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के चलते संवाद करेंगे तो वह कोई एक भाषा में तो होगा नहीं, अनुवाद और निर्वचन (Translation and Interpretation) की आवश्यकता पड़ेगी ही। तब इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय और कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। कहना न होगा कि इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस दस्तावेज में अनुवाद और निर्वचन को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय महत्व के 107 पृष्ठों के इस दस्तावेज में अनुवाद शब्द का उल्लेख कुल दस बार और निर्वचन शब्द का उल्लेख कुल छह बार हुआ है।

सरकार की इस दूरदर्शी नीति में अनुवाद की उपयोगिता को सर्वप्रथम पढ़ने की संस्कृति के रूप में चिन्हित किया गया है। यह देखा गया है कि सूचना और संचार के इस युग में पढ़ने की संस्कृति का ह्रास हुआ है। विद्यार्थी भी केवल उतना ही पढ़ना चाहता है जितने से उसे रोजगार मिल सके। मानव संसाधन की राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में सरकार नागरिकों में पढ़ने की संस्कृति का बीजारोपण बाल्यावस्था से ही करने पर जोर देना चाहती है। इसके लिए भारतीय भाषाओं के साहित्य व ज्ञान सामग्री के उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद किए जाने की योजना है। यह उत्साह का विषय है कि अनुवाद की इस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार तकनीकी मदद भी लिए जाने की योजना है। स्वभाषा में पुस्तकों की उपलब्धता से न केवल पढ़ने की संस्कृति ही बढ़ेगी अपितु राष्ट्र के जिम्मेदार, उन्नत व प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण भी होगा। विभिन्न भाषा-भाषी समुदाय एक-दूसरे से विविध प्रकार से परिचय भी प्राप्त करेंगे। एक

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार करने की योजना है जो विविध भाषाओँ, स्तरों और शैलियों की पुस्तकों की देश के प्रत्येक हिस्से में उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकीयता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल करेगी। इससे राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु 11.7 में देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और एक उत्साहजनक वातावरण निर्मित करने हेतु अनुवाद और निर्वचन विषय के अध्ययन को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि इन संस्थानों में यह विषय उपलब्ध नहीं हैं तो विद्यार्थी चाहे तो उसे मुक्त एवं दूर शिक्षा विधि से भी कर सकता है और स्नातक पाठ्यक्रम में इस विषय के लिए उसे क्रेडिट भी दिया जाएगा। यह लचीलापन इस शिक्षा नीति की एक विशेषता है जो विद्यार्थियों को इतर संकाय एवं विभागों से क्रेडिट पाठ्यक्रम लेने को सुलभ बनाते हैं जो पुरानी व्यवस्था में संभव नहीं थे। अब विज्ञान विषयों के विद्यार्थी भी अनुवाद एवं निर्वचन तथा संगीत जैसे विषयों के क्रेडिट पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं। अन्तरानुशासनिक अध्ययन की ओर यह एक बड़ा और उपयोगी कदम है। विद्यार्थी को कोई चुनाव कर अब बंधना नहीं है। समय-समय पर वह इसमें बदलाव करने और छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। इससे न केवल अध्ययन में उसकी रुचि बनी रहेगी बल्कि उसका कीमती समय भी बचा रहेगा और वह अन्य किसी उत्पादक क्षेत्र में उसका निवेश करने को स्वतंत्र होगा।

इस नीति के बिंदु 22.6 में सभी अनुसूचित भारतीय भाषाओं को लेकर एक विशेष संकल्प किया गया है। इसमें कहा गया है कि- "भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए।"

इसके लिए विश्व की विभिन्न भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद भी किया जाना चाहिए और उसकी उपलब्धता जनसामान्य तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। भाषाओं के शब्दकोशों एवं शब्दभंडार को लगातार अद्यतन करते रहने पर इस नीति में बल दिया गया है। यह भी इच्छा की गई है कि इसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके।

इस नीति के बिंदु 22.11 में अनुवाद और निर्वचन के पाठ्यकम को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में लागू करने पर विशेष बल दिया गया है। अच्छे निर्वचकों के द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की बात इसमें है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि कई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इन विषयों पर पहल प्रारम्भ की जा चुकी है। यह उनकी दूरगामी दृष्टि का परिचायक है। अनुवाद के डिप्लोमा और परास्नातक पाठ्यक्रम कुछ संस्थाओं में पहले से ही संचालित हैं। अब इनका विस्तार कर व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। रोजगारपरक यह पाठ्यक्रम निश्चय ही युवाओं में लोकप्रिय होंगे। इस संदर्भ में यह चर्चा करना उल्लेखनीय होगा कि अनुवाद एवं निर्चन को लेकर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में अनुवाद एवं निर्वचन का एक स्वतंत्र और राष्ट्र का पहला विद्यापीठ वर्ष 2004 से ही स्थापित है और अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों में संलग्न है।

इस नीति की एक महत्वपूर्ण पहल इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान- IITI) की यथाशीघ्र स्थापना की घोषणा है। इसके द्वारा अनुवाद एवं निर्वचन के राष्ट्रीय प्रयासों को बल मिलेगा। इसके द्वारा सर्वसाधारण को विदेशी एवं भारतीय भाषाओं

में उच्च गुणवत्ता वाली समग्री सुलभ हो सकेगी। यह संस्थान सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार- प्रसार में सक्रिय भागीदारी करेगा। यह भी उल्लेख है कि इस संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इस संस्थान द्वारा विदेशी और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता की अधिगम सामग्री और विविध प्रकार की महत्वपूर्ण लिखित और मौखिक सामग्री को सुलभ किया जाएगा। जैसे –जैसे इन संस्थानों की माँग बढ़ेगी, वैसे-वैसे इन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ देश के विभिन्न स्थानों एवं शोध विभागों में खोला जा सकेगा। इस संस्थान में दक्ष अनुवादकों और निर्वचकों का वृहद कार्यबल तैयार किया जाएगा। इस प्रकार यह संस्थान सच्चे अर्थों में देश की सेवा का उपक्रम करेगा।

इस दस्तावेज के बिंदु संख्या 22.16 में उल्लेख है कि- "भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हज़ारों पांडुलिपियों को इकठ्ठा करने, संरक्षित करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है।" अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवादएवं अध्ययन के दृढ़ प्रयासों का भी इस नीतिगत दस्तावेज में उल्लेख है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।

इस नीति में यह कहा गया है कि प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र दर ने प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है और यह निश्चित है कि वह शिक्षा के क्षेत्र को भी कई मायनों में प्रभावित करेगी। अनुवाद का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के आगमन ने मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मानव साधित अनुवाद जहाँ श्रमसाध्य थे और

ज्यादा समय लेते थे, वहीं मशीन साधित अनुवाद ने श्रम व समय को कम कर अनुवाद कार्य को रुचिकर और आसान बनाया है। इस नीति में सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा है और इसके लिए प्रावधान किए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने और किसी विशेष क्षेत्र में उनके उपयोग को लेकर किए जाने वाले निर्णयों को सुगम बनाना है। अनुवाद प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी यह मंच अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। भारतीय और विदेशी भाषाओं में विभिन्न ऑनलाइन और ऑफ़ लाइन अनुवाद साफ्टवेयरों की उपलब्धता और विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में मशीनी अनुवाद संबंधी शोध ने इस दिशा में अच्छे भविष्य के संकेत दिए हैं। एनईटीएफ से इन संस्थानों में जारी शोध कार्य को भी सहायता प्राप्त होगी। विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षिक डिजिटल सामग्री को विकसित करने के लिए एक इकाई के गठन का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है।

शिक्षा चूँकि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के परस्पर सहयोग से ही इस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य स्तर पर हो सकता है। वित्तीय और अन्य आवश्यक संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता और विभिन्न हितग्राहियों की सक्रिय भूमिका से निश्चय ही इस इस महायज्ञ को सफल बनाया जा सकता है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में अध्यापन करते हैं और हिंदी पीठ, स्पेन में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं।)

विदेशों में हिंदी शिक्षण (कनाडा के संदर्भ में)

डॉ दीपक पाण्डेय

सहायक निदेशक, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली 110066

मोबाइल- +91-8929408999 Email – dkp410@gmail.com

आप सभी जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बोली/समझी और प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख और उपभोक्ताओं की संख्या ने विश्व के हर देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।यह आकर्षण भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा है। हमें इतिहास से जानकारी मिलती है कि भारतवासी प्राचीन समय से विश्व के अनेक देशों की यात्रा करते थे, उनका उद्देश्य किसी देश में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था वरन उनका प्रवास मैत्री भाव से प्रेरित रहा जिसके मूल में मानव कल्याण की भावना थी। धर्म-प्रचार और व्यापार भी मूल घटक रहे। समय और काल के साथ स्थितियां/परिस्थितियां बदलती गईं और 19 वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में शासन कर रही उपनिवेशवादी व्यवस्था, भारतीय मजदूरों को एग्रीमेंट सिस्टम के अंतर्गत जिसे गिरमिटिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, लाखों की संख्या में मजदूरों को विश्व के अन्य देशों में ले गए।मूलतः ये मजदूर अफ्रीका,मॉरीशस, त्रिनिडाड, फिजी,सूरीनाम,गयाना देशों में कृषि उत्पादन के लिए ले जाए गए।इन गिरमिटिया मजदूरों ने अपने श्रम और कार्य के प्रति लगन से जहाँ उन देशों के

विकास की नई इबारत लिखी, वहीं त्रासदपूर्ण वातावरण में अनेक दु:ख सहकर भी अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया। आज इन गिरमिटिया मजदूरों का अवदान है कि विश्व के कोने-कोने में भारतवंशी उपलब्ध हैं और अपने पुरखों द्‍वारा 170-180 वर्षों पूर्व भारत की संस्कृति और भाषा को सींच रहे हैं।

20 वीं शदी में शिक्षा,संपन्नता और साधनों की उपलब्धता के कारण अनेक जागरूक, पढ़े-लिखे और पेशेवर शिक्षित भारतीय, बेहतर जीवन की आकांक्षा लेकर विश्व के अनेक देशों में पहुंचे। जिनमें इंजीनियर/डॉक्टर/ शिक्षा विशेषज्ञ /कला विशेषज्ञ / उद्‍यमी शामिल हैं। ये अमेरिका/ कनाडा / रूस / जापान / कोरिया / आस्ट्रेलिया / न्यूजीलैंड / जर्मनी / स्वीडन अआदी अनेक देशों में पहुंचे और अब उन्हीं देशों के निवासी बन गए हैं। ये सभी विदेशों में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ यह उल्लेख करने की बात है कि भारत के व्यक्ति चाहे जिस परिस्थिति या भौगोलिक सीमा में रहे वह अपनी संस्कृति और भाषा से कभी विमुख नहीं होते बल्कि भारत से बाहर वह इनसे और गहराई और गंभीरता से जुड़ा रहना चाहता है और इन्हीं उपादानों को अपने जीने और मोक्ष का सहारा मानते हैं। इसी संदर्भ में कहीं पढा हुआ प्रसंग याद आ रहा है, जिसका संदर्भ यहाँ प्रासंगिक है - अमेरिका में बस गए एक भारतीय से किसी ने पूछा – "अमेरिका में हिंदी की क्या जरूरत है ? जब भारत में ही हिंदी की उपेक्षा हो रही है।" अमेरिका में रह रहे भारतीय के उत्तर की गंभीरता को समझने की जरूरत है "वह बोला –मेरे हिसाब से अमेरिका या भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों को हिंदी की जितनी जरूरत है उतनी शायद ही भारतवासी भारतीय को नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ भारत से

बाहर हम हिंदी भूल जायेंगे तो 'रामचरिमानस'भूल जाएगा, प्रार्थनाएं भूल जायेंगी,आरती भूल जायेंगी,काशी विश्वनाथ,ताजमहल सब भूल जाएगा, वह संस्कृति भूल जाएगा जो हजारों वर्षों से दुनिया का पथ प्रदर्शन करती रही है। प्रवासी भारतीयों के लिए हिंदी इस संस्कृति का एकमात्र संचारवाहक है। अत: हिंदी बहुत जरूरी है यहाँ। इस अंग्रेजी देश में हिंदी के पठन-पाठन से मेरे जैसे कई गृहस्थ समर्पित भाव से जुड़े हैं, जो पेशे से हिंदी दां नहीं हैं, अपितु तकनीकी क्षेत्रों के जानकार हैं। हम मानते हैं कि हिंदी है तो हम हैं।

अमेरिकावासी भारतीय का यह उत्तर भारत से बाहर रह रहे अधिकाँश भारतवंशियों/भारतीयों की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, यह बात मैं अपने मॉरिशस और कैरेबियन देशों में प्रवास के अनुभवों से कह सकता हूँ। आज विज्ञान ने देशों की भोगोलिक सीमाओं को विस्तारित कर दिया है,नए-नए वैज्ञानिक अनुसंधानों ने सम्प्रेषण और आवागमन को सहज, सुलभ और सुगम बना दिया है।

कनाडा में आज हिंदी शिक्षणव्यापक पैमाने पर हो रहा है . इसके साथ-साथ हिंदी लेखन की समृद्ध परंपरा भीविद्यमान है, साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य- सृजन हो रहा है। कविता, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, डायरी, संस्मरण, निबंध आदि में कनाडा से हिंदी साहित्य रचा जा रहा है और हिंदी जगत में उनका स्वागत भी हो रहा है। हिंदी के सृजनात्मक लेखन में अनेक हिन्दी प्रेमी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, इनमें - डॉ भारतेंदु श्रीवास्तव, डॉ.शिवनंदन यादव, प्रो।हरिशंकर आदेश, डॉ. स्नेह ठाकुर, अरुणा भटनागर, डॉ. बृजकिशोर कश्यप, विजय विक्रांत, आशा वर्मन, अचला दीप्तिकुमार, डॉ.ओंकार प्रसाद द्विवेदी, भुवनेश्वरी पांडे, सुरेन्द्र पाठक, आशा वर्मा, भगवतशरण श्रीवास्तव, प्रमिला भार्गव, शैल शर्मा,कृष्णा वर्मा, मानोशी

चटर्जी,जसबीर रवि, पंकज शर्मा, अनिल पुरोहित, आचार्य संदीप कुमार, रीनू पुरोहित, श्रीनाथ द्विवेदी, शैलजा सक्सेना, गोपाल बघेल, हंसादीप, धर्मपाल महेंद जैन, श्याम त्रिपाठी, डॉ. रत्नाकर नराले आदि अनेक नाम हैं जो हिंदी में लेखन से हिंदी-साहित्य की निधि को समृद्ध कर रहे हैं। यह सुकून देने वाली बात है कि भारत से इतनी दूर का हिंदी साहित्य लेखन साहित्य को वैश्विक धरातल का भाव-बोध देता है।

कनाडा में भारतीयों का आगमन 1903 से माना जाता है जब ब्रिटिश शासन का साथ देने के लिए भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के बाद हांगकांग और जापान के रास्ते कनाडा पहुंचे और 1908 तक लगभग 5209 भारतीय कनाडा पहुँचने में सफल हुए। इसी क्रम में कनाडा सरकार के अनेक प्रतिबंधों और प्रावधानों के बावजूद भारतीय कनाडा में उतरते रहे, जब कनाडा सरकार ने 1966 में वीसा में छूट दी तो हजारों की संख्या में भारत के विभिन्न प्रांतों से भारतीय कनाडा पहुंचे, इनमें अधिकतर पंजाबी थे, फिर भी उच्च्व शिक्षा प्राप्त पेशेवर कनाडा प्रतिस्थापित हुए।भारत के अलावा भी दक्षिण अफ्रीका,सूरीनाम,त्रिनिडाड, फिजी आदि अनेक देशों से भारतीय या भारतीय मूल के लोग कनाडा पहुंचे। आज कनाडा में लगभग 14–15 लाख भारतीय या भारतीय मूल के लोग निवास कर रहे हैं और कनाडा के विकास में योगदान दे रहे हैं।ये भारतीय पंजाबी /हिंदी /तमिल/ मलयालम / बंगला/उर्दू/गुजराती आदि भारतीय भाषाओं का किसी न किसी रूप में व्यवहार करते हैं।कनाडा सरकार का प्रावधान है कि सार्वजनिक सुविधाओं को अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराना, इस प्रावधान के चलते कनाडा की म्युनिसिपल सर्विसेज/ कोर्ट/ हॉस्पिटल

/शैक्षिक संस्थाओं की सेवायें अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिंदी और पंजाबी में भी सुलभ कराई गई हैं।

कनाडा में हिंदीशिक्षण – सत्तर के दशक से कनाडा में गैर सरकारी संगठनों द्वारा हिंदी अध्ययन-अध्यापन की परंपरा की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। हिन्दू मंदिरों और सांस्कृतिक संस्थाओं/केन्द्रों ने हिंदी शिक्षण के संवर्धन में विशेष प्रयास किए हैं और इसी कारण आज कनाडा में हिंदी की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। इस क्रम में ओटावा में स्थापित 'मुकुल हिंदी विद्यालय' का योगदान सराहनीह है,जिसने हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में आरंभिक कार्य किए और आज देशभर में इसकी अनेक शाखाएं खेल चुकी हैं जो कनाडा सरकार के स्कूल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और सरकारी सहायता से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के शिक्षण में सक्रियता से कार्य कर रही हैं।

ब्रिटिश कोलंबिया के बार्नबी के विश्व हिंदी परिषद, कैलगरी की वैदिक हिन्दू सभा, कैलगरी रामायण भजन मंडली, बैंकूवर के महालक्ष्मी मंदिर, सरे की वैदिक हिन्दू सांस्कृतिक सभा, रिचमंड की वैदिक सांस्कृतिक सभा ने हिंदी शिक्षण की विधिवत कक्षाएं चलाई।1972 में नोवा स्कॉटिया के हैलीफैक्स में हिंदी कक्षाएं प्रारंभ की गईं थी, 1980 में सेंट जॉन में भी हिंदी शिक्षण प्रारंभ किया गया। मैनीटोवा की हिन्दू सभा ने मंदिर से हिंदी शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जो अब उनके नए भवन भारतीय भवन में चल रहा है। सन 1985 से एडमंटन की अल्बर्टो हिंदी परिषद् कनाडा द्वारा नियमित रूप में हिंदी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। श्री जगदीश शास्त्री और डॉ रत्नाकर नराले, हिन्दू इंस्टीट्यूट ऑफ़ लर्निंग तथा हिन्दू इंस्टीट्यूट ऑफ़ मोंटेसरी एकेडमी के माध्यम से हिंदी शिक्षण में अथक परिश्रम कर रहे हैं।

जून 1966 में ओंटेरियो सरकार ने हेरिटेज लैंगुएजेज प्रोग्राम शुरू किया और 1989 में इसे प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों और कुछ पब्लिक स्कूलों में हिंदी कक्षाओं को शुरू किया था जो आज भी चल रहा है।आज कनाडा के अनेक विश्वविद्यालयों जैसे- युनिवर्सिटी ऑफ़ टोरंटो, यार्क युनिवर्सिटी, वेस्टर्न युनिवर्सिटी, मोंट्रियल युनिवर्सिटी, युनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल,सास्काटून और कैलगरी युनिवर्सिटी में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की सुविधायें उपलब्ध हैं।

कनाडा की हिंदी सेवी संस्थाओं का उल्लेख आवश्यक है जिनकी गतिविधियों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और आज भी कर रहे हैं।

1. हिंदी परिषद् – डॉ रघुवीर सिंह ने 1982 में टोरंटो में पहले हिंदी संगठन की स्थापना की थी।इस संस्था का उद्देश्य कनाडा के हिंदी प्रेमियों को एकजुट कर हिंदी के प्रचार में रचनात्मक कार्य करना था।

2. हिंदी लिटरेसी सोसायटी ऑफ़ कनाडा- 1983 में गुएल्फ़ के प्रो।ओ पी द्विवेदी के नेतृत्त्व में राष्ट्रव्यापी हिंदी संगठन हिंदी लिटरेसी सोसायटी ऑफ़ कनाडाकी स्थापना हुई वर्तमान में सरे वेंकुवर के श्रीनाथ पी द्विवेदी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। इस संस्था की पत्रिका ‘संवाद’ लोकप्रिय है।

3. क्यूबेक हिंदी संघ- इस संस्था की स्थापना 1975 में श्री कुमुद त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई। वर्तमान अध्यक्ष डॉ।सुशील मिश्र तन-मन से हिंदी प्रचार-प्रसार में लगे हैं।

4. मैनीटोवा हिंदी परिषद् -1982 में मैनीटोवा में प्रो वेदानंद,बिंदु झा,शरदचंद के प्रयासों से विनिपेग में इस संस्था का गठन हुआ था।

5. भारतीय विद्या संस्थान- प्रो हरिशंकर आदेश ने कनाडा में हिन्दी/संस्कृत/ भारतीय कला-संस्कृति के अध्ययन-अध्यापन और प्रोत्साहन के उद्देश्य से 1984 में भारतीय विद्या संस्थान की स्थापना की।

6. हिंदी साहित्य सभा- 1997 में डॉ भारतेंदु श्रीवास्तव ने हिंदी साहित्य सभा की स्थापना की यह संस्था आज सक्रियता से हिंदी प्रचार-प्रसार की गतिविधियों को क्रियान्वित कर रही है।

7. हिंदी प्रचारिणी सभा-1998 में कनाडा में हिंदी प्रचारिणी सभा का गठन हुआ। श्री श्याम त्रिपाठी इसके अध्यक्ष हैं।"हिंदी चेतना" त्रैमासिक पत्रिका का संपादन श्री श्याम त्रिपाठी ने मार्च 1998 में प्रारंभ किया जो आज भी प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका ने कनाडा के हिंदी कवियों को प्रकाशन के लिये एक मंच दिया। यह पत्रिका आज उत्तरी अमेरिका की महत्त्वपूर्ण पत्रिका बन गई है।

8. आर्य समाज (वैदिक कल्चर सेंटर)- ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के बर्नाबी में आर्य समाज के मंदिरों में हिंदी का शिक्षण भी किया जाता है। श्रीमती मधु वार्ष्णेय और कमला नायडू हिंदी की वार्तालाप कक्षाएं संचालित करती हैं। श्री रघुपाल सिंह कनाडा आर्य-जगत के स्तंभ हैं और 'कर्तव्य' नामक पत्रिका हिन्दी/अंगरेजी में निकालते हैं।

9. विश्व हिंदी संस्थान - विश्व हिंदी संस्थान कल्चरल आर्गेनाइज़ेशन, कनाडा एक लाभरहित पंजीकृत संस्था है,इसके अध्यक्ष सरन घई हैं।

इस संस्था के मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में हिंदी व भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार-विकास करना तथा अपने वैश्विक प्रयासों के आधार पर अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता दिलवाना है। इस संस्था की पत्रिका 'प्रयास' है।

10. हिंदी राइटर्स गिल्ड, टोरंटो – 2008 में सुमन घई,विजय विक्रांत और डॉ शैलजा सक्सेना ने हिंदी राइटर्स गिल्ड की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी का प्रचार-प्रसार तथा साहित्य-स्तर में सुधार के लिए मासिक गोस्थियाँ आयोजित करना और हिंदी पुस्तकों का कनाडा से प्रकाशन करना है।

11. सद्भावना हिंदी साहित्य संस्था- डॉ स्नेह ठाकुर ने इस संस्था की स्थापना 2003 में की। 'सद्भावना हिंदी साहित्यिक संस्था' का उद्देश्य हिंदी साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना और उनकी रचनाओं को प्रकाशित करना है। अभी संस्था के अन्तर्गत इन्होंने चार काव्य-संकलनों का संकलन, सम्पादन व प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा चित्रकला प्रदर्शिनियों द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

हिंदी पत्रिकाएं : हिंदी जगत में कनाडा से प्रकाशित होने वाली कुछ विशेष पत्रिकाओं का उल्लेख अपेक्षित है क्योंकि इन पत्रिकाओं ने हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता में अपना विशेष स्थान बना लिया है –

वसुधा - डॉ स्नेह ठाकुर के संपादन में

हिंदी चेतना – श्री श्याम त्रिपाठी के संपादन में

प्रयास - सरन घई के संपादन में

संवाद – आचार्य श्रीनाथ द्विवेदी के संपादन में

वेब पत्रिकायें

साहित्यकुंज –वेब पत्रिका 2003 से प्रकाशित हो रही है और सुमन कुमार घई हैं।

पुस्तक भारती रिसर्च जनरल – डॉ रत्नाकर नराले के संपादकत्व में

भारत सौरभ - डॉ रत्नाकर नराले के संपादकत्व में

इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान में कनाडा में जहाँ भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो रही है और वे अपने परिश्रम से अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं वहीं भारतीय संस्कृति, भाषाओं के प्रचार-प्रसार का सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो रहा है। जहाँ हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में अनेक संगठन और व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वहीं हिंदी प्रेमी अपने रचनात्मक कार्यों से हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है यह लेख भारत से बाहर हिंदी की स्थिति को जानने /समझने के इच्छुक व्यक्तियों को नई जानकारी उपलब्ध कराएगा और इस दिशा में गंभीर चिंतन के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा।

बॉलीवुड फिल्मों में मानसिक समस्याओं का चित्रण

- **डॉ.प्रज्ञेंदु***

- **ऋषिका अग्रवाल****

- **डॉ.दिनेश छाबड़ा*****

- **डॉ.अमोघ तालान******

*डा० प्रज्ञेंदु, असोसीयट प्रफ़ेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
pregyendu2009@gmail.com

**ऋषिका अग्रवाल, बी. ए. (ऑनर्स।) एप्लाइड साइकोलॉजी, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

***डॉ. दिनेश छाबड़ा, असोसीयट प्रफ़ेसर, मनोविज्ञान विभाग, कलासंकाय विस्तार भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

****अमोघ तालान, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़

दशकों से, फ़िल्में हमेशा मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम रही हैं। समाज में कई मुद्दों की ओर उनके दृष्टिकोण को आकार देते हुए, दर्शकों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। वर्षों से, फिल्मों ने एक दर्पण के रूप में काम किया है जो समाज, विज्ञान, पौराणिक कथाओं आदि के बारे में कई मुद्दों की छवियों को दर्शाता है। इसी प्रकार फिल्मों ने कई मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्थितियों को चित्रित करने का प्रयास किया है। इनमें मादक द्रव्यों के सेवन से लेकर विभिन्न व्यक्तित्व विकार, सिज़ोफ्रेनिया और कई अन्य शामिल हैं। तथ्य यह है कि फिल्में मनोरंजन के लिए विवादित नहीं हैं। ये फिल्में, कई बार, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की बहुत सटीक और यथार्थवादी तस्वीर पेश नहीं करती हैं, लेकिन वे दर्शकों को एक विशेष स्थिति का पता लगाने और उसी के प्रति एक दृष्टिकोण बनाने का पर्याप्त

अवसर प्रदान करती हैं। ये उन विभिन्न संस्कृतियों की व्याख्या करने की समझ विकसित करने के लिए भी आवश्यक हैं जिनके भीतर मुद्दों को चित्रित किया गया है। ऐसी फिल्में मानसिक विकारों के बारे में जानने और विशेष परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए एक अच्छे स्रोत के रूप में काम करती हैं।

फिल्मों के माध्यम से सीखने का तंत्र कहानी कहने के माध्यम से सीखने के समान है लेकिन पूर्व अधिक प्रभावशाली है। फिल्मों में, किसी भी कहानी को बहुत अधिक चित्तकार्षक तरीके से बताया जाता है ।कहानी कहने के पारंपरिक तरीके के विपरीत, फ़िल्में दर्शकों तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए अधिक प्रदर्शनीय और दृश्य-श्रव्य तरीके का उपयोग करती हैं। संदेश की इस तरह की प्रस्तुति फिल्मों को सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण साधन बनाती है क्योंकि इसमें समाज के कुछ मुद्दों की ओर व्यक्तियों के दृष्टिकोण को आकार देने की शक्ति होती है।

कई शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने विभिन्न मनोचिकित्सा और उपचारों और फिल्मों में इलेक्ट्रोकोनवल्सी थेरेपी के चित्रणपर अध्ययन किया है जो दर्शकों और समग्र रूप से समाज के **मानसिक समस्याओं** के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं।

हिंदी सिनेमा ने मानसिक बीमारी को कई मायनों में चित्रित किया है जैसे- हास्य, शरारतपूर्ण या अस्तित्ववान। हिंदी सिनेमा में मानसिक रूप से बीमार लोगों का दिव्य, बुद्धिमान और विशेष शक्तियों वाला असामान्य चित्रण किया जाता है। प्रस्तुत लेख के माध्यम से फ़िल्मों में मानसिक समस्याओं के चित्रण और दर्शकों पर उसके प्रभाव का एक संक्षिप्त अवलोकन देने का

प्रयास किया गया है। बहु दशकों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में भारत सरकार की पहलों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

टेबल 1: बॉलीवुड फ़िल्में और उनमें चित्रित मानसिक समस्याएं

फ़िल्म	**साल**	**चित्रित समस्या**
'फंटूश'	1956	ग्रीफ
'करोड़पति'	1961	मानसिक अस्थिरता
'हॉफ-टिकट'	1962	मानसिक अस्थिरता
'इत्तेफाक'	1969	मानसिक अस्थिरता (अनिश्चित व्यवहार)
'खामोशी'	1970	मेजर डिप्रेशन
'खिलोना'	1970	मानसिक अस्थिरता
'जंजीर'	1973	सोशियोपैथ
'दीवर'	1975	सोशियोपैथ
'शोले'	1975	सोशियोपैथ
'मि. इंडिया'	1978	मादक व्यक्तित्व
'बेमिसाल'	1982	मानसिक अस्थिरता
'आइना'	1993	मानसिक अस्थिरता
'खलनायक'	1993	मादक व्यक्तित्व
'बाज़ीगर'	1993	सायकोपैथ
'अंजाम'	1994	सायकोपैथ
'दिलवाले'	1994	पर्सनालिटी डिसऑर्डर
'डर'	1995	मनोविकृति

'गुप्त'	1997	सीरियल किलर
'कौन'	1999	सीरियल किलर
'प्यार तूने क्या किया'	1999	ओ. सी. डी
'तेरे नाम'	2003	सिजोफ्रेनिया
15 पार्क एवेन्यू	2005	सिजोफ्रेनिया
भूल भुलैया	2007	स्प्लिटपर्सनैलिटीडिसऑर्डर; अक्वाफोबिअ
डियर ज़िंदगी	2016	एंग्जाइटीडिसऑर्डर; डिप्रेशन

1950 और 1960 का दशक

हिंदी सिनेमा के लिए यह स्वर्णिम दौर था। इस अवधि की कई फिल्मों ने नायक में मानसिक बीमारी को दर्शाया। इस समय की एक फिल्म में एक मानसिक आश्रय के रूप में लोकप्रिय 'इंटरनेशनल ल्यूनेटिक असाइलम' को अफ्रीकी और चीनी मूल के रोगियों के इलाज के लिए दिखाया गया है। मनोविश्लेषण चिकित्सा का एक लोकप्रिय रूप रहा है जो इलेक्ट्रोकोनवल्सी थेरेपी के अलावा फिल्मों में दिखाया गया है। तीन फ़िल्में, 'फंटूश' (1956), 'करोड़पति' (1961) और 'हॉफ-टिकट' (1962), की कहानियों में मानसिक बीमारी की बारीकियों को कहानी के मोड़ से जोड़ा है । 'इत्तेफाक' (1969) ने मानसिक बीमारी का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में यह बताने के लिए किया कि नायक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन चित्रण सहानुभूतिपूर्ण था।

फिल्म 'खिलोना'में, संजीव कुमार ने विजय का किरदार निभाया, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका के आत्महत्या करने के बाद अपना

दिमाग खो देता है और एक दिन पागलपन में चन्द (मुमताज) पर हमला कर बैठता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में, फिल्म के खलनायक की हिंसक मौत को देखकर ठीक हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का कहना है कि उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई उचित उपचार (जिसमें एंटी-डिप्रेसेंट और इलेक्ट्रोकोनवेसिव थेरेपी शामिल हो सकते हैं) नहीं दिखाया गया है। इस तरह का स्वास्थ्यलाभ पूरी तरह से अवास्तविक है।

एक और महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि इस अवधि की फिल्में मरीजों के परिवारों को सहायक भूमिका में दिखाती हैं, न कि रोगियों के लिए बीमारी पैदा करने के रूप में । इस अवधि की फिल्मों में चित्रित की गई मानसिक बीमारियों के प्राथमिक कारणों में प्रेम, तनाव और एक दर्दनाक घटना है।

इस अवधि को ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता द्वारा चिह्नित किया गया था। आर्थिक रूप से समृद्ध देशों के विपरीत, भारत में मनोरोग सेवाओं का विकास स्वतंत्रता के समय लगभग कोई मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पृष्ठभूमि में नहीं हुआ है। आजादी के समय, मानसिक स्वास्थ्य संरचना और विशेषज्ञ जनशक्ति अल्प थी। 1947 में, भारत में 300 से अधिक की आबादी के लिए 10,000 मनोरोग बिस्तर थे। स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशक मानसिक अस्पताल के बेड की संख्या को दोगुना करने और अस्पतालों में सेवाओं को मानवीय बनाने के लिए समर्पित थे। दिलचस्प बात यह है कि मानसिक अस्पताल की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक था - मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की देखभाल में परिवारों की सक्रिय भागीदारी। अमृतसर में डॉ. विद्या सागर द्वारा शुरू की गई यह पहल बाकी दुनिया की

तुलना में बहुत आगे थी, उस समय परिवारों को मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए 'विषाक्त 'माना जाता था और उन्हें उनकी देखभाल में शामिल नहीं किया जाता था। इसके बाद सामान्य अस्पताल मनोरोग बेड की स्थापना की गई, जो एक धीमा और मौन परिवर्तन था, लेकिन कई मायनों में हमारे जीवनकाल में मनोरोग उपचार के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण में एक बड़ी क्रांति'।

1970 और 1980 का दशक

इस अवधि के दौरान, देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण में बदलाव के साथ, फिल्मों में मानसिक बीमारी को और अधिक आक्रामक रूप में चित्रित किया जाने लगा। एक "गुस्सैल नौजवान" चरित्र का जन्म हुआ और ऐसी फिल्में बहुत हिट हुईं। प्रारंभ में, प्लॉटों ने न्याय की मांग पर जोर दिया, लेकिन आखिरकार वे सोशियोपैथिक खलनायकों की कहानियों में विकसित हुए, जिन्होंने हत्या में कोई अपराध नहीं महसूस किया और न ही कोई मोचन दिखाया, लेकिन फिर भी उन्हें नायकों के रूप में देखा जाता है। व्यवस्था को बदलने के लिए हिंसा को न्यायोचित रूप में दिखाया गया है। दो फिल्में, 'जंजीर' (1973) और 'दीवर' (1975) बेहद लोकप्रिय है। दोनों में, अकेला नायक खलनायक और तस्करों के खिलाफ न्याय के लिए लड़ता है।

सभी समय की सबसे बड़ी हिट्स में से एक, 'शोले' (1975), एक खलनायक का परिचय देती है, जो हत्या करता है, अपने गिरोह के सदस्यों को अंधाधुंध गोली मारता है, और पुलिस अधिकारी की बाहों को काटता है, जिसने उसे गिरफ्तार करने का साहस किया था। असित सेन की 'खामोशी' (1970) में, राधा (वहीदा रहमान) देव पर कुछ प्रयोगात्मक चिकित्सा की

कोशिश करती है। वह उसके साथ प्यार में पड़ गई, लेकिन जब वह ठीक हो गया, तो उसने राधा की तरफ एक बार मुड़ कर भी नहीं देखा। राधा को इस बात से बड़ा आघात पहुंचा। आखिरकार, अपनी पीड़ा को एक तरफ रखकर, राधा अरुण की देखभाल करती है और अपनी कोमल देखभाल के साथ, वह सुधार करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके साथ प्यार भी हो जाता है। हालाँकि, वह देव को मन से निकालने में असमर्थ है। राधा के लिए भावनात्मक उथल-पुथल बहुत अधिक है, और वह एक मानसिक मलबे को समाप्त करती है। 'खामोशी' के बारे में बात करते हुए, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का कहना है कि प्यार का उपयोग मनोचिकित्सा के लिए एक सिनेमाई विकल्प के रूप में किया जाता है जिसमें डॉक्टर एक सुंदर नर्स के साथ प्रयोग करते हैं जो दो रोगियों (धर्मेंद्र और राजेश खन्ना) का इलाज करता है। हालांकि नर्स का प्यार मरीजों को ठीक कर देता है, वह काउंटर ट्रांसफर' (मनोचिकित्सक पर मरीज का प्रभाव) का प्रबंधन करने में विफल रहती है। इसके अलावा, प्यार का नुकसान अवसाद का एकमात्र कारण नहीं है और वास्तविक जीवन अवसाद रील लाइफ डिप्रेशन से काफी अलग है। वास्तविक जीवन में, मनोचिकित्सक एक प्रशिक्षित व्यक्ति है और मनोचिकित्सा एक अच्छी तरह से तैयार उपचार विकल्प है।

एक अन्य फिल्म 'बेमिसाल' जिसमें, अमिताभ बच्चन एक मानसिक रोगी की भूमिका में हैं, एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पर आधारित है और ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित है। बड़े नामों की मंडली के बावजूद, यह फिल्म संदेश देती है, कि प्रतिक्रियाशील मनोविकार लाइलाज है। इसके अलावा, कई बॉलीवुड चरित्र कम या ज्यादा मादक व्यक्तित्व दर्शाते हैं, जैसा, फिल्म 'मि. इंडिया '(1987) में चरित्र 'मोगैम्बो'।

देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के संबंध में, अगला प्रमुख विकास 1975 में था, जब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने की एक नई पहल, जिसे सामुदायिक मनोचिकित्सा पहल भी कहा जाता है, को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने के लिए अपनाया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मनोरोग क्लीनिकों के एक पृथक विस्तार के रूप में शुरू, आज सामान्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवा का एकीकरण 127 जिलों (आबादी का लगभग 20%) से अधिक है।

1980 के दशक में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के मानसिक स्वास्थ्य घटक के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए 1980 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। फरवरी 1981 में, लखनऊ में एक छोटी मसौदा समिति की बैठक हुई और NMHP का पहला मसौदा तैयार किया। भारत के लिए NMHP के रूप में गोद लेने के लिए अंतिम मसौदा, 18-20 अगस्त 1982 को अपनी बैठक में, भारत के सर्वोच्च स्वास्थ्य नीति-निर्माण निकाय, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद को प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) 1982 में सामुदायिक मनोचिकित्सा दृष्टिकोण पर आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पहल विकसित करने के लिए तैयार किया गया था। NMHP द्वारा वकालत किए गए दृष्टिकोण थे: स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की परिधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य कौशल का प्रसार; मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में कार्यों की उचित नियुक्ति; और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य सेवा का

एकीकरण और सामुदायिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ाव। सेवा घटक में 3 उप कार्यक्रम-उपचार, पुनर्वास और रोकथाम शामिल थे।

1990 का दशक

इस अवधि तक, हिंदी फिल्मों में खलनायक, साथ ही नायक, न केवल मनोरोगी, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी बनने लगे। इस अवधि के दौरान कई बड़ी हिट्स में नायक एक खलनायक था जो अपने परिवार के लिए किए गए गलतियों का बदला लेना चाहता था, लेकिन नायक मनोविकृति पर नियंत्रण कर रहा था और कोई कारण नहीं था कि वह तामसिक न हो। हिंदी सिनेमा में वर्तमान नंबर एक नायक, शाहरुख खान, 'डर' (1995), 'बाज़ीगर' (1993) और 'अंजाम'फिल्मों की एक त्रयी ने नायक को नायिका का अलग-अलग डिग्री से पीछा करते हुए दिखाया। तीनों फिल्मों में नायक नायिका के प्रति अपने जुनूनी प्रेम का गुण बनाता है। ‘डर’ और ‘अंजाम’ में नायक ने यह समझने में असमर्थता जताई कि नायिका उसके प्रेम को विनियमित क्यों नहीं कर पा रही थी। 'डर'में, मृत दूसरों के साथ बातचीत मनोविकृति के साथ एक स्पष्ट लिंक का संकेत देता है।

'बाज़ीगर'में, नायक एक ही समय में दो बहनों के साथ प्यार करता है, एक की हत्या करता है और अपने पटरियों को छिपाने के लिए दूसरे की भी हत्या करता है, फिर अंत में अपनी माँ की गोद में मर जाता है।

'अंजाम'में एक बदला लेने वाली महिला थी जो महसूस करती है कि न्यायिक प्रणाली ने उसे निराश किया है। एक नाटकीय चाल में, नायिका

लकवाग्रस्त नायक को बेहतर पाने के लिए नर्स करती है ताकि वह फिर गलत काम का बदला ले सके।

इस अवधि के दौरान एक और बड़ी हिट 'खलनायक' (1993) है, जिसमें खलनायक के रूप में नायक है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आता है, यह पाता है कि सिस्टम ने उसे नीचा दिखाया है और एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ में शामिल होने के बाद आतंक का राज शुरू होता है ।

दो अन्य फिल्मों, 'कौन' (1999) और 'गुप्त' (1997) में नायिकाओं का इस्तेमाल किया गया, जो स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से कमजोर थीं। पूर्व में, नायिका बिना किसी जड़ता के शहरी परिवार में अकेली होती है और दो पुरुषों को मार देती है। 'गुप्त' में नायिका नायक से प्यार करती है और उसे पता चलता है कि उसे किसी और से प्यार है, वह उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को खत्म करने की कोशिश करती है। आखिरकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने एक मनोरोगी शरण में समय बिताया था। प्रेम में अंतर्निहित प्रतिनिधित्व उनके पुरुष समकक्षों की तरह ही उजागर हुआ, कि जुनूनी प्रेम जीवित है और लात मार रहा है (शाब्दिक और आलंकारिक रूप से) और यह अंतर्निहित निपुणता है जो इसे भयावह और साथ ही गुप्त बनाती है। जुनूनी और अधिकारहीन रुग्ण ईर्ष्या का भाव अगले दशक में प्रमुख है।

'आइना' (1993) और 'प्यार तूने क्या किया' (1999) में जुनूनी सीमावर्ती महिला नायक दिखाई दीं। इस अवधि के दौरान दो प्रमुख फिल्मों में, 'दिलवाले' (1994) और 'तेरे नाम' (2003) में नायक पीड़ित हैं। पूर्व में, नायक मनोवैज्ञानिक हो गया है और उसका मनोविकार चंद्र चक्र से प्रभावी रूप से प्रभावित होता है। एक पूर्णिमा उसे हिंसक बना देती है। लंबे समय से प्रसारित

कहानी में, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम का इससे कुछ लेना-देना है। 'तेरे नाम'में, खलनायक द्वारा एक पिटाई के बाद, नायक को एक सिर की चोट विकसित होती है और 'न्यूरोपैसिकियाट्रिस्ट'परिवार को एक आयुर्वेदिक आश्रम में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां कैदियों को कंटीले तारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उपचार में सिर की मालिश , आशीर्वाद और अन्य आयुर्वेदिक तकनीक शामिल है। शरण का हॉगर्थियन दृश्य दर्शकों को भयभीत कर रहा है लेकिन जिसके भीतर नायक को शांत उपचार प्राप्त होता है जो उसे पूरी तरह से ठीक होने में मदद करता है। इन दोनों मामलों में चित्रण मनोविकृति की पुष्टि करता है और मानसिक बीमारी की ओर ले जाने वाले प्रेम और शारीरिक आघात की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।

इस अवधि के दौरान उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संबंध में, जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य के एकीकरण के लिए मॉडल के विकास के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 1984–90 के दौरान विकसित DMHP को शुरू में 4 राज्यों तक बढ़ाया गया, फिर 20 राज्यों में 1995-2002 के दौरान 25 जिलों में और अगले 7 वर्षों में 125 जिलों में बढ़ाया गया। NMHP में जिन अन्य क्षेत्रों को समर्थन मिला, उनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मनोरोग के सुधार, मानव संसाधन के विकास और मानसिक अस्पतालों के सुधार शामिल थे। कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन थेः DMHP `633 मिलियन; मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण `742 मिलियन; मनोचिकित्सा के मेडिकल कॉलेज विभागों को मजबूत करना `375 मिलियन; IEC और प्रशिक्षण `100 मिलियन; और अनुसंधान `50 मिलियन। मनोचिकित्सा के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज विभाग को वार्डों के निर्माण और आवश्यक उपकरणों की खरीद

सहित, गुणवत्ता माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के साथ-साथ स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के विकास के लिए `5 मिलियन का अनुदान दिया गया था। मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सुविधाएं की गयी।

21 वीं सदी

हालांकि बॉलीवुड फिल्मों में मानसिक बीमारी का चित्रण बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इस अवधि के दौरान रिलीज हुई फिल्मों ने मानसिक बीमारी के चित्रण और क्लाइंट-थेरेपिस्ट संबंधों में उल्लेखनीय सुधार किया है और इसके पाठ्यक्रम को सनसनीखेज होने से बदल दिया है।

अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित फिल्म 15 पार्क एवेन्यू (2005) में कोंकणा सेन शर्मा के चरित्र के साथ कुछ भावुकता जुड़ी हुई है क्योंकि दर्शकों में जो बात उभर कर आती है वह सहानुभूति है, सहानुभूति - उसके लिए और उसकी देखभाल करने वालों के लिए। सेन शर्मा स्किज़ोफ्रेनिया वाली एक युवती का किरदार निभाने के लिए एक शानदार काम करती हैं और यह कथा बहुत अच्छी तरह से मानसिक बीमारियों के साथ-साथ उन चुनौतियों को भी दर्शाती है जो एक गंभीर बीमारी पारिवारिक गति के लिए चुनौती है। सेन शर्मा के चरित्र में हम मानसिक बीमारी के रोमांटिककरण या कथानक रेखा या भयावह सुखद अंत में भटकते हुए नहीं देखते हैं। इसके बजाय, यह सेन शर्मा और शबाना आज़मी के उन चरित्रों को दर्शाता है जो वे अपने दैनिक जीवन को अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए कर सकते हैं।

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित भूल भुलैया (2007) अपने संवादों और कुछ शब्दावली के उपयोग से बहुत तरह से बेहद समस्याग्रस्त है - उदाहरण के

लिए - "आप की बेटी पागल है"। बीमारी और विशेष रूप से इसके बड़े करीने से खुश अंत को बांधा गया है (यह नहीं है कि कैसे अलग पहचान विकार 'ठीक हो गया है')। फिल्म एक्वाफोबिया को भी चित्रित करती है, लेकिन यह एक गंभीर चित्रण नहीं है और इसका उपयोग फिल्म में एक हास्य प्रभाव जोड़ने के लिए किया जाता है। इस फिल्म से जो एक चीज की हम सराहना करते हैं, वह है अक्षय कुमार का किरदार, मनोचिकित्सक आदित्य श्रीवास्तव का फिल्म में मानसिक बीमारी की व्याख्या और अंधविश्वासों और धार्मिक विश्वासों से वास्तविक विकारों को अलग करने की आवश्यकता को स्पष्टता से दिखाया गया है।

गौरी शिंदे द्वारा निर्देशित डियर ज़िंदगी (2016) ने दर्शकों को एक निपुण युवा, स्वतंत्र, कार्यात्मक महिला जो बाहरी रूप से सामान्य है, को दिखाया, जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगी। यहां महिला को असहाय रुप में नहीं दिखाया है जिसे बचाने के लिए कोई और है। थेरेपी स्व-देखभाल का एक सामान्यीकृत पहलू है और नायक के पास समर्थन और देखभाल की एक प्रणाली है जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म उन जटिलताओं को भी संबोधित करती है जो रोगी-चिकित्सक के रिश्ते में उत्पन्न हो सकती हैं।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शुरुआत से ही, फिल्में मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। इसलिए पूरी तरह से यथार्थवादी और सत्य तरीके से मानसिक बीमारी को चित्रित करने के लिए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन एक ही नैदानिक रूप से ठीक कहानी प्रस्तुत करना काफी सराहनीय है

इस अवधि के दौरान मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बारे में यह पाया गया कि मनोरोगी और धार्मिक संस्थानों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को मीडिया के माध्यम से उजागर किया गया,मानवाधिकार आंदोलन ने संस्थागत देखभाल को बढ़ावा दिया।

DMHP ने तृतीयक, माध्यमिक और प्राथमिक देखभाल के व्यापक एकीकरण के हिस्से के रूप में सामुदायिक देखभाल की जोरदार वकालत की। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में NMHP ने केवल DMHP पर ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए 10 वीं योजना (2002-2007) ने राज्य स्तर के प्रशासन, मानसिक संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों को मजबूत बनाने और आधुनिकीकरण के लिए NMHP को फिर से रणनीतिक रूप दिया। DMHP में कुछ बदलाव किए गए थे। नए सरकारी अधिकारी हालांकि NMHP के अनुकूल थे और इसके बजट में सात गुना वृद्धि हुई, हालांकि ये धन बाद में कम खर्च किए गए। खराब सरकारी प्रावधान को जारी रखने के कारण एक बड़ा निजी मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र पनपा ।NMHP / DMHP के कुछ प्रतिकूल मूल्यांकन के बाद, NMHP (2007 के बाद) को 'मजबूत'किया गया। बजट में 10 बिलियन रुपये की वृद्धि (2007 में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का केवल 2%) के साथ, नए तत्वों को स्कूल और आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रमों जैसे NMHP में शामिल किया गया था। सामान्य चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण प्राथमिकता बन गया।

टेबल 2: भारत में मानसिक बीमारी और उपलब्ध संसाधनों का परिमाण

चर	नंबर
भारत की जनसंख्या	130 करोड़
नैदानिक मनोरोग से पीड़ित लोगों की संख्या (वर्तमान)	10% या13 करोड़
गंभीर मानसिक विकारों (वर्तमान) या एक करोड़ से पीड़ित लोगों कीसं ख्या	0.8%
मनोरोग से पीड़ित रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या (लगभग)	60,000
मनोचिकित्स कों की संख्या	9000
मनोरोगनर्स (मानसिक स्वास्थ्यनर्स) कीसंख्या	2000
मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता ओंकी संख्या	1000
नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की संख्या	1000

गणना के प्रयोजनों के लिए, मूल्यों को निकटतम उच्चतम संख्या में गोल किया गया है

फिल्में वास्तविकता को चित्रित करती हैं क्योंकि निर्देशक इसे दिखाना चाहते हैं। फिल्में एक सामाजिक या सांस्कृतिक निर्वात में नहीं बनती हैं, और निर्देशक का दृष्टिकोण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जलवायु से प्रभावित होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सिनेमा समाज का दर्पण है। यह समाज के मुद्दों के लिए प्रभाव और दृष्टिकोण के गठन का एक शक्तिशाली माध्यम है। मानसिक बीमारी के चित्रण ज्यादातर हानिरहित हैं और उपचार की अपेक्षाओं में मदद करते हैं। इसलिए, फिल्मों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के अधिक यथार्थवादी चित्रण के माध्यम से

देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने की तत्काल आवश्यकता है। फिल्में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी मानसिक बीमारी के लक्षणों के सही चित्रण के साथ, फिल्में दर्शकों को उन लक्षणों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती हैं और उन्हें किसी प्रकार की अपसामान्य गतिविधि के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय कुछ मनोरोग से संबंधित होने के रूप में पहचानने में सक्षम बनाती हैं। फिल्में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी को इन लक्षणों की पहचान करने और मदद के लिए पेशेवरों तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं (शायद एक सामान्य चिकित्सक)। इस तरह, फिल्में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं।

References:

- 5 Indian Films That Depict Mental Health In Sensible, Realistic Ways. (2018, September 20). Retrieved December 6, 2020, from https://homegrown.co.in/article/802937/5-indian-films-that-depict-mental-health-in-sensible-realistic-ways
- Murthy, R.S., (2011). Mental health initiatives in India (1947–2010). THE NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF INDIA, 24(2), 98-107. http://archive.nmji.in/archives/Volume-24/Issue-2/Medical-Society-II.pdf
- Math, S. B., Gowda, G. S., Basavaraju, V., Manjunatha, N., Kumar, C. N., Enara, A., Gowda, N., & Thirthalli, J. (2019, April 1). *Cost estimation for the implementation of the Mental Healthcare Act 2017*. PubMed Central (PMC). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6482705/
- Beachum, L. (2010). The Psychopathology of Cinema: How Mental Illness and Psychotherapy are Portrayed in Film. Honors Projects. 56. http://scholarworks.gvsu.edu/honorsprojects/56

- Bhugra, D. (2004, November 13). Film: Indian “psycho”. Retrieved December 6, 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC527718/
- Das, S., Doval, N., Mohammed, S., Dua, N., & Chatterjee, S. S. (2017, October 25). Psychiatry and Cinema: What Can We Learn from the Magical Screen? Retrieved December 6, 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5738520/
- Ginneken, N. V., Jain, S., Patel, V., & Berridge, V. (n.d.). The development of mental health services within primary care in India: learning from oral history. Retrieved December 6, 2020, from https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-4458-8-30
- Kumar, R. (2012, December 17). Psychiatrists condemn Bollywood mantra of using depression to spice reel life - India - Hindustan Times. Retrieved December 6, 2020, from https://www.hindustantimes.com/india/psychiatrists-condemn-bollywood-mantra-of-using-depression-to-spice-reel-life/story-cxDi5aPmeejdT5hq0GJPcN.html
- Nizamie, S. H., & Goyal, N. (2010, January 1). History of psychiatry in India. Retrieved December 6, 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146221/
- Outlook. (2019, October 11). World Mental Health Day: Portrayal of mental health illness shifts from sensational to sensitive. Retrieved December 6, 2020, from https://www.outlookindia.com/newsscroll/world-mental-health-day-portrayal-of-mental-health-illness-shifts-from-sensational-to-sensitive/1638130